प्रकाशक—
सत्यदेव वर्मा बी. ए., एल–एल. बी
मयूर-प्रकाशन, झाँसी।

द्वतीयवार—१९४९

मूल्य पांच रुपया

मुद्रक—
द्वारिकाप्रसाद मिश्र 'द्वारिकेश'
स्वाधीन प्रेस, झांसी।

सूची

अगस्त ब्यालीस का शुभागमन क्यों	१
भारत छोड़ो प्रस्ताव	१३
एमरी के कुत्सित विचार	२२
कांग्रेस पर कुठाराघात	३९
करो मरो	४०
क्रांति चिरजीवी हो	५९
आन्दोलन के नेता और पत्र	६३
बम्बई	९९
महाराष्ट्र	१२८
पाटिलपुत्र	१५३
बिहार	१६१
उड़ीसा	१६९
बंगाल	१७१
मद्रास	२०७
आंध्र	२०८
संयुक्तप्रांत	२१६
कर्नाटक	२५६
आसाम	२८७
उड़ीसा	३०३
आष्टी चिमूर	३१९

विभिन्न क्रमशः

"उन्नीस सौ व्यालीस में जो हुआ उसके लिये मुझे बहुत गौरव है, मुझे अफ़सोस होता अगर जनता चुपचाप राष्ट्रीय अपमान सह लेती।"

—पं० जवाहरलाल नेहरू

आशीर्वाद

—:✿:—

इतिहास लिखना कठिन काम है। निकट-भूत का इतिहास लिखना और भी कठिन; क्यों कि विभिन्न धाराओं और शक्तियों का मूल्यांकन करना आसान नहीं है। फिर भी मेरे प्रिय गोस्वामी ने यह महत्वपूर्ण तथा दुस्तर कार्य सफलता पूर्वक किया इसके लिए हमें प्रसन्नता है।

लेखक ने आदि से अन्त तक न्याय, सचाई और राजनैतिक समझ से काम लिया है। पर्याप्त अध्ययन, मनन, चिन्तन के बाद वर्णित विषय को सजाने और संजोने में लेखक ने अपनी अध्ययनसायी प्रवृत्ति का ही परिचय नहीं दिया है, बल्कि उसने आज की राजनैतिक परिस्थिति में, कदम फूंक कर चलने वाले राजनीति के विद्यार्थियों के हाथ में एक सुन्दर इतिहास समर्पित किया है।

अगस्त ४२ के लिखने में कितने परिश्रम से कार्य किया गया होगा यह निश्चत करना सरल नहीं है। सनातन पद्धति के अनुसार मृत-आत्माओं का स्मरण करने से उसका शुभाशीर्वाद उनको मिलता है। लेखक को शहीदों के साथ साथ मैं भी आशीर्वाद देता हूँ कि लेखक का जीवन सफल हो और नई नई पुस्तकें वह पथ प्रदर्शन के एवं ज्ञानोपार्जन के लिए भेंट करें।

स्वामी स्वराज्यानन्द,
प्रेसीडैन्ट,
जिला कांग्रेस कमेटी झांसी।

❀ कुछ सम्मतियाँ ❀

"पुस्तक प्रत्येक दृष्टि से सुन्दर है। गाँधी स्मारक ग्रंथमाला का आयोजन बड़ा उपयोगी और जनप्रिय होगा ऐसी आशा है। लेखक का परिश्रम और लगन इस आयोजन को सफल करेगा यह विश्वास है। इस पुस्तक जैसा वर्णन अन्य प्राप्त नहीं हो सकता है। मैं लेखक की खोज की प्रशंसा करता हूँ।"

रामेश्वर प्रसाद शर्मा,
सदस्य अ० भा० कांग्रेस कमेटी।

"पुस्तक का वर्णन सराहनीय है। ढंग रोचक और क्रम जन प्रिय है। लेखक की अभी तक की कृतियों में यह सर्व श्रेष्ठ है।"

सुदामा प्रसाद गोस्वामी,
सदस्य संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी।

"लेखक ने इस प्रकार पुस्तक सजाई है जैसे घटनास्थल पर स्वयं उपस्थित हो।"

लालाराम वाजपेई,
प्रधान मंत्री
म० भा० प्रा० दे० रा० लोकपरिषद,
विकास मन्त्री, (विन्ध्य प्रान्त)।

"लेखक ने राजनीति के विद्यार्थी एवं भावी सन्तान के लिए एक आवश्कीय वस्तु प्रदान की है। लेखक की ३ कृतियां हमारे यहां से भी निकली हैं पर यह कृति अति सुन्दर है।"

बाबूलाल तिवारी,
(श्रीधर पदक विजेता)
साहित्यरत्न व साहित्यालंकार,
प्र० अ० हिन्दी साहित्य विद्यालय,
अध्यक्ष:- प्रचार व प्रकाशन,
जिला कांग्रेस कमेटी, झांसी।

आभार

—:❀:—

उन सम्पूर्ण दैनिक, अर्द्ध साप्ताहिक, साप्ताहिक पाक्षिक. मासिक, त्रैमासिक पत्र पत्रिकाओं के सम्पादकों और लेखकों तथा ब्यालीस के कथानकों का जिनसे इस कार्य में सहयोग प्राप्त हुआ है उनका मैं परम आभारी हूँ।

हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी भाषा में प्रकाशित हुए उन राजनैतिक इतिहासकारों तथा प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों, प्रान्तीय शासन सूत्र के एम० एल० एओं तथा प्रान्तीय मंत्रि मण्डलों का मैं विशेष रूप से कृतज्ञ हूँ। जिनके लेखों और वक्तव्यों से मैं यह कृति प्रस्तुत कर सका हूँ।

सबका आभारी :—

सीताराम गोस्वामी,

प्रधान मन्त्री,

बुन्देलखण्ड नागरी प्रचारिणी सभा,

(झांसी)

कलम आज उनकी जय बोल !

जला अस्थियां अपनी सारी,
छिटकाईं जिनने चिनगारी,
जो चढ़ गये पुण्य-वेदी पर लिये बिना गरदन का मोल।
कलम आज उनकी जय बोल ॥

(२)

जो अगणित लघु दीप हमारे,
तूफानों में एक किनारे,
जल जल कर बुझ गए, एक दिन मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल।
कलम आज उनकी जय बोल ॥

(३)

पीकर जिनकी लाल शिखायें,
उद्भासित हो उठी दिशायें,
जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल।
कलम, आज उनकी जय बोल ॥

(४)

अन्धा चकाचौंध का मारा,
क्या जाने इतिहास बेचारा,
साखी हैं उनकी महिमा के सूर्य चन्द्र भूगोल खगोल।
कलम, आज उनकी जय बोल ॥

हृदयोदगार—

सीताराम गोस्वामी

का० मन्त्री जिला कॉंग्रेस कमेटी

झाँसी।

अगस्त ४२ का शुभागमन क्यों ?

१९४२ का पूर्वार्द्ध

१९४२ के प्रारम्भ में द्वितीय महासमर चल रहा था। रूस में जर्मनी की सेनायें बढ़ी चली जाती थीं। अफ्रीकन मोर्चों पर मित्र-सेनाओं को प्रति दिन नीचा देखना पड़ता था। प्रशान्त महासागर में जापान का बोलबाला था। वर्ष के प्रारम्भ से ही भारत पर जापानी आक्रमण की आशंका होने लगी थी। वर्ष के प्रथम दिवस के अवसर पर भारत के प्रधान सेनापति ने संदेश देते हुये कहा—भारत में सन् १९४१ ने महा-युद्ध को हमारे निकट ला दिया है जिससे हमारे ऊपर अनेकों आपत्ति और उत्तरदायित्व आ गया है।

युद्ध की विभीषिका से भारत त्रस्त हो उठा था। जापानी आक्रमण से अपने धन-जन की रक्षा करने की लालसा सबके दिल में थी किन्तु वह भारत की रक्षा तथा शासन में कोई व्यापक परिवर्तन करने को ब्रिटिश प्रस्तुत न थे।

महात्मा गांधी ने ७ जनवरी को बारडोली से एक वक्तव्य निकाला जिसमें कहा गया कि:—जहाँ तक मैं देखता हूं जिस प्रकार का सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाया गया था वैसा संभवतः अब कांग्रेस की ओर से जब तक महायुद्ध समाप्त न हो, न चलाया जायगा। कांग्रेस की ओर से नहीं किन्तु युद्ध का विरोध करने वाली जनता की ओर से शुद्ध अहिंसा के आधार पर आदर्श रूप में यह आंदोलन चला करेगा। यह आंदोलन युद्ध विरोधियों के इस अधिकार की पुष्टि करेगा कि उन्हें हर प्रकार के युद्ध के विरुद्ध प्रचार करने का अधिकार है। महात्मा गांधी का यह कथन केवल ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति ही नहीं लागू था बल्कि धुरी राष्ट्रों के प्रति

भी लागू था। १८ फरवरी, १९४२ के "हरिजन" में उन्होंने एक लेख में लिखा—"अगर नाजी हिन्दुस्तान में आये तो कांग्रेस उनसे भी उसी तरह लड़ेगी जिस तरह आज अंग्रेजों से लड़ रही है।"

स्थिति उत्तरोत्तर खराब होती गई। जापान ने मलाया पर धावा बोल दिया। मित्र सेना की ओर से कभी भी पर्याप्त प्रतिरोध न हुआ। शत्रु आगे बढ़ते गये। भारतीय राजनीतिक परिस्थिति में परिवर्तन की आशा नहीं थी। क्रिप्स योजना की चर्चा चल रही थी किन्तु यह बात सबके दिल में बैठ गई थी कि इस योजना से कुछ होने जाने का नहीं। राष्ट्रपति मौलाना आजाद ने ३ फरवरी को प्रयाग में सार्वजनिक भाषण देते हुये कहा—सरकार की ओर देखना और समझौते की आशा करना केवल समय नष्ट करना है। जापान ने जब से मलाया पर हमला किया तब से बड़ी नाजुक परिस्थिति उत्पन्न हो गई है और भारत के लिये खतरा बढ़ गया है।

आखिर १३ फरवरी, १९४२ को सिंगापुर का पतन हो गया। फिर भी सम्राट की सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सख्ती और बढ़ गई। फौज में भर्ती और युद्धकार्य के लिये चन्दे का आन्दोलन जोरों पर चला। भारत की रक्षा के नाम पर भारत रक्षा कानून की धाराओं में आवश्यकतानुसार समय समय पर नई धारायें जुड़ती गईं। आर्डिनेन्सों का जमाना था। युद्ध के विषय में टीका टिप्पणी करना भारी अपराध था।

क्रिप्स प्रस्ताव

बड़ी उत्कण्ठा से लोग क्रिप्स योजना की प्रतीक्षा कर रहे थे। २८ मार्च, १९४२ को सरकारी तौर पर क्रिप्स प्रस्तावों की घोषणा हुई। उस में कहा गया गया कि (१) युद्ध के समाप्त होने के बाद फौरन ही भारत में एक निर्वाचित संस्था स्थापित करने के लिए कार्रवाई की जायगी। यह संस्था भारत के लिए विधान बनायेगी, (२) विधान निर्माण करने वाली

सभा में देशी राज्यों के भाग लेने के लिये व्यवस्था की जायगी; ३) प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाएँ निर्वाचक के रूप में सानुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार विधान निर्मात्री संस्था के चुनाव का कार्य आरम्भ करेंगी। चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या का दसवां भाग होगी।

क्रिप्स ने अपने प्रस्तावों की व्याख्या करते हुये कहा;—"भारत के सामने इन दिनों जो नाजुक समय उपस्थित है, और तब तक के लिए जब तक नया विधान बन न जाय, सम्राट की सरकार को भारत की रक्षा की जिम्मेंदारी और तत्सम्बन्धी कार्यों का नियन्त्रण विश्व युद्ध प्रयत्नों के एक हिस्से के रूप में अपने हाथ में रखना होगा। मगर भारत के सैनिक नैतिक और भौतिक साधनों के पूर्ण रूप से संघटन के कार्य की जिम्मेदारी भारतीय जनता के सहयोग के साथ भारत सरकार पर रहेगी।

"भारतीय नेता ऐसे कार्य में अपनी क्रियात्मक और रचनात्मक सहायता दे सकेंगे, जो भारत की स्वतन्त्रता के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक है।

"हमारा उद्देश्य यह है कि भारतीय जनता को पूर्ण स्वशासन का अधिकार दिया जाय और उसे यह पूरी स्वतन्त्रता रहे कि वह अपना विधान जिस प्रकार चाहे बनावे और उसे सङ्गठित करे। यह निश्चय करने का काम भारतीय जनता का है, किसी बाहरी अधिकारी का नहीं कि भारत भविष्य में अपना शासन किस प्रकार करेगा।

"भारत का शासन विधान सब लोग एक साथ मिलकर बनाने के लिये आइये और यदि आप उस विधान बनाने वाली संस्था में आकर सब बातों पर विचार कर तथा आदान प्रदान की नीति पर चल कर यह देखें कि मतभेदों को दूर नहीं कर सकते हैं और यदि कुछ प्रान्त तब भी विधान से संतुष्ट न हो तो वे उसमेंसे निकल सकते हैं और बाहर रह सकते हैं और उन्हें आत्मशासन का उतनाही अधिकार तथा स्वतंत्रतारहेगी जो संघ को

होगी। यह हम अंग्रेजों का काम नहीं है कि आप भारतीय जनता को कोई अपनी आज्ञा दें। उस समस्या का हल और निश्चय स्वयं आप करेंगे। अब हम वह नेतृत्व दे रहे हैं जिसे देने के लिए हमसे कहा जाता था और अब यह भारतीयों के ही हाथ में है कि वे उस नेतृत्व को स्वीकार करें और अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करें। यदि वे इस अवसर को खो बैठते हैं तो असफलता की जिम्मेदारी उन्हीं पर होगी। भूत काल में हम इस बात की प्रतीक्षा करते थे कि विभिन्न भारतीय संप्रदाय इस सर्व सम्मत निर्णय पर पहुँचेंगे कि भारत के स्वशासन का नया विधान किस प्रकार का बनाया जाय और चूंकि भारतीय नेताओं में कोई समझौता नहीं हुआ इस लिए ब्रिटिश सरकार पर कुछ लोगों ने यह दोष लगाया कि वह भारत को स्वतन्त्रता देने में विलंब लगा रही है।

"इस प्रस्ताव में एक आवश्यक बात बचा रखी गई है और वह है रक्षा की ज़िम्मेदारी। इस दीर्घ व्यापी युद्ध में रक्षा का काम किसी एक देश में केन्द्रित नहीं रह सकता और इसकी तैयारियां सरकार के समस्त विभागों द्वारा होनी चाहिए। मेरा आपसे कहना यह है कि पीछे की बातों को भुला दीजिए। मेरा हाथ हम लोगों की मित्रता का हाथ स्वीकार की जिए। विश्वास कीजिए और हमें यह अवसर दीजिए कि आपकी स्वतन्त्रता और स्वशासन स्थापित करने का कार्य कार्यान्वित करने में हम आपका साथ दें।"

कांग्रेस ने प्रस्ताव ठुकरा दिया

कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने १ अप्रैल १९४२ को क्रिप्स प्रस्तावों को ठुकरा दिया। वर्किंग कमेटी ने कहा कि रक्षा का कार्य इस समय भारतीयों से ले लेना उनकी जिम्मेदारी का मजाक करना है। इस समय यह आवश्यक है कि यह स्वीकार कर लिया जाय कि भारतीय जनता स्वतन्त्र है और अपनी रक्षा की जिम्मेवारी उस पर है।

रक्षा का प्रश्न अब ऐसा नहीं था जिसकी उपेक्षा की जाती। देखते देखते भारत की भूमि पर शत्रु के विमानों के आक्रमण होने लगे। अप्रैल १९४२ में बंगाल की खाड़ी में जापानी नौसैना की कार्यवाई बढ़ी और ६ अप्रैल को कोकोनाडा और विजगापट्टम के बन्दरगाहों पर बम गिरे। कलकत्ता और ढाका आदि नगरों में इतना आतंक फैला कि लोग अपनी सम्पत्ति छोड़ छोड़ कर भागने लगे। भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध भारत युद्ध केन्द्र बना हुआ था और इसकी रक्षा का कोई उपाय सामने नहीं दिखाई देता था। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उपयुक्त घटनाओं का हवाला देते हुए ७ अप्रैल को अपने भाषण में कहा— भारत के तटवर्ती नगरों पर जापानियों द्वारा बम गिराए जाने से भारतियों के हृदय अवश्य आन्दोलित हो उठे होंगे। जापानियों का यह कथन बिलकुल झूठा और वाहियात है कि वे भारत को स्वतन्त्र करने के लिए आ रहे हैं।"

'भारत छोड़ो' योजना

२६ अप्रैल १९४२ के "हरिजन" में महात्मा गांधी का एक लेख प्रकाशित हुआ जिसमें 'भारत छोड़ो' आन्दोलन को भावी योजना पर प्रकाश डाला गया था। भारत की रक्षा के लिए विदेशी सेनाओं की उपस्थिति पर दुःख प्रकट किया गया था। महात्मा जी ने यह विचार प्रकट किया था कि यदि अंगरेज भारत को उसके नाम पर छोड़ दें, तो अहिंसक भारत को इससे कुछ हानि न होगी और संभवतः जापान उससे कुछ न बोलेगा।

लेख में यह भी कहा गया था कि "भारत वर्ष के लिए चाहे इसका कुछ भी फल हो, उसको और ब्रिटेन की भी वास्तविक सुरक्षा इसी में है कि अंग्रेज़ व्यवस्था पूर्वक और समय रहते भारत से चले जाँय।" फिर ३ मई, १९४२ के "हरिजन" में गांधी ने लिखा—"मेरा विश्वास है कि भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति

जापानी आक्रमण के लिए प्रेरणा है।"

१० मई के "हरिजन" में गांधीजी ने अपने विचारों की व्याख्या करते हुये फिर लिखा कि "भारत वर्ष में अंग्रेज़ों की उपस्थिति जापान को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण है। उनके चले जाने से यह प्रलोभन हट जायेगा। फिर ३१ मई १९४२ के "हरिजन" में आपने लिखा—"निस्सन्देह लोगों को किसी भी दशा में अंग्रेजी शासन सत्ता से छुटकारा पाने के लिए जापानियों पर आस नहीं बांधनी चाहिये। वह तो बीमारी से भी बुरा इलाज होगा। किंतु जैसा मैं पहले कह चुका हूँ इस संग्राम में हमें तरह तरह का खतरा उठाना पड़ेगा ताकि हम अपने आप को उस महाव्याधि से मुक्त करा सकें जिसने हमारे पौरुष को जर्जरित और हमें शक्तिहीन बना दिया है। हमें सदा गुलाम ही बने रहने का विश्वास करने को बाध्य किया है। यह विचार असहय है। इस इलाज की कीमत महँगी होगी, पर दासता से मुक्ति के लिये कोई भी कीमत महँगी नहीं"।

वर्किंग कमेटी की बैठक

अप्रैल १९४२ के अंत में कांग्रेस वार्किंग कमेटी की बैठक हुई। महात्मा गांधी इस बैठक में उपस्थित नहीं थे। उन्होंने वर्किंग कमेटी में विचारार्थ कतिपय योजनायें कुमारी मीरा बेन द्वारा भेज दी थीं। सरकार वर्किंग कमेटी से बहुत संशंक रहा करती। उसे डर था कि इस बार कमेटी कोई ऐसी योजना न पास कर दे जिससे भारत में व्यापक आंदोलन छिड़े, और 'भारत छोड़ो' योजना सफल हो जायँ।

समाचार पत्रों पर रोक

२८ अप्रैल १९४२ को भारत सरकार ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कार्यवाहियों के छपने पर रोक लगा दी।

केन्द्रीय सरकार तथा प्रांतीय सरकारों ने आज्ञाओं के द्वारा कांग्रेस के कार्यक्रम एवं कांग्रेस जनों की गतिविधि की जानकारी प्राप्त करने से जनता को वंचित रखना चाहा। समाचार पत्रों पर कड़ी नज़र रखी जाने लगी और जैसे जैसे समय बीतता गया प्रेस संबंधी नई नई आज्ञायें जारी की जाने लगी।

ऐसी आज्ञाओं के जारी होने से जनता को सही समाचारों का मिलना बंद हो गया और समाचार पत्रों के लिये ईमानदारी के काम करना असंभव हो गया। कई पत्र संपादकों को धमकियां दी गईं। कई पत्रों की ज़मानतें ज़ब्त हुईं, कइयों से ज़मानत मांगी गई और कइयों का प्रकाशन बंद कर देना पड़ा। लखनऊ के राष्ट्रीय पत्र "नेशनल हेराल्ड" ने १५ अगस्त, १९४२ से अपना प्रकाशन बंद कर दिया और लिखा कि अब समय आ गया है कि अपमानपूर्ण नियंत्रण को स्वीकार करने की अपेक्षा काम बंद कर देना अच्छा है। "हिन्दुस्तान टाइम्स" के संपादक श्री देवदास गांधी, "हिन्दुस्तान" के संपादक श्रीमुकुट विहारीलाल तथा दोनों के प्रिंटर श्री देवीप्रसाद शर्मा को गिरफ्तार कर लिये; उन पर मुकद्दमा चला किंतु वे छोड़ दिये गये। फैसले में मजिस्ट्रेट ने लिखा— मेरे सामने ऐसी कोई शहादत पेश नहीं की गई है जिससे यह साबित हो कि दंगों का सबंध उस आंदोलन से है जिसके लिये अ० भा० कांग्रेस कमेटी ने मंजूरी दी है।

"नेशनल हेराल्ड" के संपादक श्री रामराव पर मुकद्मा चला। उन्हें ६ महीने की सज़ा दी गई। प्रेस बंद होने पर भी युक्त प्रांत के गवर्नर ने घोषित किया कि उक्त पत्र की इमारत ग़ैरकानूनी बैठकों के लिये इस्तेमाल होती है। इमारत ज़ब्त कर ली गई। एक एक करके भारत के प्रायः सारे राष्ट्रीय पत्रों का प्रकाशन बंद हो गया।

२७ अप्रैल से २ मई तक कांग्रेस कमेटी की जो बैठकें हुईं, उनमें जापान के प्रति कांग्रेस के रुख के विषय में कड़ी बहस हुई। भारत पर जापान के आक्रमण की आशंका थी और यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने भारत को उसकी इच्छा के विरुद्ध युद्ध में झोंक दिया था फिर आक्रमण की दशा में भारत ने अहिंसात्मक रूप से पूर्णतया जापान से असहयोग करने का निश्चय किया और कहा गया कि ऐसे अवसर पर केवल ब्रिटिश सेनाओं के मार्ग में कोई बाधा न डालने के ही द्वारा हम आक्रमणकारी के प्रति अपने असहयोग को प्रकट करेंगे।

अ० भा० कांग्रेस कमेटी का प्रस्ताव

इलाहाबाद में २ मई को अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंत जी ने वर्किंग कमेटी का नियमित प्रस्ताव पेश किया, उसमें कहा गया है कि भारत आक्रमणकारी सेनाओं के साथ पूर्ण अहिंसात्मक असहयोग करेगा। प्रस्ताव यों है—

"भारत पर आक्रमण होने का जो तात्कालिक खतरा उत्पन्न हो गया है उसे तथा ब्रिटिश सरकार के रुख को जो कि सर स्टैफर्ड क्रिप्स द्वारा लाये गये प्रस्तावों में पुनः प्रकट किया गया था, ध्यान में रखते हुये अ० भा० कांग्रेस कमेटी को भारत को नई नीति की घोषणा करनी है और निकट भविष्य में उत्पन्न होने वाली संभावित परिस्थिति में किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में देश की जनता को सलाह देनी है।

"ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों और सर स्टैफर्ड क्रिप्स द्वारा की गई उनकी व्याख्या के फलस्वरूप पहले से अधिक कटुता और संकट उत्पन्न हुआ है और ब्रिटेन के साथ असहयोग करने की भावना की वृद्धि हुई है। उन प्रस्तावों से प्रकट हो गया है कि इस खतरे के समय में जो न केवल भारत के लिये बल्कि संयुक्तराष्ट्रों के लिये भी है, ब्रिटिश सरकार साम्राज्यवादी सरकार की भाँति कार्य करती है और भारत की स्वाधीनता

स्वीकार करने से अथवा उसे कोई वास्तविक अधिकार देने से इनकार करती है।

युद्ध में भारत का भाग लेना सर्वथा ब्रिटिश कार्य है जिसे भारतीयों पर बिना उनके प्रतिनिधियों की मंजूरी लिये ही लादा गया है। एक ओर जब कि भारत का किसी देश से कोई झगड़ा नहीं है तो दूसरी ओर भारत बारम्बार नाजीवाद, फासिस्टवाद और साम्राज्यवाद के प्रति अपनी घृणा की भावना प्रकट करता है। यदि भारत स्वतन्त्र होता तो वह अपनी नीति स्वयं निर्धारित करता और संभव है कि वह अपने को युद्ध से अलग बनाये रखता। हालांकि स्वभावतः उसकी सहानुभूति उन देशों के प्रति होगी जिन पर आक्रमण किये गये हैं। लेकिन अगर परिस्थितियों के अनुसार उसे युद्ध में प्रवेश करना पड़ता तो वह ऐसा स्वतंत्रता के लिये लड़ने वाले एक स्वतंत्र देश की हैसियत से करता और भारत की रक्षा का संगठन, राष्ट्रीय सेना का नियंत्रण तथा नेतृत्व लोक प्रिय आधार पर किया जाता और जनता के साथ निकट सम्बन्ध रखा जाता। केवल स्वतंत्र भारत ही यह जानता कि उस पर हमला करने वाले किसी आक्रमणकारी से अपनी किस प्रकार रक्षा करनी चाहिये। वर्तमान भारतीय सेना वस्तुतः बृटिश सेना की ही एक शाखा है और इसे अब तक मुख्यतः भारत को पराधीन बनाये रखने के लिये प्रयोग में लाया गया है।

"रक्षा के सम्बन्ध में साम्राज्यवादी और लोकप्रिय धारणाओं में क्या अन्तर होता है यह इस बात से प्रकट हो जाता है कि एक ओर जब रक्षा के लिए भारत में विदेशी सेनायें निमन्त्रित की जाती हैं तो दूसरी ओर भारत की महान जनशक्ति का उसके लिए उपयोग नहीं किया जाता है। अतीत के अनुभवों से भारत को यह शिक्षा मिलती है कि भारत में विदेशी सेनाओं का आगमन भारत के हितों के

लिए हानिकारक है और उसकी स्वतन्त्रता के उद्देश्य के लिए खतरनाक है। यह एक उल्लेखनीय और असाधारण बात है कि भारत की अक्षुण्ण जन शक्ति का उपयोग न किया जाय जब कि दूसरी ओर भारत विदेशी सेनाओं के बीच रणक्षेत्र के रूप में परिणत हो जाय और उसकी रक्षा को लोकप्रिय नियंत्रण के लिए उपयुक्त न समझा जाय। भारत इस बात पर असन्तोष प्रकट करता है कि यहां की जनता को नगण्य समझा जाय और विदेशी अधिकारियों के द्वारा मनमाने-पन का बर्ताव किया जाय।

"अखिल भारत वर्षीय कांग्रेस कमेटी को यह यकीन है कि भारत स्वयं अपनी शक्ति से अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करेगा और इसी प्रकार उसे कायम रक्खेगा। वर्तमान संकट से तथा सरस्टैफ़र्ड क्रिप्स के साथ वार्ता के समय प्राप्त हुये अनुभवों से कांग्रेस के लिए यह असंभव हो जाता है कि वह किन्हीं ऐसी योजनाओं और प्रस्तावों पर विचार करे जिनके द्वारा अंशिक रूप में ही सही ब्रिटिश नियंत्रण और अधिकार भारत पर कायम रक्खा जाता है। न केवल भारत के हित का बल्कि ब्रिटेन की सुरक्षा और विश्व शान्ति और स्वतन्त्रता का यह तकाजा है कि ब्रिटेन को अनिवार्यतः भारत पर से शिकंजा हटा लेना होगा। भारत केवल स्वतन्त्रता के ही आधार पर ब्रिटेन अथवा किसी अन्य राष्ट्र से बात कर सकता है।"

उक्त प्रस्ताव में आगे चलकर इस धारणा का खण्डन किया गया है कि किसी विदेश राष्ट्र के हस्तक्षेप अथवा आक्रमण करने से भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त हो सकती है। अगर भारत पर हमला हो तो उसका अवश्यमेव विरोध करना होगा। इस तरह विरोध केवल अहिंसात्मक असहयोग का ही रूप धारण कर सकता है।

"इसलिए आ० भा० कांग्रेस कमेटी देश की जनता से यह आशा करेगी कि वह आक्रमणकारी सेनाओं से पूर्ण अहिंसात्मक असहयोग करेगी और उनको किसी प्रकार की सहायता न पहुंचायेगी। हम आक्रमणकारी के सामने घुटने नहीं टेक सकते और न उसके किसी आदेश का ही पालन

कर सकते हैं। हम उसकी कृपा नहीं चाह सकते और न उसके द्वारा दिए जाने वाले घूस को ही ले सकते हैं। अगर वह हमारे घरों और खेतों पर अधिकार करना चाहता है तो हम उसे देने से इन्कार करेंगे और हमें चाहे मरना ही क्यों न पड़े हम उसका विरोध करेंगे। जिन स्थानों में ब्रिटिश और आक्रमणकारी सेनाओं में लड़ाई हो रही है वहां पर हमारा असहयोग निस्फल और अनावश्यक होगा। केवल ब्रिटिश सेनाओं के मार्ग में कोई बाधा न डालने के ही द्वारा हम आक्रमणकारी के प्रति अपने असहयोग को प्रकट करेंगे।"

"आक्रमणकारी के साथ असहयोग और उसका अहिंसात्मक विरोध किया जाना बहुत अधिक अंशों में कांग्रेस के रचनात्मक कार्य को विस्तृत रूप से कार्यन्वित किए जाने और खास करके आत्म निर्भर करेगा"

वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव बहुमत से पास हुआ।

इधर शुभाष बाबू इससे पूर्व ही रूप परिवर्तत करके चले गए थे

यु० प्रा० कांग्रेस कमेटी

युक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने ३१ मई १९४४ को अपनी लखनऊ की बैठक में एक प्रस्ताव पास करके अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उन प्रस्तावों को मंजूर किया जो हाल में इलाहाबाद में पास किये गये थे और जिनमें कांग्रेस की वर्तमान नीति समझाई गई थी।

एक प्रस्ताव द्वारा कमेटी ने इस पर नाराजी प्रकट की थी कि इस प्रांत के कुछ नागरिक और ग्रामीण क्षेत्रों से जनता निकाल दी गई। ऐसा करते समय न तो कोई सूचना दी गई, न मुआवजा दिया गया, और न लोगों को हटाने का कोई प्रबन्ध किया गया, और न उनके लिए जमीनों और घरों का प्रबन्ध किया गया।

जुलाई १९४२ को गोरखपुर में युक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की कौंसिल में भी कुछ ऐसा ही प्रस्ताव पास हुआ जो इस प्रकार है:—

"युक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की कौंसिल सरकार के स्कूल की इमारतों को अपने कब्जे में करने और स्कूल अधिकारियों को बहुत थोड़े समय की सूचना पर हटने के लिये बाध्य करनेकी नीति को नापसन्द करती है। कौंसिल यह स्वीकार करती है आवश्यकता के समय फौजी आवश्यकताओं को जीवन के अनेक साधारण कार्यों से पहिले स्थान देना चाहिये किन्तु एक विदेशी शासक का निर्णय जो लोकमत के प्रति जिम्मेदार नहीं है और उसकी ओर ध्यान नहीं देता, इस प्रकार के कार्यों के लिए उचित नहीं कहा जा सकता।

स्पष्ट है कि कांग्रेस ज्यों ज्यों लोकमत की आवाज उठा रही थी सरकार लोकमत को कुचलने पर तुली हुई थी। युद्धोद्योग के सामने लोकमत की यह अवहेलना किसी भी आत्माभिमानी देश अथवा संस्था को मान्य न होगी। ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों पर कांग्रेस का रुख और भी कड़ा होता गया।

महात्मा गांधी के आन्दोलन की रूप रेखा यद्यपि स्पष्ट नहीं थी, फिर भी इतना प्रकट हो चुका था कि कांग्रेस अधिक दिनों तक रुकने को तैयार नहीं थी। यह भी विदित हो चुका था कि कांग्रेस का अगला कदम महत्वपूर्ण तथा निर्णायक होगा।

पंडित जवाहर लाल नेहरू ने २ जुलाई को महात्मा गांधी के नये आंदोलन की ओर संकेत करते हुये कहा कि महात्मा जी स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए सत्याग्रह या कोई अन्य कार्य प्रारम्भ करने ही वाले हैं। जनता को उसके लिये तैयार रखना चाहिये। जब तक हम बन्धन में पड़े हैं, तब तक हम देश की रक्षा नहीं कर सकते। इसी लिए महात्मा गांधी यह चाहते हैं कि अंगरेज चले जांय और देश की रक्षा का भार हिन्दुस्तानियों के हाथों में सौंप दे।

पंडित जी ने आगे कहा कि हमने दीर्घ काल तक इंतिजार किया, हम एक या दो वर्ष और ठहरते, पर युद्ध के कारण हम अब नहीं ठहर

सकते। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम भारत को स्वतन्त्र करें और तब उसके बाद जापानी या किसी भी अन्य आक्रमणकारी से या शस्त्रों से या बिना शस्त्रों के लड़े। यदि हम स्वतन्त्र होते तो हम किसी भी शत्रु का मुकाबला कर सकते थे।

उधर सरदार बल्लभ भाई पटेल ने २ जुलाई को ही रात में भाषण देते हुये कहा कि मैं यह नहीं जानता कि गांधी जी किस समय आदेश निकालेंगे लेकिन उन्होंने हाल ही में जो कुछ लिखा है उससे प्रकट होता है कि वे कब आदेश निकाल सकते है। यह सभाओं जुलूसों और भाषण का समय नहीं है। अगर भीषण विनाश का आप पर प्रभाव नहीं पड़ा और आनेवाले प्रस्ताव को आप न समझ सके तो यह हमारा दुर्भाग्य ही होगा। संभव है मैं फिर आपसे न मिल सकूँ। मैं आशा करता हूं आप प्रत्येक अपील का हृदय से समर्थन करेंगे।

'भारत छोड़ो' प्रस्ताव का स्पष्टीकरण

महात्मा गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव पर देश विदेश में बड़ी गलत फहमी फैली। ऐसे संकट काल में जब कि भारत के चारों ओर शत्रु मडरा रहे हैं, 'भारत छोड़ो' आंदोलन का क्या अर्थ हो सकता है! महात्मा गांधी के कतिपय निकटवर्ती सहयोगियों तक को उक्त आंदोलन में सन्निहित परिणामों के विषय में बड़ी चिंता हो रही थी। महात्मा गांधी ने ५ जुलाई के 'हरिजन' में 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा:—

"एक भी अंग्रेज़ सिपाही के बिना स्वतंत्र भारत का मैंने जो आकर्षक चित्र खींचा है, उसके लिये मुझे भारी मूल्य चुकाना पड़ रहा है। हमारे मित्र यह जानकर चक्कर में पड़ गये हैं कि मैंने जो प्रस्ताव किया है उसमें ब्रिटिश और अमेरिकन फौजोंके भी उपस्थित रहनेकी गुँजाइश है। मेरी यह बहस बेकार है कि यदि मित्रराष्ट्रों की फौजें रह गईं तो वे जनता

के ऊपर या भारत के खर्चे से अधिकार जमाने के लिये नहीं होंगी, बल्कि स्वतंत्र भारत के साथ की गई संधि के अनुसार और संयुक्त राष्ट्रों के खर्चे पर यहां रहेंगीं और उनका एक मात्र उद्देश्य जापानी आक्रमण विफल करने और चीन को सहायता पहुंचाने का होगा।

"यह सकेत किया गया है कि युद्ध काल तक मित्रराष्ट्रों की फौज़ों को भारत में रहने देने पर न राजी होने का अर्थ भारत और चीन को जापान को दे डालने का होगा और उसके फलस्वरूप मित्रराष्ट्रों की पराजय निश्चित हो जायेगी। मैं यह कभी नहीं सोच सकता था। इसका एक मात्र उत्तर दिया जा सकता है, वह यह है कि फौज़ों के मौजूद रहने को बरदाश्त किया जाय। वे स्वतंत्र भारत की इजाजत से रहेंगी; स्वामी के रूप में न रहेंगी।

"मैं कह सकता हूँ कि एक बड़ी ही कठिन योजना की सबसे कमजोर बातों पर ही दृष्टि रखना भारी गलती है। संभव है कि भारत में फौजा को रहने देने पर भी वह योजना स्वीकार न की जाय। यदि ब्रिटेन ईमानदारी के साथ भारत का परित्याग परित्याग करने के वास्तविक अर्थ में कर दे तो निश्चित रूप से इस शताब्दी की यही मुख्य घटना होगी और संभव है कि युद्ध की प्रगति में परिवर्तन हो जाय। मेरी राय में परित्याग के मूल्य का उसके गुण पर तनिक भी प्रभाव न पड़ेगा। क्योंकि मित्रराष्ट्रों की फौजें भारत में जापानी आक्रमण रोकने के एक मात्र उद्देश्य से काम करेंगी। कुछ भी हो आक्रमण बचाने में भारत की भी उतनी ही दिलचस्पी है जितनी कि मित्र राष्ट्रों की, फिर भी मेरे प्रस्ताव के अनुसार फौजा के लिये भारत को एक पाई भी खर्च न करना पड़ेगा।

"जहां तक मैं देख सकता हूँ इन फौजों की उपस्थिति से स्वतंत्र भारत को कोई खतरा न होगा। उनकी वजह से भारत की स्वतन्त्रता

छोटी न हो जायेगी। प्रस्तावों का अर्थ महात्मा जी ने सूत्र रूप में इस प्रकार समझाया है:—

(१) भारत ब्रिटेन का किसी भी रूप में आर्थिक कर्जदार नहीं रहेगा।

(२) ब्रिटेन को जो रकम वार्षिक दी जाती है वह आप से आप बन्द हो जायेगी।

(३) ब्रिटिश सरकार के स्थान पर कायम होने वाली सरकार जो टैक्स लगायेगी अथवा जिन टैक्सों को जारी रखेगी उन्हें छोड़कर बाकी सभी टैक्स बन्द हो जायेंगे।

(४) इस देश में सबको परतन्त्रता में रखने वाली सर्वशक्ति सम्पन्न सरकार का सारा भार शीघ्र हट जायेगा।

(५) संक्षेप में भारत में अपने राष्ट्रीय जीवन में एक नये अध्याय का प्रादुर्भाव होगा। मुझे आशा है कि अहिंसा द्वारा युद्ध की प्रगति पर प्रभाव डालने का भाव असहयोग या उसकी तरह की किसी चीज का रूप न ग्रहण करेगा। वह अपने को इस रूप में प्रकट करेगा कि हमारा राजदूत धुरी राष्ट्रों के पास जायेगा --शान्ति की भीख मांगने के लिये नहीं बल्कि उन्हें यह दिखाने के लिये किसी सम्मान पूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिये युद्ध निरर्थक है। यह तभी हो सकता है जब कि ब्रिटेन अपने संगठित तथा सफल हिंसा, जिससे बढ़कर संगठित और सफल हिंसा शायद संसार को देखने को न मिली होगी,—के लाभों को छोड़ दे।

कांग्रेस वर्किङ्ग कमेटी की बैठक ६ जुलाई १९४२ से १४ जुलाई तक होती रही। यों तो वाद विवाद के लिये समय की गंभीरता के कारण अनेकानेक महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित थे किंतु विशेष रूप से विचार महात्मा गांधी के 'भारत छोड़ो' विषयक प्रस्ताव पर ही हुआ।

जर्मन सेनायें मिश्र में ऊधम मचा रही थीं, जापानियों ने सिंगापुर और बर्मा पर अधिकार कर लेने के बाद भारत का दरवाजा खटखटाना शुरू किया था। इधर भारत सरकार भारत की सुरक्षा के प्रति उतनी ही उदासीन दिखाई देती थी उतनी बर्मा और सिंगापुर की सुरक्षा के प्रति। नगरों में जहां तहां खाइयां खोदी जाती थीं, बालू के बोरे रखे जाते थे, दीवारें उठाई जा रही थीं तथा हवाई हमले से हिफाजत के केन्द्र स्थापित हो रहे थे, किंतु यह सब कोरा मजाक मालूम होता था। भारतीय जनता को भुलावे में डालने के लिये यह सारी कार्रवाई धोखे की टट्टी थी। हां, इन कार्रवाइयों का इतना प्रभाव अवश्य पड़ा कि भारतीय जनता समझ गई कि जापान आक्रमण अति निकट है और हमारी रक्षा का भार सरकार अच्छी तरह नहीं निबाह सकती।

लंबी बहस के बाद वर्किङ्ग कमेटी ने १४ जुलाई को निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया:—

"जो घटनायें नित्य प्रति हो रही हैं और भारतीय जनता जो कुछ अनुभव कर रही है उससे कांग्रेस वादियोंके इस विचार की पुष्टि होती है कि भारत में ब्रिटिश शासन का तुरत ही अंत हो जाना चाहिये। केवल इसलिए नहीं कि विदेशी प्रभुत्व चाहे कितना भी अच्छा हो, बुरा है और परतंत्र जनता के लिये हानिकार है, बल्कि इसलिये कि भारत परतंत्रता में रह कर अपनी रक्षा के लिये कोई प्रभावशाली कार्य नहीं कर सकता और इस युद्ध की स्थिति पर कुछ भी असर नहीं डाल सकता, जो मानव जाति को छिन्न भिन्न किये हुये है। इस तरह भारत की स्वतंत्रता केवल भारत के ही हक में आवश्यक नहीं है बल्कि वह संसार की रक्षा तथा नाजीवाद, फासिस्टवाद, सैनिक वाद और साम्राज्यवाद, का अंत करने और एक राष्ट्र पर दूसरे राष्ट्र का आक्रमण रोकने के लिये भी आवश्यक है। जब से विश्वव्यापी महायुद्ध आरंभ हुआ तब से कांग्रेस की नीति परेशान न करने की रही है।

· कांग्रेस को आशा थी कि वास्तविक शासन शक्ति का अधिकार जनता के प्रतिनिधियों को सौंपा जायगा ताकि संसार भर में मानव स्वतंत्रता स्थापित करने में राष्ट्र (भारत) पूर्ण सहयोग दे सके, क्यों कि वह स्वतन्त्रता इस समय नष्ट होने के खतरे में है यह भी आशा की गई थी कि नकारात्मक रूप से ऐसा कुछ भी न किया जायेगा जिससे ब्रिटेन का फंदा भारत पर मजबूत हो सके।

"पर कांग्रेस की ये सब आशायें नष्ट कर दी गईं। क्रिप्स के निरर्थक प्रस्तावों से यह स्पष्ट हो गया कि भारत के प्रति अंगरेज सरकार के रुख में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व किसी तरह भी ढीला करनेका इरादा नहीं है। सरस्टैफर्ड क्रिप्स से वार्ता के समय कांग्रेसी प्रतिनिधियों ने इसका यथशक्ति प्रयत्न किया कि राष्ट्रीय माग के अनुसार कमसे कम कुछ प्राप्त हो जाय, पर इसका कुछ फल न हुआ। इस प्रकार निष्फल होने के कारण ब्रिटेन के विरुद्ध व्यापक रूप से देश में दुर्भाव फैल गया है, और जापानियों की सफलता पर सन्तोष बढ़ रहा है। वर्किंग कमेटी इस स्थिति को बहुत ही चिंता के साथ देखती है और यदि वह न रोकी गई तो इसका फल आक्रमणकारी के प्रति आत्म समर्पण करना होगा। कमेटी का यह विचार है कि सब तरह के आक्रमण का अवश्य मुकाबला किया जाय। क्योंकि उसके प्रति आत्म समर्पण करने का मतलब भारतीय जनता का पतन और उसकी परतन्त्रता जारी रहने का है। कांग्रेस चाहती है कि मलाया सिंगापुर और वर्मा के अनुभव यहां न हों (उससमय आजादहिंद सेनाका कथानक प्रकट न हुआ था) और जापानी या किसी भी विदेशी शक्ति के द्वारा आक्रमण होने पर उसका मुकाविला करने की तैयारी की जाय। इस समय ब्रिटेन के विरुद्ध जो दुर्भाव है, उसे कांग्रेस सदभाव में बदल देगी और संसार को राष्ट्रों के लिये स्वतन्त्रता प्राप्ति के संयुक्त प्रयत्न में भारत खुशी से भाग लेगा। पर यह तभी संभव है जब भारत स्वतन्त्रता के प्रकाश को महसूस करे।"

जयहिन्द का अमर सिंहनाद करने वाले आज़ाद हिंद सरकार और सेना के सङ्गठन कर्ता
श्री सुभाषचन्द्र बोस

"कांग्रेस प्रतिनिधियों ने साम्प्रदायिक समस्या हल करने का यथा शक्ति प्रयत्न किया पर विदेशी शक्ति की उपस्थिति के कारण उसे हल करना असम्भव हो गया। विदेशी प्रभुत्व और हस्तक्षेप का अन्त होने ही पर वर्तमान अवास्तविक स्थिति वास्तविकता में परिणित होगी और समस्त दलों की भारतीय जनता भारतीय समस्याओं को पारस्परिक समझौते के आधार पर हल करेगी।

देश के वर्तमान राजनीतिक दलों के सङ्गठन मुख्यतः अंगरेजों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए बनाये गये हैं और तब उन लोगों का कार्य भी बन्द हो जायगा। भारत के इतिहास में पहिली बार देशी नरेश, जागीरदार, जमींदार, और धनी लोग यह समझेंगे कि खेतों और कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से ही वे धन प्राप्त करते हैं और शासन शक्ति और अधिकार वास्तव में उन्हें ही मिलना चाहिये।

"भारत से ब्रिटिश शासन के हट जाने पर देश के जिम्मेदार नर नारी मिलकर एक अस्थायी सरकार कायम करेंगे और भारतीय जनता के प्रमुख भागों के प्रतिनिधि भावी सम्बन्ध बनाने के लिये तथा दोनों देश मित्रराष्ट्रों की तरह सहयोग और आक्रमण का सामना करने के लिये आपस में परामर्श करेंगे। कांग्रेस की यह हार्दिक इच्छा है कि वह जनता की सयुक्त इच्छा और शक्ति से आक्रमण का मुकाबला करे।

भारत से ब्रिटिश शासन के हटाये जाने के प्रस्ताव पर कांग्रेस की यह इच्छा नहीं है कि वह ब्रिटेन या मित्रराष्ट्रों के युद्ध के प्रयत्नों में किसी तरह की परेशानी पैदा करे या भारत अथवा चीन पर वह धुरी राष्ट्रों के आक्रमण को प्रोत्साहन दे, और न कांग्रेस मित्र राष्ट्रों की रक्षा की क्षमता को आघात पहुंचाना चाहती है।

कांग्रेस यह मानती है कि भारत में मित्रराष्ट्रों की फौजें यदि चाहें तो रहें ताकि जापानी या अन्य किसी शक्ति के आक्रमणों को रोका जा सके,

और चीन की रक्षा तथा सहायता की जाय। भारत से ब्रिटिश शक्ति के हटने का यह मतलब नहीं है कि सब अंग्रेज भारत से चले जांय और निश्चय ही यह उनके लिए नहीं है जो भारत को अपना घर बनाकर नागरिक के रूप में यहां समान भाव से रहना चाहें। यदि अगरेज सद्भाव के साथ हटें तो इससे भारत में मजबूत अस्थायी सरकार बनाने में सहायता मिलेगी और इस सरकार और मित्रराष्ट्रों में चीन की सहायता के लिए सहयोग हो सकेगा।

"कांग्रेस यह समझती है कि ऐसा करने में संभव है जोखिम हो। पर स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए किसी भी देश को ऐसे जोखिम सहन करने होंगे। कांग्रेस राष्ट्रीय उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधीर है पर वह जल्दबाजी के साथ कुछ करना नहीं चाहती और यथा संभव वह संयुक्त राष्ट्रों को परेशान करना भी नहीं चाहती।

यदि यह अपील निष्फल हो जाय तो कांग्रेस मौजूदा हालतों को बड़ी शङ्का की दृष्टि से देखेगी और भारत के मुकाबला करने की शक्ति घटती जायगी। तब कांग्रेस इसके लिए मजबूर होगी कि वह उस समस्त अहिंसात्मक शक्ति से काम ले जो उसने सन् १९२० से संग्रह की है ताकि वह अपने राजनीतिक हकों के लिए आन्दोलन करे और यह आन्दोलन निश्चय ही महात्मा गांधी के नेतृत्व में होगा। चूंकि यह विषय भारत और संयुक्त राष्ट्रों की जनता के लिए बहुत आवश्यक है इसलिए वर्किंग कमेटी अंतिम निर्णय लेने के लिए उसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में भेजती है। इसके लिये अ० भा० कांग्रेस कमेटी की बैठक ७ अगस्त को बम्बई में बुलाई जायगी।"

सत्याग्रह शीघ्र छेड़ने के सम्बन्ध में स्वयं महात्मा गांधी ने १९ जुलाई के हरिजन में लिखा:—

डाक्टरों ने मुझे बीमार नहीं घोषित किया। है मैं थका हुआ हूं और उन्होंने मुझे सलाह दी है कि मैं विश्राम करूं और करीब १५ दिन तक

किसी ठण्डे स्थान पर चला जाऊँ । मैं अपने को विश्राम देने के लिये प्रयत्न करता हूं किन्तु कर्तव्य का ध्यान ऐसा करने से मुझे रोकता है। आजिब बात यह है कि जब तक बुद्धि में कोई दोष न हो तब तक राजनीतिक बीमारी सत्याग्रह आन्दोलन चलाने में बाधा नहीं बन सकती ।'

साम्प्रदायिकता की आड़ में क्रिप्स

महात्मा गांधी के प्रस्तावित आंदोलन से इङ्गलैंड और अमेरिका में गहरी चिन्ता हुई प्रायः सारे पत्रों ने महात्मा जी के प्रस्तावों को असामयिक और अनुचित बताया । सर स्ट्रैफर्ड क्रिप्स ने रेडियो भाषणके दौरान में कहा:—

"गांधी जी ने यह मांग की है कि हम लोग भारत छोड़कर चले जांय जहां पर धार्मिक मतभेद गहरे हैं और कोई भी सुसंगठित शासन नहीं है, वहां कोई भी जिम्मेदार सरकार ऐसा नहीं कर सकती विशेषकर इस युद्धकाल में।"

"आठ करोड़ मुसलमान हिन्दुस्तान के प्रभुत्व के विरुद्ध हैं। इसी तरह अछूत भी हिन्दुओं के विरोधी हैं। कांग्रेस दल या महात्मा गांधी की बातें स्वीकार करने से देश में गड़बड़ और उपद्रव हो जायगा ! महात्मा गांधी को एक महान राष्ट्रीय और धार्मिक नेता समझ कर मैंने उनका आदर किया है पर इस समय वे व्यवहारिक और वास्तविक समझदारी नहीं दिखा रहे हैं । इस समय वे महान आम सत्याग्रहकी धमकी दे रहे हैं जिससे युद्ध सम्बधी प्रयत्नों को हानि पहुंचेगी और शत्रु खुश होंगे । मुझे इसका बड़ा दुख है कि महात्मा गांधी ने यह रुख ग्रहण किया है । मैं जानता हूँ कि समस्त भारतीय जनता उनके इस रुख का समर्थन नहीं करती ! आम सत्याग्रह के लिए सम्भव है कि कुछ लोग उनके साथ हो जांय, पर भारत और मित्र राष्ट्रों के उद्देश्य के लिए हमारा यह कर्तव्य है कि जापानियों के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई करने के लिए

भारत को हम सुव्यवस्थित जङ्गी अड्डा बनावें। इसके लिये चाहे जो भी उपाय करने पड़ेंगे हम उन्हें अवश्य निर्भीकता पूर्वक करेंगे।"

इस प्रकार सर स्ट्रैफर्ड क्रिप्स ने मुसलमानों और दलित जातियों के पक्ष का समर्थन कर भारतीय दलों के प्रति अंग्रेज़ शासकों की नीति का प्रतिपादन किया। मुसलमानों और दलित वर्गों को कांग्रेस से पृथक रखने का प्रयत्न बार बार होता है, फिर ऐसे सङ्कटपूर्ण अवसर पर साम्प्रदायिक भावनाओं को प्रज्वलित करने की तो महान आवश्यकता थी।

पं० नेहरू की चुनौती

पं० जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स के भाषण पर वक्तव्य देते हुये कहा कि एक होशियार वकील की भांति सर स्ट्रैफर्ड क्रिप्स ने महात्मा गान्धी के वक्तव्यों में से कुछ शब्द चुन लिये हैं और उनके द्वारा ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के पक्ष का औचित्य प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है। इंगलैण्ड और भारत के बीच स्थिति काफी खराब है। फिर भी सर स्ट्रैफर्ड उसे खराब बनाना चाहते हैं। वे मुसलमानों तथा दलित जातियों आदि के नये समर्थक बने हैं। मैं अपने देश के मुसलमानों को सर स्ट्रैफर्ड से कुछ ज्यादा जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि उनके बारे में सर स्ट्रैफर्ड ने जो कहा है वह उनमें से बहु-संख्यकों के लिये निन्दा के रूप में है।

प्रस्ताव पर मि० एमरी के कुत्सित विचार

तत्कालीन भारत सचिव मि० एमरी ने वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव को धमकी समझा। ३० जुलाई १९४२ को कामन सभा में भाषण देते हुए उन्होंने अपनी प्रतिक्रियावादी नीति का परिचय इस प्रकार दिया:—

यदि मांग स्वीकार कर ली जाय तो भारत सरकार का शासनसंघ पूर्ण रूप से स्वप्न हो जायगा और ऐसे समय में जब कि रूस, चीन और मिश्र

तथा अन्य रणक्षेत्रों में स्थिति ऐसी है कि सभी मित्र राष्ट्रों की सारी शक्ति सहयोग और साधनों को एक साथ लड़ाई में लगा देने की आवश्यकता है मांग पेश करने से बढ़कर और कोई हानि नहीं पहुंचाई जा सकती।

"ब्रिटिश सरकार भारत को पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये पूरा अवसर देने के अपने संकल्प को दुहराती है किन्तु वह उन सभी लोगों को जो कांग्रेस वर्किङ्ग कमेटी द्वारा निर्धारित की गई नीति का समर्थन करते हैं, चेतावनी देती है कि भारत सरकार स्थिति का मुकाबला करने के निमित्त प्रत्येक संभव उपाय करने के अपने कर्तव्य में तनिक भी नहीं हटेगी।"

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक अभी बम्बई में होने ही वाली थी कि एकाएक भारत सरकार ने तथाकथित गांधीजी के उस प्रस्ताव के मसविदे को, जिसके प्रकाशन पर २८ अप्रैल १९४२ को भारत सरकार ने रोक लगाई थी और जिस पर वर्किंग कमेटी में बहस हुई थी, प्रकाशित किया। सरकारी विज्ञप्ति का कहना है कि इस मसविदे में निम्नलिखित मुख्य प्रसङ्ग थे :—

१—ब्रिटिश सरकार के भारत से चले जाने की मांग की जाय।

२—भारत ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के कारण ही युद्धक्षेत्र के अंतर्गत आ गया है।

३—इस देश की स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए किसी भी विदेशी ताक़त की सहायता की आवश्यकता नहीं है।

४—भारत का किसी भी दूसरे देश से कोई झगड़ा नहीं है।

५—यदि जापान ने भारत पर हमला किया तो उसका मुकाबला अहिंसात्मक विरोध से किया जायगा।

६—असहयोग का स्वरूप क्या होगा?

७—देश में विदेशी सैनिकों की उपस्थिति भारत की स्वतन्त्रता के लिये बहुत बड़ा खतरा है।

सरकारी विज्ञप्ति में कांग्रेस वर्किङ्ग कमेटी की बैठक में होनेवाली बहस का जो विवरण दिया गया, इसके अतिरिक्त कई अनर्गल बातें पं० जवाहरलाल नेहरू, डा० राजेन्द्रप्रसाद, श्री अच्युत पटवर्धन तथा मौ० अबुल कलाम आजाद आदि के नाम पर कही गई थीं।

महात्मा गांधी की धारणा

सरकार ने उपर्युक्त मसविदा प्रकाशित करा कर समझा कि ऐसा करने से गांधी जी के प्रति जनता की अश्रद्धा होगी। महात्मा जी ने प्रेस प्रतिनिधियों द्वारा पूछे जाने पर तद्विषयक कई प्रश्नों का स्पष्टीकरण किया। उन्होंने कहा—"जिस ढङ्ग से सरकार ने कागजात को प्राप्त किया है, उसके सम्बन्ध में मैं दो एक बात कह देना चाहता हूँ। मेरा खयाल है कि अ० भा० कांग्रेस कमेटी के दफ्तर की तलाशी करने तथा कागजात को कब्जा में रखने के लिए जो कार्य प्रणाली अख्तियार की गई वह आपत्ति जनक थी। कांग्रेस कोई गैर कानूनी संस्था नहीं है। उसके प्रतिनिधि भारतीय शासनविधान द्वारा दी गई आंशिक स्वाधीनता के अन्दर भारत के सात बड़े प्रान्तों पर शासन कर चुके हैं और जहां तक मुझे ज्ञात है उन प्रान्तों के गवर्नरों ने उनके शासन की प्रशंसा की है। ऐसी संस्था के साथ सरकार को अच्छा बर्ताव करना चाहिये था। उन कागजों का अनुचित या अवैध उपयोग करने के पूर्व यदि सरकार अ० भा० कांग्रेस कमेटी को उसका हवाला देकर उसे कुछ कहने का अवसर देती तो कहीं बेहतर होता। गृह विभाग ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों को कलङ्कित करनेका जो प्रयत्न किया है उसके होते हुये भी उन कागजों को पढ़ने से जो अप्रामाणिक हैं, काग्रेस की प्रतिष्ठा में कम से कम भारत के अन्दर, कोई अन्तर नहीं पड़ सकता। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे सदस्य लज्जित हों।"

प्रतिनिधियों द्वारा यह पूछे जाने पर कि जैसा आपके कथित प्रस्ताव से प्रकट होता है, क्या आपका विश्वास है कि जापानी और जर्मनी युद्ध

में विजयी होंगे ? महात्मा जी ने कहा कि मैंने कभी भी, बहुत लापरवाही के समय भी, यह मत नहीं व्यक्त किया कि जापान और जर्मनी युद्ध में विजयी होंगे यही नहीं मैंने अकसर यह राय प्रकट की है कि अगर ब्रिटेन सदा के लिए साम्राज्यवाद छोड़ दे तो वह युद्ध में जीत सकता है।

२६ जुलाई को महात्मा गांधी ने 'हरिजन' में जापानियों को संबोधित करते हुए लिखा था कि—"मैं आपसे यह कहूँगा कि यदि आपका यह विश्वास है कि भारत में आपका खुशी से स्वागत होगा तो आपका यह बहुत बड़ा भ्रम है। आपको बहुत गलत सूचनायें मिली हैं, कि हमने इस अवसर पर जब कि आपका आक्रमण भारत पर होने वाला है, मित्र राष्ट्रों को परेशान करने का निश्चय किया है। यदि हम ब्रिटेन की कठिनाई को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सुअवसर समझते तो हमने तीन वर्ष पूर्व ही ऐसा किया होता, जब कि युद्ध आरम्भ हुआ था।"

कथित प्रस्ताव के प्रकाशन पर पं० नेहरू

सरकारी विज्ञप्ति के प्रकाशन की निन्दा करते हुये पं० जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित वक्तव्य दिया—

मैंने पहली बार सरकार की विज्ञप्ति देखी है जिसमें वे कागजात प्रकाशित किये गये हैं जिन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पर धावा करने में पुलिस ने पकड़े थे। इस बात से आश्चर्य होता है कि सरकार ऐसी स्थिति पर पहुंच गई है कि उसे इस प्रकार की अश्रेयस्कर तथा अपमानजनक नीति अख्तियार करनी पड़ी है। साधारणतः इस तरह की चालों के लिए कोई उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होती किन्तु चूंकि कुछ गलतफहमी पैदा होने की आशङ्का है इसलिए मैं कुछ बातों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ।

यह हमारी प्रथा नहीं है कि वर्किङ्ग कमेटी की बैठक की कार्यवाही की हम विस्तृत रिपोर्ट रखें, केवल अन्तिम निर्णय दर्ज किये जाते हैं इस

अवसर पर असिस्टेन्ट सेक्रेटरी ने बैठक के बारे में संक्षिप्त नोट लिखे थे जो कांग्रेस की ओर से नहीं लिये गये थे। नोट प्रत्यक्ष उन्होंने अपने लिये ले लिए थे। यह नोट बहुत ही संक्षिप्त हैं और इनमें एक बात का दूसरी बात से कोई सम्बन्ध नहीं है। ये नोट कई दिन की लम्बी बहस के बारे में हैं जिस बीच में मैं कई बार दो या तीन घण्टे तक बोला हूँगा। केवल कुछ वाक्य ले लिये गए हैं जिनके ऊपर पहले और बादमें कही गई बातों का कोई जिक्र नहीं किया गया है। ये वाक्य प्रायः गलत ख्याल पैदा करते हैं हममें से किसी को ये नोट देखने को नहीं मिले थे और न उन्हें दुहराने का ही हममें से किसी को कोई अवसर मिला था। जो नोट लिये गये थे वे बड़े ही असन्तोषजनक थे। वे अपूर्ण थे इसलिये प्रायः गलत भी।

भारत से अंगरेजों के वापस चलेजाने के प्रश्न पर जिस समय विचार किया गया तब मैंने संकेत किया कि यदि शसस्त्र फौजें सहसा हटा ली जांयगी तो संभव है जापानी आगे बढ़ें और बिना किसी रुकावट के हमारे देश पर आक्रमण करें। यह प्रत्यक्ष कठिनाई उस समय दूर हो गई जब गांधी जी ने यह बताया कि आक्रमण रोकने के लिये ब्रिटिश तथा अन्य शसस्त्र फौजें भारत में रह सकती हैं। यह कहने में कि गांधी जी को धुरी राष्ट्रों की विजय की आशा है महात्मा गांधी द्वारा इस कथन के साथ लगाई गई एक महत्वपूर्ण शर्त को नहीं बताया गया है। महात्मा जी ने जो बात बार बार कही है और जिसका मैंने जिक्र किया है वह यह है कि उनका यह विश्वास है कि यदि अंगरेज भारत तथा उपनिवेशों के संबंध में अपनी सारी नीति को नहीं बदल देंगे तो वे काफी विपत्ति में पड़ेंगे। गांधी जी ने यह भी कहा है कि यदि इस नीति में उपर्युक्त परिवर्तन कर दिया जाय और लड़ाई वास्तव में सभी राष्ट्रों की स्वतन्त्रता की लड़ाई का रूप धारण कर ले तो विजय निश्चित रूप से संयुक्त राष्ट्रों की होगी।

२८ अप्रैल को भारत सरकार ने मसविदे पर रोक लगा कर जनता का कौतूहल तो बढ़ाया ही था साथ ही जनता को इस कारवाई पर बड़ा क्रोध आया। थोड़े ही दिनों बाद सरकार ने अकारण अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पर आक्रमण करके कांग्रेस के आत्म सम्मान को बड़ी ठेस पहुंचाई थी। सरकार ने ५ अगस्त को कांग्रेस के कागजात का प्रकाशन करके वास्तव में कांग्रेस के अग्रगण्य नेताओं को बदनाम करना चाहा और महात्मा गांधी तथा कांग्रेस के कतिपय अन्य नेताओं को धुरी राष्ट्रों का समर्थक प्रमाणित करना चाहा। महात्मा गांधी के 'हरिजन' के लेखों तथा समय समय पर दिये गये वक्तव्यों से यह बात स्पष्ट थी कि उन्होंने कभी भी धुरी राष्ट्रों के समर्थन का विचार तक नहीं किया, बल्कि धुरी राष्ट्रों द्वारा भारत पर आक्रमण होने की दशा में उनका अहिंसात्मक विरोध करने के लिए बार बार कहा था।

सरकार की पक्की धारणा हो चुकी थी कि महात्मा गांधी तथा कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अधिकांश सदस्य धुरी समर्थक हो चुके हैं—इस धारणा से प्रेरित होकर उसने उपर्युक्त विज्ञप्ति प्रकाशित कराई थी ताकि कांग्रेस जनों पर भावी कारवाई करने के लिए सरकार का पक्ष मजबूत रहे। कांग्रेस पर से सरकार का विश्वास उठ चुका था। वह धीरे धीरे कांग्रेस को दबाना चाहती थी। भारत रक्षा कानूनों की धूम थी। प्रति दिन कांग्रेस जन किसी न किसी बहाने से जहां तहां पकड़े जाते थे। इनमें सर्वश्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (युक्तप्रांत) प० गङ्गासहाय चौबे (युक्त प्रांत) जो ठक्कर बम्बई, विश्वनाथ दास (उड़ीसा) के नाम उल्लेखनीय हैं। कोई भी जिला ऐसा नहीं था जहां १०, २० कांग्रेस कार्यकर्ता जेलों में न भरे गये हों।

अ० भा० कांग्रेस कमेटी की बैठक

७ अगस्त १९४२ को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक ६॥ बजे ग्वालियर तालाब के मैदान में हुई। २५० सदस्य तथा १०

वंदे मातरम
जय हिंद

ज़ार दर्शक उपस्थित थे। वर्किङ्ग कमेटी द्वारा पास किए गये प्रस्ताव को समझाते हुए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लगभग १॥ घण्टे तक भाषण दिया। आपने कहा कि हमें वादों का भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारे लिए भारत की स्वतन्त्रता की घोषणा शीघ्र हो जानी चाहिये। हम संयुक्त राष्ट्रों से यही करने के लिए कह रहे हैं। मैं इस मञ्च से घोषित करता हूं कि स्वतन्त्र भारत सभी आक्रमण के विरुद्ध होने वाली लड़ाई में जो खोल कर संयुक्त राष्ट्रों के साथ लड़ेगा।

महात्मा गांधी ने अपने ३ घण्टे के लम्बे भाषण में अहिंसा का महत्व समझाते हुए कहा कि मैं अब भी अहिंसा के सिद्धान्त पर अटल हूं। यदि आप उससे थक गये हो तो आपको मेरे साथ आने की आवश्यकता नहीं है।

महात्मा गांधी ने आगे कहा कि हम अपनी वास्तविक शक्ति और वीरता तभी दिखा सकते हैं जब यह हमारी लड़ाई हो जाय। उस हालत में एक बच्चा भी वीर बन जायेगा। हम अपनी स्वतन्त्रता लड़कर प्राप्त करेंगे। वह आकाश से टूट कर हमारे सामने नहीं आ सकती।

वास्तविक बात यह है कि अंग्रेजों का जितना बड़ा मित्र मैं इस समय हूँ उतना बड़ा मित्र मैं अंग्रेजों का कभी नहीं था। इसका कारण यह है कि इस समय अंग्रेज कठिनाई में हैं। मेरी मित्रता का तकाजा है कि मैं उनकी त्रुटियों से उन्हें परिचित कराऊं।

यह सम्भव है कि अंग्रेजों को समझ आ जाय तथा वे यह गलती महसूस करें कि उन्हीं लोगों को जेल में डालना गलती है जो उनके लिए सदा लड़ना चाहते हैं।

महात्मा गांधी ने आगे कहा कि हमारा उद्देश्य विश्व संघ है। यह केवल अहिंसा के द्वारा स्थापित हो सकता है। निरस्त्रीकरण केवल उस समय सम्भव है जब आप अहिंसा के बेजोड़ अस्त्र का उपयोग करें। कुछ

लोग मुझे खयाली पुलाव पकाने वाला कह सकते हैं लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैं पक्का बनिया हूं और मेरा सौदा स्वराज्य प्राप्त करना है। अगर आप मेरे प्रस्ताव को स्वीकार न करेंगे तो मुझे अफसोस न होगा। इसके विपरीत मैं खुशी से नाच उठूंगा क्योंकि मैं उस अत्यन्त भारी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगा जो आप मुझे सुपुर्द करने वाले हैं।

प्रस्ताव पर पं० जवाहरलाल जी नेहरू

पं० जवाहरलाल नेहरू ने कहा—प्रस्ताव किसी प्रकार किसी के लिए चुनौती नहीं है। अगर ब्रिटिश सरकार किसी प्रकार प्रस्ताव स्वीकार कर ले तो उससे परिस्थिति राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय ढङ्ग पर संभल जायगी। प० नेहरू ने आगे कहा कि पिछले चन्द महीनों में हमने भारत सरकार की बेमिसाल नालायकी देखी है। उस प्रणाली में घुन लग गया है। भारत सरकार का वर्तमान ढांचा जर्जरित है और मैं उसके साथ अपना सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकता। राष्ट्रीय मोर्चों की पुकार की आलोचना करते हुये आपने कहा कि इनमें न तो राष्ट्रीय और न मोर्चें की ही भावना है। इस समय इस सरकार का केवल एक ही तात्पर्य रह गया है कि कांग्रेस का विरोध किया जाय। मैं इसकी शिकायत नहीं करता। भारत सरकार का समूचा सङ्गठन ही ऐसा है। वह तत्परता केवल बहुत से लोगों के गिरफ्तार करने में दिखाती है। एक बार फिर सरकार कांग्रेस के विरुद्ध अपनी इस तत्परता का परिचय देगी। अब हम ऐसा कदम उठा रहे हैं जिसमें पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। यदि ब्रिटेन की ओर से सद्भाव दिखाया जाय तो सब ठीक हो सकता है। तब युद्ध का समस्त रुख बदल जायगा और संसार का भविष्य परिवर्तित होगा। मेरा यह विश्वास है कि चीन और रूस को सहायता देने का यही (प्रस्ताव) एक तरीका है।

कांग्रेस तूफानी सागर में उतर रही है। वह या तो भारत की स्वतन्त्रता प्राप्त करेगी अथवा डूब जायगी। पहले आन्दोलनों की तरह यह

आन्दोलन चन्द दिन का न होगा, यह आखिरी दम तक की लड़ाई है। कांग्रेस को एक भीषण आन्दोलन शुरू करना है। मैं अपने आपको कभी ऐसी सरकार के साथ काम करने के लिए राजी नहीं कर सकता जिसमें न सूझ है, न समझ।

सरदार पटेल द्वारा समर्थन

प्रस्ताव का समर्थन करते हुए सरदार पटेल ने कहा कि यदि अमेरिका और इङ्गलैंड अब भी यह समझ रहे हैं कि वे अपने शत्रुओं से भारतीयों द्वारा बिना ४० करोड़ भारतीयों के सहयोग के लड़ सकते हैं, तो वे मूर्ख हैं। जनता पर यह बात प्रकट करनी होगी कि यह लड़ाई जनता की लड़ाई है और उसे अपने देश तथा आजादी के लिए लड़ना चाहिए। भारत की रक्षा करने में ब्रिटेन की दिलचस्पी केवल इतनी ही है कि भारत अंग्रेजों की आगामी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रहे। पर यदि भारत भारतीयों के लिए नहीं है तो यह लड़ाई जनता की लड़ाई कैसे कही जायगी ?

अन्त में आपने लोगों को इस बात से सावधान किया कि इस बार का आंदोलन बहुत ही कड़ा होगा। केवल जेल जाने की बात न होगी। हमारा ध्येय जापान द्वारा हमारे ऊपर आक्रमण करने के पहले ही स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेना है ताकि यदि जापान आक्रमण करे तो उससे लड़ा जाय। आन्दोलन केवल कांग्रेसी लोगों तक ही सीमित न रहेगा वह अपने को भारतीय कहने वाले सभी लोगों को अपने दायरे में खींच लेगा। आन्दोलन में अहिंसात्मक विरोध के सभी पहलू रहेंगे।

भा० कांग्रेस कमेटी में प्रस्ताव पास

८ अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने वर्किंग कमेटी के प्रस्तावको भारी बहुमतसे पास किया। केवल १३ सदस्यों ने विरोधमें वोट दिया। प्रस्ताव पर बड़ी गरमागरम बहस चली, कई सन्सोधन आये किन्तु वे बहुधा गिर गए। प्रस्ताव इस प्रकार है:—

"अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कार्य समिति के १४ जुलाई १९४२ के प्रस्ताव और बाद की घटनाओं पर, जिनमें युद्ध की घटनावाली ब्रिटिस सरकार के जिम्मेदार वक्ताओं के भाषण और भारत तथा विदेशोंमें की गई अलोचनाएं सम्मलित हैं, अत्यन्त सावधानी के साथ विचार किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी उस प्रस्ताव को स्वीकार करती है और उसकी राय है कि बाद की घटनाओं ने इसे और भी औचित्य प्रदान कर दिया है और इस बात को स्पष्ट कर दिखाया है कि भारत में ब्रटिस शासन का तत्कालिक अन्त, भारत के लिए और मित्रराष्ट्रों के आदर्श की पूर्ति के लिये, अत्यन्त आवश्यक है। इस शासन का स्थायित्य भारत की प्रतिष्ठा को घटाता और उसे दुर्बल बनाता है और अपनी रक्षा करने तथा विश्व स्वातन्त्र्य के आदर्श की पूर्ति में सहयोग देने की उसकी शक्ति में क्रमिक उत्पन्नह्रास करता है।

"अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने रूसी चीनी मोर्चों पर स्थिति के बिगड़ने को निराशा के साथ देखा है और यह रूसियों और चीनियो की उस वीरता की भूरि भूरि प्रसंसा करती है, जो उन्होंने अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करने में प्रदर्शित की है। जो लोग स्वतन्त्रता के लिये प्रयत्न कर रहे हैं और आक्रमण के शिकार हुए व्यक्तियों से सहानुभूति रखते हैं उन सबको नित्य बढ़ता जाने वाला खतरा उस नीति का परीक्षा करने के लिये बाध्य करता है जिसका मित्र राष्ट्रों ने अभी तक अवलम्बन किया है और जिसके कारण बारम्बार भीषण असफलताएं हुई हैं। ऐसे उद्देश्यों नीतियों और प्रणालियों पर आरूढ़ बने रहने से असफलता सफलता में परिणत नहीं की जा सकती, क्योंकि पिछले अनुभव से प्रकट हो चुका है कि असफलता इन नीतियों में निहित है। ये नीतियां स्वतन्त्रता पर आधारित नहीं की गई हैं बल्कि पराधीन और औपनिवेशिक देशों पर प्रभुत्व रखने और साम्राज्यवादी परम्परा और तरीकों को कायम करवाने के लिये

है। साम्राज्य का कायम करवाना शासन शक्ति की ताकत को बढ़ाने के बजाय एक अभिशाप सिद्ध हुआ है। हिन्दुस्तान जो कि आधुनिक साम्राज्यवाद का जीता जागता नमूना है इस समस्या का मुख्य बिन्दु बन गया है क्यों कि भारत की आजादी के आधार पर ही ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों की परीक्षा होगी और एशिया और अफरीका के लोगों में आशा और उत्साह का संचार होगा।

"इस प्रकार इस देश में अङ्गरेजी राज को खत्म करने का सवाल एक महत्वपूर्ण और जरूरी सवाल है जिस पर युद्ध का भविष्य और आज़ादी तथा लोकतन्त्र की सफलता निर्भर करती है। आज़ाद भारत अपने महान साधनों को नाजीवाद फासिस्टवाद और साम्राज्यवाद विरोधी लड़ाई में झोंक कर विजय को निश्चित कर देगा। इसका न केवल भौतिक रूप से युद्ध के भविष्य पर असर पड़ेगा बल्कि वह तमाम पराधीन और जीवित मानवता को मित्रराष्ट्रों के पक्ष में खड़ा कर देगा और उन राष्ट्रों को जिनका भारत साथी होगा दुनियां का नैतिक और आध्यात्मिक नेतृत्व प्रदान कर देगा। पराधीन भारत ब्रिटिस साम्राज्यवाद का चिन्ह बना रहेगा और साम्राज्यवाद का कलंक तमाम मित्र राष्ट्रों के भविष्य पर असर डालेगा।

"अतः आज जो खतरा है वह भारत की आज़ादी और अङ्गरेजी प्रभुत्व के अन्त को जरूरी बना देता है। भविष्य के वादों तथा गारन्टियों से मौजूदा स्थिति पर असर नहीं पड़ सकता था। उस खतरे का मुकाबिला नहीं किया जा सकता। उनसे जनता के दिलों पर जरूरी मनोवैज्ञानिक असर नहीं पड़ सकता। सिर्फ आजादी की लहर ही लाखों आदमियों की उस शक्ति और उत्साह को जागृत कर सकती है जो फौरन युद्ध के स्वरूप को बदल देगी।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अंगरेजी सत्ता के हिन्दुस्तान से हट जाने की मांग को अपने पूरे जोर के साथ दुहराती है । भारत की स्वतन्त्रता की घोषणा होने के बाद एक अस्थायी सरकार बनाई जायेगी और आजाद भारत मित्रराष्ट्रों का मित्र बन जायेगा और आजादी की लड़ाई के संयुक्त उद्योग में उनकी मुसीबतों और कष्टों में हिस्सा बटायेगा। अस्थायी सरकार देश की मुख्य पार्टियों और दलों के सहयोग से ही बनाई जा सकती है । इस तरह वह संयुक्त सरकार होगी और भारत के सभी महत्वपूर्ण दलों की प्रतिनिधि होगी । उसका मुख्य काम होगा भारत की रक्षा करना और आक्रमणों का मुकाबला करना । वह मित्रराष्ट्रों के साथ सहयोग करती हुई अपनी तमाम सशस्त्र और अहिंसक शक्तियों से ऐसा करेगी । वह खेतों और कारखानों में तथा अन्यत्र काम करने वाले मजदूरों की भलाई और तरक्की की कोशिश करेगी । जिनके हाथों में तमाम सत्ता और अधिकार होने चाहिये ।

"अस्थायी सरकार विधान सम्मेलन की योजना बनायेगी, जो भारत सरकार की सब वर्गों को मान्य होने वाला विधान बनाएगा । यह विधान कांग्रेस के दृष्टिकोण के अनुसार संघात्मक होना चाहिये और वह उसमें शामिल होने वाले प्रांतीय अङ्गों को अधिक से अधिक स्वतन्त्रता देगा । और अवशिष्ट अधिकार भी उन्हीं हाथों में रहेंगे । मित्रराष्ट्रों और भारत के भावी सम्बन्ध इन स्वतन्त्र अंगों के प्रतिनिधि पारस्परिक लाभ और आक्रमण का प्रतिरोध करने का अपने समान कार्य की दृष्टि से तय करेंगे । आज़ादी भारत को आक्रमण का सफल प्रतिरोध करने के योग्य बनायेगी क्योंकि जनता की संयुक्त इच्छा और शक्ति उसके पीछे होगी ।

भारत की आजादी विदेशी गुलामी में पड़े हुये तमाम एशियाई राष्ट्रों की आजादी का चिन्ह और पूर्व भूमिका होगी । वर्मा, मलाया, इण्डोचीन डच ईस्ट इण्डीज, ईरान और ईराक देशों को भी उनकी पूर्ण आजादी

मिलनी चाहिये ! यह साफ समझ लिया जाना चाहिये कि इनमें से जो देश इस समय जापान के अधीन हैं, उन्हें बाद में किसी दूसरी औपनिवेशिक ताकत के शासन या नियन्त्रण में नहीं रखा जायगा।

"इस खतरे की घड़ी में यद्यपि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यतः भारत की स्वाधीनता और रक्षा से सरोकार रखती है, कमेटी की राय है कि भावी शांति, सुरक्षा और संसार की व्यवस्थित उन्नति के लिए आजाद राष्ट्रों का विश्व संघ कायम होना चाहिए। और किसी प्रकार से आधुनिक संसार की आवश्यकताओं को हल नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का विश्व संघ उनके अंगभूत राष्ट्रों की आजादी को सुरक्षित कर देगा, एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के शोषण और आक्रमण को रोक देगा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों को संरक्षण देगा, पिछड़े हुये देशों और लोगों की तरक्की करेगा और सब के समान हित के लिए दुनियां के साधनों का संग्रह संभव बनायेगा।

"इस प्रकार के विश्वसंघ की कल्पना के बाद सब देशों में निरस्त्रीकरण सम्भव हो जायगा और विश्व-संघ की रक्षा सेना विश्व-शान्ति की रक्षा करेगी तथा आक्रमण को रोकेगी। आजाद भारत ऐसे विश्व-संघ में खुशी से शामिल होगा और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का हल करने में दूसरे देशों के साथ बराबरी के आधार पर सहयोग करेगा। ऐसे संघ के द्वार उन सब देशों के लिये खुले होने चाहिए जो उसके आधारभूत सिद्धान्तों से सहमत हों। किन्तु युद्ध के कारण संघ शुरू में जरूरी तौर पर मित्रराष्ट्रों तक सीमित रहेगा। ऐसा कदम यदि इस समय उठाया गया तो उसका युद्ध पर, धुरी राष्ट्रों की जनता पर और आने वाली शांति पर जबरदस्त असर पड़ेगा। किन्तु कमेटी अफसोस के साथ महसूस करती है कि युद्ध के दुःख जनक और भारी परिणामों में और दुनिया के सिर पर खतरों के मडराने के बावजूद कुछ देशों की सरकारें अभी

विश्व-संघ की दिशा में यह अनिवार्य कदम उठाने को तैयार नहीं हैं। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया और विदेशी अखबारों की गुमराह आलोचना से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत की आजादी की सीधी सी मांग का भी विरोध किया जा रहा है, हालांकि मौजूदा खतरे का सामना करने और अपनी रक्षा करने के लिए हिन्दुस्तान को समर्थ बनाने और चीन तथा रूस को उनकी जरूरत की घड़ी में मदद पहुंचाने की दृष्टि से ही मुख्यतः इस मांग को पेश किया गया है। कमेटी चीन अथवा रूस की रक्षा में किसी तरह बाधा न डालने को उत्सुक है, क्योंकि इन देशों की आजादी बहुमूल्य है और उसकी रक्षा की जानी चाहिये। कमेटी मित्रराष्ट्रों की रक्षा शक्ति में भी किसी तरह का विघ्न नहीं डालना चाहती। किन्तु भारत और मित्रराष्ट्रों दोनों को खतरा बढ़ रहा है और इस मौके पर निष्क्रियता और विदेशी शासन तन्त्र की आधीनता न केवल भारत को गिरा रही है तथा उसकी रक्षा करने की ओर आक्रमण का मुकाबला करने की शक्ति को घटा रही है बल्कि वह बढ़ते हुए खतरे का कोई जवाब ही नहीं है। ब्रिटेन और मित्रराष्ट्रों के नाम कार्य समिति को हार्दिक अपील का अभी तक कोई अनुकूल उत्तर नहीं मिला है और अनेक विदेशी हल्कों में जो आलोचना हुई है वह भारत की और दुनिया की जरूरत से अनभिज्ञता सूचित करती है। उससे कभी कभी भारत की आजादी के विरोध की भी ध्वनि निकलती है जो प्रभुत्व और जातीय श्रेष्ठता की मनोवृत्ति प्रकट करती है जिसको एक स्वाभिमानी कौम, जिसे अपनी शक्ति और अपने उद्देश्य के औचित्य का ध्यान है, सहन नहीं कर सकती।

"अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इस अन्तिम समय में विश्व स्वतन्त्रता के हितार्थ एक बार फिर ब्रिटेन व मित्रराष्ट्रों के सामने वह अपील रखती है। लेकिन कमेटी महसूस करती है कि अब राष्ट्र को एक ऐसी साम्राज्यवादी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाने से अधिक रोकना

न्यायसंगत नहीं है जो उस पर प्रभुत्व जमाये हुए है। और मानवता के हित के काम करने से रोके हुए है कमेटी इसलिए भारत की स्वतन्त्रता व स्वाधीनता के अधिकार को स्वीकार कराने के निमित्त एक बड़े पैमाने पर अहिंसात्मक सामूहिक आन्दोलन आरम्भ करने की इजाजत देती है, ताकि देश उस समस्त अहिंसात्मक शक्ति का प्रयोग कर सके जो कि उसने विगत २२ वर्षों के शांतिपूर्ण संग्राम में सचय की है। इस प्रकार का आन्दोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलना चाहिए अतः कमेटी गांधी जी से प्रार्थना करती है कि वह देश का पथ प्रदर्शन करें।

"कमेटी भारतीय जनता से अपील करती है कि वह उन खतरों व मुसीबतों का उत्साह व सहिष्णुता के साथ सामना करे जो कि उनके भाग्य में लिखे हैं और महात्मा गांधी के नेतृत्व के अधीन संगठित होकर भारतीय स्वतन्त्रता के अनुशासित सैनिकों की तरह उनकी हिदायतों पर चलें। उन्हें यह स्मरण रहे कि इस आन्दोलन का आधार अहिंसा है। एक समय ऐसा भी आ सकता है जब कि हिदायतों का जारी करना या उनका हमारे लोगों के पास पहुंचना संभव न हो और कांग्रेस कमेटियां काम न कर सकें। जब ऐसा हो जाय तो इस आन्दोलन में भाग लेने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को स्वयं अपना पथ-प्रदर्शक होना चाहिए और कठोर मार्ग पर जहां कोई विश्राम करने की जगह नहीं है और जो अन्त है भारत की स्वतन्त्रता व मुक्ति पर ले जाता है आगे बढ़ते रहना चाहिए।

अन्त में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि कमेटी एक सामूहिक संघर्ष आरम्भ करके अकेली कांग्रेस के लिये सत्ता प्राप्त करने का इरादा नहीं रखती। शासनसत्ता, जब मिलेगी भारत के समस्त राष्ट्र के लिये होगी।"

महात्मा गांधी का अंतिम सन्देश

प्रस्ताव पास हो जाने पर महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में फिर भाषण दिया। आपने कहा कि आन्दोलन शुरू करने के पहिले वायसराय से मिलने का प्रत्येक प्रयत्न करूंगा। समस्त भारतीयों का लक्ष्य करते हुये आपने कहा कि वे अपने को स्वतंत्र व्यक्ति समझना शुरू करदें। भारतीय नरेशों से कहा कि वे अपनी प्रजा के संरक्षक बने, स्वेच्छा चारी बनें। सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में महात्मा जी ने कहा कि उन्हे फौरन इस्तीफा दे देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हे सरकार को यह लिख देना चाहिए कि वे कांग्रेस के साथ हैं अध्यापकों और विद्यार्थियों से आपने कहा कि वे मैदान में निकल आने के लिये तैयार रहें।

सरकार को गहरी चिंता

उधर बम्बई में अ० भा० कांग्रेस कमेटी की बेठक होरही थी, इधर दिल्ली में वायसराय की कौंसिल की बैठकें हो रही थी। कौंसिल की बैठकें घंटों तक होती रहती और कभी कभी रात के १२, १ बजे तक होती बम्बई की राजनीतिक घटनाओं तथा वहां होने वाले भाषणों के प्रति सरकार बड़ी सतर्क थी। बड़े पैमाने पर अहिंसात्मक सामूहिक आन्दोलन से जो गांधी जी की देख रेख में होने वाला था, सरकार काफी भयभीत हो चुकी थी।

समाचार पत्रों की सूचना

एकाएक ८ अगस्त १९४२ को भारत सरकार ने एक आज्ञा जारी कर के यह रोक लगाई कि कोई भी मुद्रक प्रकाशक अथवा संपादक ऐसी घटना के समाचार, जिसमें इस कमेटी में सर्व साधारण द्वारा दिये गये भाषणों की रिपोर्ट अथवा वक्तव्य भी आते हैं, उनको मुद्रित

अथवा प्रकाशित न करें जो अ० भा० कांग्रेस कमेटी द्वारा स्वीकार किए गए जन आन्दोलन अथवा सरकार द्वारा उसको रोकने के लिए किए गए उपायों से सम्बन्ध रखते हैं।

कांग्रेस पर कुठाराघात

कांग्रेस की ओर से बार बार ब्रिटेन से सहयोग करने का आश्वासन दिया गया था किन्तु ब्रिटेन को कांग्रेस की न्यूनतम मांग भी स्वीकार करने की क्षमता नहीं थी। अ० भा० कांग्रेस कमेटी में अहिंसात्मक व्यापक आन्दोलन का प्रस्ताव पास हो जाने पर भी महात्मा जी ने तत्काल आन्दोलन आरम्भ करने की आज्ञा नहीं दी बल्कि कहा कि वायसराय को अंतिम पत्र लिखेंगे और उसके उत्तर की एक पखवारे तक प्रतीक्षा करेंगे किन्तु सरकार को धीरज बिलकुल नहीं था। भारत सरकार तो परेशान थी ही, ब्रिटिस सरकार आतंकित हो उठी।

९ अगस्त को सबेरे ६ बजे से भी पहले महात्मा गांधी, मौ० आजाद सरदार पटेल, पं० जवाहरलाल नेहरू तथा श्रीमती सरोजनी नायडू आदि कांग्रेस के कर्णधार बम्बई में गिरफ्तार कर लिए गए। बम्बई के लगभग २० स्थानीय कार्यकर्ता जिनमें बम्बई प्रान्तीय कमेटी के उच्च पदाधिकारी तथा बम्बई एसेम्बली के स्पीकर श्री मालवंकर भी थे गिरफ्तार कर लिए गए। नगर में पुलिस का पहरा खड़ा कर दिया। ९ अगस्त को ही क्रिमिनल लाएमेंडमेंट एक्ट के अनुसार कांग्रेस वर्किङ्ग कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को अवैधानिक घोषित कर दिया गया।

उग्रता

करो या मरो

महात्मा जी का मन्त्र-दान

जिस पावन प्रेरणा को लेकर अगस्त-क्रान्ति का सूत्रपात हुआ था, वह था महात्मा गान्धी जी का बम्बई की कांग्रेस-कार्यसमिति के खुले अधिवेशन में ८ अगस्त सन् ४२ को दिया हुआ भाषण। उस दिन गान्धी जी ने अपने अन्तर के उफनते हुए भावों को जनता के सामने इस रूप में रखा कि सारा वातावरण ही बदल गया। सबके मनमें देश की पराधीनता के प्रति एक भारी क्षोभ, वेदना और अकुलाहट थी। बम्बई की जिस पावन भूमि पर कांग्रेस की नींव रखी गई थी उसी स्थान पर कांग्रेस के एकनिष्ठ सूत्रधार गांधी जी का जनता को 'करो या मरो' का मन्त्र-दान करना एक उल्लेखनीय घटना थी। उन्होंने मन्त्रमुग्ध जनता के सामने लगभग २॥ घण्टे तक हिन्दुस्तानी तथा अंग्रेजी में भाषण दिया। अगस्त-प्रस्ताव पास हो जाने के बाद भी महात्माजी ने आंदोलन को प्रारम्भ करने से पूर्व ब्रिटिश सरकार को अपने निश्चय की सूचना देने

का विचार अपने भाषण में प्रकट किया था। परन्तु भाषण में प्रयुक्त हु
भावों एवं शब्दों से सरकार आतंकित हो गई और उसने महात्मा जी व
उसी रात्रि को प्रातः ४ बजे बन्दी बना लिया। राष्ट्र के उस कर्णधा
तपःपूत महात्मा का 'करो या मरो का मन्त्रदान' अविस्मरणीय है च
इस प्रकार है—

"एक ज़माना था जब मुसलमान कहते थे कि हिन्दुस्तान हमार
मुल्क है। उस समय वे नाटक नहीं करते थे। वे हमारे साथ लड़े थे
खिलाफत में शरीक हुए थे। उनके साथ मैं बरसों रहा। लोग कहते
कि मैं भोला हूं। पर इसके मानी यह थोड़े ही हैं कि मैं यह मान लेत
हूँ। पर मै सुन लेता हूँ। मुझे धोखेबाज बनने के बजाय भोला कहलान
अच्छा लगता है। मेरा तो यह स्वभाव है, कि जबतक कोई चीज सामन
नहीं आती, मै एतबार कर लेता हूँ। यह चीज प्रस्ताव में भरी है
मुसलमान और हिन्दू भी कहते है कि हिन्दू–मुस्लिम एकता होन
चाहिए। दूसरी सभी कौमों का भी इत्तिहाद होना चाहिए। होता है, त
अच्छा ही है। कुछ लोग मुझसे आकर कहते हैं कि तू जब तक जिन्द
है, तभी तक यह बनेगा। लेकिन मेरा हृदय इसे कबूल नही करता
जिसे मेरा दिल कबूल नहीं करता उसमें मुझे रस नहीं है। मैं तो ज
छोटा बच्चा था तब से इस चीज को जानता था। मदरसे में हिन्दू
मुसलमान और पारसी सब थे। उनसे मैंने दोस्ती की थी। मैं जानत
था कि यदि हम हिन्दुस्तान में अमन से रहना चाहते हैं, तो पड़ोसी
फर्ज का भलीभांति पालन करना चाहिए। अफ्रीका भी गया तो मुसलमान
का काम लेकर गया और सबका दिल हरण कर लिया। जो मेरे उसूल
के मुखालिफ थे, उन्होने भी मुझ पर विश्वास किया। वे जानते थे, कि
यह जो बात कहेगा, वह न्याय की ही होगी। वहां से आया सो भी हा
कर नहीं आया। सबको रोते हुए छोड़कर आया। यहां भी वही चीज

मेरे सामने पैदा हो गई। बड़ा काम किया, तो मुसलमानों के लिए भी किया। उस समय मुझे कोई दुश्मन नहीं मानता था। खिलाफत में मैंने क्या स्वार्थीपन किया? मैं गाय की पूजा करता हूँ। हम एक हैं, तो सिर्फ इन्सान ही नहीं जीवमात्र एक है। सब खुदा के बन्दे हैं। इसकी फिलासफी आज मैं समझना नहीं चाहता। वे दोनों भाई और मौलाना बारी मेरी गवाही दे सकते हैं कि मैंने गाय के बारे में क्या कहा था। मैंने कहा था कि गाय को बचाने के लिए मैं सौदा करना नहीं चाहता। अगर आप स्वतन्त्र रूप से ऐसा करेंगे, तो अच्छा होगा। मैं तो मुसलमानों के साथ खाना भी खा लेता हूँ। लोग उस जमाने में इसे अच्छा नहीं मानते थे। अब तो सब जान गये कि यह तो भंगी के साथ भी खा लेता है। लेकिन उन दिनों मौलाना बारी ने कहा कि मैं आपको अपने यहां नहीं खिलाऊँगा। उस समय यह उनके लिए बड़ी शराफत की बात थी। बड़ी तङ्गी से मकान में रहते थे। उनके पास कोई महल थोड़े ही पड़ा था? फिरंगी-महल के एक कोने में रहते थे। मेरे लिए ब्राह्मण रखते थे। शराफत के साथ शराफत चलती थी। यह सब मैं सबको सुनाना चाहता हूँ। जिन्ना साहब को भी! वे भी तो कांग्रेसी थे। भले ही आज बिगड़ गये तो क्या हुआ? भाई तो हैं। खुदा उनको बड़ी उमर दे। वे सब याद करेंगे कि गांधी ने कभी धोखा नहीं दिया, झूठी बात नहीं की। आज वे या मुसलमान नाराज़ हैं, तो मैं क्या करूं। मारना चाहें तो मार भी सकते हैं। मेरे पास क्या है, मेरी गर्दन तो उनकी गोद में पड़ी है। और कोई गले में छुरी भी मार दे, तो बुरा भी नहीं लग सकता। मैं बुरा क्यों मानूँ। वह कोई सच्चे गाँधी को थोड़े ही मारना चाहते हैं। तो मैं तो वही आदमी हूँ। इस बात को मुसलमान न भूलें। गालियां देना चाहें तो दें इससे मुझे ईजा नहीं पहूँचती। इस्लाम को मैं जानता हूं वह तो कहता है दुश्मन को भी गालियां देना बुरा है। मुहम्मद

साहब भी यही कहते थे। वे दुश्मन को अपनाते थे। उसके साथ नेकी करते थे। अगर मुसलमान इस्लाम के हैं तो जो आदमी खुदा को हाजिर नाजिर कहकर कोई बात कहता है, तो उस पर विश्वास करना चाहिए। जो गालियां देते वह तो गोलियां चलाते हैं। वे गोलियों से मेरा खातमा कर दें तो भी कुछ असर नहीं कर सकते। पर इस्लाम का क्या? वे बारह आदमी हैं। उन्हें मौलाना साहब ने कितना समझाया: पर उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। पर इसकी कोई बात नहीं। जहां हमारी फिलासफी की बात हो वहां दोस्ती इस्तेमाल न की जाय। आपको जो सही लगे, सो ही करें। कोई काम मेरे लिए नहीं, इस्लाम की भलाई के लिए करें।

अगर पाकिस्तान सही चीज है, तो वह जिन्ना साहब की जेब में पड़ा ही है। हर मुसलमान की जेब में पड़ा है। पर अगर वह सही चीज है तो उसे कौन हज़म कर सकता है। तकब्बरी से तो खुदा भी भागता है। कोई क्या जाने कि जिन्ना क्या चाहता है। जिन्ना साहब बड़े नाराज होते हैं। एक बार उन्हों ने लिखा, मेरे खत पढ़ कर आपको बड़ा दुःख होता होगा। आपको मेरी बात बहुत चुभती होगी। पर मैं क्या करूँ? जो दिल में है, सो कहता हूं।' मैं उन्हें इसके लिए मुबारकबादी देता हूँ। लेकिन आप जो उस चीज़ को नहीं मानते, उनसे मैं कहता हूँ, कि आप को जो बात सही मालूम हो, वही करें। सबकी राह न देखें। अरब में करोड़ों लोग पड़े थे। हालत खराब थी। उन में अकेले पैगम्बर साहब की क्या बिसात थी? पर उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि जब मेरे साथ करोड़ों होंगे तभी इस्लाम जारी करूँगा। मैं आपसे कहता हूँ, जिसे सही न मानें, उसे कबूल न करें, राजाजी से मैंने यही कहा। वे कहते थे कि दे दो। दे देंगे तो वे मांगेंगे नहीं। मेरी शराफत होगी। पर मैं इस चीज़ को ठीक नहीं मानता। मैं तो जिन्ना साहब से भी कहता हूँ कि जो महज आपको मनाने के लिए बात करते हैं उसे आप कभी कबूल न

करें। मेरे पास कई मुसलमान आते हैं। वे कहते हैं, पाकिस्तान बुरी चीज़ है। पर दे दो। पर पीछे इसका नतीजा क्या होगा? यह बुरी बात है। और जब तक उसे मैं बुरा मानता हूँ; साथ न दूंगा। पर इसके मानी क्या हैं? समझ लें हम मुसलमानों से दगा कर कोई बात नहीं करना चाहते। इस तरह विश्वास कैसे हो सकता है। वह अहिंसा से ही होगा। इस लिए कहता हूं कि जो हक़ की बात है उसे मान लें। यह मैं कांग्रेस की तरफ़ से कहता हूं। पंच भी बना सकते हैं पर उस में भी हमारा एतबार तो होना चाहिए। उसे भी नहीं मानेंगे तो आपकी ज़बरदस्ती नहीं तो क्या है? उसे कोई कैसे मानेगा? एक ज़िन्दा चीज़ के टुकड़े करेंगे? ज़िन्दा चीज़ को मार कर क्या लेंगे! हां; हम यह कहते हैं कि कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता। लड़ाई करके ले सकते हैं। मुंजे तो खुल्लमखुल्ला कहते हैं; ऐसा हिन्दू मैं नहीं हूँ। कांग्रेस ऐसे हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती। अगर आप कांग्रेस का एतबार नहीं करते; तो आपके हिन्दुस्तान के नसीब में झगड़े ही झगड़े हैं। पर यह ठीक रास्ता नहीं है। अगर मुझसे खुदा ठीक बोल रहा है: तो आप इससे मुझे ज़िन्दा नहीं पायेंगे अगर चीज़ सही नहीं है तो तलवार के बल पर लेंगे यह कहना क्या ठीक है? मुहम्मद साहब ने यह तरीका ठीक नहीं बताया।

मैंने बहुत वक्त लिया। सारी रात भर सोचता रहा। पर तन्दुरुस्ती की भी फ़िक्र रखनी पड़ती है डाक्टरों ने भी फ़रमाया कि सम्हल कर काम करो। पर जो चीज खुदा ने दे दी है; उसे तो उसके लिए खर्च करना ही होगा और अभी तो ज़बान चल रही है। पहले तो मैं हिन्दू-मुसलमानों की बात करता हूँ। हम एक बन जांय, सही माने से मान लें दिल में कोई परदा नहीं रखें और हिंदुस्तान को विदेशी कब्जे छुड़ाने के लिए

यत्न करें । पाकिस्तान भी तो आखिर एक हिन्दुस्तान का हिस्सा है इस-लिए पहली बात यही है कि हिंदुस्तान के लिए लड़ें । अगर ऐसा करेंगे तो बहुत जल्दी कामयाब होंगे । छः महीने तो बड़ी बात है । आज रात के भी ले सकते हैं पर एक बात याद रखें । हिंदू-मुसलमान एकता तो चाहिए । पर अगर नहीं मिलती; तो भी आजादी तो लेनी ही है ।

पर हम यह समझकर नहीं लें कि अकेले हिन्दुओं के लिए लेना है, पैंतीस करोड़ के लिये लेना है । हक की बात है । जिन्ना साहब कहते हैं कि मुस्लिम राज होगा । मौलाना साहब की आफर का यह मतलब नहीं कि मुस्लिम राज होगा । हो जाय तो उसकी भी परवाह नहीं । पर जो हमने आफर की सो जिन्ना साहब की मुसलमानों की बाद-शाहत के लिये नहीं की । वह तो हिन्दू मुसलमान पारसी वगैरा सबकी होगी । मेरा लड़का मुसलमान हो गया, तो उसका होमलैंड कहां होगा ? और अब तो वह आर्य समाजी है । उसकी हालत क्या होगी ? उसका कौन-सा मुल्क होगा, उसे कहां रखेंगे ? वह अपने बाप को थोड़े ही भूल गया है । उसको मैं न खत लिखता । वह पक्का हिंदू है । राम को मानता है । पर उसका खुदा तो मौजी है, अनाड़ी औरत है । पर उसका खुदा उसकी सुन लेता है । उसका नाम लिख लेता है । ऐसा बेवकूफ खुदा है सो उसने लिखा कि मेरा लड़का मुसलमान हो गया मुझे इसकी शिकायत नहीं। पर वह शराब पीता है. उसे आप कैसे बरदाश्त करते हैं ? उसका लड़का खतरा उठाकर भी मुसलमानों के बाप यह देखने के लिए गया कि उसके बाप ने शराब और व्यभिचार दोनों में से एक भी छोड़ा या नहीं । पर उसने एक भी नहीं छोड़ा । पर मैंने उससे सबक लिया । इस चीज को समझ सब जायं । इस लड़ाई में जितने जितने हिन्दू हैं,, उतने ही मुसलमान भी आ सकते हैं । मुसलमानों को कांग्रेस के दफ्तर में कौन-सी रुकावट है । वह तो बड़ा डेमोक्रेटिक आर-

गेनाईजेशन है । इसलिए पहला सबक यह है कि आप जो लड़ते हैं, सिर्फ हिन्दुओं के लिए नहीं लड़ते । सब माइनोरिटीज के लिए लड़ते हैं । मुसलमान भी लड़ें । सबके लिये लड़ें । आपस में जरा भी नहीं लड़ना चाहिए । किसी हिन्दू ने मुसलमान को मार डाला या किसी मुसलमान ने हिन्दू को मार डाला, यह मैं नहीं सुनना चाहता । हिन्दू मुसलमान एक दूसरे के लिए अपनी जान दे दें । यह मसला सबका है झगड़े के मौके हर वक्त आने वाले हैं । इस लिये कहता हूं, सब्र करें । कोई एक मारे तो आप दो न मारें । मुसलमान भी ऐसा ही करें । कोई तलवार चलाता है, तो अपनी गर्दन उसके हाथ में रख दें । मेरी हिदायत सब के लिए है क्योंकि यह Mass Struggle कैसे चलेगा, सो बता रहा हूँ । यह छोटी से छोटी शर्त है ।

पगल साहब का फर्मान पढ़ें । उसे छापकर मैंने सरकार की खिदमत की है । "हरिजन" में दे नहीं सकता था । आपको पता चल जायगा । कि सरकार कैसे चलती है । पर उसका रास्ता टेढ़ा है । आपका सीधा है । आप आंखें मूंदकर भी उस पर चल सकते हैं । यही सत्याग्रह का रास्ता है ।

कोई कहते हैं, यह जल्दी होगी । तैयारी की जरूरत है जितनी मुसाफरी मैंने की, उतनी किसी ने नहीं की जो जिन्दा है । मैं लोगों को जानता हूँ, मेरा तो दिल उनके पास है । और तैयारी का क्या करूं ? मेरी तैयारी कच्ची, मैं कच्चा और मेरा लश्कर भी कच्चा । पर हमला आ गया तो क्या करूं ? अब तैयारी कर लें । खुदा क्या कहेगा ? वह तमाचा नहीं मारेगा ? क्या वह यह नहीं कहेगा कि तुझको मैंने जो खज़ाना दिया, उसे तो निकाल देता । बाकी तो पीछे मैं था ही । मैं सिर्फ हिन्दुस्तान के लिए नहीं लड़ता । यों तो मेरे पास बहुतसी लड़ाइयां पड़ी थीं । पहले कहते थे परेशान नहीं करेंगे । पर अब ऐसे कब तक

बैठेंगे ? वे बारह भाई जूझते हैं, तब मैं क्यों नहीं जूझूं ? आप मेरे दिल को समझ सकते हैं।

अब क्या करना है, वह सुना दूँ। आपने रेजाल्यूशन तो पास कर लिया। पर हमारी सच्ची लड़ाई शुरू नहीं हुई। आप मेरे मातहत हो गए। अभी तो वाइसराय से मिन्नत करूंगा। समय तो देना होगा उस बीच आपको क्या करना है।

मौलाना साहब ने पूछा कि तब तक कोई कार्यक्रम तो बताइए। मैंने कहा, चरखा है। मौलाना साहब निराश हो गए। मैंने कहा चौबीस घण्टे काम करना है तो कुछ तो चाहिए, इसलिए चरखा बताया। और भी कहता हूँ। तब मौलाना खुश हो गये। अब सुनाता हूँ, सब क्या कर सकते हैं।

आप मान लें कि हम आज़ाद बन गए। आजादी के माने क्या हैं ? गुलामी की जन्जीरें तो छूटी। उसके दिल से ता छूटीं। अब वह तदबीर करता है। अपने मालिक से कहता है, मैंने गुलामी छोड़ दी। लेकिन आपसे नहीं डरूंगा। आप जिन्दा रखना चाहते हैं तो जिन्दा रखें। आप मुझे खुराक देते थे। पर वह तो मेरी ही पैदा की हुई थी।

अब बीच में समझौता नहीं है। मैं नमक की सुविधा करूं या शराब-बन्दी लेने को नहीं जा रहा हूँ। मैं तो एक चीज लेने जा रहा हूं, आज़ादी। नहीं देना है, तो कत्ल करें। मैं वह गांधी नहीं, जो बीच में कुछ चीज़ लेकर आ जाय। आपको तो मैं एक मन्त्र देता हूं, "करेंगे या मरेंगे।" जेल को भूल जायें। आप सुबह शाम यही कहें, कि खाता हूं, पीता हूँ, सांस लेता हूँ, तो गुलामी की जंजीर तोड़ने के लिए। जो मरना जानते हैं उन्होंने जीने की कला जानी है। आज से तय करें कि आज़ादी लेनी है। नहीं लेनी है तो मरेंगे, आजादी डरपोकों के

लिए नहीं। जिनमें करने की ताकत हैं, वही जिन्दा रह सकते हैं। हम चीटियां नहीं। हम हाथी से भी बड़े हैं। हम शेर हैं।

पहले तो मेरे सामने अखबार हैं। वे थी ता सरकार की आवाज है और अगर हमारी आवाज हैं तो डरकर काम करते हैं। पर वह जंजीर से छूट जाय। आजादी के लिए पत्रका बुलाता हूँ। आप तो इस मैदान में आ जायें। अपनी कलम मुझे दे दें। अगर यह भय हो कि सरकार छापेखाने ले लेगी, तो मैं इतना ही कहता हूँ कि अखबार बन्द कर दें। खामखाह ज़मानत न दें। अगर देना चाहें तो दे दें। पर कलम को न रोकें। वह भी बहादुरी का काम है। मैंने क्या किया? इतना बड़ा कारखाना चलता था, सब को बन्द कर दिया। और अब फिर नया प्रेस पैदा हो गया। फिर मैंने तो आपको एक मध्यम मार्ग बताया। आखीरी चीज आपके सामने नहीं रखी। ऐलान कर दे कि अब स्टेन्डिंग कमेटी को छोड़ देंगे। सिर्फ आजाद हिन्दुस्तान की सरकार को ही मानेंगे। अगर आप बहुत दूर नहीं जा सकते, तो कहें आपकी चीज़ भी देंगे और कांग्रेस को भी देंगे। अगर बरदाश्त नहीं कर सकते, तो नहीं करना है।

आजादी आ रही है और इसके लिए राजा लोगों से तो मैं वह भी नहीं मांगता। उनसे कहता हूँ कि मैं आपका खैरख्वाह हूँ। काठियावाड़ का हूँ। मेरे पिता तीन जगह दीवान रहे। आपका नमक खाया। मै नमकहराम कभी नहीं हुआ। आपके सामने एक नमकहलाल मिन्नत करता है। अब तक आप सल्तनत के रहे। उससे सत्ता पाई। पैसे लिये। पैसे तो पिताजी ने भी पाये। पर उन्होंने पोलिटिकल एजन्ट से लड़ाई की। एक दिन हवालात में भी रहे। उनका मैं लड़का हूँ। मेरे जिन्दा रहते आप कुछ काम करेंगे तो आपके लिये जगह है। मेरे पीछे करेंगे तो भी जवाहरलाल नहीं मानेंगे। वह तो कहता है राजा लोग, पूंजीपति, जमींदार किसी के लिए अब जगह नहीं है। वह तो प्लान्ड एकोनामी

वाला है। उसकी बहुत सी बातें पी जाता हूँ। वह तो उड़ने वाला आदमी है। चाहेगा तो हवाई जहाज में बैठकर चीन भी चला जायगा। पर मेरे पास तो सबके लिए जगह है। एक मन्त्र है, तुझे कोई चीज अपनाना है, तो पहले खुदा को दे दे, उसको छोड़ दे। हिन्दुस्तान में इतने लोग हैं मैं तो इन्हीं की मारफ़त खुदा को पहचानता हूं। वही खुदा है। अगर वह नही है तो मैं दूसरे खुदा को नहीं जानता। इसी तरह राजा लोग भी प्रजा से कह दें, राज आपकी ही मिलकियत है। तब राजाओं को किसी बात की कमी न रहेगी। प्रजा उन्हें दोनों हाथों से देगी वह राजा रहेगा। वंश-परम्परा नहीं। वंश-परम्परा भी रहेगी अगर वे दुनियां की सेवा करते रहेंगे। इसलिये राजाओं से कहना चाहता हूं कि आप गुलामी में न रहें। रहना है, तो हिन्दुस्तानियों की सल्तनत में रहें। पोलिटिकल डिपार्टमेंट को लिख दें कि खलकत उठ गई तो हम कहां रहें। चक्रवर्ती तो मातहत राजाओं को बचाता है। जिनको राजा उठाते हैं, वह चक्रवर्ती नहीं। इसलिए कह दीजिये कि हम तो रैयत के हो गये। वह बैठायगा तो बैठेंगे। हम उसका साथ देंगे। इसमें कोई कानूनी कठिनाई नहीं। राजाओं के लिये कोई कानून नहीं। पोलिटिकल डिपार्टमेंट की जबानी बातों को ही माने तो मैं क्या करूं? यह तो आप दावा नहीं कर सकते कि हम अलग है। अगर आप रैयत के साथ रहेंगे, तो आप उस के सरदार रहेंगे।

राजाओं से इस तरह साफ साफ कह दें। और इतने पर वे मारें तो मर जांय। तेरह हो तो तेरह। कोई बात छिपाकर नहीं करनी है। इस लड़ाई में गुप्तता तो है ही नहीं।

अब जज वगैरह से। वे भी अभी कुछ न करें। आज ही स्तीफा न दें। रोक लें। पर अपनी आजादी कायम रखें। कह दें मैं तो कांग्रेस

का आदमी हूं। रानाडे ने यही किया था। सिर्फ एक मर्यादा का पालन करूंगा। न्यायासन पर न कांग्रेस का हूँ न सरकार का। आजाद, कोई कानून नहीं जो मुझे यह कहने से मना करे। रानाडे जब तक जिन्दा था ऐसा ही करते थे। कांग्रेस में बराबर जाते थे पर भाग नहीं लिया। समाज-सेवा-संघ पैदा कर दिया। उस जमाने में यह कम नहीं था। आज भी जज ऐसा कर सकते हैं। गुप्त हिदायतें निकलें उनको न मानें। कह दें कि हम तो कांग्रेस के आदमी हैं। यह सरकार को मंजूर हो तो रहें नहीं तो निकल जांय।

अब सिपाही! वे इतना तो कह दें कि अब तक तो हमने अपने दिल की बात छिपा रखी, पर अब तो हम कहते हैं कि हम कांग्रेस के हैं।

कई सिपाही मेरे पास आये, जवाहरलाल के पास भी आये, मौलाना साहब के पास आये और अली भाइयों के पास भी आये थे। सिपाही नहीं बड़े-बड़े अफ़सर भी। पर हम उनको रोकते रहे। पर अब वे ऐलान कर दें कि हम पेट के लिये काम करते हैं, पर आदमी तो कांग्रेस के हैं। आप हमारे ही लोगों पर गोली छोड़ो चलाने की बात कहेंगे, तो नहीं मानेंगे। अपने दुश्मन पर चला देंगे। इतना कह देंगे तो बहुत बड़ा आबोहवा पैदा हो जायगी। कितने ही ऐरोप्लेन आयें, परवाह नहीं।

इसी तरह से प्रोफेसर और विद्यार्थी। उनको भी आज तो खींचना नहीं चाहता। वे भी इतना तो कह दें कि हम तो कांग्रेस के हैं। प्रोफेसर भी कह दें। वे तो उस्ताद हैं। पर काम तो हमारा ही करते हैं। मेरा भी एक गाना सिखाने वाला उस्ताद था। वायोलिन सिखाता था। कितनी मुहब्बत से वह सिखाता था। नौकर की तरह काम करता था। मैं तो English Gentleman बनने जा रहा था। उसका ठीक ठीक अर्थ बताने वाला शब्द तो मेरे पास है ही नहीं। वाशिंगटन आयरविंग

ने इसकी ठीक परिभाषा लिखी है। सो वह मुझे इंगलिश जेंटिलमैन बनाने के लिये वायोलिन सिखाती थी। जो फ़ीस लेती थी उसका पूरा बदला देती थी। इसी तरह प्रोफेसर भी सिखाते हैं। उनसे हम कह दें कि आप सल्तनत के हैं, या हमारे। हमारे हैं, तो अच्छा है। मकान खाली करने की आज जरूरत नहीं, इन में से जिसको निकालना चाहूँगा निकालूँगा। हवाई बात नहीं करता।

मेरे दिल में तो कहने को बहुत है। पर सब मैं बाहर कर सकूँ, इतना सत्य नहीं है। मुझे अभी थोड़ा अंग्रेजी में भी बोलना बाकी है। रात हो गई है, बहुत देर हो गई है, फिर भी इतनी शांति से, इतने ध्यान से आपने मुझे सुना इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सच्चे सिपाही ऐसा ही करते हैं।

बाईस वर्ष तक बोलने-लिखने में मैंने संयम रक्खा है, ताकत इकट्ठी की है। जो अपनी ताकत हमेशा खर्च नहीं करता वह ब्रह्मचारी — पाक दामन-कहा जाता है वह। वह हमेशा जीभपर काबू (संयम रख कर दबीजबान से बोलेगा। जिन्दगी भर मेरा प्रयत्न इस दिशा में रहा है, फिर भी आज इतने सारे लोगों को इतनी रात तक रोक रखकर—आपके ऊपर जबर्दस्ती करके भी—मुझे आप को आज जो कहना चाहिए था वह कह दिया। उसका मुझे पश्चाताप नहीं है। आपकी मार्फत सारे हिन्दुस्तान को कह दिया।

इसके बाद अंग्रेजी भाषा में बोलते हुए गाँधी जी ने बताया कि जिनकी सेवा के लिए अभी आपने मुझे नियुक्त किया उनके सामने मेरे अंतर के मन्थन को बाहर उँडेलने में मैंने आपका बहुत समय ले लिया है। मुझे नेता गिरी बख्शी गई— फौजी परिभाषा में मुझे सेनापति पद दिया गया पर मैं इस दृष्टि से नहीं देखता। मेरे पास अपना सेनापति पद चलाने के लिये प्रेम के अलावा दूसरा शस्त्र नहीं है। जिस लकड़ी के

सहारे मैं चलता हूं उसे तो आप आसानी से तोड़ कर फेंक सकते हैं, ऐसी है। ऐसे अपङ्ग आदमी को जब ऐसी लड़ाई का बोझा उठाने के लिए आमन्त्रित किया जाय तो इसमें उसके लिये पौरुष अनुभव करने जैसा क्या है? मेरा यह बोझा आप तभी हलका कर सकते हैं जब कि मैं आपके सेनापति के रूप में नहीं बल्कि आपके नम्र सेवक की तरह खड़ा रहूँ। जो सेवा में सबसे बढ़ कर हो वह समान दरजे के सेवकों में अगुवा सेवक है, इतना ही इसका अर्थ है।

इसलिये पहली सीढ़ी पर ही मैं आपसे क्या-क्या अपेक्षा रखता हूँ, इस बाबत अपने मनके उदगार मैंने अब तक आपके सामने रखे। ध्यान रहे कि आज अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई है। अभी भी मुझे शरिस्ते मुजब अनेक विधियां करनी पड़ेंगी। जो बोझा मुझ पर आया है, सच ही वह असह्य है। मुझे ऐसों के सामने जाकर विनय-प्रार्थना करनी हैं जिनका आज मुझ पर विश्वास नहीं है। दुनियां भर के अनेक मित्रों के आगे भी आज मैं अपनी साख खो बैठा हूँ। मेरी समझदारी पर, बल्कि मेरी प्रमाणिकता पर भी उनके मनमें शङ्का खड़ी हो गई है। मेरी समझ-दारी की कीमत कम आंकी जाय इसका मुझे दुःख नहीं है, पर मेरी नीयत के बारे में शंका उठाई जाय, यह तो मेरे लिये दारुण आघात है। लेकिन आज तो यही स्थिति है।

ऐसे प्रसङ्ग आदमी की ज़िन्दगी में आते हैं, पर सत्य के शोधक के जिसे डर या पाखण्ड के बिना मानव जाति अथवा देश की यथाशक्ति सेवा करनी है, उसे तो यह सब सहने ही पड़ते हैं। पचास वर्ष की अपनी सोध में शुद्ध सेवा का इससे दूसरा रास्ता मैंने मानव जाति की, साम्राज्य की एक से अधिक प्रसङ्गों पर यथा शक्ति सेवा बजाई है और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि कही भी अपने किसी निजी स्वर्थ अथवा बदले की आशा से

मैंने कोई काम नहीं किया। लार्ड लिनलिथगो के साथ मेरी मित्रता है, जो उनके ओहदे की सीमा को भी लांघ गई है। अपनी लड़की के साथ भी उन्होंने मेरा परिचय कराया। उनकी लड़की और जमाई दोनों मेरी तरफ आकर्षित हुए। उनके जामाता ए० डी० सी० हैं और वे महादेव के खास मित्र बन गये हैं। इनकी लड़की आज्ञाकारिणी और सबको प्रिय लगने वाली है। इन सब पवित्र व्यक्तिगत सम्बन्धों का उल्लेख मैं इस लिए कर रहा हूँ कि लार्ड लिनलिथगो और मेरे बीच जो व्यक्तिगत प्रेम सम्बन्ध है। उसका आपको पता चल जाय। और ऐसा होने पर भी नम्रता पूर्वक ज़ाहिर करता हूँ कि यदि कभी ऐसे लार्ड लिनलिथगो के सामने, साम्राज्य के प्रतिनिधि रूप में मरणान्त लड़ाई छेड़ना मेरे नसीब में लिखा होगा तो यह व्यक्तिगत प्रेम-सम्बन्ध रत्ती भर भी बीच में नहीं आएगा। मैं सल्तनत के पशुबल का सामना करोड़ों भारतीओं की मूक-शक्ति से करूँगा, जिन्होंने लड़ाई के लिये उपयुक्त अहिंसा के सिवाय और कोई मर्यादा नहीं रखी होगी। मेरे लिये अत्यन्त कठिन काम होगा कि जिनके साथ मेरा ऐसा घरोबा है, उन्हीं के सामने मैं लड़ाई छेड़ूँ। उन्होंने एक से अधिक अवसरों पर मेरे शब्दों पर विश्वास किया है मेरे लोगों पर भी विश्वास रखा है। यह कहते हुए मुझे गर्व और सुख होता है और यह मैं इस लिये कहता हूं जिसमें सब जानलें कि जिस सल्तनत का मैं वर्षों तक वफ़ादार रहा और जिसकी मैंने सेवा बजाई वह सल्तनत जब मेरे विश्वास की पात्र नहीं रही तब, जो अंग्रेज उस सल्तनत का प्रतिनिधि था उसको उसके सामने लड़ाई छेड़ने के पहले मैंने पूरी खबर करदी थी।

ऐसे मौके पर चार्ल्स एंड्रूज की पवित्र याद आये बिना कैसे रहसकती है। एंड्रूज की आत्मा इस समय मेरे आसपास मंडरा रही है। मेरी नजर में अङ्गरेजी संस्कृति की सबसे उज्ज्वल परम्पराओं के वे संस्कार

मूर्ति थे। हिंदुस्तानियों की अपेक्षा भी उनके साथ मेरा अधिक निकट का नाता था। मेरे ऊपर उनका गले तक विश्वास था। हमारे बीच में कुछ भी प्राइवेट (खानगी) नहीं था। रोज हम एक दूसरे के साथ अपने हृदय की बात खोल कर देते थे। जरा भी आनाकानी या मन की चोरी (छिपाव) बिना वह मुझे सब बता देते थे। गुरुदेव की आत्मा से व चकाचौंध होते थे और उनका आदर करते थे। पर मेरे तो वे प्राण प्रिय मित्र बन गये थे। वर्षों पहले वे गोखले का परिचय पत्र लेकर मेरे पास आये। पीयर्सन और एंड्रूज दोनों आदर्श अंगरेज के नमूने थे। मैं जानता हूं कि उनकी आत्माएं अभी भी मेरी वेदना वाणी सुन रही हैं।

कलकत्ता के मेट्रोपोलिटन (ईसाई धर्माचार्य) का भी हितैषिता से भरपूर मुबारकबादी का पत्र मिला है। उनको मैं पाक दिल खुदापरस्त पुरुष गिनता हूँ। मेरी कमनसीबी से वे भी आज मेरा यह कदम पसंद नहीं करते। फिर भी उनका दिल मेरे साथ है। उनके दिल की भाषा मैं पढ़ सकता हूँ।

यह सारी पार्श्वभूमि उपस्थिति करके मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि पश्चिम में रहने वाले अनेक मित्रों का विश्वास आज मैंने खो दिया है—और उसका मुझे दुःख है—तो भी उन सबकी मैत्री और प्रेम की खातिर भी मैं अपने अंदर से उठने वाली आवाज को दबा नहीं सकता। आत्मा कहिये, मूलगत स्वभाव कहिये, वह, या मेरे भीतर रहने वाले मेरे दिल का दर्द, मेरी व्यथा पुकार-पुकार कर कह रही है। आज मुझे प्रेरित कर रही है। मैं भूत दया जानता हूँ। मनुष्य स्वभाव का भी मैंने थोड़ा-बहुत अभ्यास किया है ऐसा आदमी अपने अंतरात्मा को समझ सकता है। आप उसे जो चाहें नाम दें, पर यह अन्दर की आवाज मुझे कह रही है – तुझे अकेला बिना सहारे

खड़ा रहना पड़े तो भी आज तमाम दुनिया के सामने खड़ा होने से ही तेरा छुटकारा है। दुनिया लाल पीली रक्तपूर्ण आंखों से तेरे सामने घूरे तो भी तुझे उसकी नजर के सामने नज़र मिला करके खड़े रहना है। डर मत। अपने अन्दर की आवाज़ को ही सुन। यह आवाज़ तुझे कहती है कि पुत्र, स्त्री, सम्पत्ति, सारा सब कुछ समर्पण कर देना, पर जिस चीज के लिए तू जिया करता है और जिसकी खातिर तुझे मरना है, उस सत्य की पुकार करते-करते मरना।' मित्रो इस बात का विश्वास रखिये कि मुझे मरने की जल्दी नहीं है। मुझे अपने सावें वर्ष तक जीना है। बल्कि मैंने तो आयु की सीमा १२० वर्ष तक आंकी है। इतने में तो हिंद आजाद हो गया होगा—दुनिया भी आजाद हुई रहेगी। आज तो मैं इङ्गलैण्ड को या अमेरिका को भी आजाद मुल्क के रूप में नहीं मानता। अपनी रीति से ये भले ही आजाद हों—ये आजाद हैं दुनिया की रंगीन जातियों को गुलामी की जन्जीरों में जकड़े रखने के लिए। इन कोमों की आजादी के लिए क्या आज अमेरिका और इङ्गलैण्ड लड़ रहे हैं? तो फिर मुझे इस लड़ाई के पूरी होने तक रुकने को मत कहो। मेरी आजादी की परिभाषा को किस लिए आप संकुचित करते हैं? इङ्गलैण्ड और अमेरिका के आचार्य, उनका इतिहास, उनका उदात्त काव्य-भण्डार यह नहीं सिखाता कि आजादी की व्याख्या को संकुचित रखा जाय, विशाल नहीं बनाया जाय और ऐसी व्याख्या के गज से जब मैं नापता हूँ तब मुझे कहना ही पड़ता है कि इङ्गलैण्ड क्या और अमेरिका क्या, कोई भी आजाद नहीं है। उनके आचार्यों ने और कवियों ने जिस स्वतन्त्रता के गाने गाये हैं, उसकी उनको पहचान नहीं है। इसकी पहचान करनी हो तो उनको हिन्दुस्तान के चरणों में बैठना होगा। घमण्ड और गुस्ताखी के साथ नहीं, पर सच्चे सत्यशोधक बनकर आना पड़ेगा। बाईस वर्ष से हिन्द इस आधारभूत सत्य का प्रयोग कर

रहा है। यों तो कांग्रेस अपने जन्मकाल से ही जाने या अनजाने अहिंसा की वैधानिक मर्यादा में रहकर आंदोलन करने की राह से चलती आई है और ऐसा होने पर भी दादा भाई और फीरोजशाह जैसे नेता हिन्द को अपनी अंगुली पर नचाते थे—वे विद्रोही थे, कांग्रेस-प्रेमी थे, कांग्रेस कर्ता-धर्ता थे, तब भी उसके सच्चे सेवक थे, खून-खराबी और छिपे कामों को प्रश्रय देने वाले नहीं थे। आज कांग्रेस में बहुत से रंगे सियार भी हैं, यह मैं मन्जूर करता हूँ। सारा देश अहिंसक लड़ाई में ही कूदेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि मनुष्य के स्वभाव में रही हुई भलाई और विषम अवसरों पर सत्य को परखने और उस पर दृढ़ रहने की उसकी कुदरती शक्ति पर मेरा विश्वास है। पर मेरा विश्वास खोटा भी साबित हो तो भी मैं अपनी राह से विचलित होने वाला नहीं हूँ, डिगने वाला नहीं हू। कांग्रेस की राह शुरू से ही शान्ति की रही है। आगे चलकर उसमें स्वराज्य का समावेश हुआ और बाद की पीढ़ियों ने उसमें अहिंसा असहकार का तत्व शामिल कर दिया। दादाभाई ने जब ब्रिटिश पार्लियामेण्ट में प्रवेश किया, सालसबरी ने उन्हें काला आदमी कहा। पर अंग्रेज जनता ने दादाभाई को अपनाया—चुना और सालसबरी हारे। हिन्द खुशी से पागल हो गया। पर हिन्द के लिए आज ये सारी बातें पुरानी हो गई। पर इन सब पिछली भूमिकाओं को ध्यान में रखकर मैं अंग्रेजों से, यूरोप से और मित्रराष्ट्रों से पूछता हूं कि वे अपने हृदय पर हाथ रखकर कहे कि हिंद जो आजादी मांगता है उसमें कौन-सा गुनाह है ऐसी कार्रवाइयां और पचास से अधिक वर्ष तक ऐसी सेवाओं के इतिहास वाली संस्था पर अविश्वास करना, उसकी बदनामी करना और अपने हाथ के विशाल साधनों का उपयोग करके दुनिया भर में उसकी शिकायत करना यह क्या शोभा की बात है? आकाश पाताल एक करके चाहे जैसे रास्ते से, विदेशी अखबारों की मदद लेकर, अमेरिका के प्रेजिडेण्ट की

मदद लेकर, चीनी सेनापति मार्शल चांगकाई शेक की भी मदद लेने के प्रयत्न करके हिन्दुस्तान को भद्दे विकृत रूप में दुनिया में पेश करना क्या उचित है? सेनापति चांग से मैं मिला हूँ। श्रीमती शेक ने हमारे बीच दुभाषिया का काम किया। उनकी सहायता से मैंने सेनाधिपति शेक का परिचय पाया और यद्यपि सेनापति को मैं पार नहीं पा सका तो भी उन्होंने श्रीमती शेक की मार्फत उनके मन के झुकाव का मुझे परिचय पाने दिया। हमारे मुकाबले में आज सारी दुनिया को खड़ा किया गया है— उभाड़ दिया गया है। सभी अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। कहते हैं कि हम भूल कर रहेंगे। हमारी प्रवृत्ति असमय की है। ब्रिटिश मुत्सद्दीगिरी के लिए मेरे मन में मान था। आज उसकी गन्दगी से मेरा जी अकुला रहा है। पर नौसिखुए अभी भी इसके चरणों में अपना सबक ले रहे हैं। इन तरीका से ये शायद चार दिन दुनिया के लोकमत को अपने पक्ष में रख सकेंगे। किन्तु हिन्दुस्तान तमाम दुनिया के लोकमत के इन तरह के अघटित सङ्गठन के सामने खड़ा होकर भी आज अपनी पुकार बुलन्द करेगा। सारा हिन्दुस्तान मेरा त्याग करे तो भी मैं दुनिया को सुनाऊँगा—तुम ठोकर खा रहे हो, तुम भूल में हो। हिन्द की आजादी मजबूती से पकड़ रखने वालों के पास से भी हिन्द अहिंसा के बल पर यह आजादी ले लेगा। यह आजादी आने के पहले भले ही मेरी आंखें बन्द हो जायें, मैं भले ही रुक जाऊं, पर अहिंसा रुकेगी नहीं। बहुत ज्यादा देरी से लेना कबूल करने के लिए कदमबोसी करने, विनती करने वाले हिन्द को आजादी का विरोध करके चीन और रूस का भी तुम क्या भला कर सकने वाले हो। तुम उनको प्राणघातक धक्का ही लगाओगे। किसी महाजन को देनदार की आजिजी करते जाना है! और उसके सामने ऐसे-ऐसे विरोध बाधायें उपस्थित करने पर भी कांग्रेस तो आज विरोधियों को कहती है कि "हम साफ शराफत की

लड़ाई लड़ेंगे, पीठ में घात नहीं करेंगे, हम अहिंसा को अङ्गीकार कर चुके हैं।" ब्रिटिश सरकार को दिक न करने की कांग्रेस की नीति का प्रचारक मैं खुद ही तो था ? तो भी आज यह सख्त भाषा इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं कहता हूँ हमारी शराफ़त के लायक ही यह बात है। इसमें अयुक्त अनुचित ऐसा क्या है ? किसी आदमी ने मुझे गर्दन से पकड़ रखा हो और वह मुझे डुबाना चाहता हो तो क्या मैं उसकी पकड़ में से छूटने के लिए उसी क्षण चेष्टा न करूं ? कांग्रेस के निश्चय में अयुक्त अथवा असंगत ऐसा कुछ भी नहीं है।

विदेशों के अखबार वाले यहां इकट्ठे हुए हैं। उनकी मारफत दुनियाँ को और मित्र राष्ट्रों को प्रजाओं को—जिनका कहना है कि हिन्द का साथ उन्हें चाहिए—मैं कहता हूँ कि हिंद को आज़ाद ज़ाहिर करके तुम्हारी नियत सच्चा करके दिखलाने का आज अवसर है। इसे खो दोगे तो ज़िन्दगी में ऐसी घड़ी आने वाली नहीं है और इतिहास इस बात को अङ्कित करेगा कि तुमने अवसर पर अपना फ़र्ज अदा न करके सब कुछ खो दिया। तुम्हारी मारफत मैं दुनियां का आशिर्वाद मांगता हूं कि मैं विरोधियों को मनाने में सफल बनूँ। मित्रराष्ट्रों की जनता से मुझे उनका खुल्लमखुल्ला फर्ज अदा करने के बाद और कुछ ज्यादा नहीं चाहिये। अहिंसा अथवा शस्त्र-सन्यास करने को मैं उन्हें नहीं कहता। फासिज्म और उन लोगों के साम्राज्यवाद, जिसके सामने मैं लड़ रहा हूँ, दोनों के बीच भी मौलिक भेद रहा हुआ है। ब्रिटिस सल्तनत को अभी हिंदुस्तान से जैसा चाहिये, वैसा क्या मिल रहा है ? मिल रहा है वह तो गुलाम से मिल रहा है। हिन्द आज़ाद दोस्त के रूप में साथ दे तो कितना फर्क पड़े; इसका विचार करके देखलो। आज़ादी यदि उसे मिलने वाली हो तो वह आज ही आनी चाहिये। ऐसा होने में तुम मदद कर सकते हो। ऐसा होने पर भी मदद न करो तो बाद में आजादी मिले, उस में

स्वाद नहीं रहेगा। आज करो तो इस आजादी के चमत्कार से जो बात अशक्य लगती है, वह कल शक्य हो जायगी। हिन्द मुक्त होगा तो चीन को मुक्ति दिलाएगा, रसिया की मदद को दौड़ेगा। बर्मा-मलाया में अङ्ग-रेजों ने तो प्राण बिछाए नहीं थे, हिन्दुस्तानियों की ही शक्तियों का नाश किया। किस तरह से बिगड़ी बाजी सुधारी जा सकती है, इस पर विचार करलो। मैं कहां जाऊं—चालीस करोड़ को कहां ले जाऊँ? आज़ादी के स्पर्श बिना करोड़ों की जनता को दुनियां की मुक्ति के यज्ञ में दिल से भाग लेने की और क्या कोई रीति हो सकती है? आज तो जनता के प्राण शोषित हो गये हैं—पीस दिये गये हैं, उनकी निस्तेज आंखों में तेज लाना हो तो आज़ादी कल नहीं, आज ही आनी चाहिये। इसी से मैंने आज कांग्रेस से यह बाजी लगवाई है, या तो कांग्रेस देश को आजाद करेगी अथवा खुद फना हो जायगी। 'करो या मरो।'

❀ जय-हिन्द ❀

क्रांति चिरन्जीवी हो !

अगस्त ४२ की घटनाएं इतनी विस्तृत इतनी विशाल और गौरव-मयी हैं कि उनकी प्रशंसाओं में यदि बड़े बड़े ग्रंथ भी लिखे जांय तो कम रह जांय आज तो केवल हम यहां उन वीर आत्माओं का संक्षिप्त परिचय मात्र देते हैं जिन्होंने एशिया की इस महान क्रांति का सञ्चालन किया है, जिन्होंने हमारा मस्तक गर्व से ऊँचा रखा है । अपना सर हथेली पर रख कर भूखों रह कर सैकड़ों और हजारों मील पैदल चलकर जिन्होंने आजादी के सन्देश को घर घर पहुंचाया है, भारतीय तरुणाई का आह्वानन किया है, और स्वतन्त्रता प्राप्ति के प्रयत्न में मार्ग की बीहड़ता कंटकाकीर्ण पथ की दुरूहता भी जिनका रास्ता नहीं रोक सकी है । जेल की दीवारें भी जिन्हें रोक रहने में असमर्थ रही हैं, नौकर शाही की चालाक पुलिस और फौज जिनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी है, सी० आई० डी० लाख प्रयत्न करने पर भी जिन की परछांई तक को नहीं पा सकी हैं ! उन्होंने सोई हुई जनता को उठाया है सदियों से सोये हुये आत्म विश्वास को जगा दिया है । देश की गुलामी की जञ्जीर तोड़ फेकने को उकसाया है और भारत के धनपतियों को विवश कर दिया है कि देश के लिये वीर भामाशाह की तरह अपनी थैलियों के मुंह खोल दे दें । सरकारी नौकरों को देश के प्रति कर्तव्य बताया है और उनका सफलतापूर्वक पथ प्रदर्शन किया है । सचमुच यदि सब नेताओं की गिरफ्तारी के बाद यह महान् आत्मायें जनता को रास्ता न दिखाती तो यह आंदोलन चार दिन और चार घंटे भी न चलता, संसार के सामने हम मुंह दिखाने योग्य न रहते [illegible] मंजिल आज हमें पास दिखाई दे रही है

वह शायद कई दशकों के लिये पीछे हट जाती। यह सम्भव हो सकता है कि उनकी कार्यप्रणाली से हमारा मत भेद हो, आज की वर्तमान राज-नैतिक परिस्थिति में हम उस नीति को अनुकूल न समझते हों पर इस में किसी को मत भेद नहीं हो सकता कि उन्होंने यह सब उत्कट देश भक्ति की प्रेरणा वश किया है, साथ ही तोड़ फोड़ और हिंसा सम्बन्धी जो भी कार्य हुए हैं उन में से अधिकांश जनता की स्वतः प्रेरणा से ही हुए नेताओं की गिरफ्तारी पर पथ प्रदर्शन विहीन जनता को जो सूझ पड़ा वही उसने किया इन महा पुरुषों ने तो बाद में आंदोलन को श्रृंखला-बद्ध किया है। इन महानुभावों में से कुछ के संक्षिप्त परिचय आगे मिलेंगे और विस्तृत जीवन परिचय लेखक की जयप्रकाशनारायण पुस्तक में पढ़िये।

अगस्त आन्दोलन के समय

श्री जयप्रकाश नारायण का

स्वतन्त्रता के सैनिकों के नाम पत्र

साथियो !

सर्व प्रथम मैं उन समस्त वीर साथियों को हार्दिक बधाई देता हूँ जो स्वतन्त्रता के उस जन युद्ध में युद्ध बंदी बनाये गये हैं। ऐसी महान् क्रांति इस राष्ट्र में कभी नहीं हुई और न इस लम्बे दमन, उत्पीड़ित राष्ट्र में इतना होने की सम्भावना था यह युद्ध वास्तविक अर्थ में एक "खुला विद्रोह" था, जिसे हमारे महान नेता महात्मा गांधी ने सोचा था।

यह विद्रोह कुछ समय के लिये कुचल दिया गया सा प्रतीत होता है, परन्तु आप मुझ से सहमत होंगे कि यह स्थिति केवल क्षण स्थाई है। उससे हम आश्चर्य चकित न हों वस्तुतः यदि हमारा पहला दौरा सफल हो जाता और उस जन शक्ति से साम्राज्यवाद नष्ट हो जाता, तो वास्तव में यह एक आश्चर्य की बात होगी। हमारे राष्ट्रीय क्रांति का प्रथम दौरा कितना सफल था यह बात तो केवल इस बात से जानी जा सकती है कि स्वयं शत्रु ने स्वीकार किया है कि इस विद्रोह से उसकी सत्ता लगभग खतरे में पड़ गई थी।

पर हमारे इस प्रथम दौर का दमन किस प्रकार किया गया ! क्या शत्रु की सैन्य शक्ति की अनवरत निरंकुशता, लूटमार, हत्याकांड एवं बर्बरता के कारण ही हमारी क्रांति कुचल दी गई ! यह समझना निर्मूल

है कि विद्रोह का दमन हो गया, समस्त संसार की क्रांतियों के इतिहास हमें बताते हैं कि क्रांति एक घटनामात्र नहीं होती वरन एक गति और सामाजिक प्रगति का मार्ग होता है। क्रांति के प्रारम्भिक विकासोन्मुख काल में इसकी गति और इसका प्रभाव धीमा होता है। हमारी क्रांति भी आज उसी दशा में है परन्तु शीघ्र ही इसका वेग इतना प्रबल होगा कि उसके सम्मुख ब्रिटिश सत्ता टिक न सकेगी और अन्त में विजय हमारी ही होगी। हमारी क्षणिक हार का कारण साम्राज्यवादी लुटेरों की शस्त्रों से सुसज्जित शक्तिशाली सैन्य नहीं वरन अन्य महत्वपूर्ण कारण है।

सर्व प्रथम राष्ट्र में कोई ऐसा सुसंगठित संगठन नहीं था, जो राष्ट्र की क्रांतिकारी बिखरी हुई शक्तियों का एकीकरण कर उनका समुचित नेतृत्व कर पाता कांग्रेस यद्यपि एक महान सङ्गठन था परन्तु फिर भी उसका स्वर, उस महान क्रांति के अनुरूप शक्तिशाली नहीं था। संगठन के अभाव की कमी इतनी अधिक विद्यमान थी कि क्रांति समय तक भी अनेक प्रमुख कांग्रेस जन यह न जान पाये कि आन्दोलन का कार्यक्रम क्या होगा और जागरण की प्रथम वेला में उन्हें यह बात संदिग्ध प्रतीत होती थी कि जनता के इस आन्दोलन का रूप कांग्रेस कार्यक्रम के अनुकूल है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में यह खेद की बात है परन्तु यह सत्य है कि बहुत से प्रभावशाली कांग्रेस जनों ने अपने मस्तक की वृत्ति के स्वतन्त्रता के अंतिम युद्ध के अनुरूप न बनाया। जिस सच्चाई दृढ़ता और आवश्यकीय दृष्टिकोण को लेकर कांग्रेस के चोटी के नेता महात्मा गांधी पं० नेहरू जी सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं राजेन्द्रप्रसाद चले थे, उसकी झलक अन्य नेताओं के हृदय और मस्तिष्क में न थी।

द्वितीय उत्थान के प्रथम वेग के समाप्त होने के पश्चात् जनता के समक्ष कोई कार्यक्रम न था। जिन क्षेत्रों में ब्रिटिश राज्य का पूर्ण रूप से मूलोच्छेदन हो गया। वहां की जनता ने समझा कि उनका समस्त कार्य

पूर्ण हो गये और वे भविष्य में कोई कार्यक्रम न जानने के कारण अपने अपने घरों को वापिस चले गये, वे नहीं जानते थे कि अब क्या करें। यह अपराध उनका न था, असफलता हमारी हुई क्योंकि हमें उन्हें अगले कदम का कार्यक्रम बतलाना चाहिए था, इसके अभाव में विद्रोह शान्त हो गया और निष्क्रियता का युग प्रारम्भ हुआ, यह स्थिति उस समय से बहुत पहले ही प्रारम्भ हो चुका था, जबकि असंख्य ब्रिटिश सैनिकों ने आकर आन्दोलन की रही सही गति को भी नष्ट कर दिया। अब प्रश्न यह है कि जनता के सन्मुख उस द्वितीय दौर के लिये क्या कार्यक्रम रखना चाहिए था। प्रश्न का उत्तर स्वयं उस क्रांति के रूप से ही मिल जाता है। क्रांति एक ध्वंसकारी प्रवृत्ति ही नहीं, वरन् उसके साथ ही साथ एक महान् निर्माणकारी शक्ति भी है। कोई भी क्रांति केवल नाशमयी प्रवृति से सफल नहीं हो सकती। हमारी क्रांति ने भी नाश के ध्वंसकारी साधनों द्वारा अनेक क्षेत्रों को हस्तगत कर लिया था, तब एक यथार्थ निर्माण कारी कार्यक्रम की आवश्यकता थी। जिस जनता ने विदेशी सत्ता के शासन सम्बन्धी समस्त साधन एवं शक्तियां नष्ट कर दी थी, वही से उन अपने क्षेत्रों में अपनी क्रांतिकारी सरकार बनाने के साथ साथ अपनी पुलिस और फौज का भी निर्माण करना चाहिये था। यदि जनता इस प्रकार कार्य करती तो निश्चित रूप से उसके द्वारा रचनात्मक कार्यक्रम करने का एक विशाल क्षेत्र हमारे सन्मुख होता और उससे क्रांति की लहर निरंतर बढ़ती ही चली जाती और यदि यह उद्वेग और उत्थान अखिल भारतीय होता तो समस्त क्षेत्रों में साम्राज्यी सत्ता ध्वस्त हो जाती और शक्ति जनता के में आ जाती।

सुसंगठित सङ्गठन का अभाव और राष्ट्रीय क्रांति के कार्यक्रम का पूर्ण ज्ञान न होना इन्हीं दो कारणों से इस आन्दोलन के प्रथम और इसके पश्चात् ही इसका ह्रास होगया।

अब प्रश्न उठता है कि हम क्या करें ? सर्व प्रथम हमें अपने मस्तिस्क से समस्त निष्क्रियता निकाल देनी चाहिये, और जनता का भी इसी प्रकार का बनाना चाहिये। हमें एक सतोष का वातावरण उत्पन्न करना चाहिये, मानो हमें अपने कृत्यों में सफलता मिली हो अथवा भवि-- ष्य में सफलता की आशा हो।

इसके अतिरिक्त हमें अपने मस्तिस्क में क्रांति की रूपरेखा सदैव विद्यमान रखनी चाहिये। यह हमारी स्वतन्त्रता का अंतिमयुद्ध है। अतः हमारा उद्देश्य विजय के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं हो सकता, न इस आधार पर कोई समझौता ही हो सकता है। श्री राजगोपालचारी जैसे व्यक्तियों का एक राष्ट्रीय सरकार बनाने का प्रयत्न व्यर्थ ही नहीं अपतुइन अर्थों में घातक भी हैं कि उससे जनता का ध्यान और मनोवृत्त वास्तविक युद्ध से हट जाता है। "भारत छोड़ो" और राष्ट्रीय सरकार" के नारों में कोई समानता या समझौता नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति कांग्रेस–लीग एकता का नारा लगा रहे हैं, केवल साम्राजवादी हितों की सुरक्षा और प्रचार में हाथ बटा रहे हैं, एकता का अभाव ही राष्ट्रीय सरकार बनाने में बाधक नहीं परन्तु साम्राज्यवादी सत्ता स्वभाविक रूप से स्वय अपना अन्त नहीं चाहती। श्री चर्चिल ने तो इस विषय में कोई सन्देह बाकी छोड़ा नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी है कि मैंने सम्राट का मंत्रित्व इस लिये स्वीकार नहीं किया कि मैं नष्ट होते साम्राज्य की बाग डोर संभालूँ और उसका दोष अपने सिर पर लूँ। श्री० चर्चिल इतिहास के एक मूर्ख विद्यार्थी हैं, यदि वे समझते हैं कि साम्राज्यवाद स्वयं ही नष्ट हो जायगा।

साम्राज्यवाद के शब्दों में "भारत के राजनैतिक जीवन के प्रमुख भागों का मेल" आज के युग की प्रमुख आवश्कता नहीं है अपितु आवश्यकता समस्त क्रांतकारी शक्तियों के एकी करण की है। ये शक्तियां

कांग्रेस के झण्डे के नीचे पहले से ही एकत्र हैं। कांग्रेस और लीग की एकता, इन शक्तियों की वृद्धि की आशा नहीं दिलाती क्यों कि लीग ने कभी भी स्वतन्त्रता व क्रांति के मार्ग पर चलने का विश्वास नहीं दिलाया।

तब हमारा उद्देश्य साम्राज्यवाद के जुए को पूर्णतया उतार फेकना है और हम इसी उद्देश्य को सदैव सामने रक्खेंगे, इस बिना पर कोई समझौता नहीं हो सकता। या तो इसमें हमारी जीत होगी या हार। हार हम सकते नहीं। केवल इस लिए ही नहीं कि हम विजय के लिए कटिबद्ध हैं और निरन्तर इसके लिए कार्य करते रहेंगे, परन्तु इसलिए भी कि संसार की उदीयमान शक्तियां आज साम्राज्यवाद और फासिस्टवाद के अनिवार्य अन्त को समीप ला रही हैं! आप विश्वास न करें कि इस युद्ध के परिणाम जो शांति परिषद् द्वारा बड़ी कठिनता से निश्चित किए गए हैं, युद्धोत्तर विश्व के भाग्य का इस बात का निरणय नहीं किया था एशिया और योरुप के चार साम्राज्य जर्मनी, आस्ट्रिया और ओटोमैन धूल में मिल जांय और न रूस, जर्मनी, और टर्की, की क्रांति लायड जार्ज व विलसन की इच्छा से हुई थी।

आज समस्त संसार की जनता लड़ रही है, मर रही है और कष्ट झेल रही है और यही बात भारत के लिये सत्य है। उस युद्ध के बाद विश्व के भाग्य का निरणय चर्चिल, रूज वेल्ट और हिटलर और तोजो करेंगे। उस एतिहासिक कार्य को तो वे जागृति शक्तियां करेंगी जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या हमें सन्देह है कि क्रांतिकारी शक्तियां जाग्रत होरही हैं। क्या हम विश्वास कर सकते हैं। करोड़ों मनुष्य बिना भविष्य के विषय में सोचे पड़े बड़ी २ विपदाओं को झेल रहे हैं ? क्या हम विश्वास कर सकते हैं कि लाखों और करोड़ों मनुष्य उन झूठों से सन्तुष्ट

हैं जिन्हें उनके शासक प्रतिदिन सुनाते हैं ? नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता ।

जब कि हमने अपना दृष्टिकोण पूर्ण रूप से विजय के लक्ष्य पर स्थिर कर दिया है तब हमें आगे बढ़ना है । हमें उसके लिए क्या ठीक कार्य करना पड़ेगा ? एक सेनापति युद्ध के हारने एवं जीतने के पश्चात् क्या करता है ? वह अगले युद्ध के लिए सामग्री एकत्रित करता है और युद्ध की आवश्यक तैयारियां प्रारम्भ करता है । मार्शल रोमेल भी अल अलामीन पर आवश्यक तैयारी व सङ्गठन के लिये अपनी महान् विजय के पश्चात् रुक गया । सिकन्दर ने भी तैयारियां की थीं और इसी कारण उसने अपनी गम्भीर हार को विजय के मुखरित स्वर में बदल दिया । हमारी तो यह हार भी नहीं थी । वस्तुत: हमने लड़ाई की पहली टक्कर में विजय प्राप्त की क्योंकि देश के अनेक लम्बे चौड़े भागों पर ब्रिटिश साम्राज्य के शासन की जड़ें उखड़ गईं । जनता ने अनुभव के आधार पर यह बात जान ली है, कि ब्रिटिश साम्राज्य के कल पुरजे पुलिस मजिस्ट्रेट अदालतें और जेलें केवल तारों के भवन हैं, जो कभी भी ढहाए जा सकते हैं । यह पाठ कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि वे ही हमारे आगामी संग्राम के प्रथम लक्ष्य होंगे ।

हमारा तीसरा और सबसे प्रमुख कार्य आज आने वाले महान अभियान के लिए आवश्यक तैयारी करना है । हम अपने को सङ्गठित करें और अनुशासन सीखें—यही हमारी आज की प्रमुख आवश्यकता और लक्ष्य है ।

आगामी युद्ध ! हम कब अगला कदम उठाने की आशा रखते हैं । कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि जन शक्तियां आगामी ५ या ६ वर्षों तक नहीं उभर सकतीं । वह अनुमान शांति कालीन माप के अनुसार ठीक हो सकता है परन्तु एक तेजी से बढ़ती हुई युद्ध और विप्लवों से पूर्ण दुनिया

के लिये यह अनुमान गलत है। ब्रिटिश फासिस्टों के बर्बर अत्याचारी लिनलिथगो और हैलट अपने किराए टट्टुओं के बल पर भले ही कुछ दूर के लिये जनता के झुकाने में सम्भव होगए हों, पर वे कहीं भी जनता को अपना शुभ-चिंतित बनाने में सफल नहीं हो सके हैं समस्त देश में जब कि नाज़ियों के समान अत्याचारी जेलों के दरवाजे खुल गए, तभी से जनता के असन्तोष एवं प्रतिहिंसा की आग सुलग रही है। जनता को केवल यही समझना है, कि शक्तिशाली तैयारियां फिर एक नये उत्साह में प्रगट होकर हम रे, नये आक्रमण का रूप धारण करेगी। जो कि क्रियात्मक अनुशासन एवं एकत्रित शक्तियों द्वारा होगा। आने वाले क्षण हमारे इस नए अभियान के लिए सहायक होंगे। अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी हमारी सहायता को प्रस्तुत हो हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त गांधी जी का निकटवर्ती आमरण अनशन हमारे और जनता के लिए निरन्तर एक ऐसी याद है जो जनता को कभी निष्क्रिय, शांति और अनिश्चित न होने की प्रेरणा देती है।

आगामी युद्ध का प्रश्न क्रांति के उस स्थिर और आवश्यक कार्य से जुड़ा हुआ है जिसके द्वारा हमें क्रांतिकारी सरकारों का निर्माण का प्रश्न हिंसा और हथियारबन्द फौजों को रखने के प्रश्न से जुड़ा हुआ है मैं इस कारण से इस प्रश्न पर अपने विचार आप के सन्मुख रखना चाहता हूँ ताकि आप समझ सके कि मेरा मस्तिष्क और मेरे विचार आगामी क्रांति पर गहन प्रकाश डालते हैं।

सबके पहले मैं समझता हूँ कि मुझे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा इस क्रांति में होने वाली हिंसा के अभियोग का उत्तर देना चाहिये। मैं स्वीकार करता हूं, कि जनता ने अत्यन्त उत्तेजनात्मक परिस्थितियों में कुछ हिंसा का प्रदर्शन किया, परन्तु यह उस उत्थान और व्यक्तिगत एवं सामूहिक अहिंसा के प्रदर्शन के सन्मुख अत्यन्त नगण्य था। यह कदाचित हम

नहीं सोचते कि विदेशी सत्ता के हजारों भारतीय और विदेशी नौकर कुछ दिनों तक जनता की दया पर निर्भर थे। जिसने उनके विरोधी कृत्यों के पश्चात् भी उनपर दया का प्रदर्शन किया और उनके जीवन और धन की रक्षा की थी। आप उन हजारों नवयुवकों के विषय में क्या कहेंगे, जिन्होंने शांत और उत्कृष्ठ धैर्य के साथ शत्रु की गोलियों को सहा— जिनके हाथों में तिरंगे झंडे थे और मुख पर "इन्कलाब जिन्दाबाद" के गीत, क्या अंग्रेजों के पास उस नैसर्गिक साहस की प्रशंसा में एक भी शब्द है।

प्रत्येक दशा में यह उचित नहीं कि अंग्रेजी सत्ता दूसरों की हिंसा के प्रति इतना अधिक वाद विवाद करे जिसका निर्माण ही स्वयं हिंसा पर आधारभूत है, जो प्रतिदिन अत्यन्त क्रूर और हिंसक सेनाओं का निर्माण करती है, जो लाखों मनुष्यों को कुचलकर उनके रक्त का शोषण करती है, हम हिंसा अथवा अहिंसा किसी भी हथियार से लड़ने का निश्चय करें, इससे अंग्रेजों को क्या पड़ी है ? यदि हम अहिंसक क्रांति करें तो क्या अंग्रेज भी इसका उत्तर अहिंसा से ही देंगे ? क्या उन्होंने इससे पूर्व हमारे हजारों अहिंसक सैनिकों को गोलियों से नहीं मारा है ? हम किसी भी शस्त्र का प्रयोग करें, अंग्रेजों के पास तो हमारे लिए केवल, गोलियां लूटमार, बलात्कार और निरंकुशता है। अत: उन्हें इस विषय में चुप रहना चाहिये कि हम उनसे किस प्रकार लड़ते—इसका निर्णय करना तो पूर्ण रूप से हमारा काम है।

हम जब इस प्रश्न को अपने दृष्टिकोण से देखते हैं तब हमें बताना होगा कि अहिंसा सम्बन्धी गांधी जी के विचारों एवं कार्यकारिणी और अ० भा० कांग्रेस कमेटी के विचारों में क्या अन्तर है। गांधी जी किन्हीं परिस्थितियों में भी अहिंसा से हटने के लिये प्रस्तुत नहीं उनके लिए तो यह जीवन के सम्पूर्ण विश्वास और आत्मा के गहनतम सिद्धांत का प्रश्न

है। कांग्रेस ने प्रथक रूप से इस युद्ध के दौरान में अनेक बार कहा है कि यदि भारत स्वतन्त्र हो जाता और यदि एक अन्तर्कालीन राष्ट्रीय सरकार भी बना दी जाती तब वह आक्रमणकारी राष्ट्रों का हथियारों से सामना करेगा ? पर यदि हम जर्मनी और जापान से शस्त्रों के द्वारा लड़ सकते हैं तब हमें इङ्गलैंड से भी उसी प्रकार लड़ने में क्यों संकोच करना चाहिए ? इस प्रश्न का एक ही उत्तर हो सकता है कि एक स्वतन्त्र राष्ट्र में हम बाक़ायदा अपनी सशस्त्र सैन्य का निर्माण कर सकते हैं, जो आज सम्भव नहीं पर यदि सम्भवतः एक क्रांतिकारी सेना का निर्माण हो जाता है अथवा वर्तमान भारतीय सेना या इसका एक अंश विद्रोह कर देता है तब क्या हमारे लिए यह असंगत न होगा कि पहले तो हम उनसे विद्रोह करने को कहें और फिर विद्रोहियों को हथियार डालकर अपने नग्न वक्ष-स्थल पर अंग्रेजों की गोलियां खाने का आदेश दें।

गांधी जी के विपरीत कांग्रेस के विचारों का मेरा विश्लेषण स्पष्ट और सुनिश्चित है। कांग्रेस राष्ट्र के स्वतन्त्र होने पर आक्रांता की अहिंसा से मुकाबला कर सकती है। अच्छा हमने अपने को स्वतन्त्र घोषित कर दिया है, हम इस प्रकार बम्बई प्रस्ताव के अन्तर्गत ही अंग्रेजों से सशस्त्र युद्ध करने में न्यायसंगत है। यदि यह गांधी जी के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता तो यह मेरा अपराध नहीं। कांग्रेस कार्यसमिति और अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी इन दोनों ने स्वयं ही गांधी जी के अहिंसा सम्बन्धी विचारों के प्रति, जहां तक इसका युद्ध से सम्बन्ध है, अपनी असहमति प्रगट की है, न गांधी जी को इस प्रस्ताव को कार्य रूप में परिणत कर नेतृत्व करने की अंग्रेजी सत्ता ने आज्ञा दी थी, अतः निम्न विश्लेषण के द्वारा हम उनके प्रति किसी प्रकार भी अश्रद्धालु नहीं होते। हम अपने तर्क और बुद्धि के प्रकाश में इस प्रकार अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं विश्वास करता हूँ कि एक

सच्चे कांग्रेसी होने के नाते, मैं अंग्रेज लुटेरों को हथियारों द्वारा निकालने में न्यायसंगत हूँ और न इस प्रश्न से मेरे समाजवाद पर कोई आघात होता है।

मैं निःसंकोच स्वीकार करता हूँ कि यदि वीरों की अहिंसा का एक बड़े रूप में प्रयोग किया जाए तो हिंसा की आवश्यकता न रह जायगी, लेकिन जहां इस प्रकार की अहिंसा का अभाव है तो मैं नहीं चाहता कि कायरता शास्त्रीय एवं सिद्धांतगत सूक्ष्मताओं के आवरण में प्रकट होकर हमारे आंदोलन को विफल करने में सहायक हो सके।

प्रस्ताव के अन्तिम भाग के अनुसार हमें अपनी शक्तियों को संगठित सुशिक्षित और अनुशासनयुक्त बनाना चाहिए। हमें अपने प्रत्येक कार्य में यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारा कदम केवल षडयन्त्रकारी और आतंकवादी नहीं है। हमारा उद्देश्य तो समस्त जाति की सामूहिक क्रांति है। अतः हमें यांत्रिक साधनों के अतिरिक्त गांव के किसानों, कारखानों और रेलवे के मजदूरों और जनता में ठोस कार्य करना चाहिए हमें उनमें प्रचार करना चाहिए और उनकी कठिनाइयों में उनकी सहायता करनी चाहिए। हमें उनकी वर्तमान मांगों की पूर्ति के लिए उन्हें लड़ने के लिए संगठित करना चाहिए और हमें उन्हें युद्ध के चुने हुए सैनिकों में भर्ती कर यांत्रिक एवं राजनैतिक शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा के पश्चात कुछ थोड़े से व्यक्ति पूर्ववर्तीय हजारों के सम्मुख सफल हो सकते हैं। प्रत्येक जिले, प्रत्येक कस्बे, प्रत्येक तालुके, प्रत्येक थाने और प्रत्येक कारखाने और औद्योगिक क्षेत्र में आगामी युद्ध के लिए मस्तिष्क और हथियारों से लैस हमारे सैनिक तैयार रहें।

इसके अतिरिक्त भारतीय विभिन्न फौजों में कार्य करता है। हमारे लिए स्कूल, कालेज व बाजारों, रियासतों और भारत की सीमाओं पर कार्यक्षेत्र पड़ा है। मेरे लिए यह सम्भव नहीं, कि अपनी तैयारियों को और स्पष्ट रूप से बता सकूं।

आज तो इतना ही पर्याप्त होगा, कि हमारे लिए महान कार्यक्षेत्र है और हम में से प्रत्येक को उसके लिए कार्य करना है। बहुत कुछ तो अभी हो रहा है पर बहुत कुछ होना अभी शेष है।

इस कार्य को हमारे नवयुवकों के अतिरिक्त और कौन कर सकता है। हमें आशा है कि हमारे विद्यार्थी जिन्होंने इतना उज्वल उदाहरण हमारे सम्मुख रखा है, अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए और अपनी प्रतिज्ञाओं को निभाने के लिए निरंतर आगे बढ़ेंगे, इसके उत्तरदायी वे स्वयं होंगे।

मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कि तैयारी से मेरा अर्थ यह नहीं कि हमारा युद्ध अब पूर्णतया रुक गया। छोटी छोटी टक्करें, सीमाओं के कार्य, हल्की तोड़ फोड़, गुरिल्ला लड़ाई और गश्त जारी रहनी चाहिए। ये कार्य स्वयं एक प्रकार से आगामी आक्रमण के लिए आवश्यक तैयारियों का कार्य करेंगे।

तब हमें जनता में पूर्ण विश्वास के साथ और अपने उद्देश्य की सचाई का आधार लेकर आगे बढ़ना होगा। हमारी दृष्टि स्पष्ट हो और हमारा हृदय दृढ़ हो और हमारे कदम मजबूत हों। भारत की स्वतन्त्रता का सूर्य क्षितिज में उदय हो चुका है। हमारे अपने अविश्वास, झगड़े निष्क्रियता और विश्वासघात कहीं उस पर बादल बन कर न छा जाएँ और हम अपने ही हाथों से निर्मित अन्धकार में न डूब जांय।

अन्त में साथियों! मैं यह सोचकर अत्यन्त प्रसन्न और गर्वित हूँ कि मैं अपनी सेवाओं को फिर एक बार अर्पित कर सकूंगा। आपकी सेवा करने में! हमारे नेता के अन्तिम शब्द "करो या मरो" मेरे मार्ग दर्शक होंगे। आपका सहयोग, मेरी शक्ति और आपका अधिकार हमें अवश्य सफलता की ओर ले जायगा।

भारत के किसी कोने से] —जयप्रकाशनारायण

क्रांति की प्रतीक अरुणा आसफअली

नौ अगस्त १९४२ की प्रभात वेला में ग्वालिया टैंक बम्बई के विशाल मैदान में लाखों की संख्या में क्षुब्ध जनता, हजारों की संख्या में बावदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक और अनगनित ब्रिटिश साम्राज्यशाही के प्रतीक पुलिस और फौज के अफसर और सैनिक अपने विनाशकारी अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित स्तब्ध खड़े थे किसी को यह मालूम नहीं था कि अगले क्षण क्या होनेवाला है कि एकदम बिजलीसी कौंध गई। जनसमुदाय ने देखा कि उषा सी सुन्दर, फूल सी कोमल और आशा सी मधुर एक सुन्दर युवती ने राष्ट्रीय ध्वजा के बन्धन खोल दिए हैं और अपने वीणाविनिंदित स्वर में जनता को क्रांति का सन्देश सुना रही है। शक्ति का अवतार अरुणा ने क्रांति की अरुण वेला में जो मंत्र राष्ट्र को दिया उससे देश की युग युग की सोई हुई जनता जाग उठी, अरुणा के एक एक शब्द ने देश की तरुणाई को ललकारा, झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई की तरह स्वतंत्रता के सिपाहियों की टोली को सजाया और ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। अरुणा का गम्भीर घोष जब तक जनता में जोश पैदा करता रहा उपस्थित अधिकारियों को यह सूझ ही नहीं पड़ा कि वह क्या करें चूंकि उन्होंने तो यह समझा था कि सभी नेताओं के रात्रि को गिरफ्तार होजाने के बाद या तो जनता इस मैदान में एकत्रित होगी ही नहीं या फिर होगी तो दो-चार मिनट में तितर-बितर करदी जायेगी पर यहां तो उन्होंने उल्टा देखा कि जिस नारी को उन्होंने अबला समझकर गिरफ्तार नहीं किया था उसने तो वहां विद्रोह की आग लगा दी है। जोश को बढ़ता

हुआ देखकर अधिकारियों ने भीड़ को तितर-बितर होने का आदेश दिया उत्तर में अरुणा का जलद घोष सुन पड़ा कि कोई व्यक्ति और स्वयंसेवक अपने स्थान से न हटे। प्रत्युत्तर में अधिकारियों ने अश्रुगैस का प्रयोग किया और साथ ही राष्ट्रीय झण्डे को उतारने के लिए आगे बढ़े। अरुणा ने स्वयंसेवकों को जान जोखिम में डालकर भी झण्डे की रक्षा का आदेश दिया। अश्रुगैस से अन्धे स्वयंसेवक टटोलते हुए झण्डे की डण्डी की ओर बढ़े और सैकड़ों हाथों ने झण्डे को मजबूती से पकड़ लिया। अधिकारियों ने गोलियों के फायर आरम्भ किये। बच्चे, किशोर और नवयुवक शहीद होने लगे और दूसरे बन्धु सर पर कफ़न बांधकर उनका स्थान लेने लगे। अन्त में अधिकारियों ने ध्वज-डण्ड छुड़ाने में किसी प्रकार सफलता नहीं पाई तो उन्होंने सङ्गीनों से स्वयंसेवकों के उन हाथों का जो ध्वजदण्ड पकड़े हुए थे छेदने की आज्ञा दी। साथ ही उनके पैरों में भी गोलियां दागने का आदेश दिया। गोलियां छोड़ी गयी, अश्रुगैस का प्रयोग किया गया और संगीनोंकी नोकों से स्वयंसेवकों की कलाइयों और मुट्ठियों को छेदा गया पर वाह रे भारत के लालो ! अपने नेताओं का सन्देश "करो या मरो" का उन्होंने अन्त तक पालन किया, जब अधिका-रियों ने देखा कि जब तक यह क्रांति की जीती जागती चिनगारी इस जन समूह के बीच विद्यमान रहेगी तब तक साम्राज्यशाही की मर्यादा अक्षुण्ण रहना कठिन ही नहीं असम्भव है, तो उन्होंने अरुणा जी को गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया। पर आश्चर्य ! हजारों सेनिकों और अधिकारियों के बीच में से अरुणा पलक मारते ही गायब हो गई और तब से लेकर १९४६ तक अर्थात् पूरे ४ वर्ष तक इस महान आत्मा ने देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्वतन्त्रता के इस आन्दोलन को जीवित रक्खा। बम्बई, बगाल और दिल्ली जहां कहीं भी देश के राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को उनके पथ प्रदर्शन की आवश्यकता प्रतीत हुई अरुणा

ब्रिटिश सरकार की चतुर श्रेष्ठ पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर वहीं पहुंचती रही।

अरुणा जी ने १९४२ में १९४६ के क्रांतिकारी वर्षों में अपनी मान प्रतिष्ठा, अपना गृहस्थ, अपना सुख शांति सब कुछ नष्ट कर दिया पर एक बार भी बिना झिझके और घबराये संकट के इन दिनों में देश सेवा का जो महान कार्य किया उस पर कोई देश और जाति गर्व कर सकती है। वे निरन्तर चार वर्ष तक ब्रिटिश साम्राज्य की चतुर पुलिस और सी० आई० डी० की आंख में धूल झोंक कर बराबर अपना कार्य करती रहीं। सरकार ने उनकी गिरफ्तारी के लिए पांच हजार का पारितोषिक घोषित किया, बड़े बड़े चतुर जसूस नियुक्त किए गए पर अरुणा जी का पता पता नहीं चल सका। हालांक इस बीच वह एक दिन भी खाली नहीं बैठी। देहली, बम्बई और कलकत्ता बराबर दौरा करती रहीं। देहली के बिरला और देहली मील के मजदूरों में तो उन्होंने खुल्लमखुल्ला व्याख्यान दिए। कलकत्ते के अकाल के समय अकालियों के लिए सहायता और सुश्रुषा के साधन जुटाए, भारत के प्रसिद्ध शहरों में क्रांतकारियों और कार्यकर्त्ताओं की मीटिंगें करती रही पर पुलिस उनकी छाया तक भी नहीं पास की। अपने अज्ञात वास में अरुणा जी गांधी जी से तीन बार मिली यह सत्य है कि गांधी जी के साथ सदैव ही सी० आई० डी० डिपार्टमेंट का संगठन लगा रहता है पर आश्चर्य है कि अरुणा जी ने न मालूम उन्हें भी कैसे चकमा दिया। हालांकि इन दिनों में कई बार आप पुलिस के हाथ आते आते बची यदि उस समय कोई साधारण व्यक्तित्व वाली स्त्री होती तो निश्चय ही गिरफ्तार हो जाती पर अरुणा ने अपने व्यक्तित्व दृढ़ता और कर्तव्य परायणता से वह अवसर ऐसे टाले कि उन पर पुरुष कार्यकर्ताओं को भी आश्चर्य हो सकता है।

इलाहाबाद में उनकी माता जी मृत्यु शय्या पर थी कि अरुणा जी को सन्देश मिला कि माता जी उनसे मिलना चाहती हैं। पुलिस ने इस बात को ताड़ लिया और वह पूरा मकान घेर लिया गया, अरुणा जी इलाहाबाद पहुंची उन्होंने भी स्थिति की गम्भीरता को समझा और एक खिड़की के द्वारा (जहां से घुसने की किसी को कल्पना भी नहीं थी) आप मकान में कूद गई अन्तिम समय में मां पुत्री का मिलना था, ओह! कितना हृदय विदारक दृश्य था अरुणा जी की गोद में ही माता ने अंतिम सांस ली, इसी बीच सन्देह हुआ कि शायद पुलिस को सन्देह होगया है, अरुणा कर्तव्य के आगे देश के आगे प्रेम को भूलकर कलेजे को पत्थर का बना कर मां के शव को उसी प्रकार छोड़कर बाहर होगई। वाहरे! स्वार्थ त्याग।

एक बार कलकते में जिस स्थान पर आप रहती थीं वहां की पुलिस को पता चल गया अब अपरिचित स्थान में एक दम किसके पास जांय आपने अखबार में एक विज्ञापन देखा कि किसी परिवार में एक योरोपि-यन महिला की आवश्यकता है, आप वहां जाकर मिलीं और अपने व्यक्तिगत से उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने योरोपियन महिला के स्थान पर इन्हें नियुक्त कर दिया और इस प्रकार सङ्कट टल गया।

इसी तरह एक बार आप रूगणात्मा में एक अमीर घराने मे ठहरीं हुई थी कि वहां अचानक एक बड़ा पुलिस आफ़सर आगया जो इन्हें पहिचानता था पर इनके त्याग, कर्तव्यपरायणता और व्यक्तित्व से पूरी तरह प्रभावित था। पहिले तो यह झिझकी पर फिर संभल कर जो इन्होंने बातचीत की और उसे प्रभावित किया तो अन्त में वह अफसर बात गुप्त रखने का आश्वासन देकर चला गया। इस प्रकार सैकड़ों अवसर आए पर अरुणा ने कभी चिन्ता नहीं की वह खुले आम कार में घूमती रहती थीं चौराहों पर रास्तों पर कार्यकर्त्ताओं से मिलती थीं उन्हें आदेश

देती थी और रिपोर्ट लेती थी। सन् १९४२ में अन्दोलन के दिनो मे आप बम्बई में ही श्री राम मनोहर लोहिया और श्री अच्युत पटवर्धन के साथ काम करती रही बाद मैं देहली आकर आप भारत के सारे आंदोलन का संचालन और मजदूरों में कार्य करती रही, १९४२ में बंगाल के भयानक अकाल ने आपकी आत्मा को आंदोलित करदिया और आप उनकी सहायतार्थ बंगाल दौड़ गई जहां आपने अकाल पीड़ितों की सहायतार्थ बड़ा भारी कार्य किया। १९४५ में किसी अज्ञात स्थान से आपने श्री अच्युत पटवर्धन के साथ कांग्रेस प्रेसीडेन्ट मौलाना आजाद को एक एतिहासिक पत्र लिखा।

अन्त में १९४६ का सुनहला प्रभात आया देश के राजनैतिक कैदी छोड़ दिए गए, गवर्नमेंट कांग्रेस से समझौता करने को हुई और उसी दौर में २६ जनवरी १९४६ को आप का वारन्ट रद्द कर दिया गया। और और समस्त प्रति बन्ध हटा लिए गए। इस प्रकार एक अबला कहे जाने वाली साधारण नारी ने भारत वर्ष की स्वाधीनता संग्राम में जो महत्व पूर्ण पार्ट अदा किया है भारत की आगे आने वाली सन्तानें उन्हें गर्व से याद किया करेंगी।

वीर श्रेष्ठ अच्युत पटवर्धन

चंपईरङ्ग का सुकुमार शरीर, ठिगनी सी काया, मुख पर सहज सुकोमल मुस्कान, दूर तक देखने वाली आखें चाल ढाल में स्फूर्ति, अपने सब काम को स्वयं अपने हाथ से करने की तत्परता, महाराष्ट्रियन ढंग का शुद्ध खद्दर का पहिनावा, इस रूप में सितारा ज़िले में आप कहीं भी सन ४२ की सफल क्रांति के नेता श्री अच्युत पटवर्धन को पहचान सकते हैं। यह वह वीर है जिसने सन ४२ से सन ४६ तक निरन्तर चार वर्ष महान् ब्रिटिश साम्राज्य की सारी शक्तियों से टक्कर ली, जिसने ब्रिटिश राजनीतियों का दिवालियापन सारे संसार के सामने प्रगट कर दिया। जिसे गिरफ्तार करने के लिए ५०००) रु० का इनाम घोषित किया गया, बड़े बड़े होशियार चलते पुरजे, पुलिस, फौज और सी० आई० के अफ़सर सितारा भेजे गये पर वह वहां से इसी साधारण से व्यक्ति का सितारा जैसे छोटे से ज़िले में पता नहीं लगा सके, जब कि यह भारत मां का लाल दुखियों और गरीबों का प्यारा एक मिनट भी शांति से नहीं बैठता था जिले के ७०० गावों में बराबर घूम कर वहां की जनता को सांत्वना देता था, अपना राष्ट्रीय पुलिस के अफसरों के नाम आदेश निकालता था, राष्ट्रीय अदालतों के दिए हुए फैसलों को पूरा कराने की व्यवस्था करता था, डाक इधर से उधर ले जाने की व्यवस्था करता था गुप्त कांग्रेस रेडियो के नाम से सारे संसार के नाम संदेश ब्राडकास्ट करता था। क्रांति कारियों की मीटिंग में शामिल होने के लिए बम्बई भी आता जाता था। अत्याचारियों और देश द्रोहियों को सजा भी दिलाता था और खुले आम गांव की जनता में भाषण भी देता था और कभी २ शांत के समय सितार और बेला भी बजाता था।

पुलिस और फौज के अन्यायी अधिकारियों ने अच्युत पटवर्धन और उनकी सरकार का पता पूछने के लिए सितारा जिले में निरीह जनता पर जो अत्याचार किए हैं वह किसी भी भयंकर हत्याकांड और नारकीय यातनाओं से अधिक वीभत्स है पर वाह रे महाराष्ट्र और वहां बसने वाले शिवाजी के वंशज निवासी। मानव शरीर छेदते २ संगीनों की नोकें बोथरी हो गई, गोलियों की पेटियां खाली हो गई, जेलखानों की चार दीवारियां पट गई पर निरंतर चार वर्ष तक जनता ने अपने नेताओं के पते नहीं दिये।

मौलाना अब्दुलकलाम आज़ाद के नाम

श्री अच्युत पटवर्धन और अरुणा आसफअली

का

खुला पत्र

प्रिय मौलाना साहब !

कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा ११ सितम्बर १९४५ को अहिंसा के सिद्धांत पर "जो प्रस्ताव पास हुआ था उसका हमने ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया है बीते हुये तीन सालों में जो घटनायें घटित हुई हैं उन घटनाओं पर लागू होने वाले उसके रूप पर भी हमने विचार कर लिया है। इसके वर्तमान प्रयोग और भविष्य में होने वाले किसी आंदोलन में जो वास्तव में जनता का आंदोलन होगा उसके प्रभाव का भी विश्लेषण हमने कर लिया है आपने व्यक्तिगत रूप से इस प्रस्ताव की जो व्याख्या की है उसमें यह अच्छी तरह मालूम हो जाता है कि यह नीति किस उद्देश्य को लेकर निर्धारित की गई है क्यों कि इस प्रस्ताव में विगत तीन वर्षों की होने वाली घटनाओं पर कांग्रेस कार्य समिति के सुचिन्तन विचार समाहित हैं इस लिए इस विषय में हमारा और हमारे उन सब साथियों का जिनका इन घटनाओं से निकटतम सम्बंध है यह कर्त्तव्य हो जाता है कि आपके कारावास काल में घटित और व्यवहृत इन सब घटनाओं और नीतियों के सम्बंध में अपनी स्थिति और उत्तरदायित्व के विषय में अपना खुलासा करदें:— प्रस्ताव के प्रथम वाक्य में ही वर्णित है कि "प्रमुख कांग्रेस जनों की गिरफ्तारी के बाद······नेतृत्व विहीन जनता ने स्वयं काम

किया," किन्तु घटनाओं का सही लेखा नहीं है। आपकी गिरफ्तारी के बाद भी विभिन्न प्रांतों के बहुत से प्रमुख कांग्रेसी कार्यकर्त्ता जो कि कांग्रेस में अपना जिम्मेदार स्थान रखते हैं बम्बई में रह गए थे। हम में से कुछ ऐसे भी थे जिनका गांधी जी के सत्य और अहिंसा में अटूट विश्वास है। हमने तथा हमारे साथियों ने अपना यह कर्त्तव्य समझ कर कि ८ अगस्त सन् १९४२ के प्रस्ताव को उसके कार्यान्वित करने के इच्छुक हजारों कांग्रेसजनों तक पहुंचना हमारा कर्तव्य है, एक संगठन किया, हमने इस आवश्यकता को भी अनुभव किया कि गुलामी के पट्टे को फेंकती जनता को नेतृत्व की आवश्यकता है। समय समय पर अपील, घोषणायें; व्याख्यानों और हिदायतें जो कि कांग्रेस रेडियो से घोषित होती थीं अ० भा कांग्रेस समिति के नाम से आपकी गिरफ्तारी के बाद से भी निकलनी प्रारम्भ हो गई थी। यदि हम अपने किये कामों के विषय में ही बोल रहे हैं तो इसका कारण यही है कि जो योजनायें और कार्यक्रम हमने कांग्रेस कार्य समिति के नाम पर इस पूरे समय में किये उनकी जिम्मेदारी स्वयं अपने ऊपर लेलें। इस प्रकार के उत्तरदायित्व के ग्रहण करने के हमारे अधिकार का कभी विरोध नहीं किया गया, बल्कि जनता ने हमारा साथ दिया! स्वतन्त्र होकर कार्य करने की कांग्रेस की पुकार से प्रेरित होकर जो कार्य किये वह निकट अतीत के इतिहास में असाधारण घटना है। एक बार जब लोगों ने अपना विद्रोही कदम उठा लिया तब उनको यह आवश्यकता प्रतीत हुई कि उन्हें प्रभावशाली और निर्भीक नेतृत्व मिले, इस भीषण कार्य में जिस सीमा तक संगठन करने की उनमें शक्ति थी उन्होंने संगठन किया। एक दफा तो उनकी प्रतिभा ने ब्रिटिश राज्य के संगठन और शक्ति पर विजय प्राप्त करली थी तोड़ फोड़ शासकों पर आक्रमण और सामाजिक बहिष्कार को छोड़ कर बहुत सी हिदायतें दी जाती हैं।

सैद्धान्तिक व्यवहारिकता

जहां तक अहिंसा का सम्बन्ध है कांग्रेस ने मजबूर होकर अपनायी है। समय समय पर व्यवहारिकता की मांग में उसने अपने दायरे की व्याख्या की है। भूत काल में कांग्रेस कार्य समिति ने गांधी वादी कथित अहिंसा की अनुगमन करने से साफ इन्कार कर दिया है! इस विचार को सिद्ध करने के लिये रिकार्ड में दर्ज हुए प्रस्ताव मौजूद हैं। हम स्वयं गांधी जी की फिलासफी के सामाजिक मूल्य से पूरी तरह प्रभावित हैं। किन्तु हम उसके केवल व्यवहारिक और उदार रूप को ही स्वीकार करते हैं। यदि हम अपने ऊपर शासन करने वालों को छोड़ कर उस विधान से लड़ते हैं जो अन्याय युक्त है तो इसका यही अर्थ होता है कि हम अहिंसक हैं जीवन और व्यक्तिगत सम्पत्ति का आदर करना तो अहिंसा भी सिखाती है। कांग्रेसी आज्ञा पत्र ने हमको जो आदेश भेजे हैं उनमें इन्हीं आदेशों पर जोर दिया गया है कि यदि सेना पुलिस अकारण दमन करती है तब सरलता से उस परिस्थिति को दूर नहीं किया जा सकता। प्रतिरोधी के सम्मुख केवल दो मार्ग रह जाते हैं: प्रथम तो यह किया तो वह पूरी शक्ति से उसका सामना करे या उसके नाम पर कलङ्क लगाने वाले को आत्म समर्पण करे। जुलाई सन १९४२ के कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव से हमने अपना मार्ग निर्धारित किया था कि "प्रत्येक आक्रमण का सामना होना चाहिए क्यों कि झुकने का अर्थ होगा भारतीय जनता को कलङ्कित करना और दासता की बेड़ियों को मजबूत करना है"। कांग्रेस जापानी सरकार या किसी भी विदेशी आक्रमणकारी का डटकर प्रतिरोध करने का इरादा रखती है। पोलैंड के निवासियों ने अपनी आत्म रक्षा के लिए जो प्रतिरोध किया था, उसके विषय में गांधी जी के सुविदित विचारों का भी हमें ध्यान है कुछ सीमाओं के अन्दर

ब्रिटिश सरकार को सशस्त्र सहायता देने का प्रस्ताव भी हमें भली भांति याद है। आपके जेल से छूट जाने के पश्चात् एक्जीक्यूटिव कौंसिल में सम्मिलित हो जाने के सिद्धांत से भी मालूम होता है कि हमारा कार्य कांग्रेस नीति के विरुद्ध नहीं है क्यों कि उस समय भी बर्मा और इन्डोनेशिया को विजय करना बाक़ी था। वरना हमें तो यह नीति साधारण बनानी पड़ेगी कि जो कार्य ब्रिटेन के साथ मिलकर किया जाता है वह तो सुग्राह्य हो जाता है यदि उसके विरुद्ध किये जाते हैं तो असम्मत हो जाते हैं; तथापि यह सम्भव है कि कुछ विशेष परिस्थितियों के भीतर किए जाने वाले कार्यों पर भी निष्पक्ष मत भेद की हर समय गुंजाइश है। जो कुछ हमने कहा वह उन्हीं घटनाओं से सम्बन्ध रखता है जो आपकी बलात नजरबन्दी के अर्से में घटित हुई थी।

जनता को आदेश

जितना उत्तरदायित्व प्रस्तुत प्रस्ताव के सिलसिले में आपकी धारणा के अनुसार हमारे ऊपर आता है उसको स्वीकार करने में हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। इससे इस सत्य में कुछ कमी नहीं आती कि सर्वव्यापक तात्विक विद्रोह स्वप्रेरित नहीं था। हां: हमने इस बिसाल जनशक्ति को कुछ नेतृत्व अवश्य दिया था क्यों कि उसके अभाव में यह आंदोलन महीनों और हफ्तों व दिनों भी नहीं चलता। कांग्रेस ने अपने इस निश्चय की घोषणा कर दी थी कि वह अहिंसात्मक रूप से एक व्यापक जन आंदोलन करने वाली है। "प्रत्येक भारतीय जो स्वतन्त्रता की इच्छा रखता है उसके लिए प्रयत्न शील है" उसे अपना नेता स्वयं ही बनाना था और अपने को ऐसे पथ पर चालू करना था जहां कोई विश्राम स्थान नहीं है किंतु यह तो स्पष्ट है कि प्रेरणा और सङ्गठन प्रत्येक मनुष्य स्वयं ही प्राप्त नहीं कर सकता। कुछ कांग्रेस जनों और महिलाओं ने इस

अभाव की पूर्ति करने का प्रयत्न किया तथापि आपने सत्य को जान बूझ कर अपेक्षा की है कि आपकी अनुपस्थिति में हम लोगों में से कुछ ने इरादे के साथ निर्देश और नेतृत्व देने का प्रयत्न किया। आपने निश्चय से कहा है कि नेतृत्व देने का प्रकार कांग्रेस की नीति के विरुद्ध था तब हमारे सम्मुख दो कमजोरियां आजाती हैं। प्रथम तो यह कि जो कुछ हुआ उसे हम जनता के स्वप्रेरित विद्रोह का प्रति फल पुकारें और आपके न्याय को भविष्य में होने वाले किसी आंदोलन के लिए नसीहत रूप में स्वीकार करलें। यह भी हो सकता है कि हम अपने को जिम्मेदार न समझें और चुपचाप आपकी नसीहत मानकर बैठ जायें किन्तु हमारा सत्य हमको इस सरल मार्ग को ग्रहण करने से रोकता है हमको बार बार चेतावनी दी गई थी। कि हमारी कार्यवाही को ठुकराया जा सकता है, कांग्रेस उसे स्वीकार नहीं कर सकती, तथापि हम अपने पथ पर विश्वास के साथ चलते रहे और हमने वैध रीति से जनता की प्रतिरोध करने की शक्ति को प्रबल करने का भरसक प्रयत्न किया। हम अपनी अन्तप्रेरणा से अपने विचारों को पुनः स्वीकार करते हैं और उसके परिणाम भुगतने को तैयार हैं। हमने जनता पर कोई खास व्यवस्था नहीं लादी थी बल्कि हमने जगह जगह पर विद्रोह करने वाली जनता का अध्ययन किया था और उस अध्ययन के बल पर निष्कर्ष निकाला था। हम यथाशक्ति और यथाबुद्धि सुदूर स्थानों पर जनता को लाभान्वित करने का प्रयत्न करते थे हमारे आदेशों को मान कर सहस्रों लोगों ने अपने जीवन को खतरे में डाला था। यदि हम ऐसे समय नेतृत्व को अपने ऊपर नहीं लेते तो कायरता होती। हम अंग्रेज़ी विधान के विरुद्ध कोई व्यक्तिगत युद्ध नहीं कर रहे थे।

—अरुणा आसफअली

—अच्युत पटवर्धन

डा० राम मनोहर लोहिया

अगस्त १९४२ के आन्दोलन में अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के साथ २ कांग्रेस रेडियो का संगठन और उसका कार्य अत्यन्त महत्व रखता था। जिस समय सारे देश में क्रांति की लहर फैल चुकी थी, स्थान स्थान पर जलसे, जलूस, तोड़-फोड़ और अन्य विध्वंसक कार्य हो रहे थे और ब्रिटिश साम्राज्य की सारी शक्ति उस आन्दोलन को दबाने में लगी हुई. समाचार पत्रों पर सेंसर था, तार, टेलीफोन और डाक पर सी० आई० डी० का नियन्त्रण था। यातायात के साधन अस्त व्यस्त थे। प्रत्येक स्थान का प्रमुख कार्यकर्ता गिरफ्तार हो चुका था, जनता को सही पथ प्रदर्शन और वास्तविक समाचारों की आवश्यकता थी। उस समय कांग्रेस रेडियो ने जो ब्राडकास्ट, समाचार और सूचनायें, कार्यकर्ताओं, विदेशी सरकारों और जनता को दी। उसने न केवल आन्दोलन को जीवित रखा बल्कि उसे आगे बढ़ने में बहुत बड़ी सहायता दी। सब से पहले १४ अगस्त को ४२.३४ मीटर पर एक ओजस्वी भाषण ब्राडकास्ट हुआ जिसने कार्यकर्ताओं में नवजीवन का संचार कर दिया और उन्हें यह मालूम हो गया कि सारे आन्दोलन के पीछे कोई शक्तिशाली संगठन कार्य कर रहा है। ४ महीने तक पुलिस इस रेडियो और इस पर ब्राडकास्ट करने वाले व्यक्ति की तलाश में रही। अन्त में १२ नवम्बर को पुलिस ने रेडियो का पता लगा लिया और उसे जब्त कर लिया, उसका संचालन करने वाली श्रीमती उषा मेहता गिरफ्तार कर ली गई पर ब्राडकास्ट करने वाले युवक की परछाई भी पुलिस को मालूम नहीं हुई और पहली बार उसे मालूम हुआ रेडियो पर ओजस्वी भाषण करने

वाला मारवाड़ी कुल में पैदा हुआ दुबला, पतला, ३२ साल की आयु वाला नवयुवक डा० राममनोहर लोहिया है।

अगस्त में महाक्रांति आरम्भ होने पर आप उसमें कूद पड़े। आपने १८ महीने अज्ञात रहकर कार्य किया जिसमें श्री उषा महता और बाबू भाई और विट्ठल भाई के साथ मिलकर रेडियो संचालन का कार्य था। आपके पास देश के विभिन्न भागों से संवाददाताओं की तरफ से आन्दोलन के समाचार आते थे जिन्हें आप लिखकर ब्राडकास्ट करते थे। आरष्ट्री, चिमूर, बलिया के अत्याचार और गौरवपूर्ण त्याग का हाल सर्व प्रथम आपने ही देश को दिया था, चटगांव आदि के हवाई हमले की खबर भी आपने ही देश को दी थी। नवम्बर में कांग्रेस रेडियो का पता पुलिस को लग गया और आप कलकत्ते चले गये। वहां आप जयप्रकाश बाबू से, जो हजारी बाग जेल से भाग चुके थे, मिले। आन्दोलन को संगठित करने और चलाने के सम्बन्ध में आपस में सलाह मशवरा हुआ जिसमें आपके सुपुर्द उत्तर भारत का सङ्गठन पड़ा। आप वहां कार्य करते रहे पीछे जयप्रकाश नारायण के साथ नैपाल चले गये, जहां आप ने उनके साथ मिलकर आज़ाद हिन्द फौज सङ्गठित की। २४ मई सन ४३ को नैपाल सरकार ने इन्हें जयप्रकाश नारायण और अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया, पीछे आप लोगों द्वारा सङ्गठित आज़ाद हिन्द फौज ने ही आपको छुड़ा लिया। उसके बाद आप क्रांतकारियों का मध्य भारत में सङ्गठन करते हुए बंगाल पहुंचे और वहां जनवरी ४४ में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। आपको श्री जयप्रकाशनारायण के साथ लाहौर के ऐतिहासिक किले में रखा गया और उस समय उनके साथ जो यातनाएँ इन्हें दीगई उनका वर्णन करते हुए लेखनी कांप उठती है। अन्त में जयप्रकाशनारायण के साथ इन्हें वहां से आगरा जेल भेज दिया। वहां १ माह रहकर १३ अप्रैल सन ४६ को रिहा कर दिए गए।

अगस्त आंदोलन की आकाशवाणी की संयोजिका

कुमारी उषा मेहता

दुबली-पतली क्षीण काया में शक्तिशाली कर्मशील आत्मा लिए कुमारी उषा मेहता ने बम्बई युनिवर्सिटी से पाई हुई एम०ए०एल-एल० बी० की शिक्षा को अगस्त आंदोलन में कांग्रेस रेडियो संचालित कर सार्थक कर दिया है। आपने नवयुवकों की एक टोली के साथ लोहियाजी के नेतृत्व में ऐन पुलिस की आँख के नीचे गिरगांव (बम्बई) में गुप्त ध्वनि विस्तारक यन्त्र का सङ्गठन किया। आप उससे देशव्यापी आंदोलन के पक्ष में और सरकारी दमन के समाचार एवं विचार सुनाती थीं। शामको ७॥ बजे आप अंग्रेज़ी में भी बोलती थीं। आपको गिरफ्तार करने की पुलिस ने भरसक कोशिश की पर आप बराबर अपना अस्थायी रेडियो-सेट कहीं बिस्तर में, कहीं टोप में, कहीं टिफन-कैरियर में रखकर गायब हो जाती थीं। पुलिस की आँखों में धूल झोंकने के लिए रोज नये नये मकान किराये पर लिये जाते थे और वहां से ध्वनि-विस्तार का काम होता था। आप ४२-३४ मीटर पर बोलती थीं, इनके अपने 'काल साइन' और वेव लैंग्थ आदि सभी थे। भारत सरकार के आ० इ० रेडियो ने विरोधी लहरें भी छोड़ी पर इनका तब भी कुछ नहीं बिगड़ सका, आपकी वैज्ञानिक योग्यता का अन्दाज़ा इसी बात से लग सकता है। एक बार तो आप ऐसे मकान को किराये पर लेने पहुंच गईं जहां गैरकानूनी रेडियो पकड़ने की मशीन लगी हुई थी, तब आप गैरकानूनी रेडियो चलानेवालों को गालियां सुनाकर ही वहां से निकल गईं।

एक बार पुलिस ने इन्हें और इनके साथियों को एक मकान में घेर लिया तो वहां उन्होंने अन्य साथी पकड़े न जायें इसलिए एक दर्जन सी० आई० डी० अफसरों की नाक के नीचे फायलें नष्ट कीं और आप बहाना बताकर वहां से साफ निकल गईं। आपने वहां से निकल कर जहां रिकार्डिङ्ग होता था, वहां जाकर लोहिया जी आदि को सचेत किया और उसी रात सारे खतरे जानते हुए भी आपने कार्यक्रम बन्द न रखकर कार्य आरम्भ कर दिया। तय यह हुआ कि एक यन्त्र से काम लिया जाये और दूसरा स्थानान्तरित किया जावे। जिस समय आप बोल रही थीं ५० पुलिसमैनों के साथ डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट ने उस मकान को घेर लिया और तीन दरवाजे तोड़कर अन्दर घुसे, कुमारी उषा मेहता शांति-पूर्वक अपना ब्राडकास्ट करती रहीं। पूरे ३॥ घण्टे के प्रयत्न के बाद कुमारी उषा मेहता अपनी कर्मभूमि पर गिरफ्तार हुईं और इस अपराध में चार वर्ष का कठोर कारावास हुआ। कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल ने आते ही तीन वर्ष की जेल भोगने के बाद आपको रिहा किया।

गोरखपुर के गांधी

बाबा राघवदास

अगस्त ४२ की विद्रोह की घड़ियों में ही गोरखपुर की विक्षुब्ध जनता को जब बाबा राघवदास को अचानक लखनऊ स्टेशन पर वहां की सी० आई० डी० पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लेने की सूचना मिली तो वह और भी उग्र हो उठी उसके परिणाम स्वरूप गोरखपुर में और भी अधिक कार्य हुआ। यद्यपि बाबा राघवदास बहुत दिन तक भूमिगत रहे थे, उन्होंने गोरखपुर ही नहीं प्रत्युत समस्त भारतवर्ष की जनता को गांव गांव घूमकर जो विद्रोही सन्देश दिया, वह क्रांति की चिनगारी का काम कर गया।

वे लाख–लाख जनता के पथ प्रदर्शक और अभिनेता थे। उनकी तलाश में समस्त भारत की पुलिस पागल हो उठी थी। गरीबों के सहायक और त्रस्तों के उपचारक के रूप में वे गोरखपुर में पुज रहे थे। अपनी कल्याणी वाणी का प्रसाद उन्होंने गोरखपुर की जनता को देकर उसे भावी समर के लिए तैयार कर दिया था। गुलाम देश में ऐसे वीतराग तपस्वी सन्यासी का विश्व–कल्याण का उपदेश देना भी अभिशाप के रूप में परिवर्तित हो गया और नौकरशाही उनसे सदा सशंक रहने लगी। फलस्वरूप उनको अगस्त–क्रांति के सेनानी के रूप वह न देख सकी।

बाबा राघवदास जी यों तो महाराष्ट्रीय है, मगर उनके जीवन का सारा महत्वपूर्ण भाग गोरखपुर में ही बीता है। बाबा जी सन १९२० से ही इस जिले के राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृति क्षेत्र में सक्रिय

भाग ले रहे थे। जिले की बेहद ग़रीबी और भयानक दुर्दशा ने ही एक बीतराग सन्यासी को कर्म–क्षेत्र का मूक निमंत्रण दिया और उन्होंने वहां की जनता की वह सेवा की कि जिसके परिणाम स्वरूप आज उस प्रांत का बच्चा–बच्चा उन्हें 'गोरखपुर के गांधी' के रूप में जानता है। गोरख पुर जिले में जो जागृति और बलिदान की भावना हमें इस आन्दोलन में दृष्टिगत हुई, वह सब बाबा जी के ही अथक परिश्रम तथा त्याग का परिणाम है।

योग-साधन की ओर

कालिज की शिक्षा छोड़कर उनकी प्रवृत्ति योग-साधन की ओर हुई और वे इसी अभिलाषा में दर-दर की खाक छानते, इधर से उधर भटकते रहे। आज के बाबा राघवदास उस समय के राघवेन्द्र थे। उनका पूर्व नाम यही था। घूमते–घूमते आप गोरखपुर के समीप बरहज नामक स्थान में पहुंचे और वहां के परमहंस श्री अनंत महाप्रभु की सेवा में ही लीन हो गए। बीच में परिस्थितिवश बाबा जी को वह स्थान छोड़ना पड़ा तथा वर्षों तक उत्तर भारत की प्रसिद्ध शिक्षा संस्था ज्वालापुर महाविद्या-लय में भी रहे। फिर महाप्रभु के देहावसान के बाद आप फिर गोरखपुर चले गए और बरहज के परमहंस आश्रम को ही अपनी विविध प्रवृतियों का केन्द्र बनाया। वहां पर बाबा जी अपने गुरुदेव की गुफा में पूरे एक वर्ष तक रहकर तपस्या करते रहे। उन दिनों आप केवल दूध ही पीते थे।

सन १९२० में बापू का आह्वान हुआ। सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ हुआ बाबा जी ने अपनी सब प्रवृतियां बापू के चरणों में अर्पित कर दीं। उसी समय से गांधी जी के मार्ग पर आप निरंतर उन्हीं के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते रहे।

जन-सेवा

आपके द्वारा संस्थापित परमहंस अनन्त आश्रम बरहज सबसे बड़ी संस्था है। जिसमें संस्कृत कालेज, श्रीकृष्ण हाईस्कूल, ग्रामोद्योग विद्यालय, राष्ट्रभाषा विद्यालय, परशुराम चण्डिका वेद विद्यालय, श्री लाजपत अनाथालय मुख्य हैं। श्री लाजपत अनाथालय सन ४२ के विद्रोह मे नौकरशाही की आज्ञा से नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया।

इसके अतिरिक्त बाबाजी ने बीस मिडिल स्कूल, कसिया में बुद्ध हाई स्कूल और बुद्ध धर्मशाला, बिरलाजी के सहयोग से बनवाई। सन १९३५-३६ की ऐतिहासिक बाढ़ में आपने गोरखपुर की बाढ़ पीड़ित जनता की अन्न तथा वस्त्रों द्वारा अकथनीय सेवा की। वहां के किसान बाबा जी को अपना प्राण-रक्षक समझते हैं।

गगहा, बास गांव के बांध का निर्माण करने में युक्त प्रांतीय सरकार परेशान थी और वह उस पर हजारों रुपये व्यय करने की योजना बना रही थी। बाबाजी ने देखते २ स्वयं कुदाल अपने हाथमें उठाकर, जनता के सहयोग से वह बांध बात की बात में अविलम्ब तैयार करा दिया। बाबाजी की सक्रिय भावना ही इसमें काम कर रही थी।

४२ की क्रांति के सेनानी

४२ में फिर रण-भेरी बजी और बाबा जी उसे इधर उधर प्रसारित करने में सबसे आगे रहे। उन्होने अपने फरार जीवन में बड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना किया, परन्तु फिर भी आपका उत्साह मन्द नहीं पड़ा। एक दिन अचानक आप गिरफ्तार कर लिए गए और जेल के सीखचों में बन्द कर दिए गए। इस बार के जेल-जीवन में बाबा जी को अनेक यातनाएँ दी गईं। उनके गिरते हुए स्वास्थ्य के समाचार पाकर जनता में बराबर उनकी रिहाई के लिए आंदोलन हुआ, परन्तु अन्यायी

सरकार अडिग रही पत्थर की तरह । अन्त में जब कांग्रेसी सरकार बनी तो आपको १९४६ के अप्रैल मास में रिहा किया गया । आप जैसे कर्मठ सेनानियों पर किसी भी भारतीय को गर्व हो सकता है ।

बाबा जी का फरार जीवन

अगस्त आंदोलन के दिनों में बाबा राघवदास ने अपने फरार–जीवन का वर्णन इस प्रकार किया है—"कुछ लोगों का कहना है कि मैं शूट-बूट और हैट धारण करता था और रेल में ऊँचे दरजे में यात्रा करता था; किन्तु ये दोनों बातें सर्वथा भ्रमपूर्ण हैं। मैं सदा से यह मानता आया हूँ कि हमें वही कार्य करना है, जिससे हमारे साथियों में भी दृढ़ता और नैतिकता बनी रहे। जुलाई १९४२ में जब मैं जेल से मुक्त हुआ तो बाहर आने पर शारीरिक दुर्बलता में ही मुझे सभी काम करने पड़े। मैंने उचित नहीं समझा कि शारीरिक कमजोरी को सहन करते हुए अपनी नैतिक कमजोरी बढ़ा दूँ इसीलिए मैं स्वाभाविक वेश और नाम में आवश्यकतानुसार घूमा करता था। इतना ही नहीं, दिल्ली, मद्रास और बड़ौदा आदि बड़े बड़े स्टेशनों पर, जहाँ यात्रियों को सामान रखने की व्यवस्था है, अपने हस्ताक्षर करके अपने दैनिक ढङ्ग से ही कार्य किया करता था। ८ सितम्बर १९४२ को दिल्ली, २९ अक्टूबर १९४२ को मद्रास और २४ अगस्त को बम्बई के स्टेशनों पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

मै अपने स्वाभावानुसार सदा तीसरे दरजे में ही यात्रा किया करता था। ट्रेन खुलने से आध घण्टे पूर्व ही मैं स्टेशनों पर पहुंचकर कभी-कभी गाड़ी में बैठ जाया करता था। मैं प्रायः प्रयाग, कानपुर, बनारस और लखनऊ आदि स्टेशनों पर अपने इसी वेश में, कभी-कभी तो दिन में भी गया हूँ। कहा जाता है कि पुलिस हर समय मेरी ताक में रहती थी, किन्तु मुझे तो ऐसा ज्ञात होता है कि मुझपर उसकी कृपा थी।

मेरा तो निजी अनुभव यह है कि जहां कहीं भी फरारों की गिरफ्तारियां हुईं, वे तरह-तरह के नाम धारण करने वाले और पहले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ही हुईं। इसके बदले में उन्हें बड़ी-बड़ी रकमें हाथ लगीं। इस आंदोलन में हमें वहां से सहानुभूति प्राप्त हुई जहां से कभी भी आशा नहीं थी। और ऐसे स्थानों पर हमें धोखा खाना पड़ा, जहां से स्वप्न में भी धोखा होने की कल्पना नहीं की जा सकती थी। अबकी बार राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को यह शिक्षा मिली कि उन्हें कहां विश्वास करना चाहिए और कहां नहीं? उन्हें यह भी अनुभव हुआ कि देहातों के साधारण लोगों और छात्रों में कितना असीम उत्साह और बल है। उससे युक्तिपूर्वक लाभ उठाया जा सकता है।

नौकरशाही कहती थी कि हमने कांग्रेस को कुचल दिया है; परन्तु अहमदाबाद के मिल मजदूरों की सफल हड़ताल, चिमूर-कांड का पीड़ित बहनों के प्रति सहानुभूति तथा न्याय प्राप्त करने के लिए प्रोफेसर भंसाली भाई के ७४ दिन के अनशन में हजारों स्त्रियों और पुरुषों का उनके पास जाकर सहानुभूति दिखलाना; पूज्य बापू के अनशन के समय उनकी स्वास्थ्य-रक्षा और चिरायु के लिए देश के कोने कोने में की जाने वाली प्रार्थनायें आदि बातें कांग्रेस के जीवित होने का प्रमाण देती हैं।

जून १९४३ में कुछ मित्रों ने निश्चय किया की पूना में सत्याग्रह करने के लिए बाहर से अधिक से अधिक संख्या में भाई-बहनो को भेजा जाय। उस समय सभी प्रकार की रुकावटों के होते हुए भी प्राय: सभी प्रान्तों से छः सात सौ भाई-बहनें पूना और बम्बई पहुंचे, जिनमे दो-तीन सौ की गिरफ्तारी मार्ग में ही हो गई थी।

२६ जनवरी सन् १९४४ को जब बड़े लाट की कोठी के सामने दिल्ली में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, उस अवसर पर कुछ मित्रों को

अन्देशा था कि वहाँ जो जायगा, गोली का शिकार बन जायगा। उस अवस्था में भी श्रीराम शर्मा 'प्रेम' के नेतृत्व में २५ स्वयंसेवक खाकी वर्दी में तिरंगे झंडों के साथ तांगों में बैठकर वहां जा पहुंचे। वहां पर राष्ट्रीय नारों और झंडाभिवादन के बाद सैकड़ों दर्शकों में स्वाधीनता दिवस के छपे प्रतिज्ञा-पत्र बांटे गए। उन दर्शकों में अधिकांश वायसराय के दफ्तर में काम करने वाले भारतीय कर्मचारी थे। इसी प्रकार १३ अप्रेल १९४४ को लखनऊ में कौंसिल हाउस के सामने राष्ट्रीय झंडों के साथ तेरह-चौदह स्वयं सेवकों ने श्री मर्यादा तिवारी के तत्वावधान पहुंच कर झंडाभिवादन किया जबकि हैलेटशाही के आतंक से झंडा लेकर चलना भी मृत्यु को आमन्त्रण देना था।

इन बातों से यह स्पष्ट है कि कांग्रेस को जीवित रखने के लिए भीतर ही भीतर स्वातन्त्र्य-भावना की आग सुलग रही थी और उसका सदुपयोग करना ही हमारा काम था। इससे यह भी सिद्ध होगया कि नौकरशाही का यह कहना कि उसने कांग्रेस को कुचल दिया था, निराभ्रम था।

हवलदार रामानन्द तिवारी

१८५७ के सिपाही विद्रोह के बाद यह पहला अवसर था जब सिपाहियों ने ब्रिटिश सरकारके विरुद्ध खुलकर बगावत की। इसलिये जमशेदपुर के सात सौ हथियार बन्द सिपाहियों का यह विद्रोह ४२ की क्रांति का एक अत्यन्त गौरवमय पृष्ठ है और इसका नेतृत्व किया शाहाबाद जिले के बहादुर सिपाही श्री रामानन्द तिवारी ने।

'हरिजन' का प्रभाव

रामानन्द तिवारी उस समय जमशेदपुर में हवलदार थे। शुरू से ही उन्हें कांग्रेस से दिलचस्पी थी। इसलिये वे सदा खादी पहिनते और गांधी जी का 'हरिजन' पढ़ते। 'हरिजन' पढ़ने से १९४२ का जून आते आते उन्हें यह साफ दीख पड़ने लगा कि एक बार फिर गांधी जी बगावत का झण्डा तुरत खड़ा करेंगे। देर करना हानिकारक होता, इसलिये जून महीने में ही आपने 'इनकलाबी सिपाही दल' नामक एक गुप्त संस्था का सङ्गठन किया। शुरू में इसके तीन सदस्य थे। लेकिन अगस्त क्रांति के बढ़ने के साथ ही इसके सदस्य भी बढ़ने लगे और उनकी संख्या सातसौ तक पहुंच गई।

टाटानगर की हड़ताल

और इस क्रांति का आरम्भ—जहां तक जमशेदपुर के सिपाहियों का सम्बन्ध था—९ अगस्त के अनशन से हुआ जिसमें सभी सिपाहियोंने भाग लिया। १० तारीख को रामानन्द तिवारी ने सभी सिपाहियों को साथ ले कर टाटानगर की मिल के हड़ताल को सफल बनाने में पूरा सहयोग दिया।

उसी दिन रात को तिवारी जी ने सभी सिपाहियों की एक सभा की। वहां निश्चय किया गया कि कोई भी सिपाही, आन्दोलन को कुचलने के लिये किये गये किसी भी काम में सहयोग न करे। १५ अगस्त तक आप ने १२००० परचे छपवा लिये जिनमें सिपाहियों की बगावत का सन्देश दिया गया था। इन परचों को बिहार के सभी हिस्सों में भेजा गया। कुछ परचे बङ्गाल भी गये।

हथियारों, बैंकों पर कब्जा

पुलिस के अफसर हैरत में थे। आखिर क्या किया जाय—उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सातसौ वरदी पहिने हुये हथियार बन्द सिपाहियों का जुलूस हर रोज जनता में एक नया उत्साह भर रहा था पुलिस चौकिया, थाने; इम्पीरियल बैंक, डाकखाना, मेगजीन, खजाना सभी पर बागी सिपाहियों का कब्जा था।

चार सितम्बर को बिहार पुलिस के इन्सपेक्टर जेनरल कॉड जमशेदपुर पहुंचे उन्होंने तिवारी जी से पांच घंटे बातें कीं। तिवारी जी को सब तरह का लालच दिया गया। उनको हवलदार से इंसपेक्टर बनाने का वादा किया गया। लेकिन तिवारी जी अपने पथ से नहीं हटे। सिपाहियों को भी फोड़ने की कोशिश की गई। विहार के सिपाहियों के वेतन में स्थायी और अस्थायी तौर पर बृद्धि भी की गई और महगाई का भत्ता भी बढ़ाया गया। लेकिन वह सब भी बेकार हुआ।

जमशेदपुर का घेरा–गिरफ्तारी

अन्ततः ब्रिटिश संगीने आयीं। मशीनगनों से लैस १५०० गोरे और गोरखे जमशेदपुर पहुंचे। समूचा शहर घेर लिया गया। रामानन्द तिवारी ६३ सिपाहियों के साथ गिरफ्तार कर लिए गये और हजारीबाग सेन्ट्रल जेल में रखे गये। कचहरी में उन्होने अपनी तरफ से बचाव की

कोई सिफारिश नही की। एक लिखित बयान दिया। जिसे बयान न कहकर आगी के उद्गार ही कह सकते हैं।

उसमें आपने साफ कह दिया कि मैं ब्रिटिश सरकार को इक दम नहीं मानता और कांग्रेस को ही हिन्दुस्तान के शासन की अधिकारिणी समझता हूँ। एक साल की सजा इनाम में मिली।

जयप्रकाश के साथ

६ जुलाई १९४३ में जेल से छूटने के बाद आपने श्री जयप्रकाश नारायण के मातहत उनके, गुप्त संगठन में पूरा हिस्सा लिया। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जाना और साथियों को लड़ाई के लिए तैयार करना—यही आपका काम था। इनके नाम से सिपाही दल की फिर से स्थापना की गई। इस तरह आपने डेढ़ वर्ष तक फरार की हालत में काम किया। २६ दिसम्बर १९४४ को आप फिर पकड़ लिए गए। ३१ जनवरी १९४६ को फिर आप रिहा कर दिए गए। बाहर सेण्ट्रल जेल के वार्डरों और सिपाहियों ने आपको विदाई के समय दावत दी थी। तब से आप बिहार के सभी जिलों में पुलिसमैन असोसिएशन कायम करते रहे हैं और आने वाले संग्राम के लिए सब सिपाहियों को तैयार करते रहे हैं।

बम्बई।

बम्बई एक प्रसिद्ध नगर है। यह एक द्वीप पर बसा है तथा विशाल और भव्य बन्दरगाह एवं जहाज़ी गोदियों से युक्त है। यह बड़ी तीव्र गति से कलकत्ता को व्यापारिक क्षेत्र में पछाड़ रहा है। इसकी बनावट ब्रिटिश नगरो से अधिक मिलती-जुलती है, जिससे यह एक अन्तर्राष्ट्रीय स्थान बन गया है। इसका आकार बहुत विस्तृत होते हुए भी यह अन्य नगरों की अपेक्षा अधिक साफ-सुथरा है। शिक्षा, कला विज्ञान, उद्योग तथा व्यापार का यह मुख्य केन्द्र है। भारत के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध व्यापारीगण इसी नगर में हैं तथा उन पर महात्मा गान्धी एवं कांग्रेस का बहुत प्रभाव है। भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन में जब-जब रुपये की आवश्यकता पड़ी है, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को पुष्ट करने में बड़ी मदद की है। यहां के तथा इस प्रांत के मजदूरों पर महात्मा गांधी के प्रयत्नों का बहुत असर पड़ा है। ये सब आपस में एक सुव्यवस्थित संगठन के सूत्र में गुथे हुए हैं तथा उनके व्यवसाय-संघ काफी हद तक राष्ट्रीय हैं और जब-जब भारतीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता का युद्ध छेड़ा है, तब-तब इन संघो ने अपनी एक सुदृढ़ फौज तैयार करके मैदान में लाकर खड़ी कर दी है। बम्बई शहर की उन्नति का श्रीगणेश अमेरिका के गृह-युद्ध से ही समझना चाहिए, जब कि इसे अपने रूई के व्यवसाय को बढ़ाने का अच्छा अवसर मिला था। इस समय क़रीब ग्यारह लाख इकसठ हज़ार नर-नारी इसमें रहते हैं।

बम्बई प्रांत का दूसरा नाम पश्चिमी प्रेसीडेन्सी है। इसके अन्तर्गत २६ ब्रिटिश ज़िले तथा १९ इधर-उधर बिखरी हुई रियासतें हैं। यह यह भू-भाग समतल और उपजाऊ है, रूई, अफीम और गहूँ मुख्यतया उत्पन्न होते हैं। दक्षिणी हिस्से में लोहे की खानें हैं, किन्तु कोयले का

रहकर सारे हिन्दुस्तान में बिजली की भांति फैली। रात में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन के पश्चात् मैं कमेटी के कुछ सदस्यों तथा अन्य साथियों के साथ अपने डेरे पर लौटा। हम लोग रात को एक अजीब प्रकार के मिश्रित विचारों को लेकर सोए। अब क्या होगा? हमें क्या करना होगा? गान्धीजी क्या प्रोग्राम देंगे? आन्दोलन किस प्रकार चलेगा? इसी प्रकार के विषयों पर हम लोग काफी देर तक आपस में बातचीत करते रहे। सुबह गान्धीजी ने हर प्रान्त के १०–१२ प्रमुख कार्यकर्ताओं को अपने विचार एवं प्रोग्राम देने को बुलाया था। मैं भी उनमें से एक था और इस प्रकार मेरे हृदय में भी तरह-तरह की कल्पनाएं पैदा हो रही थीं। यकायक सबेरे चार बजे अखबार बेचने वालों ने आवाज़ दी, "कांग्रेस नेता गिरफ्तार कर लिये गये।" हम लोग सब-के-सब अवाक् हो उठे एक-दूसरे की ओर देखने लगे। हम सभी की स्थिति किंकर्तव्य विमूढ़- सी हो गई। सबने यही निश्चय किया कि बिड़ला हाउस चलें और अपने अन्य साथियों से मिलें। पर सबेरे ७ बजे न कोई सवारी थी और न कोइ अन्य साधन। चारों ओर आश्चर्य-चकित एवं क्रोधित लोगों के गिरोह दिखाई देते थे। सब एक दूसरे से यही पूछ रहे थे कि अब क्या होगा, हमें अब क्या करना होगा? सबके हृदय में 'करो या मरो' का मन्त्र अपना कार्य कर रहा था।

९ अगस्त के धुंधले प्रभात का जिसमें भारत की आज़ादी की लड़ाई ने सहसा एक नए मोड़ पर कदम रखा था, सदैव ही अपना एक विशेष स्थान रहेगा।

९ अगस्त को सुबह ८ बजे गवालिया मैदान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल की परेड हुई थी। लेकिन उस समय तक सारे बम्बई ही क्या देश भर में यह खबर फैल चुकी थी कि कांग्रेस नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। चारों तरफ से लोग जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे, अतएव सब

गवालिया मैदान में इकट्ठे हुए स्वयंसेवकों के अतिरिक्त देश-सेविकाऐं भी अपना केसरिया बाना पहने हुए कतारों में आ-आकर इकट्ठी हो रही थीं, किन्तु जन-समूह के आने से पहले ही गवालिया मैदान पर पुलिस का कब्जा हो चुका था। फिर भी एक कार बड़ी होशियारी के साथ उस मैदान के बीच अपने रास्ते को चीरती हुई आगे बढ़ी और झण्डे के पोल के पास तक पहुंची। उसमें श्री भूलाभाई के सुपुत्र बैठे हुए थे। दक्षिण भारत के कुछ थोड़े से कांग्रेसी भी बीच तक पहुंच गये। उन्होंने झंडे को पोल के कुछ गज़ के फासले से सलामी दी।

फौरन ही एक यूरोपियन सारजेन्ट उनके पास पहुंचा और उन्हें बताया कि गवालिया मैदान पर पुलिस का कब्जा है। स्वयंसेवको तथा अन्य लोगो को वहां पहिले से अलग कर दिया जाय, वर्ना उनके विरुद्ध अश्रु गैस का प्रयोग होगा। श्रीयुत् ए० नीलकान्त ऐयर, जो कोचीन प्रजा-मण्डल के प्रधान थे, ने कहा, "मैं इस उत्सव का इंचार्ज नहीं हूँ। अतः अच्छा हो यदि आप उक्त सज्जन को यह बात बताएं" और यह कहकर श्रीयुत ऐयर ने श्रीमती अरुणा आसफअली को सर्जन के हुक्म की इत्तिला दी और कहा कि लड़के और लड़कियां, जो गवालिया मैदान में अपनी-अपनी जगह खड़े हैं, अच्छा हो आने वाले खतरे से बाहर निकल जायं इस पर वे बाहर चले गये। अरुणा आसफअली ने बोलना प्रारम्भ किया। इसी बीच पुलिस ने अपने खौफ़नाक व मनहूस गैस टोपो को अपनी गाड़ियों से निकाल लिया और गैस-बक्सो को अपने हाथों में ले लिया अफसरों ने एक बारफिर चेतावनी दी कि लोग मैदान से निकल जायं। पर कोई भी अपने स्थान से न हिला। अरुणा आसफअली का भाषण खतम हो चुका था। राष्ट्रीय झण्डा ऊपर चढ़कर हवा में फहराने लगा था पुलिस के लिए यह बात असहनीय थी। उसने स्वयंसेवकों के गिरोह पर, जो मैदान में था, गैस छोड़ दी। इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा

भारतीय राष्ट्राद पर पर्लहार्बर जैसा आक्रमण प्रारम्भ हुआ। स्वयंसेवक तथा अन्य लोग ज़मीन पर लेट गये और दो मिनट के पश्चात् सारा समूह फिर उठ खड़ा हुआ। पुलिस का दूसरा आक्रमण शुरू हुआ और वह भी विफल रहा। इस प्रकार लगभग ६ हमलों के बाद पुलिस ने अपनी युक्तियों को बदल दिया। अश्रु-गैस को छोड़कर अब उन्होंने लाठी प्रहार का आसरा लिया। कुछ स्वयंसेवक नेता पुलिस की हिरासत में ले लिये गये और इस प्रकार लाठियों के प्रहारों से जनता तितर-बितर होने लगी। श्रीयुत ऐयर पर, जो अश्रु-गैस के प्रभावों से अपनी जलती हुई आँखें पोंछ रहे थे, लाठियों के प्रहार प्रारम्भ हुए। श्रीमती मृदुला बहन या मणि बहन पटेल ने, जो वहां पर थीं, तेज प्रहारों के सहा और मिस्टर ऐयर से अपने प्रांत में लौटकर कांग्रेस का पैगाम देने के लिये कहा! इस प्रकार राष्ट्रीय झंडा फहराता रहा और अन्त में उस ब्रिटिश अफ़सर ने उसे खींचकर नीचे उतार लिया।

पूर्व निश्चयानुसार शाम को शिवाजी पार्क में गांधीजी तथा अन्य नेता बोलने वाले थे। यहां पर भी सैनिक पुलिस ने अपना आधिपत्य जमाने का विफल प्रयत्न किया। चौराहों और शिवाजी पार्क को जाने वाले रास्ते पर पुलिस-शक्ति का गहरा प्रदर्शन था। ताकि लोग डरकर वहाँ न जायें। फिर भी लगभग २ लाख आदमी चारों ओर से इस पार्क में इकट्ठा हो गये। वहां जन समूह समुद्र की भांति उमड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। यद्यपि बोलने वाले नेता न थे, पर कितने ही नेता जनता में से आकर बोल रहे थे। कस्तूरबा वहां पर आने वाली थीं, पर वह पहले ही पकड़ ली गई। इस समूह पर चारों ओर से लाठी-प्रहार तथा अश्रु-गैस के आक्रमण हो रहे थे, पर लोग दृढ़ता और खुशी के साथ इन वारों का मुकाबला कर रहे थे। पार्क के अतिरिक्त चारों ओर के मकानों की ऊपर की मंजिलों में अनगिनत जनता खड़ी हुई थी और

कपड़े, रूमाल व तौलिये भिगो-भिगोकर जनता के उस विशाल समूह के बीच फेंक रही थी, ताकि वह सफलता से अश्रु-गैस का मुकाबला कर सके। वह अभूतपूर्व संघर्ष था। ब्रिटिश नौकरशाही अश्रु-गैस द्वारा जनता को भगाना चाहती थी। जनता अश्रु-गैस पर काबू कर विरोध प्रदर्शन करना चाहती थी। इस प्रकार ९ अगस्त को बम्बई में जगह-जगह लाठी-प्रहार किये जाने व गोलियां बरसाये जाने की खबरें मिलीं। लगभग १५ जगह पुलिस को गोलियां चलानीं पड़ीं और सरकारी आंकड़ों के अनुसार ८ आदमी मरे और १६९ आदमी गोलियों से ज़ख्मी हुए।

इस प्रकार ९ अगस्त से बम्बई ने पूरे अगस्त मास तक यह न जाना कि शान्ति से बैठना कैसा होता है ? सड़कों पर चारों ओर पत्थर, छोटे-मोटे पेड़ व अन्य रुकावटों के साधन पड़े हुए थे। दीवारों पर, चौराहों पर, ज़मीन पर, यहां तक कि हर जगह गांधी जी का 'करो या मरो' क आदेश लिखा हुआ था।

शहर में हरताल थी और कालेजों में भी। आधी से अधिक मिलें बन्द थीं और सरकारी रेलवे कारखाने भी बन्द करने पड़े थे। उत्साही नवयुवक जिस मोटर व ट्राम को देखते थे, जला देते थे। इस प्रकार कई दिनों तक बम्बई में ट्रामें बन्द रहीं। पुलिस-स्टेशन तथा अन्य सरकारी इमारतों पर सामूहिक आक्रमण हुए। टेलीग्राफ के तार काटे गये। इतना ही नहीं, कितनी ही जगह रेल की पटरियों को उखाड़कर अस्त-व्यस्त करने के भी प्रयत्न किये गये। कहीं कहीं तो स्टेशन जला दिये गये। सारांश यह कि जिस प्रकार से भी जनता अपना विरोध-प्रदर्शन कर सकती थी, वह सब उसने किया।

१० अगस्त को १० जगह पुलिस ने गोलियां चलाईं और ५ जगह फौज को गोलियां चलानी पड़ीं। लाठी-चार्ज और अश्रु-गैस के प्रहारों की तो गिनती ही न थी। सरकारी आंकड़ों ने बताया कि १६ आदमी

पुना

गोवा

लेखक

सीताराम गोस्वामी

पदेन सदस्य

१. श्री एस० के० पाटिल, बम्बई ४।

२. श्री नगीनदास टी० मास्टर, बम्बई ६।

३. श्री अशोक मेहता, बम्बई।

४. श्री पुरुषोत्तमदास त्रिकमदास "दिलखुश" बम्बई ६।

५. श्री बी० एन० माहेश्वरी, बम्बई १६।

मरे और ११४ घायल हुए। १० अगस्त को सरकारी बयान द्वारा बताया गया कि सोमवार के दिन चारों ओर विरोध-प्रदर्शन हुआ और गिरगांव और दादर में विशेष प्रकार के कांड हुए। दोपहर में बी० बी० सी० आई० रेलवे के दादर स्टेशन पर आग लगाने का प्रयत्न किया गया, जिसे पुलिस ने रोक लिया। ६ पुलिस-स्टेशनों पर आग लगाई गई, जिनमें से २ जलकर भस्म हो गये। कुछ टेलीग्राफ के तार व पोस्ट बक्सों को तोड़ा-फोड़ा गया और एक ट्राम और एक म्युनिसिपल लारी में आग लगाई गई। फोर्ट एरिया में भी बहुत सी जगह छोटी छोटी सड़कों व गलियों में पत्थर व ईंट व अन्य गन्दा सामान इकट्ठा करके रास्तों को बिल्कुल रोक दिया गया। ज्यों ही पुलिस ने इस सब सामान को उठाकर रास्तों को साफ़ किया, जनता ने उसमें फिर वैसा सामान लाकर रख दिया। इतना ही नही, कुछ जगह प्रदर्शन-कर्त्ताओं ने मज़दूरों की बस्तियों में जाकर उन्हें काम पर न जाने की प्रेरणा भी दी।

११ अगस्त को बम्बई सरकार ने जनता के उभरते हुये क्रोध-प्रदर्शन तथा उसकी भावना को कुचलने के लिए कोड़ेमार क़ानून का उपयोग किया। उधर सारे शहर के विभिन्न स्थानों में अंग्रेज़ी हैट, टाई व यूरोपियन पोशाक का सामूहिक रूप से चौराहों पर जलाने का सिलसिला प्रारम्भ हुआ। उस दिन भी पहले रोज की तरह पुलिस ने दो जगह गोलियां चलाईं। उस दिन प्रायः सारे शहर में बस सर्विस तथा मोटरों का आवागमन बन्द रहा। इतना ही नहीं, जी० आई० पी० और बी० बी० सी० आई० रेलवे की लाइनों को कई जगह से उखाड़ा गया और माटुंगा रेलवे स्टेशन पर जनता ने सामूहिक आक्रमण कर उसमें आग लगा दी और सिगनल इत्यादि सब चीज़ों को तोड़ डाला। परेल की ओर भी प्रदर्शन हुआ। स्कूल और कालेज बन्द रहे। बम्बई सिटी कारपोरेशन ने अपने मेयर की गिरफ्तारी के विरोध में अपनी बैठक

स्थगित कर दी। उस दिन जनता चारों ओर रेल तार, डाकखानों, पुलिस-चौकियां, रेलवे स्टेशनों पर आक्रमण करने व उन्हें जलाने लगी। लगभग ० बार से ज्यादा पुलिस . गोलियां चलानी पड़ीं।

१२ अगस्त को भी यही हाल रहा।

१३ अगस्त को अंधेरी और विले पारले में डाकखाने जलाए गए। तार भी उखाड़े गए। इस प्रकार सारे इलाके में अन्धेर छा गया। सिडनम कालेज के विद्यार्थियों ने भी विरोध-प्रदर्शन किए और शहर के प्रायः सारे ही स्टाक एक्सचेंज बन्द रहे और मगलदास बाजार तथा इस इलाके के अन्य सारे बाजारों में हड़ताल रही। इस रोज़ तोड़-फोड़ का कितना ही काम हुआ। १३ तारीख तक बम्बई में लगभग १००० के करीब कार्यकर्त्ता पकड़ लिए गए। इस रोज़ सरकारी कथनानुसार ३ बार गोली चली और ३ आदमी मरे तथा ४२ ज़ख्मी हुए।

१४ अगस्त को कालबादेवी में तथा कुछ अन्य जगहों पर प्रदर्शन हुआ। स्टाक एक्सचेंज, रूई, सोना चांदी व कपड़े के बाज़ार पूर्णतः बन्द रहे। ५० आदमी पकड़े गए। २५ प्रमुख व्यापारी भी पकड़े गए। पुलिस ने कई बार गोलियां चलाईं और २ आदमी मरे।

इस प्रकार अगस्त मास में हर रोज़ किसी-न-किसी इलाके में विरोध प्रदर्शन होता रहा। बाजारों में हड़तालें रहीं, तार काटे गए, आवागमन के रास्तों को अस्त-व्यस्त करने का प्रयत्न किया गया। आन्दोलन का यह रूप प्रायः सारे ही अगस्त मास तक रहा। सारे शहर में कर्फ्यू था। पुलिस को सख्त हिदायत थी कि तोड़-फोड़ करने वाले को फौरन गोली मारी जाय।

अगस्त के तीसरे सप्ताह से यद्यपि जाहिरा तौर पर बाजार कहीं-कहीं पर खुले पाए जाते थे, पर उनमें किसी प्रकार का भी व्यापार न होता था। सरकारी दमन-नीत के विरोध में कितनी ही म्युनिसिपैलिटियों से प्रमुख लोग

स्तीफे दे रहे थे। उधर सरकार भी अपने दमन के साधनों को उग्र रूप दे रही थी। हड़ताल करने वालों को धमकी दी गई थी कि उनकी दूकानों के ताले तोड़ दिए जायंगे। मिलों पर सरकारी कब्जा कर लिया जायगा। स्वभावतः इस उग्र दमन के कारण आन्दोलन का बाह्य रूप दिनों दिनों कुछ घटता हुआ-सा दिखाई देने लगा। किन्तु अब बाह्य-प्रदर्शन के बजाय आन्दोलन को अधिक लम्बे समय तक चलाने के लिए एक सुदृढ़ संगठन बनाने के लक्षण दिखाई देने लगे थे। शक्ति का ठीक तरीके से प्रयोग करने के लिए उस समय के नये नेताओं ने अपने ही प्रोग्राम बनाए। उन्होंने कुछ दिन निश्चित किये और तय किया कि उन दिनों कोई-न-कोई सामूहिक प्रदर्शन अवश्य किया जाय। साथ ही उन्होंने अपना एक गुप्त संगठन भी बना लिया। प्रारम्भ में महीने में ऐसे तीन दिन निश्चित किये गए। यह थे ९ तारीख १५ तारीख और हर महीने का आखिरी इतवार। इन दिनों झंडा सलामी की जाती थी, जुलूस निकाले जाते थे और सभायें की जाती थीं। इन दिनों के अतिरिक्त स्वतन्त्रता-दिवस, तिलक-दिवस, राष्ट्रीय-सप्ताह, गांधी-जयंती आदि समारोह भी मनाये जाते थे।

आन्दोलन का यह रूप सन् १९४४ की फरवरी मास तक रहा। सितम्बर मास में बम्बई में कालेज खुले। लेकिन सैकड़ों विद्यार्थियों ने विरोध-प्रदर्शन किया और कालेज पर धरना दिया इस सिलसिले में एलफिंस्टन कालेज की ५ लड़कियां और कुछ लड़के पहली सितम्बर को गिरफ्तार हुए।

बम्बई प्रान्त में दो साल में लगभग ५० हजार आदमी विभिन्न अभियोगों में पकड़े गये। इनमें से लगभग एक हजार ऐसे लोग थे जो दो माह के बाद छोड़ दिये गये। साढ़े चार सौ से ५ सौ तक लोगों को ६ सप्ताह से लेकर ५ साल तक की सजायें हुईं। इनमें से भन्डा फहराने वालों तक को कई जगह २॥ साल की सजायें हुईं। रेडियो वाले विख्यात केस

में एक कांग्रेसी को ५ साल और एक स्वयंसेवक को ४ साल की सजा हुई। लोग निम्नलिखित अभियोगों में पकड़े गये:—

१—किसी ग़ैर कानूनी संस्था के मेम्बर होने पर।

२—किसी प्रदर्शन में शरीक होने पर।

३—हड़ताल करने व सभायें करने के अभियोग में।

४—दूकानों पर धरना देने और दूकानदारों की हड़ताल कराने पर।

५—आपत्तिजनक पर्चे बांटने, छापने और पास रखने के अभियोग में।

६—सरकार विरोधी नारे लगाने या दीवारों व सड़कों पर लिखने के अभियोग में।

७—मजदूरों की हड़ताल करवाने या उसमें मदद देने पर।

८—ढेले व सोडावाटर की बोतलें फेकने के अभियोगों में।

९—तोड़-फोड़ सम्बन्धी कार्यों, जैसे तारों को काटने, ढेले फेकने, रेल की पटरियों को अस्त-व्यस्त करने और विस्फोटक पदार्थ रखने के अभियोग में।

१०—डाक, तार, रेडियो इत्यादि के नियमों की अवहेलना करने पर।

११—कर्फ्यू आर्डर तोड़ने तथा ग़ैर-कानूनी शस्त्र रखने के अभियोग में।

१२—किसी भागे हुए अभियुक्त को पनाह देने पर।

१३ सरकार विरोधी अन्य कोई कार्य करने पर।

बम्बई में पहला बम सन् १९४२ के आखिरी सितम्बर में फटा। फिर उसके बाद तो बमों के फटने का एक तांता-सा लग गया। अन्त में सन् १९४३ के फरवरी मास में गांधीजी के उपवास के समय उनकी गति धीमी हुई।

३ अक्टूबर सन् १९४२ को पनगांव कोर्ट के अहाते में एक भयंकर विस्फोट हुआ, जिससे वहां की इमारतें जलकर राख हो गईं।

१८ अक्टूबर सन् १९४२ को फिर एक भयंकर विस्फोट हुआ जिसके कारण अरगोली रोड पर 'टाइम्स आफ इंडिया' अखबार का गोदाम जल गया। इसमें लगभग दो लाख रुपये की हानि हुई। पुलिस ने इस

सम्बन्ध में बहुत से लोगों को पकड़ लिया, उनमें से कुछ छूट गये और कुछ पर मुकदमे चले। लेकिन अन्त में सभी मजिस्ट्रेट के यहां से बरी हुए। जिन्हें मजिस्ट्रेट की अदालत से सज़ा भी मिली, वे हाईकोर्ट से बरी हो गये। पर पुलिस ने इन सब लोगों को किसी-न-किसी मौके पर पकड़ लिया। इन लोगों के साथ जो बर्ताव किया गया, वह बड़ा ही बर्बर था। इनसे जानकारी प्राप्त करने के लिए हर प्रकार के हृदय विदारक तरीके अपनाये गये। कुछ लोग मार-पीट से बचने के लिए सरकारी गवाह भी होगये। इसी सम्बन्ध में बरेली जेल में दो बार लाठी-चार्ज भी हुआ।

तोड़-फोड़ के मुख्य प्रयत्न अगस्त के पहले सप्ताह में खुले रूप से हुए, जब कि सैकड़ो की तादाद में लोग उनमें भाग ले रहे थे। पर पुलिस के दमनचक्र के सामने यह सामूहिक रूप न ठहर सका और इस लिए सितम्बर के अन्त से उसने गुप्त रूप धारण कर लिया।

बम्बई ने हर आन्दोलन में कुछ-न-कुछ नवीनता प्रस्तुत की। पिछले आन्दोलनों में बम्बई ने आर्थिक सहायता के अलावा सारे देश के आन्दोलनों को नये विचार दिये। इस खुले विद्रोह में भी बम्बई ने— बावजूद कितनी ही पाबन्दियों के कुछ नई बातें कीं। उनमें एक यह थी कि रेडियो द्वारा सारे हिन्दुस्तान में आन्दोलन सम्बन्धी खबरें भेजी जाती थीं। इस काल में रेडियो ब्राडकास्टिंग के सामान को इकट्ठा करने और उसे सुचारु रूप से चलाने के लिए महान संगठन की ज़रूरत थी। पुलिस ने इस ब्राडकास्टिंग स्टेशन को ढूंढ़ने के लिए सिर-तोड़ प्रयत्न किये। आखिर १९४२ के नवम्बर में उसने इस स्टेशन पर छापा मारा और उसका सामान ज़ब्त कर लिया। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया और उन्हें ४, ५ साल तक की सख्त सज़ाएं दी गईं।

बुलेटिनों की तो बम्बई में भरमार ही रहती थी। बड़े अजीबोगरीब तरीकों से यह बुलेटिन लोगों और सरकारी कर्मचारियों के पास पहुंचाए

जाते थे। कितनी ही बार कई मोटरें गिरफ्तार भी हुई और लाखों बुलेटिन पकड़े गये।

१० अगस्त सन् १९४२ को केन्द्रीय सरकार ने सारे अखबारों तथा छापाखानों इत्यादि को सख्त ताकीद कर दी थी कि वे किसी भी रूपमें आन्दोलन सम्बन्धी खबरें न छापें। बम्बई के मुख्य अखबारों ने इस अपमान जनक स्थित को मंजूर नहीं किया और छापाखानों ने कांग्रेस बुलेटिन इत्यादि छापने में काफी मदद दी! कई छापेखानों व अखबारों की ज़मानतें भी ज़ब्त होगई।

यद्यपि सरकार ने इस प्रकार की कड़ी हिदायतें जारी कर दी थीं ताकि दूकानदार व बड़े बड़े व्यापारी किसी भी प्रकार इस आन्दोलन में हिस्सा न ले सकें, फिर भी बम्बई के बड़े बड़े बाज़ार कितने ही दिनों तक पूर्णतः बन्द रहे और उसके पश्चात् माह में एक-दो मर्तबा कांग्रेस-प्रोग्राम के दिन बन्द रहते थे। १७ अगस्त सन् १९४२ को भारतीय व्यापारी संघ से सम्बन्धित लगभग ४० संस्थाओं के प्रतिनिधि एकत्र हुए। उन्होंने सरकार की दमन-नीति की घोर निन्दा की और विशेषतः इस बात को बड़ी घृणा से देखा कि सरकार ने भोलेश्वर, माटुंगा और दादर में जमा हुए कूड़े को शहर के सम्मानित व्यक्तियों से साफ करवाया। कांग्रेस के ८ अगस्त वाले प्रस्ताव का समर्थन भी किया गया। इस प्रकार बम्बई के बाज़ार कांग्रेस के साथ रहे और जब कभी उन्हें हड़ताल करने का आदेश दिया गया तो उन्होंने उसका पालन किया।

सन् १९४२ के खुले विद्रोह में बम्बई के मज़दूरों ने उतना अच्छा भाग नहीं लिया जितना कि अहमदाबाद के मज़दूरों ने। कारण स्पष्ट है। कुछ तो इन लोगों पर कम्युनिस्टों का प्रभाव था और दूसरे मुस्लिम मज़दूर यद्यपि हृदय से अन्दोलन के साथ थे, पर वह खुले रूप से इसमें शरीक न हुए। इस कारण बम्बई की कपड़ा मिलें ९ अगस्त से आठ-दस रोज़

तक तो बन्द रहीं, लेकिन फिर चलनी शुरू हो गईं। फिर भी शुरू के दिनों में सारे मज़दूरों ने आन्दोलन में भाग लिया।

बम्बई के विद्यार्थियों को सबसे पहले इस आन्दोलन में अपने जौहर दिखाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कौन जानता है इन्हीं के आदर्श को लेकर सारे हिन्दुस्तान के विद्यार्थी आन्दोलन में कूदे हों। लगभग ८० प्रतिशत विद्यार्थी आन्दोलन के प्रारम्भिक दिनों में स्कूल-कालेजों से बाहर निकल आये। यद्यपि यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने कई दफा निश्चित तारीख तक स्कूल-कालेजों में लौटने की धमकी दी, लेकिन विद्यार्थी अपने संकल्प से न हटे। यह सिलसिला ३, ४ माह तक रहा। उसके पश्चात् इसका जोश धीमा पड़ गया और विद्यार्थी स्वयं ही कालेजों में जाने लगे। इस काल में विद्यार्थियों ने दिल खोलकर आन्दोलन में हिस्सा लिया और सब यातनाओं को सहर्ष सहा।

सन् १९४२ में बम्बई कारपोरेशन पर कांग्रेस का कब्जा था। कांग्रेसनेताओं की गिरफ्तारी के बाद कारपोरेशन ने कांग्रेस की मांगों का समर्थन किया और सरकार की आलोचना की। कारपोरेशन की बैठकों को कई बार स्थगित होना पड़ा। १० अप्रैल सन् ४३ को कारपोरेशन के मेम्बरों ने नगीनदास टी० मास्टर को, जो उस समय जेल में नज़रबन्द थे, अपना मेयर चुना। कारपोरेशन के ६३ कांग्रेसी मेम्बरों में से ३३ नजर-बन्द थे।

बम्बई बार ने भी आन्दोलन-काल में एक महत्त्वपूर्ण सेवा की। उन्होंने चार प्रतिष्ठित एडवोकेटों की एक कमेटी बनाई, जिसका काम जनता के नागरिक अधिकारों की हिफाजत करना था। इस कमेटी के मेम्बर मिस्टर डी० एन० बहादुर भूतपूर्व एडवोकेट जनरल, मिस्टर के० पी० पुरनपौबाला भूतपूर्व जज बम्बई हाईकोर्ट और मिस्टर के० एम० मुंशी, भूतपूर्व होम मिनिस्टर थे। इन लोगों ने सरकारी दमन-नीति की तीव्र

आलोचना की और नागरिकों पर जो तरह-तरह के गैर कानूनी प्रतिबन्ध लगाये जा रहे थे उनका विरोध किया। एक कानूनी सहायता कमेटी भी बनाई। उसने लोगों पर चलाये जाने वाले मुकदमों में काफी कानूनी मदद दी।

बम्बई के नागरिकों ने इन्हीं दिनों एक 'राजनैतिक पीड़ित सहायता फंड' भी खोला। इसके द्वारा विभिन्न प्रान्तों में कितने ही कार्यकर्ताओं व उनके परिवारों को मदद दी गई। बम्बई प्रान्त कांग्रेसी कमेटी के कथानुसार सहायता प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या इस प्रकार है:—

महाराष्ट्र ८६, गुजरात १३, कर्नाटिक ३७५, तामिलनाड ९, मलाबार ५, आंध्र ८७, बिहार ३८, बम्बई १५, उड़ीसा १७१, युक्त प्रान्त १६३, मध्य प्रान्त ३८। इस प्रकार इस कमेटी ने भारतवर्ष के कोने-कोने में जहां भी पता चला मदद देने की कोशिश की।

बम्बई की बाबत यह अनुमान लगाना कठिन है कि कितने लोगों ने खुले रूप से आन्दोलन में अपना विरोध प्रदर्शित किया। पर प्रारम्भिक दिनों में बम्बई की काफी बस्तियां ऐसी थीं जिनके सारे लोग इस आन्दोलन में किसी-न-किसी रूप में हिस्सा ले रहे थे। मालूम पड़ता था कि बम्बई के लोग कांग्रेस के पीछे पागल हैं।

बम्बई के खुले विद्रोह के सरकारी आंकड़े

बम्बई सरकार की ओर से अगस्त विद्रोह के सिलसिले में ९ फरवरी १९४३ तक के जो अंक प्राप्त हुए हैं वे नीचे दिये जाते हैं। इन अंकों में गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के अंक भी शामिल है।

गिरफ्तारियां	५०००
कितनी बार पुलिस ने गोलियां चलाईं	१९५
कितने आदमी मरे	१०६
कितने आदमी घायल हुए	३३२

कितने आदमी पुलिस के मरे ५

कितने आदमी पुलिस के घायल हुए ५२७

कितने अवसरों पर टियर (आंसू बहाने वाली) गैस का प्रयोग किया ११

कितने अन्य सरकारी नौकर मरे १

नोटः—एक रेवेन्यू हेड क्लर्क, जिसे भीड़ ने इसलिए अपने आगे कर लिया था कि उस पर पुलिस सामने से हमला न कर सके, पुलिस के गोली चलाने से मर गया।

कितने अन्य सरकारी नौकर घायल हुए ११५

कितनी बार फौज ने गोलियां चलाईं १४

कितने आदमी मरे ८

कितने आदमी घायल हुए ३२

कितने पुलिस स्टेशन या चौकियां और संतरियों के खड़े होने के अड्डे बरबाद कर दिये गये या उनको सख्त नुकसान पहुंचाया गया ४३

प्रान्तीय सरकार की अन्य कितनी इमारतें बरबाद कर दी गईं या उनको सख्त नुकसान पहुंचाया गया १८२

सरकारी इमारतों के अलावा अन्य कितनी ऐसी इमारतें जैसी म्युनिसिपैलिटी की मिल्कियत, स्कूल, अस्पताल इत्यादि को बरबाद कर दिया गया या उनको सख्त नुकसान पहुंचाया गया ३८

कितनी मशहूर प्राइवेट इमारतें बरबाद कर दी गईं या उनको सख्त नुकसान पहुंचाया गया ११

कितने बम फटे ३७५

कितने ऐसे बम या बारूदी चीजें पाई गईं जिनसे कुछ नुकसान नहीं हुआ। (इनमें ऐसे बम या बारूदी चीजें शामिल हैं जिनको पुलिस ने तलाशी लेते समय अपने कब्जे में कर लिया)। २४३

कितने सरकारी नौकर मरे (इनमें फौज के चार बड़े अफसर भी शामिल हैं) ५

कितने सरकारी नौकर घायल हुए (इनमें फौज के १६ बड़े अफसर भी शामिल हैं) ८२

जनता के कितने लोग मरे (इनमें बम मारने वाले खुद भी शामिल हैं) मर्द ९ और बच्चे ४ १३

जनता के कितने लोग घायल हुए (इनमें बम बनाने वाले खुद भी शामिल हैं) मर्द ७८, औरतें ९०, बच्चे २० १८८

बिजली कम्पनियों की मशीनें इत्यादि तोड़ फोड़ डाली गईं २७

उन लोगों की संख्या जो ऐसी घटनाओं में मरे जो आन्दोलन के कारण घटित हुईं

(अ) सरकारी या रेलवे कर्मचारी ३

(ब) जनता के लोग ११

उन लोगों की संख्या जो ऐसी घटनाओं में घायल हुए जो आन्दोलन के कारण घटित हुईं

(अ) सरकारी या रेलवे कर्मचारी ५

(ब) जनता के लोग ३१

उन रेलवे स्टेशनों की संख्या जो बरबाद कर दिये गये या उन्हें सख्त नुक- सान पहुंचाया गया १६

कितनी रेलगाड़ियां तोड़-फोड़ के कारण उलटी गईं १३

उन गांवों या कस्बों की संख्या जिन पर सामूहिक जुर्माने किये गये १४०

सामूहिक जुर्माने की रकम ६,९३,४५०

वसूलशुदा सामूहिक जुर्मानों की रकम ६०४.९६५

स्थानीय संस्थाओं की संख्या जिन्हें भारत रक्षा नियम ३८ ब० के अधीन या किसी और प्रकार से तोड़ दिया गया २२

गुजरात प्रान्त

भारतीय आज़ादी के संग्राम में गुजरात का एक महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। उसकी अपनी ख्याति है। जहां एक ओर गुजरात ने अखिल भारतीय ख्याति के बड़े-बड़े नेता जैसे महात्मा गांधी, स्वर्गीय विट्ठलभाई पटेल, सरदार बल्लभभाई पटेल आदि पैदा किये हैं, वहां दूसरी ओर गुजरात को कई आन्दोलन चलाने का श्रेय भी प्राप्त है। गुजरात को यदि महात्मा गांधी की अहिंसात्मक युद्ध-कला की प्रयोगशाला कहा जाय तो अनुचित न होगा। सन् १९१५ के पश्चात् जब गांधीजी अफ्रीका से लौटे तो उन्होंने अहमदाबाद को अपना केन्द्र बनाया और यहीं से उन्होंने अहिंसा के प्रयोग तथा सत्याग्रह के शस्त्र को अमल में लाने के लिए इस छोटे से प्रान्त को अपना कार्य-क्षेत्र बनाया। उन्होंने इस महान् कार्य के लिए यहाँ उपयुक्त वातावरण पैदा किया और योग्य कार्यकर्ताओं को जन्म दिया। गुजरात ने गांधी के प्रत्यक्ष नेतृत्व में अन्याय के विरुद्ध तीन किए संघर्षों उन द्वारा गांधीजीके सत्याग्रह शस्त्रका विकास हुआ और आगे चलकर सारे हिन्दुस्तान में उसका सामूहिक व व्यापक प्रयोग किया गया। सन् १९१८ में सर्व प्रथम खेड़ा जिले में मालगुजारी न देने का सत्याग्रह किया गया। इसके कुछ दिनों बाद अहमदाबाद के मज़दूरों की व्यापक व विख्यात हड़ताल हुई और उसके परिणामस्वरूप अहमदाबाद में मज़दूर महाजन संघ जैसी शक्तिशाली मजदूर यूनियन का निर्माण हुआ। इसके बाद रोलैट एक्ट के विरुद्ध आन्दोलन हुआ और गांधीजी ने जनता को अहिंसात्मक एवं संगठित तरीके से उठने का पाठ पढ़ाया। सन् १९२० के असहयोग आन्दोलन में गुजरात का काफी नाम रहा और कई प्रमुख व्यक्ति राजनैतिक क्षेत्र में आये। गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई और प्रान्तमें कितने ही आश्रम खुले। असहयोग आन्दोलन के पश्चात् एक छोटे से इलाके बोरसद में सत्याग्रह हुआ जो सरकारी लगान की ज्यादती के

विरुद्ध था। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभभाई पटेल ने किया। बारदोली के लगानबन्दी के सत्याग्रह ने गुजरात का नाम और भी ऊंचा उठा दिया सन १९३० व ३१ में रही सही कमी को गांधी जी की 'डांडी-कूच व 'नमक सत्याग्रह' ने पूरा कर दिया और इस प्रकार गुजरात ने भारतीय राजनीत में एक अभूतपूर्व स्थान ग्रहण किया।

गुजरात में ५ जिले हैं। सूरत, खेड़ा, भडौच, अहमदाबाद और पञ्चमहाल। आर्थिक दृष्टि से इस प्रान्त की हालत बहुत अच्छी है। सूरत खेड़ा और भड़ौच की जमीन उपजाऊ है। अहमदाबाद सारे प्रांत के व्यापार का केन्द्र है। निःसन्देह पंचहाल कुछ पिछड़ा है। इसमें लगभग दो लाख भील रहते हैं और इसका बहुत बड़ा भाग बड़ौदा रियासत से मिलता है। गुजरात के लोग स्वभावतः गांधीजी के भक्त हैं और सरदार वल्लभभाई पटेल को बहुत मानते हैं। यद्यपि सन् १९४२ में क्रान्ति के आर्थिक व समाजिक कारण इस प्रांत में अपनी परिपक्व स्थित को न पहुंचे थे, पर अन्य सारी बातें यहां मौजूद थी। गुजराती लोग महात्मा गांधी तथा सरदार पटेल को अपनी आशाओं व आकांक्षाओं का केन्द्र समझते हैं। अतः ९ अगस्त १९४२ को जब कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी हुई तो अन्य प्रान्तों की तरह गुजरात के लोगों ने गांधीजी तथा पटेल से घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण उन पर हुए प्रहार को अपने ऊपर प्रहार समझा। वे गुस्से से झुँझलाकर सैकड़ों की तादाद में उठ खड़े हुए।

अहमदाबाद के लोगों ने नौकरशाही के विरुद्ध एक संगठित व लंबी लड़ाई लड़ी, जिसका वर्णन मैं आगे करूंगा। गुजरात के गांव-गांव व कस्बे-कस्बे में आन्दोलन के प्रारम्भ के दिनों में सरकारी नीति के विरुद्ध विरोध-प्रदर्शन, हड़तालें व सभाएं हुईं। विद्यार्थियों ने भी इस आन्दोलन में बहुत बड़ा भाग लिया। सैकड़ों विद्यार्थी स्कूल कालेजों से पढ़ाई छोड़कर

गांवों में फैल गये और कांग्रेस के सन्देश को घर-घर पहुचा दिया। स्वभावत: सरकार ने आन्दोलन को उसके प्रारम्भिक काल में ही दबाने के सब प्रयन्त किये। अहमदाबाद में तो ६—७ तारीख से ही पुलिस के जमाव इधर-उधर दिखाई देते थे। यकायक सारे नेता ८ तारीख से ही पकड़े जाने शुरू होगये। सूरत जिले के बारदोली व जलालपुर ताल्लुकों में सरकार को भय हुआ कि कहीं लगानबन्दी सत्याग्रह न प्रारम्भ हो जाय इसलिए उसने वहां पर लगान पहले से ही इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पुलिस गांवोंको घेर लेती थी और फिर लोगों से लगान वसूल किया गया।

गुजरात प्रान्त की म्युनिसिपैलिटियों व पञ्चायतों में से ९० प्रति शत पर कांग्रेस का कब्ज़ा था। इन संस्थाओं ने बड़ी दिलेरी के साथ कांग्रेस-प्रस्ताव का समर्थन किया। अतः उनमें से बहुतों को मुअत्तिल कर दिया गया।

अन्य प्रान्तों की भांति जब आन्दोलन का व्यापक रूप यहां भी धीमा पड़ने लगा तो तोड़-फोड़ का कार्य आरम्भ हुआ। डाकख़ानों को बरबाद किया गया। टेलीफोन के तारों को भड़ौच और सूरत ज़िलों में सैकड़ों मीलों तक काट दिया गया। काठियावाड़ में दो-तीन जगह रेल गिराने की दुर्घटनाएं भी हुई, जिनमें एक पालघर स्टेशन और दूसरी कलुवी आर. एन. रेलवे स्टेशन के पास हुई। कुछ स्टेशनों को। जलाया गया। बी. बी. एण्ड सी. आई. रेलवे के भी कई स्टेशन जलाये गये। सन् १९४४ के मई मास से १९४५ के मई मास तक इस प्रकार के कार्य होते रहे, जिनमें डाकखानों को जलाया और पुलिस-थानों पर आक्रमण करना भी सम्मिलित था। खेड़ा ज़िले में लगभग ३० डाक ले जाने वाले हरकारों के थैले जलाये गए और उनका सामान ले लिया गया। इस प्रकार डाक व्यस्त करने के प्रयत्न हुए। गुजरात प्रान्त के आन्दोलन का ज़िलेवार विस्तार से वर्णन करने का यहां प्रयत्न किया जायगा।

अहमदाबाद

सन् १९४२ के आन्दोलन में अहमदाबाद को वही श्रेय प्राप्त है जो यूरोपियन महायुद्ध में स्टॅलिनग्राड को था। ९ अगस्त के सबेरे अहमदाबाद के १७ प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ता पकड़ लिये गये। कांग्रेस भवन पर पुलिस ने कब्जा कर लिया। शहर को बाहर की दुनियां से बिल्कुल काट दिया गया। शहर में ५ आदमी से अधिक इकट्ठे न होने की घोषणा कर दी गई। फिर भी सारे शहर में सैकड़ों आदमी इकट्ठे झंडे लेकर निकलने लगे। सारे शहर में पूर्ण हड़ताल रही। ६ व ७ तारीख से अहमदाबाद में सनसनी थी पुलिस चारों ओर किनारे प्रनत्ता में दिखाई देती थी। अहमदाबाद कुछ ऐसे तरीके से बसा हुआ है कि वहां के लोग संगठित तरीके से जमकर बहुत अर्से तक लड़ाई लड़ सकते हैं। नेताओं पर प्रहार होते ही सारे शहर में सनसनी मच गई। ऐसा मालूम दिया कि अहमदाबाद के नागरिक नौकरशाही के इस आक्रमण का संगठन, धैर्य व वीरता से उत्तर देना चाहते हैं। शहर में सामूहिक हड़ताल हुई आमदोरफ्त के सारे जरिये बन्द हो गये और मजदूर-महाजन-सङ्घ ने अनिश्चित समय तक हड़ताल करने की घोषणा की। अतः हजारों मजदूर शहर छोड़कर चले गये। आन्दोलन काल में गुमाश्ता संघ का भी निर्माण हुआ। गुमाश्तों, विद्यार्थियों तथा मजदूरों ने मिलकर अपनी एक सत्याग्रह समिति बनाई। इस प्रकार आन्दोलन को एक लम्बे काल तक चलाने की योजना बनाई गई। गुजरात विद्या-प्रचारक मण्डल तथा स्वयंसेवक दल ने भी आन्दोलन में काफ़ी ख्याति प्राप्त की। १० व ११ तारीख के बीच शहर में विद्यार्थी संगठन कमेटी की स्थापना हुई जिसने अपना दैनिक पत्र निकालना प्रारम्भ किया। विद्यार्थी संघ ने गुजरात प्रान्त को ८ हिस्सों में बाँट दिया और अपनी एक केन्द्रीय कमेटी भी बना ली। १० तारीख के सबेरे गुजरात कालेज के विद्यार्थियों ने एक जुलूस निकाल कर कांग्रेस

भवन तक जाने का प्रयत्न किया। उधर दूसरी ओर शहर से एक जुलूस निकलकर आने वाला था और दोनों जुलूसों को मिलकर कांग्रेस-भवन के सामने आना था। पुलिस ने विद्यार्थियों के जुलूस को अस्त-व्यस्त करने के लिये कालेज के आगे और पीछे के दरवाजों पर आक्रमण किया। यहां श्री विनोद किनारीवाला नामक एक बहादुर नवयुवक को, जो कांग्रेस झंडा लिये हुए था, गोली का शिकार बनाया गया। विनोद किनारीवाला ने सीना खोलकर गोली का स्वागत किया और इस प्रकार झंडा दूसरे विद्यार्थी के हाथ में पहुंचा। पुलिस ने झंडा छीनने के बहुत से प्रयत्न किये, पर वह असफल रही। पुलिस ने भीड़ को लाठियों के प्रहारों से तितर-बितर करना चाहा। इस भीड़ में अधिकांश विद्यार्थी थे, जिन्होंने पुलिस के वार को असफल करने के लिए एक नई नीति को अपनाया। जब भी पुलिस भीड़ के पास आती थी, वे छोटी-छोटी टुकड़ियों में बंट जाते थे। उस दिन कई लड़के ज़ख्मी हुए। पुलिस ने इन ज़ख्मी लड़कों के पास किसी को न आने दिया। कितनों को इस प्रयत्न में मार भी पड़ी इस जुलूस में २।। व ३ हजार लड़के थे। जुलूस को तितर-बितर करने के लिए अश्रुगैस का प्रयोग भी हुआ। फल स्वरूप यह जुलूस अपनी योजनानुसार कांग्रेस भवन तक न पहुंच सका। इसी बीच अन्य कालेजों व स्कूलों के विद्यार्थी जुलूसों के रूप में नारे लगाते हुए आगे बढ़े पुलिस ने उनकी शक्ति को देखकर उन्हें पुल पार करने दिया। जनता के उमड़ते हुए जोश तथा शक्ति को देखकर १० तारीख को शहर में फौजें बुलाई गईं। थोड़ी देर पश्चात् ही ७०० सैनिक लारियों में भरकर आये उन्होंने लड़कियों तथा लड़कों के जुलूस पर भयंकर लाठी प्रहार किया। छात्रों का यह जुलूस ज़मीन पर बैठ गया और उन्हें इन निर्दयी सैनिकों ने उठा-उठाकर ढेलों की तरह निर्दयतापूर्ण तरीके से फेंकना शुरू कर दिया।

११ अगस्त १९४२ को नौकरशाही ने जनता की उमड़ी हुई बाढ़ को

रोकने के लिए अत्यन्त क्रूर शस्त्रों को अपनाया। टैंकों और मशीनगनों का शहर में प्रदर्शन किया गया, ताकि लोगों के हृदय में आतंक बैठ जाय। पुलिस गलियों में घुसी और आदमियों तथा बच्चों व औरतों तक को मारना-पीटना शुरू कर दिया। बूढ़े तक उनके क्रूर और निर्दय हाथों से न बच सके। यह मार-पीट इतनी अन्धाधुन्धी से की गई कि बड़े-बड़े मिल-मालिकों को भी निर्दोष ही इसका शिकार होना पड़ा। सारा शहर बियाबान हो गया। मिल, बाज़ार कालेज सब बन्द थे। उधर उन्मत्त जनता ने डाकखानों, तारघरों इत्यादि पर हमले शुरू कर दिये। अहमदाबाद में गोलियाँ चलना जीवन की एक साधारण घटना बन गई।

१२ तारीख को पुलिस ने ८ बार गोलियां चलाईं और अपने रहने के लिए फौज ने सिनेमाघर पर कब्ज़ा कर लिया।

अहमदाबाद का शहर किले की तरह बसा हुआ है इसमें अन्दर ही अन्दर बहुत-सी पोलें हैं और एक सरकिल से दूसरे सरकिल में जाने के लिए रास्ते इस तरह बने हुए हैं कि जनता पुलिस व फौज के विरुद्ध सामूहिक व संगठित मोर्चा आसानी से कायम कर सकती है। इस किलेबन्दी की वजह से जनता को काफी सहूलियत हुई। जब लाठियों के प्रबल प्रहारों तथा अन्य दमनकारी उपायों के कारण आंदोलन का बाह्य रूप धीमा पड़ने लगा तो जनता ने अपनी सुविधा व स्थिति के अनुसार विरोध प्रदर्शन के तरीके भी बदल दिये। रात को लोग अपनी छतों पर चढ़-चढ़कर कांग्रेसी नारे बोलते थे और पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाती थी और न देख ही पाती थी। इसका प्रतिकार करने के लिए फौज ने बिजली की बड़ी-बड़ी रोशनियों का प्रयोग किया और घोषणा की कि जो कोई उस उजाले में दिखाई पड़ेगा, उसको मार दिया जायगा। रात के समय अलग-अलग पोलों में एक-एक दो-दो हज़ार के जुलूस निकलते थे और जब पुलिस और फौज के सैनिक एक पोल में आते थे तो ठीक

उसी समय दूसरी पोल में जुलूस निकलना शुरू हो जाता था।

इस प्रकार जन-आन्दोलन कितने ही मास तक चलता रहा। इस आन्दोलन में नौजवानों, गुमाश्तों, मजदूरों तथा विद्यार्थियों ने विशेष रूप से भाग लिया। शहर के प्रमुख व्यापारियों की हमदर्दी भी उनके साथ। पुलिस ने गुस्से में आकर रास्ते चलते नागरिकों को मारना-पीटना शुरू कर दिया था।

जहां तक गिरफ्तारियों का सम्बन्ध है अहमदाबाद में रोजाना ही पुलिस कितने ही लोगों को पकड़-पकड़ कर अपनी लारियों में भरकर ले जाती थी और शहर से बहुत दूर कहीं छोड़ आती थी। प्रारम्भ में दो-तीन सौ गिरफ्तारियां रोज़ाना हुई। नवयुवक अधिकतर पकड़े गए। बहुत से लोग पुलिस-चौकियों से ही छोड़ दिये गए। अहमदाबाद में १०५७ आदमी पकड़े गए, ३७९ नज़रबन्द रहे और ४३० को सज़ा हुई।

सन् १९४२ के आन्दोलन में अहमदाबाद सारे गुजरात के आन्दोलन का केन्द्र रहा। लग भग ५०० विद्यार्थियों ने प्रतिज्ञा की कि वे आन्दोलन को चलाने के लिए अपना पूरा समय लगायेंगे। यह लोग एक निश्चित प्रोग्राम और योजनानुसार देहात की ओर पिल पड़े। पहले अहमदाबाद जिले में गये और फिर दूसरे जिलों में।

समय के साथ आन्दोलन धीमा पड़ता गया। फिर भी अहमदाबाद में लोगों ने महीनों में दो–तीन रोज ऐसे निश्चित किए, जब कि वे कई सामूहिक व व्यक्तिगत प्रदर्शन करते थे। विद्यार्थियों की हलचलें लगभग एक साल तक रहीं। कपड़ों की मिलों की हड़ताल लगभग ३॥ माह तक रही बड़े व छोटे बाजार लगभग ४ माह तक बन्द रहे। म्युनिस्पिल बोर्ड के कर्मचारियों की हड़ताल लगभग ४ माह तक रही। अखबारों ने भी काफी समय तक हड़ताल रखी। अनगनित बार लाठी चार्ज हुए। प्रारम्भिक दिनों में तो उनका तांता ही बंधा रहा। लगभग २० बार पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी। प्रायः एक डेढ़ साल तक माह की ९

तारीख के प्रदर्शनों पर गोलियां चलीं। १५ से २५ वर्ष तक की अवस्था के लोगों ने एक बहुत बड़ी संख्या में आन्दोलन में हिस्सा लिया। १४ से अधिक आदमी मरे, २२५ आदमी जिनके सख्त चोटें आई थीं, 'शफाखानों में भर्ती हुए और जिन लोगों ने अपना दूसरी जगह इलाज कराया उनकी संख्या का कुछ पता नहीं चलता। सरकारी इमारतों पर भी हमले हुए। इनमें १२ काण्ड मशहूर हैं।

१. दसाराई, ताल्लम, ममलतदार, मदनपुरा, चौर, जुडिशियल, कोर्ट, पुलिस सिटी हेडक्वार्टर, बहुत से छोटे-छोटे डाकखाने, अस्थायी पुलिस चौकियां, म्युनिस्पल स्कूल, बिजलीघर, मेडिकल हास्पिटल, छोटे रेलवे पुल, म्युनिसिपैलिटी, पुलिस सब इंस्पेक्टरों के बंगले।

तोड़-फोड़ कार्य

नीचे लिखे स्थानों पर तोड़-फोड़ के कार्य हुए:—

१. पांच बिजली के स्टेशन। २. विक्टोरिया की मूर्ति। ३. मेडिकल स्कूल होस्टल। ४. एलिस पुलिस चौकी। ५. घनकामता पुलिस चौकी। ६. प्रेम दरवाजा पुलिस चौकी। ७. मनु नायक बम केस। ८. विपार्दी पोल बम केस। ९. गवर्नमेंट लेबर वेलफेयर सेंटर। इसके अतिरिक्त १० जगह और बम फटे। रेल गिराने के तीन प्रयत्न हुए। २० मिलों में तथा गवर्नमेंट वर्कशाप और ए० आर० पी० के आफिस में टेलीफोन के तार कटे और प्रायः शहर के सभी जगह के तार काटे गए। कुछ लारियां जो फौजी सामान लिये जा रही थीं, लूटी गईं।

खेड़ा जिला

खेड़ा गुजरात का महत्वपूर्ण जिला है। यहां की भूमि बहुत ही उपजाऊ है और यहां के बहुत से लोग हिन्दुस्तान के बाहर के देशों में व्यापार करते हैं। अहमदाबाद की घटनाओं ने खेड़ा जिले के लोगों को बता दिया था कि उन्हें क्या करना है और उनके ऊपर क्या बीतना है।

अतएव खेड़ा जिले की कपड़ा मिल भी अहमदाबाद की भांति बन्द कर दी गई और प्रमुख कस्बों में प्रायः सभी स्कूल तथा कालेज बन्द रहे व बाजारों में हड़तालें रहीं। जिले के निवासियों ने संगठन-शक्ति का काफी परिचय दिया और यहां जो दूध व अन्य खाद्य-सामान फौज के लिए जाता था उसे भेजने से इन्कार कर दिया।

लाठी-चार्ज तो उन दिनों गांवों और कस्बों का दिनचर्या बन गई थी। नड़ियाद, आनन्द, कपड़वंज, डाकोर, उमरेट, बोरसद, घवा, चकला, इत्यादि स्थानों में कई लाठी-कांड हुए। बिना किसी विशेष कारण के लाठी-प्रहार किये जाते थे। मालूम होता था कि पुलिस के सिपाहियों को ऊपर से कुछ ऐसा ही करने की आज्ञा थी। खेड़ा जिले में १६ बार गोलियां चलीं। जिन स्थानों में गोलीकांड हुए, उनमें नडि-याद, डाकोर, आदास, चकला भदरन, कापगसहत कस्बों के नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें आदास और डाकोर के नाम तो सारे हिन्दुस्तान में मशहूर हो चुके हैं। आदास में जिस हृदयहीन तरीके से विद्यार्थियों पर गोलियां चलाई गई उसकी अपनी हृदय विदारक कहानी है।

बड़ौदा से ५० विद्यार्थियों की एक टोली ने निश्चय किया कि वह गांव-गांव में प्रचार करती हुई तथा जनता को कांग्रेस का प्रोग्राम बताती हुई आगे बढ़ती जायगी। ऐसा मालूम पड़ता है कि उनके साथ कोई पुलिस पार्टी भी उनका पीछा करती हुई चली। सूरत और खेड़ा जिले के गांव में आदास रेलवे स्टेशन पर यह टोली दो हिस्सों में बट गई। सायकाल का समय था। विद्यार्थीगण पास के खेत में, जो स्टेशन के करीब था भ्रमण करने लगे। ठीक उसी समय पुलिस की टोली हवलदार सहित स्टेशन पर पहुंची। पुलिस वालों ने उन विद्यार्थियों को रेल में बैठने का आदेश दिया। हवलदार के बर्ताव तथा दरोगा की बातों से मालूम पड़ता था कि उन लोगों ने शराब पी रखी थी। पुलिस जमा-दार, जो पहले से विद्यार्थियों का पीछा कर रहा था, और जिसे आस-पास

के गांवों में जनता की ओर से कुछ सुनना भी पड़ा था उन लोगों पर अधिक क्रोधित था। कस्बे में आते ही उसने विद्यार्थियों को खेत में बैठने का आदेश दिया। ये लोग गाड़ी से जाना चाहते थे, पर यह समझ कर कि जमादार का हुक्म उन्हें गिरफ्तार करने का है, वे वहीं बैठ गये। ट्रेन छूट चुकी थी। आदास का स्टेशन गाव व शहर के बाहर था। इस प्रकार इन निहत्थे छात्रो पर पुलिस ने गोलियां चलाईं जिससे ५ छात्र तो फौरन ही मर गये और १३ जख्मी हुए। गोलियों की आवाज तथा लड़कों की चीख-पुकार ने गांव के लोगों का ध्यान इस घटना की ओर खींचा। पर पुलिस वालों ने उन्हें लड़कों के पास न जाने दिया। उन्होने यहां तक बर्बरता की कि घायलो को पानी तक देने की सुविधा न दी। वे सारी शाम और तमाम रात उसी स्थिति में पड़े रहे। सुबह सामान के पुलन्दों की तरह उन्हें लारियो में भरकर शफाखाने पहुंचाया गया और लुत्फ़ तो यह था कि यह सब करने के बाद भी पुलिस ने उल्टा उन्हीं पर मुकदमा चलाया।

डाकोर गोली-कांड आदास से भी अधिक हृदय विदारक है। रणछोड़-राई के प्रमुख शिवाले के पास पुलिस ने निहत्थी जनता पर गोली चलाने का आदेश दिया। पुलिस के दबाव के कारण जनता छोटी-छोटी गलियों में भागने लगी। पर पुलिस ने उनका पीछा किया और तब तक गोलियां चलाना जारी रखा जब तक कि उनका सारा गोला-बारूद खतम न हो गया। फिर भी जनता का उत्साह भङ्ग न हुआ और उसने पुलिस पर आक्रमण करना चाहा। लेकिन स्वर्गीय छोटाभाई मुखी के हस्तक्षेप पर पुलिस का बाल भी बांका न हुआ, अन्यथा पुलिस का एक भी जिन्दा न बचता। पर थोड़ी ही देर बाद दूसरी पुलिस पार्टी वहां पर आ गई और उसने छोटाभाई मुखी को अपनी गोली का शिकार बनाया। यहां पर यह बात उल्लेखनीय है कि श्रीयुत छोटाभाई मुखी को थाने के पास मारा गया और घन्टों तक उनकी लाश वहीं पड़ी रही। आश्चर्य की

बात तो यह है कि पुलिस के सिपाही, जो उनके पास थे, वही थे जिन्हें छोटाभाई मुखी ने जनता के प्रचण्ड क्रोधसे बचाया था। इस प्रकार इन दो कांडों में ७-८ विद्यार्थी मरे। घायलों की संख्या का तो पता ही नहीं चला। खेड़ा जिले में निम्नलिखित सरकारी इमारतों पर जनता के सामूहिक आक्रमण हुए। नडियाद आय-कर आफिस, गवर्नमेंट हाउस वर्मराज हाई स्कूल, सौचित्र हाई स्कूल।

१—नाडियाद और अहमदाबाद में बम फटे और नडियाद के आय कर आफ़िस में आग लगाई।

२—कितनी ही जगह तार काटे गये।

३—लगभग ७५ डाकखानोंसे डाक के थैलोंको लूटा गया और ३० फी सदी डाकखाने बन्द कर दिये गए।

४—खेड़ा ज़िले में १० हजार रुपया सामूहिक जुर्माना हुआ। इस ज़िले में २९९ गिरफ्तार और ११२ नज़र बन्द किए गए। ११७ आदमियों को सज़ाएं दी गईं।

सूरत जिला

हड़तालें प्रायः सभी कस्बों में रहीं और कई जगह काफी अर्से तक चलीं। कपड़ा-मिलें १॥ मास तक, बाजार दो मास तक और विद्यार्थियों की हड़ताल एक साल तक रही। गोलियां, सूरत जलालपुर और बार-डोली में कई बार चली।

सूरत गुजरात प्रान्त का एक महत्वपूर्ण जिला है। व्यापार तथा खुशहाली यहां पर काफी है। सूरत में मुसलमानों को तादाद भी काफी है। सूरत जिले में अन्दोलन का उतना व्यापक रूप तो न रहा, पर सूरत शहर में काफी चहल-पहल रही। विद्यार्थियों के आन्दोलन का रूप बहुत काफी बढ़ा-चढ़ा रहा।

सूरत में ३० से अधिक पुलिस-चौकियों पर जनता के सामूहिक व गुरिला आक्रमण हुए, बहुत से डाकखानों को भी जलाया गया तथा

किशन और तिबरवा रेलवे स्टेशनों पर भी आक्रमण किये गए।

तोड़ फोड़ के कार्य में सूरत पीछे नहीं रहा। सूरत शहर व जलालपुर तालुके में निरन्तर तार काटने का प्रोग्राम चलता रहा। बारडोली में काफी दूर तक रेल की पटरियां उखाड़ दी गईं। दिवाली और जलालपुर में भी रेल की पटरियां उखाड़ी गईं। तापती वैली में ९ माह तक बराबर रेल की पटरियों को उखाड़ने का सिलसिला जारी रहा।

सूरत जिले में कुल १,६५,३५० रुपया सामूहिक जुर्माना हुआ, पर इसमें कहीं अधिक गुण्डों की मदद से वसूल किया गया। सूरत जिले के सारे कांग्रेस संगठन पर पाबन्दी लगा दी गई। जितने आश्रम थे उन पर कब्जा कर लिया गया। सूरत की म्युनिसिपेलिटी ने आन्दोलन में काफी मदद दी और इसलिए उसको मुअत्तिल कर दिया गया।

सूरत जिले में कुल ११८१ गिरफ्तारियां हुईं और ३७६ व्यक्तियों को नज़रबन्द किया गया। इसके अलावा ९०५ व्यक्तियों को सजायें हुईं

भड़ौच ज़िला

भड़ौच जिले के जम्बूसर ताल्लुके में आन्दोलन की गतिविधि तीव्र रही। यहां के आन्दोलन ने महाराष्ट्र सूबे के सतारा जिले के आन्दोलन जैसा रूप ग्रहण किया। यहां के प्रमुख नेता श्री छोटाभाई का हिंसा के साधनों में विश्वास है। उन्होंने इस आन्दोलन-काल में अपनी शक्ति के अनुसार जनता को हिंसात्मक साधन अपनाने का प्रोत्साहन दिया। अतः कुछ नवयुवक इस विचार-धारा से प्रभावित होकर ताल्लुके में अपनी सरकार कायम करने तथा पुलिस-चौकियों व थानों पर आक्रमण करने की नीति को अपनाने लगे। ये नवयुवक विशेषतः वह लोग थे जो आन्दोलन-काल से पहले अखाड़ों में व्यायाम आदि करते थे। इनके विचार प्रारम्भ से ही हिंसा की ओर झुके हुए थे। ठीक इसी समय इन लोगों को प्रमुख क्रान्तिकारी मेघजी नायक का भी सहयोग प्राप्त हुआ। मेघजी

भड़ौच जिले में एक विचित्र बागी हैं जिनके लिये जनता में बड़े विचित्र खयाल हैं। मेघजी ने, सुना जाता है, कभी भी किसी गरीब को नहीं लूटा इस के विपरीत वे अमीरों को लूटकर गरीबों की सहायता किया करते हैं इस जिले में थानों पर आक्रमण किये गये और सरकारी हथियारों को छीनकर वहां से हटाने के सफल व असफल प्रयत्न हुए। भड़ौच जिले में आमदोरफ्त के रास्ते भी थोड़े हैं, और इसलिए पुलिस आक्रमणकारियों को तेज़ी से पकड़ने में सफल नहीं हुई। उसके विपरीत मेघजी और छोटाभाई के लूटने के अपने प्रोग्राम सफल रहे। उन लोगों ने पुलिस की वर्दियां पहनकर कई थानों पर प्रहार किये और इस प्रकार ३ माह तक इन लोगों ने अपने-अपने इलाकों में अपना राज्य स्थापित रखा।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस जिले में १७१ गिरफ्तारियां हुई, ९९ नजरबन्द किये गए और ७२ को सजायें दी गई। गैर-सरकारी सूत्रों के अनुसार गिरफ्तारियों की संख्या इससे कहीं अधिक रही।

पंचमहल ज़िला

नेताओं की गिरफ्तारी के पश्चात् इस ज़िले में भी हड़तालें और सामूहिक प्रदर्शन प्रारम्भ हुए और सरकार ने लाठियां की बौछारों से उसका स्वागत किया। विद्यार्थियों ने स्कूल कालेज छोड़े और हड़ताल करने के कारण कितने ही दूकानदार पकड़े गये। इस जिले में गोलीकांड केवल एक बार ही हुआ। एक फरार को पकड़ने के लिये पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी। ठीक इसी तरह तोड़-फोड़ के कार्य भी कम हुए। हां, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आफिस जलाये गए और कालेज में दो-तीन पुलिस चौकियों पर बम के विस्फोट हुए। कलोल तालुके में शिवराज ग्राम के पास गुजरात रेल की पटरी उखाड़ी गई। इसका तात्पर्य यह था कि पुलिस और फौज की टुकड़ियां जो कलोल में दमन करने के लिए आ रही थीं, उनको रोका जाय। इस उद्देश्य के लिए कलोल रेलवे पुल को तोड़ने के प्रयत्न किये गए। इस प्रकार कई गाड़ियां गिर पड़ीं और

सैनिकों के चोटें आई। मनेसेना और कलोल में भी रेल का चलना बन्द हो गया था। कलोल के नज़दीक हज़ारों आदमी एक मेले में इकट्ठे हुए और वे अपने साथ लाठियां व बर्छी इत्यादि शस्त्र भी लाये। पुलिस और जनता में झगड़ा हुआ। इस ज़िले में औरतों ने भी काफ़ी संख्या में भाग लिया। करींदी ग्राम में कुछ थोड़े से गुरिलों ने पुलिस की टुकड़ियों से हथियार रखवा लिये। पर फौज ने गांव वालों से इस कार्य का काफी बदला लिया। कलोल में रेवेन्यू दफ्तर भी जला दिया गया। इन इलाकों में पुलिस और गुरिला दस्तों के इक्के-दुक्के कई झगड़े हुए। इस जिले में २८३ व्यक्ति गिरफ्तार किये गए ३१ नज़रबन्द रखे गये और २४४ को विभिन्न सज़ायें दी गईं।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र का भारत के इतिहास में अपना निराला स्थान है। यहां के लोग मेहनती, जफाकश, हृष्टपुष्ट, गठीले तथा तीव्र बुद्धि हैं। इस इलाके की भौगोलिक स्थिति और खासकर पथरीली और पहाड़ी ज़मीन का यहां के लोगों के जीवन, शरीर तथा विचार-धारा पर गहरा प्रभाव पड़ा है। स्वभावत महाराष्ट्र के लोग गुरिला लड़ाई के लिये बहुत ही उपयुक्त हैं। उनका इतिहास भी उन्हें इस ओर प्रोत्साहन देता है।

महाराष्ट्र में ब्राह्मण व अब्राह्मण दो पार्टियां हैं विशेषतः सरकार के सारे महकमों पर तथा उन्नति के सारे साधनों पर ब्राह्मण का ही आधिपत्य है, पर अब कांग्रेस की गतिविधि के साथ अब्रह्मण लोगों में बड़ी जागृति फैल रही और उनके पढ़े-लिखे लोग हर क्षेत्र में छा जाना चाहते हैं। महाराष्ट्र में कई जिलों में आन्दोलन ने जो जोर पकड़ा उसका एक कारण यह भी था कि ब्राह्मण लोग ज्यादातर सरकारी कर्मचारी थे और उनके विरुद्ध जनता में काफी भाव थे। अतः सन् १९४२ में इन इलाकों में जब जनता उठी तो उसे इस बात से प्रोत्साहन मिला कि वह ब्रिटिश

नौकरशाही के साथ इस ब्राह्मणशाही का भी अन्त कर देगी। महाराष्ट्र में इस आन्दोलन में गांव के लोग अधिक आये और आन्दोलन की गति खांनदेश, सतारा, कोल्हापुर रियासत और शोलापुर में अधिक रही।

महाराष्ट्र के देहातों व प्रायः सभी कस्बों ने सन् १९४२ में अपना खेल खेला। सरकार ने अपनी पूरी शक्ति के साथ जनता के इस महान् एवं प्रबल प्रयत्न को कुचलने की कोशिश की। प्रारम्भ में बड़े-बड़े शहरों में हड़तालें और प्रायः विराट प्रदर्शन शुरू हुए। बाद में पूना, शोलापुर नासिक और अहमदाबाद के सभी स्कूल व कालेज बन्द होगये और इस प्रकार हज़ारों विद्यार्थियों ने आन्दोलन की गतिविधि को बढ़ाने में सहायता दी।

पूना में गोली-काण्डों की भरमार

१० अगस्त को परसराम भाऊ कालेज के सामने विद्यार्थियों का एक विशाल समूह इकट्ठा हुआ पुलिस ने गोलियां चलाई। जनता गोलियों की बौछारों में इधर-उधर भागने लगी। पुलिस वालों ने गलियों तथा बाज़ारों में भागने वाली जनता को लाठी से मारना शुरू कर दिया और डाक्टरों तक को किसी प्रकार की मदद न करने दी। इस प्रकार सैकड़ों आदमी घायल हुये। पर पूना-निवासी बिना किसी भय के निरन्तर अपना जुलूस निकालते रहे। अनेक मर्तबा लाठी-वर्षा तथा गोलियों की बौछारें हुईं। विद्यार्थियों के एक समूह ने शिवाजी मन्दिर पर एक झंडा लगाकर शहर में जुलूस निकालने का प्रयत्न किया। पुलिस ने गोलियां चलायीं और कई दर्जन विद्यार्थी घायल हुये। रातको जनता की टुकड़ियों ने पुलिस के थानों व चौकियों पर आक्रमण किया। गोलियां चलायीं और दो आदमी मरे। पूना की पुलिस ने जब कांग्रेस तथा अन्य लोक-नेताओं को गिरफ्तार कर लिया हजारों की तादाद में विद्यार्थी सैनिकों व पुलिस ने गोलियां व लाठियां चलायीं। दो रोज के बाद पूना शहर को फौज के

आधीन कर दिया गया जिसने कितनी ही बार इधर-उधर अन्धाधुन्ध गोलियां चलायीं। इस प्रकार चार रोज तक शहर में फौज का अधिकार रहा। आंदोलन सतह से हट कर गुप्त षड्यन्त्र का रूप धारण करने लगा। आंदोलन को जीवित रखने के लिए लोगों ने गुप्त संगठन कायम कर लिए।

अब शहर में तोड़-फोड़ के कार्य अधिक मात्रा में होने लगे। कैपिटल सिनेमा में बम फटा। इस सिनेमा में अधिकतर गोरे सिपाही आते थे। इस विस्फोट में ५ गोरे सैनिकों की मृत्यु हुई। पूना के निकट गोली-बारूद के एक गोदाम में भयंकर आग लगी, जिसके कारण एक करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।

जो गोली बारूद इन विभिन्न काण्डों में इस्तेमाल किया गया, सुना जाता है कि वह कुर्की के फौज गोदाम से आया था। यदि यह सच हो तो ऐसा फौज के सैनिकों और अफसरों की सहानुभूतिपूर्ण रवैये के कारण ही हुआ होगा। बाद में एक महाराष्ट्र षड्यन्त्र केस भी चला जिसमें इस फैक्ट्री के २५ आदमी पकड़े गए थे। पूना में आंदोलन ज्यादा काल तक न रहा, किन्तु जो कुछ हुआ उसमें विद्यार्थियों का विशेष हाथ था। लगभग ३० व ४० जगह टेलीफोन के तार भी काटे गए। तोड़-फोड़ के कार्य अक्तूबर व नवम्बर मास में अधिक हुए।

पूर्वी व पश्चिमी खानदेश

पूर्वी व पश्चिमी खानदेश में यद्यपि आन्दोलन का रूप अधिकतर सामूहिक न रहा, पर पूर्वी खानदेश के कुछ इलाकों में, विशेषकर नन्दूबार और अमलनेर के इलाकों में आन्दोलन का रूप बड़ा ही उग्र और व्यापक रहा। प्रारम्भ में इन जिलों के शहरों में हड़तालें, जुलूस और सभाएँ हुईं जिनको लाठी प्रहारों द्वारा तितर-बितर कर दिया गया। १४

व १५ अगस्त को नन्दूबार में विद्यार्थियों का एक जुलूस निकला जिस पर पुलिस ने गोलिया चलायी। यद्यपि विद्यार्थियों का जुलूस शांतिपूर्वक सड़कों व गलियों में से गुजर रहा था, किन्तु पुलिस ने उन पर बेंतों की बौछारें शुरू कर दीं। बहुत से विद्यार्थी घरों में घुस गए। जो किसी जगह न घुस सके उन पर एक थानेदार ने गोली चलाई। वह उत्तेजना से पागल होकर कुछ छात्राओं के तरफ लपका। इसी समय उसके सामने एक लड़का आया जिसने अपना सीना खोल कर गोली मारने के लिए कहा। थानेदार ने लड़के के गोली दाग दी, पर सौभाग्य से वह उसे न लगी। लड़के ने बिना हिचकिचाहट के थानेदार को फिर गोली मारने की दावत दी। इस बार उसने फौज के सिपाहियों से उसे पकड़ने के लिए कहा और इस प्रकार पकड़ कर गोली मार दी गई। यह वीर जमीन पर गिर पडा। उसके पश्चात् थानेदार एक टोली में घुसा और एक लडके को गोली मारी। इस प्रकार ४ लड़के मरे और १७ जख्मी हुए। उन्हें किसी भी प्रकार की डाक्टरी सहायता नहीं दी गई। एक वकील को जो गांधी टोपी पहने पास ही तांगे में बैठे जा रहे थे और जिन्होंने इन जख्मियों के प्रति सहानुभूति दिखानी चाही थी, तांगे से नीचे खींच लिया गया और कोड़े लगाए गए।

पूर्वी खानदेश के अमलनेर इलाके में आंदोलन का रूप उग्र रहा। यह वह इलाका है जहां महाराष्ट्र प्रांत के कितने ही प्रमुख किसान व मजदूर नेता पैदा हुए हैं। साने गुरूजी यहीं के रहने वाले हैं। इलाके में युवतियों ने भी काफी हिस्सा लिया। यहां के डा० उत्तम पाटिल थे जो कि एक किसान के घर में पैदा हुए थे। इनके पीछे इनकी बीबी लीला पाटिल ने भी आन्दोलन में बहुत हिस्सा लिया और तोड़-फोड़ के अभियोग में उन्हें ६ सालकी सज़ा हुई। वह पूना हॉस्पिटल से पुलिस की हिरासतसे फरार हो गई। सन् १९४४ में डा० उत्तम पाटिल भी गिरफतार हुए,

परंतु वह भी पुलिस हिरासत से भाग गये और गुरिला आंदोलन का संचालन करते रहे।

अमलनेर में इन लोगों ने एक सामूहिक मोर्चा लगाया जिस पर लगभग ३ हजार आदमी जमकर दृढ़ता के साथ पुलिस से लड़े और पुलिस-स्टेशनों, डाकखानों, रेलवे स्टेशनों तथा ताल्लुका कचहरी पर कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए आक्रमण किये। काफी लोग पकड़े गये और अन्त में गोली भी चलाई गई। कुछ अर्से बाद आंदोलन का सामूहिक रूप छिन्न-भिन्न होने लगा और वह गुरिला युद्ध के रूप में बदल गया। इन दोनों ज़िलों की भूमि और भौगोलिक स्थिति गुरिला युद्ध के लिए उपयुक्त भी है।

नासिक

नासिक शहर में नेताओं की गिरफ्तारी के बाद फौरन ही हड़ताल हुई और रोजाना जुलूस निकलने शुरू होगये। पुलिस कुछ लोगों को पकड़ने के लिये आई तो लोगों ने पुलिस के हथिआर छीन लिये। उसके बाद पुलिस ने नासिक में लाठियों की बौछारों से आतंक फैलाना शुरू कर दिया। गोली भी चली। आन्दोलन ने गुप्त रूप धारण कर लिया। तार काटने, डाकखानों को जलाने, रेलवे लाइने को उखाड़नेके सामूहिक काम भी हुए। ब्रिटिश नौकरशाही ने सामूहिक जुर्माने किये। नासिक जिले के देहातों में भी आन्दोलन हुआ। इसमें मुख्यतः किसान लोग थे। सवा महीने पश्चात् नासिक में अन्न के लिये आन्दोलन शुरू हो गया। पाण्डे आदि नेता गिरफ्तार कर लिये गए।

अहमदनगर

कांग्रेस-कार्य-समिति के सदस्य अहमदनगर में रखे गये, इस कारण इस जिले का महत्त्व आन्दोलन की दृष्टि से और भी बढ़ गया। सच तो यह है कि आन्दोलन काल में सारे देश की आंखें अहमदनगर के

किले की ओर ही लगी रहीं। कितने ही मुर्झाये दिल आशा व प्रोत्साहन के लिए किले की ओर देखते थे। यह किला पिटी व पिसी जनता की आशाओं व आकांक्षाओं का केन्द्र बन गया। पटवर्धन बंधु भी यहीं के रहने वाले थे। यहां के आन्दोलन में मुख्यतः किसानों ने हिस्सा लिया। प्रारम्भ में हड़तालें हुई, विरोध-प्रदर्शन हुए सभायें हुई और अन्त में आन्दोलन का रूप गुरिला युद्ध में बदल गया। तोड़-फोड़ के कार्य भी काफी हुए। अहमदनगर जिले के एक बैंच मजिस्ट्रेट की अदालत में आग लगाई गई। केण्टोंनमेण्ट में गुरिला तबके ने पुलिस के सिपहियों की वर्दी उतरवा ली।

जिले के अन्दर गांवों में भी आन्दोलन फैला। कोपर गांव और शे गांव में काफी समय तक निरन्तर तार काटने का का काय चलता रहा और अधिकारियों के लिए अपना काम चलाना काफी मुश्किल कर दिया गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहां तथा मांडर्न हाईस्कूल और लड़कियों के स्कूलों में कई बार बम-विस्फोट भी हुए स्कूल बहुत दिनों तक बन्द रहे। तोड़-फोड़ सम्बन्धी कार्यों का पता चलाने के लिए पुलिस ने काफी तलाशियां ली। इन तलाशियों में दो फौजी ठेकेदारों और एक दूकानदारों के यहां भी तलाशी हुई।

सितारा

सन् १९४२ के खुले विद्रोह में सितारा जिले ने अपना एक निराला ही इतिहास बनाया है। इस जिले की अपनी विशेष स्थिति है, जिसका वहां के आन्दोलन के विकास व गतिविधि पर खास प्रभाव पड़ा है। यहा एक पहाड़ी जिला है और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत मशहूर है। मराठ साम्राज्य का सितारा एक प्रमुख शहर रहा है और मराठे अपने सैनिक गुणों के लिए इतिहास में प्रसिद्ध हुए हैं। उनमें बड़े उच्च श्रेणी के नेता हुए हैं। भारतीय सेना में भी सितारा के सिपाहियों की काफी बड़ी

संख्या है । यह ज़िला अंग्रेजों के लिए सैनिकों की भर्ती का केन्द्र है। सितारा के आदमी हृष्ट-पुष्ट, गठीले तथा बहादुर हैं पूर्व की ओर सितारा ज़िला पश्चिमी घाटों और नीरा नदी के साथ उत्तर से शुरू होता है और दक्षिण में बरना नदी के साथ समाप्त होता है। पश्चिमी भाग पहाड़ी कतारों से भरा पड़ा है। इसी ज़िले में महाबलेश्वर का विख्यात पहाड़ है। कृष्णा नदी भी यहीं से निकलती है। पूर्वी भाग कम उपजाऊ है जहां वर्षा भी कम होती है।

सन् १९२१ से यहां पर जन-आंदोलन का जन्म हुआ। प्रारम्भ में सत्यशोधक आंदोलन का श्रीगणेश हुआ। इस आंदोलन का उद्देश्य कुछ सामाजिक सुधार करना था। सन् १९२७–२८ में बारदोली में किसान-संघर्ष और लगानबंदी आंदोलन शुरू हुआ तो सितारा के किसानों में भी जागृति पैदा हो गई और वह बारदोली के किसानों से प्रोत्साहन लेने लगे। इसके थोड़े दिनों बाद। सन् १९३० का सत्याग्रह प्रारम्भ हुआ और गांधीजी के डांडी कूच ने सितारा ज़िले के किसानों में एक नई स्फूर्ति व आज़ादी की इच्छा पैदा कर दी। लगभग ५७ आदमी इस जिले से जेल गये और हजारों किसानों ने जंगल-सत्याग्रह में भाग लिया। तम्बूरा, रेठरी और बिलेशी गांवों में इस सत्याग्रह में विशेष स्थान प्राप्त किया। उस समय यहां अपनी सरकार बनाने के प्रयत्न हुए, पर पुलिस की बड़ी ताकत द्वारा उन्हें दबा दिया गया।

सितारा में जो बीज सन् १९३० में बोया गया था, वह सन् १९४२ में बड़े वृक्ष के रूप में प्रकट हुआ। आंदोलन के व्यापक होने के कई कारण था। सितारा ज़िले के प्रायः हर गांव के कितने ही लोग फ़ौज में भरती होगये थे। उनके घर वालों को उनकी चिंता थी। अंग्रेज़ी साम्राज्य से लोगों का विश्वास उठ रहा था। अतः इस स्वतन्त्रता आंदोलन में उनको अपने घर वालों के लौटने की एक झलक दिखाई दी। यहां के किसान

काफ़ी जागृत हो चुके थे। यहां की भौगोलिक स्थिति आंदोलन को लम्बे अर्से तक जारी रखने में सहायता हुई और परम्परा ने गुरिल्ला युद्ध के लिए प्रेरणा दी।

९ अगस्त को जब सितारा जिले की जनता ने कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी की बात सुनी और अपने जिले में गिरफ्तारियां होते देखीं तो काफी जोश पैदा होगया। सैकड़ों जगह सभायें हुई और उनमें कार्यकर्ताओं ने लोगों से जीने व मरने की शपथ ली। इन सभाओं में कितने ही गांवों के मुखियों ने इस्तीफे दिये। जब महाराष्ट्री नेता बम्बई से लौटकर आये तो जनता ने उनका पवित्र तीर्थ से लौटे हुए यात्रियों की भांति हार्दिक स्वागत किया। लोग बड़ी उत्सुकता से पूछते थे, 'गान्धीजी ने क्या कहा? क्या आदेश दिया? क्या अब वह बूढ़े हो गये हैं?' इस प्रकार के प्रश्न पूछते हुए उनकी आंखों से अश्रुधारा बहती थी। अन्त में खिन्न होकर वह पूछते थे, 'क्या गांधी जी पकड़ लिये गये? उन्हें क्यों पकड़ा गया? निर्दयी सरकार को उन्हें इस बुढ़ापे में पकड़ते हुए दया नहीं आई?' और तब वह क्रोध से उन्मत्त हो पागल की तरह पूछते थे, 'अब हमें क्या करना चाहिए? गान्धीजी ने हमें क्या करने का आदेश दिया है?' लौटे हुए कांग्रेसी नेताओं ने जनता को कांग्रेस का प्रोग्राम व गान्धीजी का आदेश बताया।

यद्यपि जिले में दफा १४४ लग चुकी थी, पर लोगों ने लगभग १०० से अधिक स्थानों पर सभायें कीं। किरलोसकर कापर फैक्ट्री में पूर्ण हड़-ताल हुई और यह फैक्ट्री एक माह तक बन्द रही।

लोगों ने अपना क्षोभ ताल्लुका कचहरी के सामने शान्त प्रदर्शन कर के उतारना चाहा। ताल्लुका के प्रत्येक गांव से ग्रामवासी एक निश्चित तिथि पर जुलूस बनाकर 'भारत छोड़ो' का नारा लगाते हुए किसी ज़िम्मे-दार कांग्रेस–कार्यकर्ता के नेतृत्व में ताल्लुका कचहरी के पास आये। वहां

हुए उन्होंने समानांतर सरकार की स्थापना की इसे पटरी सरकार कहा जाता था। इसने सरकार-परस्तों में भारी आतंक बिठा दिया। उसका न्याय-शासन बड़ा सख्त था। जो लोग इस सरकार की दृष्टि से अपराध करते थे और विदेशी राय को मदद पहुंचाते थे, उनको अंग-भंग करके सख्त सजा दी जाती थी। जब अन्य भागों में शांति होगई, तब भी सितारा में सरकार का दमन बराबर जारी रहा। वहां पूर्ण शांति तो कांग्रेसी मन्त्रि-मण्डल की स्थापना के पश्चात् ही कायम हुई, जब कि तमाम दमन-कारी कार्रवाई बंद की गई।

कर्नाटक

भारतवर्ष के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में कर्नाटक का सदा महत्त्व-पूर्ण स्थान रहा है। सन् १९२१ से १९४२ तक जितने भी आंदोलन चले, कर्नाटक के लोगों ने इन सबमें अपनी प्रतिभा, संगठन-शक्ति व सामूहिक जोश का प्रदर्शन किया है अनेक प्रकार की यातनायें सही हैं। स्वभाव से ही यहां के लोगों का गांधीजी के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास रहा है। कर्नाटक का शानदार इतिहास है। वह कला व संस्कृत के लिए विख्यात है। कर्नाटक के लोगों को संगीत से बड़ा प्रेम है और वे स्वभावतः धार्मिक हैं। शायद इसी कारण उन्हें गांधीजी के नेतृत्व में और अधिक विश्वास है। दक्षिण के वीरों की अनेकों कहानियां प्रचलित हैं। यहां रेड्डी, तलवार, बादम, नायक आदि कितने ही प्रकार के सैनिक हैं जिन्होंने अपनी बहादुरी व सैनिक कला के कारण कर्नाटक में ही नहीं बल्कि दक्षिण के और सूबों में भी ख्याति प्राप्त की है।

मैंने उपरोक्त बातों को थोड़ा-सा केवल इसलिए बताने का प्रयत्न किया कि आन्दोलन की गतिविधि पर प्रत्येक प्रान्त की जनता की मनोवृत्ति, भावनाओं कल्पनाओं तथा बाह्य परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ता है। कर्नाटक में जब कांग्रेसी नेताओं के पकड़े जाने की खबर फैली तो वहां के

लोगों ने विभिन्न आन्दोलनों द्वारा जो ट्रेनिंग पाई थी, उसके अनुसार अपना विरोध प्रगट किया। वे लाखों की तादाद में संगठित रूप से उठे और आन्दोलन को सबसे अधिक लम्बे काल तक सामूहिक व व्यक्तिगत रूप में जारी रखा। इस दृष्टि से कर्नाटक प्रान्त सारे भारत में सर्वप्रथम है किसी भी प्रांत में इतने संगठित रूप से आंदोलन का प्रवाह नहीं रहा। इसका श्रेय कर्नाटक के नेताओं को ही है। इतना ही नहीं जहां एक ओर कर्नाटक के गांव-गांव में विद्रोह की यह अग्नि फैली वहां दूसरी ओर हमने देखा कि वहां पर एक भी सरकारी कर्मचारी की हत्या नहीं हुई, हालांकि वहाँ लोगों के घरों को जलाया गया और उन्हें तरह-तरह की शारीरिक यातनाएं भोगनी पड़ीं।

गान्धीजी का संदेश

८ अगस्त सन् १९४२ की रात को कर्नाटक के नेता श्री गोपालराव बिलवादी गांधीजी के पास संदेश लेने के लिए गये। गांधीजी ने संघर्ष की सम्भावना समझते हुए यह सन्देश दिया, "मैं कर्नाटक रहने वालों से यह आशा करता हूँ कि वे आने वाले यज्ञ में अपनी पूर्ण शक्ति से योग देंगे।" इसका वहां के लोगों पर इतना गहरा असर पड़ा कि उन्होंने अनगिनत लाठियों के प्रहारों, गोलियों की बौछारों और फौज व पुलिस की ज्यादतियों को दिलेरी व जवांमर्दी से खुशी-खुशी सहा। लगभग २ हजार आदमी आंदोलन में पकड़े गये।

आन्दोलन की गतिविधि

कर्नाटक में होने वाले आंदोलन को हम तीन भागों में बांट सकते हैं–

१. ८ अगस्त सन् १९४२ से लेकर १६ सितम्बर सन् १९४२ तक।

इस काल में वहां की जनता ने सामूहिक विद्रोह किया और न्याय व शांति-रक्षा का भार अपने उपर ले लिया। गांव-गांव और कस्बे-कस्बे में

हड़ताल, सभायें और विरोध-प्रदर्शन हुए और इस प्रकार जनता ने ब्रिटिश राज्य को मानने से साफ इन्कार किया। पर यह जो कुछ हुआ जो कुछ हुआ, वह सब संगठित नहीं हुआ। इसमें जोश की मात्रा अधिक थी।

२, १८ सितम्बर सन् १९४२ से लेकर ५ नवम्बर सन् १९४२ तक।

इस काल में कर्नाटिक के नेताओं ने जोश व शक्ति को ठीक तरीके से प्रयोग करने के लिए आन्दोलन को संगठित रूप दिया और सरकार के विरुद्ध संगठित नीति को अपनाया। इसी काल में कर्नाटक में सरकारी राज्य व्यवस्था तथा मार्ग-व्यवस्था रेल, तार, टेलीफून आदि को अस्त-व्यस्त करने का संगठित प्रयत्न किया गया।

३, ५ नवम्बर सन् १९४२ से लेकर ५ मई सन् १९४६ तक।

इस काल में कर्नाटक में संगठित खुले सामूहिक प्रयत्न हुए। सरकारी राज्यसत्ता प्राप्त करने के लिए यह प्रयत्न शुद्ध सत्याग्रही आधार पर थे। पर इसबार उनमें अधिक तेजी व शक्ति थी। इस प्रकार आन्दोलन का पहला काल असंगठित व क्षणिक था, दूसरे में संगठित व सतत प्रयत्न थे और तीसरे में सत्याग्रही सिद्धांतों का पूर्णतः पालन किया गया। गांधी जी के छूटते ही यहां के आन्दोलन की गति समाप्त हो गई।

इन तीनों कालों में जो आंदोलन इस प्रांत में हुए और जिस प्रकार के प्रोग्राम बनाए गए उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। (१) सत्याग्रही विरोध प्रदर्शन और (२) सरकारी व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने के तोड़-फोड़ के काम। जहां तक पहली किस्म के कामों का सम्बंध है, उनका विस्तार से बताना मुश्किल है, पर फिर भी उस प्रोग्राम के अधीन इस प्रकार के कार्य किए गए:—

१, जुलूसों और जलसों पर लगे हुए प्रतिबंध को साफ खुले तरीके पर तोड़ा गया।

२, छापेखानों तथा साइक्लोस्टाइल वाले प्रतिबन्धों की अवहेलना की गई।

३. बुलेटिन व पोस्टर खुले रूप से बांटे गए।

४. नमक कानून तोड़ा गया।

५. अदालतों व शराब की दूकानों पर पिकेटिंग किया गया।

६. बगैर टिकट के सफर किया गया।

इस प्रकार के प्रोग्राम पर सारे प्रांत में अमल हुआ और सरकार ने उसे पकड़-धकड़, लाठी, राइफल की मार तथा भारत रक्षा कानून द्वारा विफल करने का प्रयत्न किया।

तोड़-फोड़

इस प्रांत में जो तोड़-फोड़ के कार्य हुए, उनमें मुख्य ये हैं:—

१. टेलीग्राफ और टेलीफोन के तारों को उखाड़ा गया। इस प्रकार के १६०० सफल व असफल प्रयत्न में हुए।

२. २२० गावों में गांव के रेकार्ड छीने व जलाये गये।

३. छोटे व बड़े लगभग ३२ डाकखानों को क्षति पहुंची और उन पर कब्ज़ा करने के प्रयत्न हुए। लगभग ५१ फी सदी चिट्ठी डालने की संदूकचियों को बरबाद किया। लगभग १०० डाक थैले छीने गये और उन्हें बरबाद किया गया। लगभग १६ डाक ले जाने वाली गाड़ियों पर आक्रमण हुए और डाक के थैलों को छीना गया।

४. लगभग ४४ डाक बंगलों को क्षति पहुंची या पूर्णतः बरबाद कर दिये गये। बंगलों में उस काल में पुलिस व रेवेन्यू अफसरों के कैम्प थे।

५. लगभग ६५ शराब व गांजे की दूकानों पर आक्रमण हुए और उन्हें नष्ट किया गया और लगभग ५० डिब्बों को जिनमें शराब भरी हुई थी, बहा दिया गया।

६. २५७ गांवों के सरकारी दफ्तर या तो क्षति-ग्रस्त हुए या नष्ट हुए

७. १॥ लाख रुपये की सरकारी लकड़ी में आग लगा दी गई।

८. लगभग २६ रेलवे स्टेशनों को या तो जलाया गया या क्षति ग्रस्त किये गये।

९. लगभग ११ बार रेलगाड़ियां पटरी पर से उतरीं और १३ दफा रेल की पटरियां उखाड़ी गई और रेलवे सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने के अनेक प्रयत्न किये गये।

नोट— केवल एक दफा एक मुसाफिर गाड़ी उतारी जिसमें एक आदमी की क्षति हुई। अन्यथा अधिकतर मालगाड़ियों को ही उलटने का प्रयत्न किया गया।

१०. सड़कों पर के लगभग २५ पुलियों के तोड़ने के सफल व असफल प्रयत्न हुए।

११. इस बार लगानबन्दी का प्रयत्न नहीं हुआ, सिर्फ सरकार जो रुपया वसूल करती थी उसे छीनने के अनेक प्रयत्न हुए।

१२. लगभग ३० पुलिस सिपाहियों की वर्दियां उतरवाई गई और उनसे हथियार रखवा लिये गये।

विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि कर्नाटक प्रान्त में एक भी मिसाल ऐसा नहीं मिलती कि जनता ने किसी की व्यक्तिगत सम्पति पर आक्रमण किया हो या उसे लूटा हों। सारा आन्दोलन सरकारी सत्ता के विरुद्ध केन्द्रित था और जब आन्दोलन के नेताओं को मालूम हुआ कि दो-चार जगह स्कूलों के रिकार्ड जलाये गये तो उन्होंने ऐसा न करने की हिदायत जारी करदी बाद में इस बात का पता चला कि यह वह स्कूल थे जहां हर पुलिस ने अपने कैम्प डाल रखे थे।

दमन के तरीके प्रायः सभी जगह एक-से रहे। डराना, आतंक फैलाना, मासूम लोगों से रुपये वसूल करना आदि उपाय काम में लिये गये। पर चूंकि कर्नाटक प्रान्त में कितने ही कार्यकर्ता ऐसे थे जो आन्दोलन प्रारम्भ होते ही अपने घरों से भाग निकले थे और आन्दोलन का संचालन

कर रहे थे, इसलिये पुलिस ने उनको पकड़ने के लिए उनके रिश्तेदारों व मित्रों को अनेक प्रकार की यातनायें दीं। बेटे के बजाय बाप को पकड़ा गया और लोगों को पुलिस और फौज के घेरे में जमा किया गया तथा इस प्रकार उनके हृदय में भय बिठाकर उनसे भागे हुए लोगों मी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई।

प्रारम्भ में धारवाड़, बेलगांव और उत्तरी कनारा में इन फरारों की संख्या, जो घोषित की गई, ३०, २२ तथा ३४ थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फरारों की संख्या केवल धारवाड़ जिले में ही २३२ तब पहुंच गई। उन लोगों ने आत्म-समर्पण नहीं किये और पुलिस के नियम की अवहेलना की। जब पुलिस उन्हें न पकड़ सकी तो यह कार्य फौज़ को सौंपा गया। फौज ने बेलगांव जिले व धारवाड़ तथा रतनार जिले के प्रमुख इलाकों को घेर लिया और पहाड़ों व जंगलों को छान मारा। फौजी रात को गांवों पर हमले करते थे। इनके अक्रमणों का यह तरीका था कि गांव से बाहर लारियां खड़ी करके रात की गांवों में चुपके से घुसते थे और सड़कों पर खड़े होकर आने-जाने वाले आदमियों को रोकते थे। रात भर उन्हें बन्द रखते थे और फिर उन सब जगहों की तलाशी लेते थे जहां पर उन्हें किसी फरार का सन्देह होता था वहां न केवल घरों की तलाशी ली गई, बल्कि फरारों को एक-एक करके चुनने के भी प्रयत्न हुए। रात को घरो में जा-जाकर टार्च की रोशनी व बन्दूकों के प्रहारों से तलाशियों ली गई। जंगलों में रात को उड़ने व चमकने वाले बम अर्थात् रोशनी करने वाले बम फेंके गये। रास्ते में जहां कहीं भी इक्के-दुक्के आदमी मिलते थे उन पर गोली चलाई जाती थी। इस प्रकार कितने ही लोग जख्मी हुए। पुलिस ने मार-पीट की तो हद कर दी। उंगलियों में पिनें चुभाना, रात को सोने न देना, तथा अन्य प्रकार की मानसिक यातनाएं देने के काफी उदाहरण मिलते हैं। एक स्कूल मास्टर को बससे नीचे उतारकर इसलिए सड़क पर खींचा गया कि उसने कांग्रेसी नारे बोले थे। बैतकी जिले में

एक छोटे से बच्चे के सारे दांत तोड़ दिये गये, क्योंकि उसने फरारों की बाबत कोई इत्तिला नहीं दी।

बेलगांव जिले के एक गांव में पुलिस की एक टुकड़ी ने ५० नारियों के साथ ६ नवम्बर सन् १९४२ को घेरा डारा और प्रत्येक घर की तलाशी ली। उस समय उस लाइन के टेलीग्राफ पोस्ट पर पुलिस और फौज का पहरा था। डिप्टी सुपरिएटेएट और चार सब इंसपेक्टर वहां पर मौजूद थे। वहां पर इन्हें कुछ नहीं मिला। उन्होंने केवल चर्खा-संघ के दो कार्य-कर्त्ताओं को पकड़कर ही सन्तोष किया।

३ नवम्बर को आधी रात के कुछ देर पश्चात् कई सौ फौजी सैनिकों ने संकेश्वर ग्राम पर धावा बोला। सारे गांव व उसके खेतों तक को घेर लिया और गांव के लोगों को एक घर से दूसरे घर तक नहीं जाने दिया। लगभग २०-३० आदमियों को हिरासत में लिया और फिर बाद में छोड़ दिया। उत्तरी कनारा में डिप्टी सुपरिएटेएडेएट पुलिस ने कई सौ पुलिस के सिपाहियों सहित अंकोला से बसेगौन और लुवेरे तक २० वर्ग मील के क्षेत्रफल पर धावा बोला। हर घर की तलाशी ली। इस प्रकार पुलिस ने फरारों के पकड़ने के कितने ही व्यर्थ प्रयत्न किये, पर इस इलाके के लोगों ने अपने कार्यकर्त्ताओं को, जो उन्हें अपने जीवन से भी कहीं अधिक प्यारे थे, बचाया और पुलिस तथा फौज के अनेक प्रयत्नों के बावजूद कार्यकर्त्ता आजाद लोगों की तरह घूमते रहे।

कर्नाटक में लगभग १८ जगह गोलियां चलीं। बंगलौर में दो दिन के अन्दर पांच जगह गोलियां चलीं। इस प्रकार प्रान्त में लगभग १७८-आदमी मरे और ६०० घायल हुए। लगभग १६ जगह लाठी चार्ज हुआ और ३१ दफा में लगभग ९० आदमी सख्त जख्मी हुए और सैकड़ों को छोटी-मोटी चोटें आईं। पुलिस ने फरार व्यक्तियों को पकड़ने के लिए ढाई सौ से १५ सौ रुपए तक के इनाम की घोषणा की और

लगभग साढ़े तीन सौ कार्यकर्त्ताओं को गजट द्वारा फरार घोषित किया। लगभग ३ लाख ३६ हज़ार रुपए गांवों व शहरों पर सामूहिक जुर्माने के रूप में लगाये गये; पर वसूल इससे कहीं अधिक किया गया। लगभग १५ गांवों में इस जुर्माने को वसूल करने के लिए कुर्कियां हुईं। आंदोलन काल में लगभग ३ हजार कुर्कियां हुईं और लोगों के बर्तन, गाय, बैल, भैंस, सभी कुर्क कर लिए गये। विभिन्न अपराधों में बहुत से लोगों पर मुकद्दमे चले और इस प्रकार कर्नाटक प्रान्त में ५ आदमियों को फांसी की सजा हुई और ११ को काला पानी। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से लोगों को लम्बी सजाएं हुईं। सारे प्रांत में लगभग ७१५७ आदमी गिरफ्तार हुए जिनमें से २५०० मैसूर रियासत के थे।

इन इलाकों में से कुछ ने जुर्माना न देने का निश्चय किया। यह इलाके निम्नलिखित हैं—पेंचापुर, हीरा, पागेस, वादी और होसूर, बेलगांव जिले में कुमामिली और गाकारा। उत्तरी कनारा जिले में हीरा-वोगेसवादी ग्राम में जब डिप्टी कलेक्टर साहब १५ नवम्बर १९४२ को जुर्माना वसूल करने गये तो उस गांव के मुखिया और अहलकारान ने कलेक्टर के साथ जाने और उस गांव के लोगों की सम्पत्ति कुर्क करने में मद देने से साफ इन्कार कर दिया। उत्तरी डिवीजन के कमिश्नर ने तो साफ तरीके से सरकार को लिख दिया कि जुर्माना वसूल करने की नीति से लोगों के अन्दर और आग भड़कती है। फिर भी कर्नाक में जुर्माना वसूल करने में एक प्रकार की खुली हुई। अनेकों जगह पुलिस ने सामान को लूट लिया और निर्दिष्ट जुर्माना देकर बाकी सामान अपने साथ ले गये।

कर्नाटक प्रान्त के न्याय-विभाग ने कितने ही व्यक्तियों को छोड़ दिया। जिन्हें नीचे की अदालतों ने बिना कानून-कायदे लम्बी सजाएं दे की थीं।

कर्नाटक प्रांत में आंदोलन-काल में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब कि जनता ने बावजूद काफी उत्तेजना के हिंसा के मार्ग को नहीं अपनाया और न किसी व्यक्ति की सम्पत्ति को ही नुकसान पहुंचाया।

अमरगढ रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर ने एक प्रमुख कार्यकर्ता से शिकायत की कि उनका बटुआ छीन लिया गया है। उसने वहां पर उस की तहकीकात की और उनका बटुआ वापिस दिलाया।

इसी प्रकार जनवरी सन् १९४२ में जब कि जनता की एक टुकड़ी ने अनकालजी पुलिस स्टेशन पर धावा बोला तो कुछ लोगों ने इन सिपाहियों का निजी सामान भी उठा लिया। पर बाद में मालूम हुआ कि आग से बचाने के लिए उन लोगों ने उसे एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया था। इस प्रकार के और भी कई उदाहरण मिलते हैं।

मैंने ऊपर कर्नाटक में होने वाले आंदोलन का बाह्य रूप बताने का प्रयत्न किया है। जहां वह व्यापक था वहां संगठित भी था और उसकी गतिविधि से पता चलता है कि उसके नेता बड़े ही नीति-निपुण थे। यहां पर सामूहिक प्रदर्शन और तोड़-फोड़ दोनों ही प्रकार के कामों में एक जैसी संगठन-शक्ति दिखाई देती है। जैसा मैंने ऊपर बताया है, यहां के लोगों में वीरता है और वे वीर को हृदय से पूजा करते हैं। इस कारण कर्नाटक प्रांत में कितने ही ऐसे अपूर्व उदाहरण मिलते हैं जिनको सुनकर गर्व से छाती ऊंची हो जाती है। यदि इस प्रकार के उदाहरण कहीं यूरोप के रण-क्षेत्र में हुए होते तो ब्रिटिश सरकार उन बहादुरों को तरह-तरह के खिताब और तमगे देती, पर पराधीन भारत में तो गोलियों द्वारा ही उनका स्वागत किया गया।

वीरता पूर्ण कार्य

हुबली में गोलियों की बौछार से नरेन्द्रन नामक एक छोटी उम्र के बालक की मृत्यु हुई। मरने से कुछ पहले डाक्टर ने उससे पूछा कि तुम

क्या चाहते हो, तो उस बहादुर बच्चे ने अपनी मुट्ठी बांध कर जोर से कहा, "मैं स्वराज्य चाहता हूँ और कुछ नहीं" अगले दिन १५ हजार के समूह द्वारा उसकी अर्थी सजाकर जुलूस निकाला गया।

बेलगांव जिले में खदरीशिवपुर ग्राम में ग्रामीण लोग एक जलसा करने के लिए इकट्ठे हुए और उन्होंने अपने को पूर्ण स्वतंत्र घोषित किया। यह खबर सुनते ही पुलिस के सुपरिण्टेण्डेण्ट सदल-बल गांव में पहुंचे। उस समय गांव में प्रभात-फेरी निकल रही थी। पुलिस अफसर ने लोगों को तितर-बितर होने का आदेश दिया। लेकिन जुलूस के नेता शांतिया जोतिया ने कहा, 'हम आज़ाद लोग हैं और आपके हुक्म को नहीं मान सकते। डिप्टी सुपरिटेण्डेण्ट ने गोली चलाने की धमकी दी। नेता ने धमकी को नज़रअन्दाज किया और वहीं उसे गोली मार दी गई।

सवादत्त की ग्राम में जब एक प्रमुख नागरिक अमाधपत की गिरफ्तारी हुई और उसे नभनल दायर के दफ्तर ले जाया गया तो एक बड़े हुजूम ने उसे पुलिस से छीनना चाहा। गोलियां चलीं और जनता ने उनका वीरतापूर्वक मुकाबला किया अन्त में अमाधपत को छोड़ दिया गया।

विद्यार्थियों और मज़दूरों का योग

अन्य प्रांतों की भांति कर्नाटक प्रान्त में भी विद्यार्थियों ने आंदोलन में अपूर्व जोश व बलिदान का भाव दिखाया। प्रायः हर कस्बे में, जहां स्कूल थे, उन्होंने हड़तालें कीं, भारत-रक्षा-कानून की धाराओं को तोड़ा और प्रचार के लिए गांवों में गए। कितनी जगह उन्होंने स्टेशनों को जलाया। देवनगर और बहाबर के विद्यार्थियों ने जुलूस निकालने, झंडों की सलामी देने, बुलेटिन बांटने व छापने के कार्यों में विशेष हाथ बटाया। धारवाड़, हुबली, धटक, गेरगांव के विद्यार्थियों ने विदेशी कपड़े और टोप इत्यादि जलाने तथा अपने प्रोफेसरों व अध्यापकों को खादी से कपड़े देने के प्रोग्राम को चलाने का भी प्रयत्न किया। लगभग ३०० विद्यार्थियों

को सजाएं हुईं। कितने ही विद्यार्थियों ने कई माह तक पनावा और देवनगर के बीच बग़ैर टिकट सफ़र किया और रेलगाड़ी के इंजनों पर कांग्रेसी झंडा लगाया और यूरोपियन लोगों को गांधी टोपियां पहनाने का प्रयत्न किया।

कर्नाटक में बहुत कम मिलें हैं। फिर भी भारत मिल्स और हुबली रेलवे वर्कशाप में हड़तालें रहा।

आन्दोलन की विशेष बातें

सन् १९४२ के नवम्बर मास में अखिल भारतीय खुफिया विभाग ने अपनी रिपोर्ट छापी थी। उसमें लिखा है कि कर्नाटक के प्रमुख कांग्रेस-नेता आन्दोलन से बाहर रहे अथवा फरार हो गए। उन्होंने अपने संगठन को सुदृढ़ बनाकर सूबे में तोड़–फोड़ के काम प्रारम्भ किये। पर वास्तविकता उसके विपरीत है। निस्संदेह कर्नाटक के प्रमुख नेता बाहर रहे और उन्होंने आंदोलन का संगठन भी किया पर उन्होंने अपनी पूरी शक्ति इस ओर लगाई कि आंदोलन को लम्बे अर्से तक जारी रक्खा जाय और उस समय के विभिन्न कार्य–क्रमों को सफलता पूर्वक चलाया जाय। चूंकि इन लोगों का अपने-अपने इलाकों में गहरा प्रभाव था, इसलिए जनता ने उन्हें हर प्रकार की मदद दी। यह लोग खुले तरीके से गांवों में घूमते थे और कार्य करते थे। हां. सरकारी कर्मचारियों के साथ सीधा मोर्चा न लेते थे। वे इस बात का ध्यान रखते कि किसी की जान की हानि न हो।

डेढ़ साल से अधिक काल तक कर्नाटक प्रान्त की जनता का साहस व जोश वैसा ही बना रहा, यद्यपि उसे दबाने व आतंक फैलाने के अनेक प्रयत्न किये गये। पुलिस व फौज की लारियां गावों में घुमाई जाती थी पर जनता के हृदय में लचक पैदा नहीं हुई। वह इस प्रकार के आक्रमणों

के आदी हो गई थी और उसने उनके प्रत्युत्तर देने के तरीके भी सीख लिये थे। लारी के आते ही यथा-सम्भव दूसरे गांवों में खबर भेज दी जाती थी।

अन्तिम प्रयास

आन्दोलन का अन्तिम काल ५-११-४३ से शुरू होता है, जब कि कर्नाटक प्रान्त के कार्यकर्त्ताओं ने सत्याग्रह-समिति बनाई और आन्दोलन के अन्दर पुनः नई जान डाली तथा उसको सामूहिक रूप देने का प्रयत्न किया। समिति ने निश्चय किया कि सरकार की खाद्य-नीति तथा आये दिन होने वाली अन्य ज्यादतियों के विरुद्ध जनता को नये सिरे से अपना विरोध -प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया जाय। सभाएं की जायं और जुलूस निकाले जाय तथा लगे हुए प्रतिबन्धों को तोड़ा जाय। इस प्रकार ५-११-४३ से ५-५-४४ तक ६०० आदमी और औरतों को सजाएं हुईं।

६ मई सन् १९४४ को जब गांधीजी छूटे तो कर्नाटक के कई कार्य-कर्त्ताओं ने उनके आदेशनुसार खुले रूप से कार्य करके तथा अपने को सरकार को सौंपना शुरू कर दिया और इस प्रकार कर्नाटक प्रान्त का विद्रोह जो ९ अगस्त १९४२ को शुरू हुआ था, कई उतार-चढ़ाव के बाद समाप्त-प्रायः हो गया।

कुछ आंकड़े

यद्यपि किसी प्रान्त के ठीक-ठीक आंकड़े प्राप्त करना मुश्किल है पर कर्नाटक के कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने संगठन को इतना व्यवस्थित और सुदृढ़ बना रक्खा था कि उनका अपने प्रांत के हर जिले, कस्बे व गांव से सीधा सम्बन्ध रहा। फिर भी जो आंकड़े आगे दिये जाते हैं, हो सकता है कि वे अधूरे हों और वास्तविक आंकड़े कहीं अधिक हों।

गिरफ्तारियां

ज़िला	संख्या	घोषित गिरफ्तारियां
बेलगांव	२१२६	२२
बेलारी	१५१	
बीजापुर	३६५	
कुर्ग	७४	
धारवाड़	१३३७	२८४
उत्तरी कनारा	६४४	१४
दक्षिणी कनारा	१८	
मैसूर राज्य	२५०४	
कुल योग	७४१९	३२०

आंदोलन-काल में सरकार ने फरारों को पकड़ने तथा तोड़-फोड़ के कार्यों का पता चलाने के लिए २५० रुपये से लेकर ५०० रुपया तक इनाम देने की घोषणा की। इनमें से १० धारवाड़ जिले तथा ९ बेलगांव जिले के कार्यकर्त्ताओं के फरारों के लिए घोषित किये गये।

गोली-काण्डों में जन-हानि

कर्नाटक प्रांत में आंदोलन में गोली-काण्डों के फल-स्वरूप हमारे आंकड़ों के अनुसार लगभग १८१ आदमी मरे और ५२० जख्मी हुए। कुछ स्थानों के अंक प्राप्त न हो सके। बंगलोर शहर में तोपखाने का भी प्रयोग किया गया और अश्रु-गैस कई बार छोड़ी गई।

ज़ुल्मों की अन्य घटनाएं

प्रांत के कुछ ही स्थानों में हुए जिन लाठी-प्रहारों के अंक प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार इन स्थानों में ३१ मर्तबा लाठी-प्रहार हुए और उसके फल-स्वरूप ८१ व्यक्ति जख्मी हुए।

दक्षिणी कनारा के कार्यकर्ता श्री संजीवन कामत को १५ बैत तार काटने के आरोप में लगाये गये।

आन्दोलन के सिलसिले में ५ को फांसी, ११ को आजीवन काला-पानी ६ को ७ साल, ६८ को ५ साल १५ को ४ साल और १२० को ३ साल कैद की सजाएं दी गईं। साधारणतः कर्नाटक में ६ माह से लेकर २ साल तक की सजाएं हुईं। किन्तु कितने ही लोगों को डिस्ट्रिक्ट तथा ताल्लुका पुलिस में काफी अर्से तक रहना पड़ा।

निम्न प्रकार सामूहिक जुर्माने वसूल किये गये।

बेलगांव	१२	२०६००० रु०
बीजापुर	१	२००० रु०
धारवाड़	२३	६३९०० रु०
उत्तरी कनारा	२९	५३५०० रु०
मैसूर रियासत	४	२००० रु०
जमखन्डी रियासत	१	१००० रु०
कुल योग	७०	३३६४०० रु०

नोट:—केवल निपानी नगर से १॥ लाख रुपया वसूल किया गया।

अन्य कार्य

ब्रिटिश कर्नाटक के १६ स्टेशनों और मैसूर रियासत के ९ स्टेशनों पर हमले किये गये।

			जायदाद को हानि
ब्रिटिश कर्नाटक	८	५	३
मैसूर रियासत	३	८	१०

केवल एक पैसेंजर ट्रेन धोखे से उलट गई, किन्तु इस घटना में कोई भी जख्मी नहीं हुआ। उसके बाद कभी भी पैसेन्जर ट्रेन नहीं उलटी गई।

पुल व पुलियों को क्षति पहुंचाने की २५ वारदातें हुई।

तार काटने की बेलगांव जिले में ५६०, बेलारी में १३०, बीजापुर में ७०, धारवाड़ में ३९०, उत्तरी कनारा में १८० और मैसूर रियासत में ३५० इस प्रकार कुल १६८० घटनायें हुई। कुर्ग के आंकड़े प्राप्त नहीं हो सके।

डाकखानों की हानि

बेलगाम जिले के निपनी, नन्दागढ़, बेल्होनगल, सावाड़वटी, गनपतीगली, बेलगांव शहर और १२ दूसरे डाकघरों को, बीजापुर के बगलकोट डाकखाने को, धारवाड़ के ९ डाकखानों को तथा मैसूर रियासत में बैंगलोर शहर हैट पोस्ट आफिस और शहर के तीन और डाकघरों को नुकसान पहुंचाया गया। बेलगांव, गोकक, हुबल्ली बेदगी, सिरसी और सीता पुर के मुख्य डाकघरों में चिट्ठियों जलाया गया।

नीचे लिखे अनुसार डाककी लारियोंपर हमले कियेगये और थैलोंको लूटागया

जिला	लारियों की संख्या	थैलों की संख्या	चिट्ठियोंके डिब्बे
बेलगाम	७	७२	—
बेलारी	१	१	२५
बीजापुर	—	२	५
धारवाड़	५	२९	•
उत्तरी कनारा	३	३	०
मैसूर रियासत	—	—	१२

बेलगांव जिले में १८ छोटे डाकखाने पूर्णत: बन्द हो गये थे और कुछ काल तक तो बेल्होंगली ताल्लुका के सारे छोटे डाकखानों की डाक तालुका पोस्ट आफिस से मिलती थी।

बेलगाम जिले में डाक बंगलों और आरामघरों पर पर १७, बेलारी में १, बीजापुर में ३, धारवाड़ में ९, और उत्तरी कनारा में ४। इस प्रकार कुल ३४ हमले किये गये।

बेलगांव में १३६, धारवाड़ में ६४, और उत्तरी कनारा में २५ गांवों के इस प्रकार कुल २२५, रिकार्ड बर्बाद किये गये।

बंगलौर शहर में शराब व गांजे की सारी दुकानें एक माह तक पूर्णतया बन्द रहीं। बेलगांव जिले में बेचनाथ गांव के नजदीक २५० और मैसूर रियासत में ५० ताड़ी के पेड़ काट डाले गये।

डीडवाल १५०० रु०, टोवगी ३००० रु०, हानर ६५० रु०, टीगा-डोली ४५० रु०, नेगलर ८०० रु०, ईटागी और सेसलर ८०० रु०, हेबल ३००० रु०, कुल १०२०० रु० जुर्माना किया गया।

युद्ध सम्बन्धी क्षति

१. युद्ध में भेजने के लिए गंगावती नदी के किनारे जो रेल पर थ लकड़ी जमा की गई थी उसे जला दिया गया। इस प्रकार लगभग एक लाख की क्षति हुई।

२. उत्तरी कनारा में हथीकर में साल की लकड़ी के डिपो भी जलाये गए और लगभग १५ हजार का नुकसान हुआ।

३. उत्तरी कनारा में सिरसी में गवर्नमेंट के लकड़ी के स्टाक को आग लगा कर जला दिया गया।

४. बेलगाम में दो घास के फौजी स्टाक जला दिये गए और लग-भग २० हजार का नुकसान हुआ।

पुलिस को निहत्था बनाना

पुलिस को निहत्थे बनाने के ९ प्रयत्न किए गए जिनमें लगभग २९ से अधिक पुलिस अफसरों व सिपाहियों के हथियार धरवा लिए गए और उन्हें निहत्था बना दिया गया। इस के अतिरिक्त पुलिस-चौकियों से कई जगह हथियारों को हटा लिया गया।

चन्द्रगुप्त का पाटलीपुत्र

आज़ादी के लिए किए गए प्रयत्नों में चन्द्रगुप्त का पाटलीपुत्र सदा से आगे रहा है। ४२ की क्रान्ति में बिहार की महत्त्वपूर्ण देन है। नेताओं की गिरफ्तारी का समाचार पाते ही समस्त प्रान्त में विद्रोह होगया और जनता क्षुब्ध हो उठी। इस क्रान्ति में लगभग १५० रेलवे स्टेशन बर्बाद किए गए थे, इनमें से १८० सिर्फ बिहार के ही हैं। बिहार प्रान्त में नौकरशाही ने जिस क्रूरता से मानवता की हत्या की वह अवर्णनीय है। वहां की निरीह जनता के पेटों में किस प्रकार भाले की नोक घुसेड़ी गई, जिसके परिणाम स्वरूप अतड़ियां बाहर निकल आईं। फरारों का पता निकालने के लिए किस प्रकार अनेक यातनायें दी गईं, यह सुनकर रोमांच हो आता है। एक कांग्रेस कार्यकर्त्ता के मुंह में तो एक मेहतर द्वारा पेशाब तक कराया गया।

सेक्रेटरियेट की ओर

११ अगस्त को प्रातः काल एक विराट जुलूस, जिसमें पटना के सभी स्कूलों तथा कालिजों के छात्र थे, गोलघर होता हुआ सेक्रेटरियेट पर झंडा गाड़ने के लिए चला। पुलिस वहां पहले से ही पहुंच चुकी थी। जुलूस के आने की प्रतिक्षा वह यहां अधीरता पूर्वक कर रही थी। एक ओर सशस्त्र पुलिस तथा फौज की टुकड़ियां राइफल और बन्दूक के निशाने लगाये खड़ी थीं और दूसरी ओर आज़ादी का मतवाला उमड़ता जन समूह सेक्रेटरियेट के गुम्बद को निहार रहा था। पुलिस अफसर ने प्रश्न किया कि तुम क्या चाहते हो? प्रश्न को सुनते ही जुलूस में से ११ छात्र निकलकर आगे आगए और छाती फुलाकर कहा—"हम लोग

सेक्रेटरियेट पर झंडा फहराकर लौटेंगे ?" इस पर पुलिस अफसर ने बिगड़ कर कहा -"झंडा फहराने से पहले सीना खोल लो।" तत्क्षण एक छात्र आगे बढ़ आया और पुलिस अफसर के सामने खड़ा होगया।

गोली निहत्थों पर चली

तुरन्त ही पुलिस अफसर ने उस निहत्थे युवक समुदाय पर गोली चलाने की आज्ञा दे दी। गोलियों और छर्रों की बौछार के बीच भी वे तरुण डटे रहे। इतने में गुम्बद पर एक दुबला पतला नौजवान छात्र 'वन्देमातरम्' और 'भारत छोड़ो', के नारे लगाता दिखाई दिया। सबने आश्चार्य से देखा—तिरंगा झंडा इमारत पर फहरा रहा था। पुलिस की गोली से ११ युवक शहीद हुए; जिनके यश का विस्तार वह झंडा हवा में फहराकर कर रहा था। ११ अगस्त की यह घटना सदा के लिए अमर होगई। गोली कांड से सारी जनता में हलचल मच गई।

ज्वाला सारे बिहार में

११ अगस्त को इन शहीदों को श्रद्धांजली समर्पित करने के लिए एक सार्वजनिक सभा होरही थी। तभी भारत मंत्री श्री एमरी का विषैला भाषण ब्राडकास्ट हुआ था। उनके भाषण में रेल की पटरी उखाड़ना तार काटना आदि कांग्रेस का कार्यक्रम बताया गया था। लोगों ने इसे सच माना और शहीदों को श्रद्धांजली देकर इसी कार्य-क्रम को सर्वथा अपना लिया। शहीदों की चिताओं से उठी यह ज्वाला सारे बिहार में फैल गई। पटना सिटी स्टेशन का गोदाम जल उठा, पटना भर के लेटर-बक्स भड़क उठे और सारे पोस्ट आफिस लूट लिए गए। बिहार के सारे ई० आई० आर० के स्टेशन खाक में मिला दिये गये, फिर तो प्रान्त भर में दौर दौरा शुरू होगया।

करफ्यू आर्डर

१४ अगस्त को १० हजार टामी नगर में घुस आए और शहर में करफ्यू आर्डर लगा दिया गया। घोर अनाचार फैला, जो भी शहर में घूमता मिला, इन टोमियों ने उसे ही खूब पीटा। सारा शहर सैनिकों के हवाले था।

पटना के अतिरिक्त बख्तियारपुर, बाढ़, विक्रम, हिलसा, फुलवारी में पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें १७ मरे, इनमें अकेले हिलसा में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या १३ है। बख्तियारपुर में एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए नाथू गोप को गोली से उड़ा दिया गया। बाढ़ में ८ व्यक्ति घायल हुए। और एक मृत्यु हुई। हिलसा में घायल व्यक्तियों की संख्या ३० बताई जाती है। विक्रम में दो मरे और ४० घायल हुए। कई स्थानों पर पुलिस की बर्बरता का नंगा नाच देखने को हमें मिला।

विश्वस्त रूप से जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं, उसके अनुसार तीन लाख रुपया सामूहिक जुर्माना वसूल किया गया। नौबतपुर गोली कांड में ३० व्यक्ति तत्काल मृत्यु के मुँह में समा गए और १८१ बुरी तरह घायल हुए। पटना के विभिन्न स्थानों में ५२४ व्यक्ति नजरबन्द किए गए, १३३५ व्यक्तियों को कठिन कारावास भोगना पड़ा और कुल मिला कर १६,३७७ व्यक्ति गिरफ्तार किए गए।

शाहाबाद का दमन

१० अगस्त १९४२ को सवेरे से ही आरा में जनता की भीड़ जमा होती जा रही थी। कांग्रेस कार्य-कर्त्ताओं ने छात्रों के सहयोग से एक विराट प्रदर्शन किया। शाम को रमना मैदान में सभा हुई। सभा शुरू होने के पूर्व ही श्री दुद्धनराम वर्मा एम० एल० ए० वहां कैद कर लिए गए। सभा हो ही रही थी कि पुलिस भीड़ को चीरती हुई वहां आ पहुंची एस० डी० ओ० ने भीड़ पर लाठी चलाने की आज्ञा दी, परन्तु पुलिस ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। शहर से सरकारी रौब उठ गया था। सभी इमारतों पर तिरंगे झंडे लहरा रहे थे। गोरा पुलिस ने आकर गोली चलाई और फलस्वरूप १५ व्यक्ति मारे गए और कई घायल हुए।

देहातों में दमन

धनडीहा, कसाय, जितौरा, मंझोला आदि अनेक गांवों के लोगों को पुलिस ने बुरी तरह पीटा। बलीगांव और लासाढी के ग्रामीणों पर किए गए अत्याचार से तो शायद दानवता भी लज्जित हो जाती। बलीगांव में बीसों किसानों को मारते-मारते जमीन पर सुला दिया गया। वहां के नौजवान छात्र नन्दगोपालसिंह को इस तरह पीटा गया कि अब भी उसके बदन पर चोट चिन्ह विद्यमान हैं। लासाढी के किसानों पर गोलियों की वर्षा की गई, जिससे १२ व्यक्ति मरे और अनेक घायल हुए। मृत व्यक्तियों में एक स्त्री भी थी। नवाडेरा के निवासियों को तबाह और बर्बाद कर दिया गया। इसके अतिरिक्त अनेक गांवों में घोर दमन किया गया।

१७ थानों पर कब्जा

इन सरकारी अत्याचारों के कारण आन्दोलन जोर पकड़ गया था। फलस्वरूप १७ थानों से पुलिस और थानेदार भाग गये और जनता ने उनपर कब्जा कर लिया। पुलिस के हट जाने के बाद कहीं भी चोरी या डकैती नहीं हुई। एक के बाद एक एक थाने पर जनता का कब्जा होते देख कर असिस्टेंट पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट का दिल दहल उठा। वह खुद ही आतंकित हो गया। डुमरांव थाने में वहां की इमारत पर कब्जा करते हुए कपिलमुनि तथा रामदास लुहार और गोपालराम नामक युवक पुलिस की गोली के शिकार हुए

७५ व्यक्ति शहीद हुये

शाहाबाद जिले में कुल मिला कर ७५ व्यक्तियों की मृत्यु हुई हजारों व्यक्ति घायल हुए, लगभग २००० व्यक्ति गिरफ्तार हुए, ५ को फांसी की सजा हुई और दर्जनों नवयुवकों को बेतों की सजा भुगतनी पड़ी। सारे जिले से लगभग ७०,०० जुर्माने में वसूल किये गए।

शाहाबाद में गोलियों का शिकार केवल पुरुषों को ही नहीं प्रत्युत स्त्रियों को भी होना पड़ा। कोचनटा में एक बूढ़ी औरत को रास्ते में लूट लिया गया। सहसराम में मरा नगर से एक स्त्री की मृत्यु हुई तथा फकराबाद में एक बालक को पुलिस की गोली का शिकार होना पड़ा।

सारे बिहार में क्रान्ति की लहर

मुंगेर में आन्दोलन ने कितना उग्र रूप धारण कर लिया था इसका अनुमान इसी से हो सकता है कि वहां सरकार ने हवाई जहाज से गोलियां बरसवाई। फलस्वरूप ४९ व्यक्ति मारे गए और ३५ व्यक्ति बुरी तरह जख्मी हुए। साधारण रूप से घायल होजाने वालों की संख्या तो असंख्य थी। इसके सिवाय इस जिले में १६ जगहों पर गोलियां चलीं, जिन में ४० व्यक्ति मरे और प्रायः दुगुने घायल हुए। कोचाही के पुल

पर एक राह चलते व्यक्ति को गोली मार दी गई। इस जिले में ५४ आदमी नजरबन्द और ९६७ व्यक्ति गिरफ्तार किय गए; जिनमें ३९८ को सजा हुई। सारे जिले पर १९७७००) सामूहिक जुर्माना किया गया। बटियारपुर में समूह के एक-एक व्यक्ति को गोली का निशाना बनाया गया। ९० गैर सैनिकों ने जनता को पीट-पीट कर घायल किया।

गया में

प्राप्त आँकड़ों के अनुसार आन्दोलन के सिलसिले में ४६ व्यक्ति नजरबन्द किये गए। ७८९ व्यक्तियों की विभिन्न मियादों की कड़ी सजायें दी गईं। इस जिले के भिन्न-भिन्न स्थानों में कुल मिलाकर १०३५ व्यक्ति गिरफ्तार किये गए पुलिस और जनता में जो मुठभेड़ें हुईं, उसमें तीन आदमी गोली से मारे गए। सरकारी दमन में ग्यारह आदमी हताहत हुए। जिले के विभिन्न स्थानों से ३ लाख ५३ हजार ३ सौ रुपया सामूहिक जुर्माने के रूप में वसूल किया गया।

हज़ारी बाग़

हजारी बाग जिले ने सर्वांश में प्रमाणित कर दिया कि समय आने पर देश के कोने कोने से, आजादी की आकांक्षा रखने वाली असंख्य जनता, मातृभूमि के उद्धार के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देने के लिए तैयार है। हजारी बाग़ जिले में जो भीषण दमन हुआ उसका स्वतन्त्र भारत के इतिहास में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान होगा। वहां के विभिन्न स्थानों में ३२८ व्यक्ति नजरबन्द किये गए। कुल मिलाकर ७००१ व्यक्तियों को कारावास की सजा हुई। सारे जिले में १३३१०० व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। जिले के जिन स्थानों में गोलियां चलाई गईं, उनमें डोमचांच तथा कोडरमा आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। सारे जिले में कुल मिलाकर १७७२००) जुर्माना किया गया। पुलिस और

जनता की भिड़न्त में ८८ व्यक्ति गोली के शिकार हुए। संघर्ष और पुलिस के दमन के फलस्वरूप ६६९ व्यक्ति शहीद हुए।

पलामू

पलामू जिले में इस संघर्ष के सिलसिले में ८ व्यक्ति नजरबन्द किये गये लगभग ३२० व्यक्तियों को विभिन्न सजायें दी गईं और कुल मिला-कर १२८६ व्यक्तियों को सख्त चोटें पहुंची। इस जिले से ३४००) सामू-हिक जुर्माना वसूल किया गया। इसके अतिरिक्त रांची में भी भारी दमन हुआ, यहां पर १२ व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया ३१६ व्यक्तियों को सजा हुई और ३९४ व्यक्ति गिरफ्तार किये गए। मानभूमि और सिंह भूमि जिलों में क्रमशः ३४६४०) और २१६४) जुर्माना वसूल किया गया।

भागलपुर का सियाराम दल

भागलपुर में आन्दोलन अत्यन्त भीषण रूप में रहा, वहां पर २१८ व्यक्ति गोलियां खाकर शहीद हुए, २८० बुरी तरह घायल हुए। वहां के पीरमैंती नामक स्थान में गोली चलने से ३७ व्यक्ति मरे और ३२ घायल हुए। सुलतानगंज में मृतकों की संख्या ६७ और घायलों की १५० थी। वहां की जेल में भी भीषण दमन हुआ। फल स्वरूप गोलियों की वर्षा से १२५ कैदी शहीद हुए। दमन के सिलसिले में लगभग एक हजार घर जलाकर खाक कर दिये गए; १०४ व्यक्ति नजरबन्द किये गए। ४००० के लगभग गिरफ्तारियाँ हुईं, जिनमें १००० व्यक्तियों को सजा हुई। जिले पर २१८४८०) सामूहिक जुर्माना हुआ।

यहां की उल्लेखनीय घटना 'सियाराम दल' है। यह एक क्रान्तिकारी दल था, जिसके कारण आन्दोलन सफल हुआ। सरकार लाख प्रयत्न करने पर भी इस दल का मुख्य अड्डा न खोज सकी इस सम्बन्ध में सर-कार ने अनेक अत्याचार किए। ७० वर्ष और ९० वर्ष के बूढ़े तक गिरफ्तार किये गए। राह चलते मुसाफिरों पर मार पड़ी।

सिवान गोली कांड

सारन जिले में पुलिस ने सिवान, महाराज गंज' सोनपुर कबराहा, अमनौर, नरेश्वर, छपरा, दिघवारा और मैरवां में खूब खुलकर गोली चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप ५१७ व्यक्ति मरे। घायलों की संख्या अभी तक मालूम नहीं हो सकी। बिहार के मंत्री श्री जगलाल चौधरी के २ वर्ष के बालक की नृशंसतापूर्ण हत्या भी इसी भूमि में हुई थी। सिवान गोली कांड के सिलसिले में अमर शहीद फुलैनाप्रसाद श्रीवास्तव का नाम नहीं भुलाया जा सकता। वह वीर पुलिस का सामना करता हुआ पूर्ण अहिंसक योद्धा की तरह शहीद हुआ। इस जिले में ५५ व्यक्ति नज़रबन्द किए गए। लगभग १००० व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे। जिनमें ७ २ को सजा हुई, जिले पर १२५०००) जुर्माना हुआ। सिवान सबडिवीजन के तेवाहा नामक एक गाव को बिलकुल ही नष्ट कर दिया।

मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चम्पारन में भी अनेक अमानुषिक अत्याचार पुलिस द्वारा किए गए। दानवता का नृत्य वहां हुआ। मुजफ्फरपुर में १२ स्थानो में पुलिस ने गोलिया चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप ५० व्यक्ति मरे और लगभग १०० घायल हुए, ६० व्यक्ति नज़रबन्द किए गए और १००० के लगभग गिरफ्तार किए गए, जिनमें से ३०० को सजा हुई, १२१२१॥)॥ ८० जुर्माना हुआ। दरभंगा जिले पर ४८८६००) सामूहिक जुर्माना किया गया तथा, १८ व्यक्ति नज़रबन्द किए गए। १२०० व्यक्ति गिरफ्तार हुए जिनमें से २०० को सजा हुई।

बापू का चम्पारन भी

बापू का प्रथम सत्याग्रह स्थान होने से चम्पारन का स्थान अगस्त क्रांति में भी प्रमुख रहा। यहां पर पुलिस के दमन स्वरूप २२ व्यक्ति मरे और ५५ घायल हुए। इसमें १०० गांवो में पुलिस ने खूब लूट मचाई थी। १०३३५०) सामूहिक जुर्माना किया गया, १७ व्यक्ति नज़रबन्द और २००८ व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, जिनमें ७०० को सजा दी गई।

बिहार प्रांत

नेपाल

पटना

बिहार

गया

हजारीबाग

उड़ीसा

लेखक: —

पदेन सदस्य

१. श्री श्रीकृष्णसिंह, प्रधान मन्त्री,
२. ,, अनुग्रह नारायणसिंह
३. ,, रामचरित्रसिंह, मन्त्री, बिहार।
४. ,, कृष्णवल्लभ सहाय, बिहार।
५. ,, जयप्रकाश नारायण, पटना।
६. ,, प्रजापति मिश्र,वृन्दावन, चम्पा०
७. ,, वैद्यनाथ प्रसाद चौधरी।
८. ,, अब्दुल बारी, जमशेदपुर।
९. ,, यदुवंश सहाय, पालामऊ।
१०. ,, हरगोविन्द मिश्र, आरा।
११. ,, अनाथ कान्त वसु, पूनिया।
१२. ,, शीलभद्र याजी, बाढ़, पटना।
१३. ,, रामलाल सरावगी, मानभूम।
१४. ,, योगेन्द्र शुक्ल, मुजफ्फरपुर।
१५. ,, भोलानाथ मण्डल, पूनिया।
१६. ,, विपिन विहारी वर्मा, चम्पारन
१७. ,, अवधेश्वर प्रसाद सिंह, हसना
१८. ,, रामनारायणसिंह,
१९. ,, शिवधारी पाण्डे
२०. ,, सूरजनाथ चौबे, शाहाबाद।
२१. ,, सत्यनारायण सिंह।
२२. ,, विनोदानन्द झा, मन्त्री बिहार।
२३. ,, स्वामी सहजानन्द, सरस्वती
२४. ,, सत्यदेव नारायणसिंह।
२५. ,, लम्बोदर मुकर्जी, दुम्का।
२६. ,, दासूसिंह, पटना।
२७. ,, सियारामसिंह, भागलपुर।
२८. ,, कीर्तिनारायणसिंह, भागलपुर
२९. ,, महामाया प्रसादसिंह, सिवान
३०. ,, मौलवी मंजूर अहसन एजाजी
३१. ,, रामनन्दन मिश्र, दरभंगा।
३२. ,, शिवनन्दन प्रसाद.
३३. ,, अब्दुल हयात चन्द, पटना।
३४. ,, राम भगत, रांची।
३५. ,, नन्दकुमार सिंह, मुंगेर।
३६ ,, भूपेन्द्रनारायण नन्द।
३७ ,, जगत नारायण लाल पटना
३८ ,, सूरजनारायण सिंह दरभंगा
३९ ,, डाक्टर सय्यद महमूद विहार
४० ,, प्रभुनाथ सिंह सारन
४१ ,, रामदुलारी सिंह मुजफ्फरपुर
४२ ,, मौलवी ख्वाजा इनायतुल्ला गया
४३ ,, श्री यदुनन्दन सहाय दरभंगा
४४ ,, सुरेशचन्द्र मिश्र मुंगेर
४५ ,, राना शिवलखपति सिंह पटना।

पटना कैम्प जेल की हृदय-विदारक घटनायें

बिहार की पटना कैंप जेल ने इस आंदोलन में अनेक हँसती हुई जवानियों को अपनी गाल में दबोच लिया। उस जेल के अधिकारियों के अत्याचार व वातावरण का मार्मिक वर्णन बिहार के प्रसिद्ध राष्ट्रकर्मी श्री रामकृष्णसिंह 'सारथी' ने उक्त शीर्षक से निम्न प्रकार किया है:—

•पटना कैम्प जेल में जितने भी वार्ड हैं, उन सबों में—हवा के लिए कहीं भी खिड़कियाँ नहीं हैं. जंगली जानवर भी अकसर 'हवादार' पिंजड़े में ही बन्द कर रखे जाते हैं, लेकिन वहां तो एक छोटे से वार्ड में एक सौ तक बन्दी लाठीके बलपर बन्दकर दिए जाते थे। लाख विरोध करनेपर भी कहो उनकी सुनवाई नहीं होती थी। जिस वार्ड में मुश्किल से 'बी' और 'ए' श्रेणी के बन्दी बीस की संख्या में रह सकते हैं, उसमें एक सौ अभागे को बन्द कर देना एक अनोखा घटना हैं। लोगों को 'लाठी' के बल पर ही बन्द किया जाता था और सब डर के मारे—बन्द भी हो जाते थे। लाठियों के सामने उन अभागे बन्दियों की आत्मा मर गई थी। स्वाभिमान विनष्ट हो चुका था। 'सज्जन' तो थे ही नहीं कि उनके लिए यथेष्ट वार्ड का प्रबंध किया जाता। जेठ की चिलचिलाती लू में उस टीन के बने वार्ड में लोग बेमौत मरते रहते थे। टीन की गर्मी भी अजीब होती है। लोग उस गर्मी से मुक्ति पाने के लिए 'पीपल' के समीप पड़े रहते थे।

पटना कैम्प जेल में सैकड़ों पीपल के वृक्ष १९३० में इन्हीं अभागे बंदियों के द्वारा लगाए गए हैं। भोजन और जलपान के सबंध में कुछ लिखना ही अपराध है। वहां की खिचड़ी में तो रोज-रोज कीड़े दिखलाई

पड़ना एक साधारण सी घटना थी। मंसाहारी बंदियों के लिए तो उसे खाने में उतनी कठिनाई नहीं होती होगी; लेकिन, निरामिष भोजन करने वालों के लिए तो एक पहाड़ ही उसे निगलने में मालूम होता होगा! भोजन में कीड़े के अलावे कंकड़ भी भरे रहते थे। बालू के छोटे-छोटे कण तो इस प्रकार मिले होते थे जैसे दाल में नमक मिल जाता है। मन मसोस कर उसी भोजन को खाना ही पड़ता था। एकाध दिन की बात होती तो लोग किसी प्रकार इसे सहन भी कर सकते थे। यहां तो उसी भोजन पर जेल जीवन निर्भर करता था और अपने स्वास्थ्य को भी बनाए रखना पड़ता था, जल में पंकज की तरह कोई उससे विलग कैसे हो सकता! भोजन करने के बाद एक समस्या और भी उत्पन्न हो जाती। भोजन करने के पश्चात् जब लोग 'हौज' पर अपनी अपनी थाली और जूठे मुंह धोने के लिए जाते तो, यहां प्रतिदिन थालिया बजानी होती। क्योंकि अक्सर लोगों को बारह बजे के बाद ही भोजन करने को दिया जाता और उस काल तक 'हौज' पर नल बन्द हो जाते। इस प्रकार जूठी थालियां और जूठे मुह एक साथ एक हौज पर सेकड़ों की संख्या में जमा होकर नारे लगाते और जोर-जोर से थालियां को बजाते जिससे जेल कर्मचारी द्रवीभूत हो कर पानी दे सकें। कभी-कभी इस कांड से क्रोधित होकर पगली भी हो जाती और लोगों को बेतरह लाठियों की मार सहनी पड़ता। कपड़े की सफाई, स्नान और शौच के लिए भी यथेष्ट पानी नहीं दिया जाता। पानी के अभाव में लोग एक दूसरे पर इस तरह टूट पड़ते जैसे फासिस्टों पर समाजवादियों का आक्रमण हो जाता है। उस समय बीच-बचाव करने की भी किसी की हिम्मत नहीं हो सकती थी। कपड़े धोने के लिए साबुन तो मिलते परन्तु शरीरमें फोड़े, खुजली, दाद इत्यादि चर्मरोग होनेपर उसकी सफाईके लिए साबुन किसीको नहीं मिलता। वस्त्र भी काफी नहीं मिल पाते, एक तो 'सी' श्रेणी के बन्दियों को योंही बहुत कम कपड़े मिलते हैं और छः महीने के बाद हरेक बन्दी को न्यायत: नये

कपड़े प्राप्त करने का कानूनन अधिकार है, फिर भी जेल के प्रधान सुपरिण्टेन्डेन्ट फुलर साहब और उनके सहायक पौम्बर साहब लोगों को एक वर्ष तक कपड़े नहीं देते थे। सिर्फ दो पैन्ट, एक फुल पैन्ट और अंगोछी, तथा दो कुर्तों से काम चलाना पड़ता था। जाड़े में और गर्मी में भी वहां कपड़े होते थे। कुछ लोगों को कपड़ों की दिक्कत इस तरह हो गई थी कि उन्हें लाचार होकर नंगे, गुमटी पर प्रदर्शन करना पड़ा। इस पर उस व्यक्ति को पीटा गया और तनहाईमें डाल दिया गया। तीन महीने पर एक कार्ड वे लिख सकते और एक बार अपने सम्बन्धियों तथा मित्रों को पा सकते और एक बार अपने मुलाकातियों से मिल सकते हैं। इसी तरह जो लोग छपरा, चम्पारन, मुजफ्फरपुर, पूर्निया, भागलपुर, हजारीबाग, रांची, सिंहभूमिऔर मानभूमि से कथें में साग-सत्तू लेकर अपने-अपने भाइयों से पुत्रोंसे और मित्रोंसे मिलने आते थे, उन्हेंभी तकलीफ होती। कभी-कभी छः महीने के लिये कार्ड और मुलाकात स्थगित कर दिया गया है, जिसके परिणाम में दूर-दूर के जिलों से आये हुए गरीबों को मुफ्त की परेशानी उठानी पड़ी है। इस तरह 'सी' श्रेणी के राजनैतिक बन्दियों को कन्टकाकीर्ण परिस्थिति से संघर्ष करना पड़ता।

लाठी चार्ज

लाठी चार्ज की गाथा भी बहुत ही कारुणिक और दयनीय है। एक तो अहिंसक बन्दियों को जङ्गली और बनैले पशुओं की तरह पीटना मानवता के साथ विद्रोह करना है। कोई भी सरकार इस तरह के अमानवीय कार्य आज भी अपने देश के राजबन्दियों के साथ नहीं कर सकती और न कर पाती है। फिर पवित्र त्योहार के अवसर पर ऐसा करना और भी घातक एवं पाप है। पटना कैम्प जेल में रविवार को 'लाठी चार्ज' होना नियम सा हो गया था - रविबार को लोग उपवास और एक समय जरा स्वाद और स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए बिना नमक भोजन

करते और उस दिन का 'हलुआ' कैम्प जेल भर में विख्यात हो चुका है। वार्डरों की गृद्ध दृष्टि उस हलुवे पर जा बैठती थी। 'लाठी चार्ज' करने से बन्दियों को तो भूखा रहना पड़ता और वार्डरों को उसे 'स्वाहा' करने में सरलता और सुगमता हो जाती! इधर 'लाठी' और उधर 'लूट' दोनों एक ही साथ। फिर तीन हजार बार तो इतनी निर्दयता के साथ लाठियां चली हैं जिसके समकक्ष मानवता बेचारी सिसक-सिसक कर सिर्फ रो भर सकती है। हमारे तो शरीर के रोएं आज भी खड़े हो उठते हैं। उतनी निर्दयता के साथ कहीं मानव पर लाठियों की वर्षा हो सकती है! एक बार ननकूसिंह नामक एक बंदी को पटना कैम्प जेल से दूसरी जेल में भेजना था। बहुत दिनों तक पटना कैम्प जेल में रहने के कारण उन्होंने पटना कैम्प जेल को छोड़ना उचित नहीं समझा। इसलिये उन्हें बल-पूर्वक अतिरिक्त सशस्त्र पुलिस बुलाकर पटना कैम्प जेल छोड़ने को बाध्य किया गया और उस दिन इतनी लाठी चली कि लोग उस अमानुषिक बर्ताव से खीझकर गोलियों से मरना अधिक श्रेयस्कर समझने लगे। हजारों की संख्या में दौड़े दौड़े लोग फाटक की ओर चल पड़े; और अपनी-अपनी छाती खोल दी। उस दिन उस अत्याचार के प्रतिरोध में लोगों ने भोजन करना भी पाप समझा। दोबारा १३ जनवरी १९४३ को लाठियों की वर्षा हुई, जिसमें हिन्दी विद्यापीठ के सम्मानित अध्यापक पं० पंचाननजी मिश्र बुरी तरह पीटे गये। रात्रि में वार्ड में घुसकर बंदियों पर लाठियाँ चली हैं, होली के अवसर भी इसी तरह की लाठियाँ चली हैं जिनका शिकार इन पंक्तियों के लेखक को भी होना पड़ा। अगर उस दिन 'दैनिक' आज के सहकारी सम्पादक के पास नहीं आगये होते तो हमारे तो प्राण ही निकल जाते। करीब-करीब उस रात्रि में दो सौ व्यक्ति पीटे गये और एक बार, जब खाने में लोगों को चावल चार छटांक दिया जाने लगा तो लोगों ने उसका एक स्वर से विरोध किया और कहा कि इतने कम चावल में हम लोगों का पूरा भोजन नहीं हो सकेगा। इसके लिये भी लाठी चली।

उस दिन भी लोगों को इतना पीटा गया कि कसाई भी किसी पशु को उस बेरहमी के साथ नहीं पीट सकता।

बेत और जूतों का प्रहार

ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जिनमें फुलर साहब को और उनके अंग रक्षक को बेंतों और जूतों का प्रहार करना पड़ा है।

पटना कैम्प जेलमें जब जेल के अधिकारी से कुछ कहना होता था तब उसके लिये 'सप्ताह' में एक बार 'फाइल' लगाया जाता था जिसमें बंदियों को जेल अधिकारी की प्रतिष्ठा के उद्देश्य से उठकर खड़ा हो जाना पड़ता था। नई दुनियां के दूसरे और चौथे वार्ड में जब फुलर साहब पहुंचे तो दो नम्बर के बच्चों ने खड़े होकर उनका सम्मान नहीं किया। फलतः फुलर साहब का पारा गर्म हो उठा और स्वयं उन्होंने मासूम और सुकुमार बच्चों को बुरी तरह से बेतों से पीटा। चार नम्बर में तो हमारा ही वार्ड था जिसमें श्री अवध बिहारीसिंह को इतना पीटा गया कि उनका शरीर छलनी हो गया जिससे खून की अजस्र धारा प्रवाहित होने लगी और फुलर के अङ्ग रक्षकों ने चन्देश्वर नामक युवक को जूतों से पीटा। वह युवक हँसता रहा और वार्डर उसे पीटते रहे! हमारी इच्छा हुई कि.... ! किन्तु फुलर साहब की बेंत पीट पर! रमण बाबू को भी बेंत या लाठी से बहुत पीटा गया। लातों और तमाचों का प्रयोग तो एक साधारण सी घटना थी। आज अगर उन रोमांचकारी और हृदय विदारक घटनाओं की जाँच की जाय तो इसकी सत्यता आंकी जा सकती है। अगर इसमें थोड़ा भी असत्य का अंश मालूम पड़े तो मुझ पर मुकद्दमा चलाया जा सकता है और मुझे उचित सजा दी जा सकती है। हमारा दावा है कि इस तरह के पैशाचिक कुकर्म सिर्फ सी श्रेणी के बन्दियों के साथ किया जाता है। क्यों नहीं आज कॉंग्रेसी सरकार ए० बी० और सी० श्रेणी का भेद उठा देती।

हाथ पांव बांधना

कुछ बन्दियों को मैंने यह भी देखा जिनके पांवों को पशु की तरह लोहे के छड़ों से बांध दिया गया था जिस से चलने में, कपड़ा बदलने में, सोने के समय करवटें बदलने में असीम पीड़ा होती थी। बहुत कष्ट होता था। एक मोटे सन्यासी को जेल कर्मचारियों की निन्दा करने के कारण दो सप्ताह तक तनहाई में पांव को लोहे के छड़ से बाँधकर छोड़ दिया गया था। पचासों बन्दियों के साथ ऐसा कुकर्म किया गया हैं।

काम करने पर ही किसी को अधिक भोजन मिलता था। जिन्हें पूरा भोजन करने को नहीं मिलता था, उन सबों ने पेट भरने के लिये "मड़-कंका घाट "का निर्माण कर लिया था, जहा जाकर लोग सिर्फ मांड पीते थे। गजाधर नामक किसान नेता ने प्रतिदिन अपने वार्ड के लिये दो बाल्टी मांड सुरक्षित रखना धर्म मान लिया था।

आज उन हृदय-विदारक घटनाओं की याद आती है। और अपनी सरकार की भी याद आ रही है। १९३२ में जब अपनी सरकार नहीं थी सरलता के साथ रात्रि में जाकर अपने बीमार पड़े भाईयो की सेवा शुश्रषा कर पाते थे। दिन की कौन कहे, रात्रि में भी वार्ड खुले रहते थे। हर एक बन्दी पटना कैंप जेल के चारों ओर चल फिर सकता था। परन्तु १९४२ की बात तो निराली थी। एक सेक्शन से दूसरी सेकशन में जाने के लिये पासपोर्ट की आवश्यकता थी—१९३० के निर्भीक सैनिक श्री शिवशंकर सहाय जी (अस्थामा, थाना पटना) सिर्फ फुलर साहब से एक कार्ड मांगने पर बेत से पीटे गये। २६ जनवरी को भी लाठी चार्ज में बेतरह घायल हुए जिसके परिणाम स्वरूप बहुत दिनों तक अस्पताल में पड़े रहे।

बिहार प्रान्त की पटना कैंप जेल में जैसी हृदय-विदारक घटनाएं गोरी सरकार के संकेत मात्र से घटी हैं, उनके स्मरण मात्र से प्रतिस्पर्द्धा की

भावना से स्वतन्त्रता के मदमाते सैनिकों का खून खौल उठता है। कितने यतीन्द्र दास गोरी सरकार के पाशविक अत्याचार के कारण बनते जा रहे हैं; परन्तु जब कभी हमारी शक्ति कुछ कांग्रेसी सरकार बनने से मजबूत होता है तब हम उस ओर ध्यान नहीं देते। हम कभी नहीं सोचते कि हमारे सैनिकों को कल फिर उसी कारागार में रहना है। वार्डरों के सान्निध्य में रह कर छोटी सी छोटी वस्तु के लिये चरण चुम्बन करना है। कितने बन्दी तो सरकार के निर्मम अत्याचारों के परिणाम-स्वरूप बिगड़ जाते हैं, जिन्हें हम जेल की भाषा में 'जुगाड़ी' कहते हैं। 'जुगाड़' बन्दी तो सिर्फ सी श्रेणी में ही पाये जाते हैं, जिन्हें अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिये घृणित से घृणित कर्म करने पड़ते हैं। इन 'जुगाड़ियों' की राम कहानी श्रवणकरने से ऐसा ही आभास मालूम पड़ता है कि 'सी' श्रेणी के बन्दियों को सांस्कृतिक जीवन, नैतिक आचार और सौहार्द की हत्या करके ही जुगाड़ी बनना पड़ता है। जहां आज सभ्यता का विकास हो रहा है, मानवता की पूजा हो रही है, सांस्कृतिक जीवन को उठाया जा रहा है वहा जेल में ऐसी हृदय-विदारक घटनाएँ क्यों घटती हैं? मानव को पशु बनाना ही क्या यहां की जेलों का उद्देश्य है?

सियारामशरण का वर्णन

बिहार की जन जागृति के कर्मठ सूत्रधार तरुण कार्यकर्ता श्री सियारामशरण ने अपने फरार जीवन के सम्बन्ध में पूछे जाने पर बहुत संकोच के साथ जो कुछ बतलाया, वह अत्यन्त महत्त्व पूर्ण है। जिस समय श्री सियारामसिंह ने चार वर्षों की कठनाइयों का वर्णन किया, सभी लोगों की आंखों में अश्रु बिन्दु दिखलाई पड़े। आपने बतलाया—

एक ऐसा मौका भी आया था जब हम लोग किसी जगह पुलिस के घेरे में पड़कर ७ दिनों तक पकड़े गये की अवस्था में रहे। एक मौके पर छः छटाक चावल के भात से १३ साथियों ने गुजर किया। चन्द दिनों तक कद्दू के कोमल पत्तों और डण्टलो को उबाल कर खाना पड़ा। शीत, घाम और हवा वर्षा में भी हम लोगों ने यात्रा जारी रखी।

ऐसा भी मौका आया कि जब हमें ४७ मील तक पैदल चलना पड़ा। वह भी एक दिन था जब २१ दिनों तक हमें पथ्य नहीं दिया गया था मगर हमारे शरकस साथी ने हमारी हिफाजत की।

मेरी सहधर्मिणी सुश्री सरस्वती ने जिस प्रकार जगल और पहाड़-पहाड़ भटक कर मेरा साथ दिया वह भी सीताराम की तरह सियाराम की भी एक उदहारण रखने योग्य कहानी है। एक दिन भी ऐसा नही था जबकि सरस्वती ने दुःख वेग में आंख गीली की होगी। अपने लायक पति का सम्मान देखकर हर्षातिरेक में भी उसके नयन गीले हैं।"

उड़ीसा का बलिदान

. अगस्त क्रांति के यज्ञ में उड़ीसा का बलिदान भी प्रमुख है। ९ अगस्त सन् ४२ के बाद वहां के बालासोर जिले में पुलिस द्वारा गोलीकांड हुए, जिनमें ४२ व्यक्ति मरे और २७० व्यक्ति घायल हुए। कई गांवों पर सामूहिक जुर्माना भी किया गया जो उन गांव वालों से जबरदस्ती लिया गया। महिलाओं अपने गहने तक दे देने के लिए विवश कर दिया गया पुलिस ने खुल कर नृशंसता का नाच किया। उत्कल प्रान्तीत कांग्रेस कमेटी की रिपोर्ट में एक गोली कांड का विवरण देते हुए कहा गया है कि 'इराम गांव नामक स्थान में तो पुलिस का गोली चलाने का ढंग अत्यम्त अमानवी था। उस गोली कांड में २८ व्यक्ति मरे, २०० व्यक्ति घायल हुए और १२५ व्यक्ति गिरफ्तार भी किये गए। वहाँ के दाम नगर नामक स्थान में भी गोली चली जिससे ८ व्यक्ति तुरन्त घटनास्थल पर मर गए।

कोरापुर में दमन

कोरापुर गांव में भी अनेक प्रकार के अत्याचार किये गए। अनेक कांग्रेस-जनों को नंगा करके उनके कपड़ों में आग लगा दी गई। कांग्रेस की बहुत सी सम्पत्ति ज़ब्त कर ली गई, जिसमें एक मोटर तथा २०००) नक़द भी थे। वहां के समीप मैथिली गांव नामक स्थान में सार्वजानिक सभा में भाषण देने के अभियोग में एक लक्ष्मण नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। जब जनता अपने नेता के पीछे-पीछे जाने लगी तो पुलिस ने अचानक खूब लाठियाँ और गोलियां चलाई। फलस्वरूप ६ व्यक्ति तत्काल मर गए। लक्ष्मण नामक पर भाले और संगीनों से वार किया गया इस लाठी चार्ज में एक ४ वर्ष का बच्चा भी मरा था।

लक्ष्मण नामक को फांसी

उक्त लाठीचार्ज के समय जयपुर स्टेट के अधिकारियों का दल भी वहां उपस्थित था। उसने भी पुलिस की मदद की। इस घटना के ८-१० दिन बाद कलेक्टर तथा सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने इस गांव को जला दिया। स्टेशन में लक्ष्मण नामक को तथा ५३ अन्य व्यक्तियों पर एक जंगल के पहरेदार की हत्या करने का अभियोग चलाया गया। फलस्वरूप लक्ष्मण को फांसी दे दी गई और अन्य व्यक्तियों आजन्म कारावास की सजा मिली। १४ व्यक्ति रिहा कर दिये गए। लक्ष्मण नामक को बरहाम जेल में फांसी दे दी गई।

इसके अतिरिक्त बेल्सन कैम्प नामक जेल में ५० राजनीतिक बंदियों की शोचनीय मृत्यु हुई। २५० कैदियों के लिये बनी हुई बेलसेन कैम्प जेल में अगस्त–आंदोलन के दिनों में ७००–८०० राजबंदी ठूंस दिये गए। आंदोलन के समय १९७० व्यक्ति गिरफतार किये गए। ११ व्यक्ति नजर बन्द किये गए तथा ५६० को सजायें दी गईं कुल ३६३ प्रदर्शन हुए। ३२४ लाठी चार्ज हुए। दो बार में ४१ राउन्ड गोलियां चलाई गई; फलस्वरूप २८ व्यक्ति मरे। ११२०० रु० सामूहिक जुरमाना किया गया, जिसमें से ९६३ रु० ही वसूल किया गया। ३ व्यक्ति उलटे पेड़ पर लटका दिये गए और बैंतों तथा लाठियों से पीटे गए।

नीलगीरि और तालचर में भी

क्रांति की चिनगारी वहां के नीलगीरि, धनकानल और तालचर नामक राज्यों में पहुंची और वहां खूब ही रक्त पात हुआ। इन सभी राज्यों में इतने अत्याचार हुए कि नीलगीरि राज्य की कुछ जनता मयूरभंज नामक रियासत में जाकर रही। नीलगीरि में ७५९०४); धनकानल में ५०००० नयागढ़ में ८०००) और तालचर में ९५०००) तक जुरमाना हुआ। जो जबरदस्ती वसूल किया गया। सम्पत्ति की लूट और जब्ती के कारण अनेकों परिवार निराधार होगए थे।

बंगाल प्रान्त में खुला विद्रोह

जन-प्रयास और दमन के आंकड़े

आन्दोलन के पहले नजरबन्दो की संख्या	२,०००
गिरफ्तारियां	२,८७८
सजाएं	३५८
हड़तालें	११४
सभाएं	१६८
जुलूस	२२२
लाठी-प्रहार	६८
गोलीचली	४४ बार और १६ जगह
अश्रु गैस का प्रयोग	११ बार
बरबाद तथा क्षतिग्रस्त डाकखाने	११८ से अधिक
बरबाद तथा क्षतिग्रस्त यूनियन बोर्ड	५७ से अधिक
बरबाद तथा क्षतिग्रस्त कर्ज समझौता बोर्ड	२१
बरबाद पचायत यूनियनें	२०
बरबाद तथा क्षतिग्रस्त डाक बंगले	१४
सरकारी इमारतो झंडे फहराये गए	२०
थानों की संख्या जिन पर हमले किये गए और जिन्हें बरबाद और क्षतिग्रस्त किया गया	११
नशीली वस्तुओं की दूकानें बरबाद तथा क्षतिग्रस्त की गईं	२६
गैर कांग्रेस संस्थाओं की गुप्त सभाएं	२१

कपास, चाय, आदि वस्तुए पैदा होती है। कोयले तथा तांबे की भी यहां पर खानें हैं। औद्योगिक दृष्टि से यह प्रांत काफी उन्नतिशील है। शिक्षा प्रचार में भी बंगाल बढ़ा-चढ़ा है। यहां कलकत्ता विश्वविद्यालय के अलावा सैकड़ों स्कूल और कालेज हैं। बंगाल का ब्रम्हपुत्र वाला मैदान काफी उपजाऊ है और आबपाशी के लिए सैकड़ों नहरें यहां सड़कों की भांति बनी हुई हैं। बंगाल के दक्षिण पश्चिमी भाग में काफी मात्रा में जगल हैं।

इस प्रान्त में लगभग ५३ प्रतिशत मुसलमान और ४३ प्रतिशत हिन्दू रहते हैं। इनकी भाषा बगला है और देखने बोलने तथा रहन सहन में सब एक ही जाति के मालूम देते हैं। बंगाल में २८ ज़िले हैं।

बगाल कृषि प्रधान प्रान्त है। यहां की जनता गांवों मे घनी बसी हुई यहां के लोग स्वभावतः भावुक और कुशाग्र बुद्धि होते हैं। किसी भी अप्रिय घटना का विरोध वे तीव्रता पूर्वक करते हैं। उनमें दल बनाने व टुकड़ियों में कार्य करने की प्रवृत्ति है। इन सब बातों का वहां के आन्दोलन पर गहरा असर पड़ा है।

बङ्गाल को राष्ट्रीयता का पिता तथा आतंक-कारी षड़यंत्रों का घर कहते हैं। सन् १९३० से पहले बङ्गाल प्रांत हर राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे आगे रहा है। लेकिन इसके पश्चात् दुर्भाग्य से बङ्गाल की राजनीति ने पलटा खाया। कुछ तो नेताओं के आपसी संघर्षों के कारण और कुछ बढ़ते हुए मुस्लिम लीग के प्रभाव के कारण बङ्गाल स्वाधीनता के लिए होने वाले सामूहिक आंदोलनों में पिछड़ता गया। सन् १९३९, ४० व ४२ के आन्दोलनों में बंगाल अपने पुराने नाम को कायम न रख सका। सन् १९४२ के आन्दोलन की गतिविधि इतनी व्यापक व शक्ति-शाली न रही, उसके हमारे विचार से निम्नलिखित कारण हैं:—

१. बंगाल में कांग्रेसी नेतृत्व अधिकांशतः उच्च श्रेणी के जमीदारों और खाते-पीते मध्यम श्रेणी के लोगों के हाथ में है। इन लोगों का जनता के साथ इतना गहरा सम्बन्ध नहीं है कि जनता उन्हें अपनी आशाओं व आकांक्षाओं का केन्द्र समझ सके।

२. बंगाल के लोगों का किसी एक नेतृत्व में पूर्णतः विश्वास नहीं है। वह स्वभावतः षड्यंत्रो तथा आतंककारी प्रयत्नों की सराहना करते हैं। उनका गांधी जी की विचार-धारा तथा सामूहिक विद्रोह की कला में दृढ़ विश्वास नहीं है। इस कारण बंगाल में कोई भी सुसंगठन व सुदृढ़ नेतृत्व स्थापित नहीं हो पाया है।

३. बंगाल में पिछले कुछ सालों से मुस्लिम लीग का प्रभाव बहुत बढ़ गया है, जिसके कारण प्रांत की अधिकांश मुस्लिम जनता कांग्रेस-आंदोलन को अपनी आकांक्षाओं के विरुद्ध समझने लगी है।

४. प्रांत की आबादी इस प्रकार बसी हुई है कि पश्चिम के दो डिवीजनों में हिन्दुओं की आबादी अधिक है और पूर्व की दो कमिश्नरियां में मुसलमानों की। आबादी के इस विभाजन के कारण आंदोलन का जोर मुख्यतः दो डिवीजनों तक ही रहा जहाँ पर कि हिंदुओं की आबादी अधिक है।

५. बंगाल में आंदोलन मिदनापुर में अधिक हुआ, क्योंकि वह काफ़ी जागृत ज़िला है और यहां के लोगों को युद्ध के कारण अनेक कष्ट हो रहे थे। ब्रिटिश साम्राज्यशाही ने कंटाई से लेकर रांची तक अपनी पहली रक्षा पंक्तियां बनाई थीं और लोगों को विश्वास था कि जापानी लोग कंटाई के बन्दर पर उतरेंगे। सुंदर बनने भौगोलिक दृष्टि से आंदोलन को काफ़ी मदद दी। वीरभूमि, जलपाईगुरी और अतराई के इलाकों में आंदोलन का जोर रहा। इन इलाकों में गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम के प्रोग्राम भी हो रहे थे। पूर्वी इलाके में आंदोलन का रूप नौआखली, और त्रिपुरा जिलों में अधिक रहा। इन जिलों में जमैयतुल-उलेमा का भी काफी

प्रभाव है। पश्चिमी बंगाल के उत्तरी भाग में मालदा ताल्लुके में आंदोलन की गतिविधि अधिक व्यापक रही। यहां के किसानों में कांग्रेस नेताओं का काफी प्रभाव था।

मिदनापुर

मिदनापुर ने बंगाल प्रांत के नाम को सारे भारत में उज्वल बना दिया। यहांके लोगों ने दोनों प्रकार की विपत्तियों का साहस और बहादुरी से मुकाबला किया और अपने संघर्ष को सफलतापूर्वक जारी रक्खा। यह कहना अत्युक्तिपूर्ण न होगा कि मिदनापुर के लोगों ने अपना आजाद प्रजा-तंत्र कायम किया। उन्होंने एक ओर नौकरशाही ढाचे को संगठित रूप से अस्त-व्यस्त किया और दूसरी ओर ग्रामीण राज्य की स्थापना की। उन्होंने आक्रमणात्मक तथा रक्षात्मक दोनों ही प्रकार की लड़ाइयां लड़ीं। मिदना-पुर में आंदोलन का उग्र व व्यापक रूप तामलुक और कंटाई सबडिवीजन में रहा। यही इलाके हैं जहां युद्धकाल में लोगों पर अनेक प्रकार की कठिनाइयां पड़ीं। रांची-कंटाई एयर लाइन बनने के कारण इस इलाके में हर पांच मील पर हवाई जहाजों के अड्डे बनाए गए। उनके लिए जनता की जमीनें छीनी गईं और किसानों को बेदखल किया गया। फौज के लिए उपयोग की सारी सामग्रियां सबसे पहले ले ली जाती थीं। आमदोरफ्त के समस्त साधन जैसे मोटर, नौकाएं इत्यादि सरकारी कार्य के लिए ले गए। इलाकों में जनता पर तरह-तरह के प्रतिबन्ध लगा दिए गए। वह इधर-उधर आसानीसे जा नहीं सकती थी। एक ओर दुर्भिक्ष की आशंका आए दिन बढ़ती जा रही थी। जनता दो पाटों के बीच पिस रही थी। फिर भी नौकरशाही ने कठोर नीति अपना रखी थी। जनताको जबरदस्ती युद्ध-बांड बेचे जाते थे अतः जनता में भारी असन्तोष फैला हुआ था। गांधीजी के 'अंग्रेजो भारत छोड़ो' नारे ने उसमें एक नया जीवन फूंक दिया।

९ अगस्त से पहले मिदनापुर जिले के नेता अपना संगठित सरकार चलाने की कल्पना कर रहे थे और उसके लिए काफी स्वयंसेवकों की भरती भी कर ली थी। उन्हें न जापानियों से आशा थी और न अंग्रेजों से। इसी कारण वह स्वयं अपने पैरों पर खड़े होकर दोनों का मुकाबला करने की योजना सोच रहे थे। उनका विश्वास था कि यदि ऐसा कुछ न किया गया तो जापानी आक्रमण के समय सारे इलाके में अव्यवस्था फैल जायगी।

बम्बई में नेताओं की गिरफ्तारी की मिदनापुर जिले में काफी व्यापक व उग्र प्रतिक्रिया हुई। हड़ताल, जुलूस, विरोध-प्रदर्शन ज़िले भर में शुरू हो गए। अपने को आजाद समझने तथा अपनी सरकार के मातहत रहने की घोषणा की गई। सरकारी अदालतों और दफ्तरों के सामने प्रदर्शन होते थे और उनमें स्वतन्त्रता की यह घोषणा की जाती थी। महिषादल थाने के सामने एक घोषणा की गई, जिसमें अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई का ऐलान किया गया। तामलुक सब डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर पुलिस के साथ हथियारों से सुसज्जित होकर घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने गोलिया चलाने का हुक्म दिया। पर सिपाहियों ने गोलियां चलाने से साफ इनकार कर दिया और डिप्टी कमिश्नर जनता को थाना सौंप कर वापिस लौट गये। यह इस प्रकार की पहली घटना थी। यहां के लोगों ने अपने अखबार व छापेखाने स्थापित किए। इतना ही नहीं, डाक के इधर-उधर भेजने तथा बंटवाने का प्रबंध भी जनता ने स्वयं ही किया।

इस जिले के आन्दोलन की दूसरी मुख्य बात यह है कि यद्यपि गावों और कस्बों में पुलिस ने बड़ी बेदर्दी के साथ गोलियां चलाईं तथा गावों में आग लगाई और सम्पत्ति को लूटा, स्त्रियों के सतीत्व को नष्ट किया, पर फिर भी एक भी मिसाल इस बात की नहीं मिलती कि जनता ने किसी सरकारी नौकर को कत्ल किया हो। हां, उन्हें गिरफ्तार अवश्य

किया और उनसे नई सरकार के प्रति वफादार रहने का वादा कराया। जिन लोगों को जेल में रखा गया, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया गया।

तामलुक और कंटाई के तूफानी केन्द्र

नेताओं की गिरफ्तारी के पश्चात् मिदनापुर जिले के इन दो सब डिवीजनों में ऐसा कोई भी गांव न होगा जहां पर जुलूस न निकाले गए हों और जलसे न हुए हों। सारे स्कूल व कालेज बन्द हो गए। अदालतों और डाकखानों पर पिकेटिंग हुई। टोपों की होलियां जलाई गई। आन्दोलन का यह पहला दौर था। दूसरे दौर में जनता ने सरकारी राजसत्ता के चिह्नों पर कब्जा करने की कोशिश की। जिले भर में डाकखानों की सामग्री जला दी गई और २० से ३० यूनियन बोर्डों की इमारतों को भी क्षति पहुंचाई गई। कर्जा बोर्डों के रेकार्ड भी कितनी ही जगह जला दिये गए और इन बोर्डों की इमारतों को भी जलाया गया। कितने ही डाक बंगले धराशायी कर दिये गए और न जाने कितनी ताड़ी व शराब की दूकानों मटियामेट कर दी गई। आधे दर्जन से अधिक अफीम की दूकानों के रेकार्डों को जला दिया गया और अनेक सब मजिस्ट्रेटों के दफ्तर और खास महल दफ्तरों को जला दिया गया। कई अदालतों पर जनता का सामूहिक आक्रमण हुआ और उन पर स्वतंत्र प्रजातन्त्र का झंडा फहराया गया। इन सब सामूहिक प्रहारों में २० ३० हजार तक जनता शरीक होती थी। कितने ही चुंगी के दफ्तर, सफाई इंस्पेक्टरों के घर और पुलिस क्वार्टर जला दिये गए। कुछ सरकारी नावों को भी क्षति पहुंचाई गई।

प्रायः सारे ही जिले में सड़कों, पुलों, पुलियां आदि को काफी क्षति पहुंचाई गई। टेलीफोन और टेलीग्राफ के तार काटे गए। डाकखानों को लूटा गया और नावों को क्षति पहुंचाई गई। यह तो संहार का काम हुआ रचनात्मक दृष्टि से गांव-गांव में स्वराज्य पंचायतें कायम की गई। कई मुख्य जगहों पर प्रजातंत्र की अपनी अदालतें थाने दफ्तर जेल आदि

स्थापित किये गए जिनमें तमलक और कंटा मुख्य थे। इस तरह ब्रिटिश सैनिक शक्ति के बावजूद जनता ने अपनी सरकार स्थापित की, जिसकी अपनी अदालतें थीं और जिनका बाकायदा इजलास होता था। स्वयंसेवक कौमी पुलिस का काम करते थे।

राष्ट्रीय सरकार के कार्य

तामलुक सब डिवीजन में अगस्त सन् १९४२ से सन् १९४४ तक प्रजातंत्री राष्ट्रीय सरकार ने जो काम किये उनकी सूची इस प्रकार है:—

७ पुलिस स्टेशनों पर हमले किये गए। १ पुलिस स्टेशन पर कब्जा किया गया। अधिकार करने के बाद १ पुलिस स्टेशन २ सब रजिस्ट्री आफिस १३ डाकखाने, १ खास महल आफिस, १७ शराब की भट्टियां, ४ डाक बंगले, १४ डी० एस० बोर्ड ९ यूनियन बोर्ड, १६ पंचायत बोर्ड २४ जमींदारी कचहरियां और ३५० चौकीदारों के कपड़े जला दिये गए १३ ब्रिटिश अफसरों को गिरफ्तार किया गया, किंतु बाद में छोड़ दिया गया ६ बन्दूकें और २ तलवारें छीन कर नष्ट कर दी गई। २० स्थानों पर एल० बी० तथा डी० बी० सड़कों को काटा गया ४७ जगह सड़कों पर पेड़ काट कर डाले गए और ३० पुल नष्ट किये गए। २० मील की दूरी में तार काटे गए और १९४ पोस्टबाक्स तोड़े गए।

राष्ट्रीय सरकार ने पांच थाने और सब डिवीजन तथा ६ यूनियन पंचायतें कायम कीं। ६६ दस्तावेजों की रजिस्ट्री हुई, २९०७ मुकद्दमे दायर हुए और १६८१ फैसले हुए। २५१ स्थानों की तलाशियां ली गई और २७८ व्यक्ति गिरफ्तार किये गए और बाद में छोड़ दिए गए। ५४३ व्यक्तियों पर ३३,९३७ रु० १५ आना जुर्माना किया गया। १६३ अन्य सजाएं दी गई।

११५४ सार्वजनिक और ५०१४ बन्द स्थानों में सजाएं हुई।

२९, २३३ रु० ७ आना ३ पा० नकद ४९,६१२ रु० वस्तुओं के रूप में इस प्रकार कुल ७८,८४५ रु० ७ आना ३ पा० सहायता-कार्यों पर खर्च किया गया।

१. नई सरकार ने दुश्मनों के वे कैम्प जिनका चलाना मुश्किल था और जिनको लम्बे काल तक कब्जे में नहीं रक्खा जा सकता था, अस्त-व्यस्त कर दिये।

२. ब्रिटिश सरकार के नौकरों के साथ जिन्हें गिरफ्तार किया गया, अच्छा बर्ताव किया गया और उन्हें किराया देकर अपने घर वापिस जाने दिया गया।

३. छीने हुए हथियारों का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि उनको जमा रक्खा गया।

४. २८-९-४२ की रात में दुश्मन के ६० प्रतिशत आमदोरफ्त के रास्तों—पुल आदि को और तार तथा बेतार के सारे साधनों को अस्त-व्यस्त कर दिया गया।

५. १७-१०-४२ से सब डिवीजन में जनता की सरकार की स्थापना हुई। यहां के लोगों को विश्वास था कि इस तरह भारत के अन्य भागों में भी छोटी-छोटी अन्य सरकारें कायम होंगी और वे सब एक राष्ट्रीय फेडरेशन में सम्मिलित हो कर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करेंगी। इस सरकार का विधान प्रजातंत्री था। केवल युद्ध-काल के कारण लोगों ने एक सार्वाधिकारी नियत कर दिया था। सब डिवीजन कंटाई ने अपना पहला सर्वाधिकारी मुकर्रर किया। उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का अधिकार था। इस प्रकार इस सब डिवीजन ने चार सर्वाधिकारियों की नामजदगी की। चौथे और अन्तिम सर्वाधिकारी ने बाद में महात्मा गांधी के हुक्म से आत्मसमर्पण कर दिया। इस सर्वाधिकारी की मदद करने के लिए एक मंत्रि-मंडल था और इसके सदस्यों के पास अलग-अलग

महकमे थे—जैसे शिक्षा, न्याय, अर्थ व सहायता आदि। इसी प्रकार कौमी हुकूमतों के मुख्तलिफ थाने स्थापित हो गए। यूनियन पंचायतें भी बन गईं।

६. इस सब डवीजन और हाईकोर्ट में जितने पुराने मुकद्दमे पड़े हुए थे, उनको प्रजातंत्र की अदालत ने अपने हाथों में लिया।

७. इस अदालत ने कुछ लोगों को सजाएं भी दीं और जो जुर्माना वसूल किया, उसे सहायता के कामों में लगा दिया।

८ इस सब डिवीजन में कितने ही जुलूस निकाले गए जिनमें साधारणतः दो हज़ार से १० हज़ार तक लोग शरीक हुए। इनमें सब जातियों के लोग सम्मिलित होते थे। २९ दिसम्बर सन् १९४२ को ४० हज़ार का एक विशाल समूह इकट्ठा हुआ और उसने थाने पर आक्रमण करने की योजना की।

९. कभी इस इलाके के कुछ भागों में हड़तालें की जाती थीं तो दूसरे भागों में कोई अन्य सामूहिक प्रयत्न किया जाता था। इस प्रकार आन्दोलन को निरन्तर जारी रक्खा गया। इस सब डिवीजन में जितने विद्यार्थी थे उन्होंने अपने इम्तहानों की कुछ परवाह न करते हुए आन्दोलन में हिस्सा लिया।

१०. जरूरतमन्द लोगों को कपड़ा, दवा, दूध तथा ज़रूरत की चीजें यथासम्भव सरकार की तरफ से बांटी गईं। सन् १९४२ के तूफान में कितने ही लोगों की मृत्यु हुई। इस सरकार ने उन लाशों को जलवाया जो इधर उधर बुरी तरह से पड़ी हुई थीं। लोगों के खाए हुए जानवरों को दुबवाया तथा सड़कों पर गिरे हुए पेड़ों को उठवाया।

११. जब कांग्रेस कार्यकर्त्ता जेलों से छूटे तो उन्होंने अकाल के समय १॥ लाख के करीब रुपया लोगों के सहायतार्थ बांटा।

स्वतंत्र सरकार की स्थापना का स्वाभाविक नतीजा यही होना था कि ब्रिटिश नौकरशाही अपनी पूरी ताकत से दमन करती। अतः मिदनापुर

ज़िले के अन्दर जिस प्रकार अत्याचार हुए उनके सामने कुछ जर्मनों ने अपने विजित देशों में जो किया, वह फीका दीख पड़ता है। अश्रु गैस छोड़ी गई, उसके पश्चात् लाठियों का दौर चला और अंत में गोलियों की बौछारें हुईं ज़मीन और आसमान दोनों पर से निहत्थी जनता पर मशीनगनों से हमले हुए। तलाशी के समय आदमियों और औरतों दोनों को निर्दयता के साथ पीटा गया। बच्चे भी अछूते न बच पाए। घरों को जलाया गया और स्त्रियों का सतीत्व नष्ट किया गया। इन सब अत्याचारों का एक ही अभिप्राय था कि जनता के हृदय में आतंक बैठा दिया जाय और उन्हें अपनी स्वतन्त्र सरकार बनाने का मजा चखाया जाय। पर मिदनापुर के बहादुर लोगों ने सब कुछ सहन किया और संघर्ष को जारी रखा।

विद्युत-वाहिनी सेना

विद्युत वाहिनी सेना का निर्माण सर्वप्रथम महिषादल में हुआ। पीछे वह तामलुक तथा नन्दीग्राम में भी संगठित की गई। प्रत्येक विद्युतवाहिनी में एक जनरल कमांडिग आफिसर तथा एक कमांडैंट रहते थे। यह निम्नलिखित भागों में विभक्त थीः—१. युद्ध शाखा। २. समाचार शाखा। ३. सहायता शाखा। सहायता विभाग में पूर्ण शिक्षित डाक्टर, कंपाउन्डर, सवारी ढोने तथा सेवा-सुश्रूषा करने वाले लोग थे। सरकार की ओर से प्रकाशित एक पुस्तिका में इस सम्बन्ध में कहा गया हैः—

"बंगाल सूबे में मिदनापुर जिले में विद्रोहियों के कार्यकलाप से प्रकट होता था कि उनके कार्य पूर्वनिश्चित योजना के अनुसार चल रहे थे। उनके पीछे गम्भीर चिन्तन तथा दीर्घदृष्टि नजर आती थी। चेतावनी भेजने के उनके तरीके सर्वथा मौलिक थे। किसी बात को फैलाने तथा किसी गुप्त योजना को कार्यान्वित करने के उनके ढंग स्पष्टतः पूर्व निश्चित संकेतों के अनुसार थे।"

राष्ट्रीय सरकार विद्युत वाहिनी को राष्ट्रीय सेना समझती थी। उनकी निम्नलिखित शाखाएं पीछे खुली :—

१. गुरिल्ला विभाग, २. बहनों की सेवा तथा ३. शान्ति कानून विभाग। इस अन्तिम विभाग ने मशहूर डाकुओं तथा चोरों को गिरफ्तार किया, जो उत्पात मचाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिये गए थे। इन डकैतों और चोरों के मामले राष्ट्रीय सरकार के समक्ष उपस्थित किए गए और कानून के अनुसार उनको दंड मिला।

सब डिवीजन के प्रसिद्ध नेता जी श्री सतीशचन्द्र समस्त ताम्रलिप्त राष्ट्रीय सरकार के प्रथम सर्वाधिकारी थे। इनके नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार काफी लोकप्रिय हो गई। दूसरे सर्वाधिकारी थे श्री अजेयकुमार मुखर्जी, श्री सतीशचन्द्र साहू और श्री वरदाकांत कुटी।

मिदनापुर के जिले के लोगों को प्रकृति तथा सरकार—दोनों का प्रकोप झेलना पड़ा। एक ओर प्रकृति की ओर से भयंकर तूफान आया जिसने चारो तरफ बरबादी और तबाही मचा दी और दूसरी ओर सरकार ने लोगों की मुसीबत को बढ़ाया। बंगाल गवर्नर ने बंगाल असेम्बली में 'डिनायल पालिसी' की घोषणा की। इसके अनुसार हजारों नावें और साईकिलें जो लोगों के पास थी सरकार ने छीन लीं। भारत रक्षा नियमों का मनमाना प्रयोग किया गया। जिसे चाहा उसे जेल में ठूस दिया, जहां चाहा युद्ध प्रयास में बाधा डालने की के काम पर सामूहिक जुर्माने किए व गोलियां चलाईं।

ब्रिटिस सरकार के काले कृत्य

तामलुक सब डिवीजन में २२ स्थानों पर २५ बार गोलियां चलीं, जिससे ४४ आदमी मारे गए, १९९ सख्त घायल हुए और १४२ को साधारण चोटें आईं।

६३ स्त्रियों पर बलात्कार किया गया, ३१ स्त्रियों पर बलात्कार करने की चेष्टाएँ की गई, जिन्हें गांव वालों ने बीच में पड़कर विफल किया तथा १५० स्त्रियों को अन्य तरीकों से अपमानित किया गया।

२२६ आदमियों को चोटें आईं, १८५९ व्यक्ति गिरफ्तार किये गए ५ ७६ गैर कानूनी तौर पर नजरबन्द किये गए, ९ व्यक्ति भारत रक्षा नियमों के मातहत नज़रबन्द किये गए।

४०१ स्पेशल पुलिस के सिपाही नियुक्त किये गए।

१२४ घरों को पेट्रोल और मिट्टी का तेल छिड़क कर जला दिया गया, जिससे १ ३९ ५०० रुपये की सम्पत्ति नष्ट हुई। ४९ घर तोड़-फोड़ डाले गए और १०४४ घर लूट लिये गए, जिसके फलस्वरूप २१०८७१० रुपये की हानि हुई। २७ घरों पर कब्जा कर लिया गया। १३७३० तलाशियां ली गईं। ५९ परिवारों का सामान कुर्क किया गया जिसकी कीमत २५३६५ रुपया होती है।

४१ गांवों पर १९०००० रुपया सामूहिक जुर्माना किया गया।

१९ संस्थाओं को गैर कानूनी करार दिया गया।

भयानक तूफान

मालूम पड़ता है प्रकृति ने सरकारी दमन को मिदनापुर के लोगों के लिए काफी नहीं समझा और उसकी भयंकरता को बढ़ाने के लिये अपना रौद्र-रूप दिखाया। १६ अक्तूबर को बंगाल की खाड़ी से एक तूफान उठा जो ४६० मील फी मिनट की गति से सारे जिले पर छा गया। भयानक बारिस हुई और समुद्र में प्रलयकारी ज्वार -भाटा आया। आमतौर पर पूर्वी बंगाल और विशेषतः मिदनापुर के लोगों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। ब्रिटिश प्लेटून के कन्टाई स्थित कमान्डैंट का कहना है कि कन्टाई जो मेंतबाही हुई वह तबतक की तबाही से १० गुना बढ़ कर थी। पेड़ के पेड़ उड़ते हुये दिखलाई पड़ रहे थे। आदमियों और जानवरों की मुसीबत

का कोई ठिकाना न था। ८० प्रतिशत घर धराशायी हो गये और इस इलाके के ७५ प्रतिशत जानवर नष्ट हो गए। इस विपत्ति की कई दिनो तक अखबारों में कोई सूचना ही नहीं दी गई। लगभग ३ नवम्बर को दुनियां ने इस का कुछ हाल जान पाया। सरकार ने पीड़ितों को राहत देने की जो नीति अपनाई, उसने जले पर नमक छिड़कने का काम किया ऐसा प्रतीत होता था कि सरकार इस विपत्ति के समय जनता से आंदोलन का बदला लेना चाहती है। मिदनापुर के कलेक्टर और सब डिवीजन अफसर का खुले शब्दों कहना था कि लोगों को किसी प्रकार की सहायता न देनी चाहिये और न सरकारी कमेटी ही बनानी चाहिए। जिला मजिस्ट्रेट ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी की तरफ से सूचना दी कि मिदनापुर जिले में कोई भी आदमी, जो पीड़ितों को सहायता देना चाहे, न आने दिया जाय। इतना ही नहीं, यदि नाविकों ने डूबते हुये लोगों की सहायता करने का प्रयत्न किया तो उन्हें बुरी तरह से धमकाया गया। सरकारी नौकरों को अपनी मनमानी करने का काफी मौका मिला। जो गाएं दूध देती थी उनको फौज के लिये जबरन छीन लिया गया। जो चावल जनता के पास मौजूद था, वह ले लिया गया। एक ओर आदमी मर रहे थे' दूसरी ओर युद्ध-प्रयास के नाम पर उनकी सामग्री छीनी जा रही थी। यह सब जुल्म जनता पर केवल इसलिये किया गया कि उसने अपनी आजादी की आकांक्षाका प्रदर्शन किया था।

कन्टाई गोलीकाण्ड

कन्टाई के इलाके में कितने ही गोलीकाण्ड हुए। लाठीचार्ज तो रोजाना की घटनाएं थीं। लगभग १३ जगह गोलीकाण्ड हुए जिनमें ७५ आदमी मरे और २१० से अधिक जख्मी हुए। कुछ गोलीकाण्डों का विवरण यहां दिया जाता है—

बढ़े चलो

न हाथ एक शस्त्र हो
न साथ एक अस्त्र हो
न अन्न नीर वस्त्र हो

हटो नहीं,
डटो नहीं,
बढ़े चलो,
बढ़े चलो।

रहे समक्ष हिम-शिखर
तुम्हारा प्रण उठे निखर
भले ही जाय तन-बिखर

रुको नहीं,
झुको नहीं,
बढ़े चलो,
बढ़े चलो।

गगन उगलता आग हो
छिड़ा मरण का राग हो
लहू का अपने फाग हो

♣

(१) २२-९-४२ को सब-डिवीजनल अफसर सैनिक पुलिस के साथ महीशगोट पहुंचे और आस-पास के कितने ही घरों को घेर लिया और वहां के लोगों को सड़क पर कार्य करने के लिए विवश किया। कुछ लोगों ने जब यह बेगार करने से इनकार किया तो ओवरसियर ने उनसे वादा किया कि उन्हें मजदूरी के पैसे दिये जायेंगे। इस पर लोग सड़कों पर काम करने लगे। उसके कुछ देर बाद जबरदस्त बारिश हुई और पुलिस के सिपाहियों ने घरों में जबरदस्ती घुसकर शरण पाने के प्रयत्न किये। सब-डिवीजनल अफसर को जब यह पता चला कि गांव वाले मजदूरी के पैसे मांगते हैं तो उसने लोगों को पीटना शुरू कर दिया। लोगों ने उत्तेजित होकर कुछ ईंट पत्थर फेंके होंगे। इस पर पुलिस ने ३० राउन्ड गोलियां चलाईं जिसके कारण २४ आदमी घायल हुए। पुलिस ३ जखमी आदमियों को महीशगोट से कन्टाई तक पैरों के बल घसीटकर ले गई। इसमें से दो आदमी अस्पताल जाते ही मर गए।

(२) २७-९-४२ को पुलिस कप्तान और सब-डिवीजनल अफसर ने एक फौजी जत्थे के साथ बैलवाली कैम्प पर आक्रमण किया। कैम्प के सारे सामान को जला दिया। इसके बाद पुलिस ने यही तरीका अन्यत्र भी अख्तियार किया। पर जनता के समूह ने इसका मुकाबला किया। समूह पर गोलियां चलाई गईं, जिसके कारण ३ आदमी वहां पर मर गए और १४ आदमी बुरी तरह से घायल हुए। पुलिस जब लूट मचा रही थी तो जनता के एक दूसरे समूह ने उसका मुकाबला किया। उसपर गोलियां चलाई गईं और ११ आदमी मरे तथा ७ घायल हुए।

(३) २९-९-४२ को लगभग ५ हजार आदमियों के जुलूस ने भगवानपुर थाने पर आक्रमण कर दिया। थाने का केवल एक ही रास्ता था। पुलिस ने थाने से गोलियों की बौछारें प्रारम्भ कर दीं। १६ आदमी घटनास्थल पर ही मर गए। २० बुरी तरह से घायल हुए। मिमलोवरी

स्कूल का हेड पंडित, जो एक घायल को पानी पिला रहा था, गोली से मार दिया गया।

(४) १-१०-४२ को दोपहर को जिला मजिस्ट्रेट और सब-डिवीजनल अफसर सैनिक-पुलिस के एक जत्थे को साथ लेकर मरिसादा स्थान की ओर रवाना हुए। रास्ते में उन्हें जो कोई भी मिला उसे मजबूर किया कि वह उनके साथ टूटी हुई सड़क की मरम्मत करने के लिए चले। इस तरह जबरदस्ती मार-पीटकर कुछ लोगों को पुलिस लारियों में भरकर ले जाया गया। मरम्मत का यह कार्य करते हुए रात हो गई। जिला मजिस्ट्रेट ने रोशनी के लिए नई बनी हुई मरिसदा स्कूल की इमारत को जलवा दिया। रात को पुलिस के चले जाने के बाद लोगों ने मरम्मत किए हुए रास्ते को फिर तोड़-फोड़ डाला। अगले दिन पुलिस के एक जत्थे ने जब रास्ते को पहले की तरह टूटा हुआ देखा तो उसके क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने वहां के २५ मकानों में उसी समय आग लगा दी और निरपराध लोगों को भी बड़ी बेरहमी से पीटा। टूटे हुए रास्ते की फिर से मरम्मत करवाई। वहां से यह जत्था जब भद्नतगढ़ पहुंचा तो उसने वहां पर इकट्ठी जनता पर गोलियां चलाई जिससे २ आदमियों की मृत्यु हुई। उनमें से एक तो वहीं घटनास्थल पर मर गया।

(५) पटासपुर पुलिस थाने में ३-१०-४२ को एस० डी० ओ०, एस० पी० और सरकिल आफिसर फौज और पुलिस के सैनिकों के एक जत्थे के साथ थाने पर पहुंचे। रास्ते में उन्हें आठ हजार आदमियों का एक विशाल समूह मिला। इस जत्थे ने समूह को तितर-बितर करने के लिये गोलियां चलाई जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु होगई।

(६) ८-१०-४२ को एस० डी० ओ० पुलिस के एक जत्थे के साथ तिपरापाड़ा पहुंचा और बांध पर इकट्ठे हुए कुछ लोगों पर टामीगन से गोलियां चलाई, जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और ९ घायल हुए।

इस तरह की बेशुमार घटनाएं इस इलाके में जगह-जगह पर हुईं। कुछ मिसालें ही ऊपर दी गई हैं।

इस प्रकार बराबर गोलियां चलाने पर भी जब लोग न दबे और अहिंसक विद्रोहियों ने सूटा हेरा थाने पर कब्जा कर लिया, तो हवाई जहाज से जनता की भीड़ पर बम फेंके गए। फिर भी थाने पर पहले ही की भांति जनता का कब्जा कायम रहा।

जनता पर आतंक जमाने के लिए जिला अधिकारियों ने बहुत ही घृणित रीति से लूटने और आग लगाने की नीति को अपनाया। सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं के ही मकान नहीं जलाए, बल्कि निर्दोष गांव वालों के मकान तथा स्कूल भी जलाए। किसी ने स्वप्न में भी न सोचा था कि सरकार ज़िले की जनता की आज़ादी की भावनाओं को दबाने के लिए इस प्रकार के अत्याचार करेगी। डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने, जो उस समय बंगाल सरकार के मंत्री थे, बंगाल सरकार को अपने एक पत्र में लिखा था कि बंगाल सरकार की इस आशय की विज्ञप्ति के बावजूद कि शान्ति व व्यवस्था के संरक्षक सरकारी कर्मचारियों द्वारा मकानों के जलायेजाने की सरकारी नीति नहीं है, मेरे पास इस बात के काफी सुबूत हैं कि इस पर अमल नहीं किया गया।

१६ अक्तूबर के भयंकर तूफान की बरबादी के १५ दिन के बाद तक इस इलाके के कुछ हिस्सों में लूट और आग की कितनी ही घटनाएं हुईं।

इस के अलावा स्थानीय मुस्लिम जनता को अपने हिन्दू पड़ोसियों के घरों को लूटने और आग लगाने के काम में सहायता देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सरकार ने मुसलमानों को हर प्रकार की सहायता देने का ही विश्वास नहीं दिलाया, वरन सब दमनकारी कानूनों के पंजों से उन्हें बरी कर दिया। दमन से बचने के लिए उनको इस बात का आदेश दिया कि वे अपने मकानों पर झंडे लगा लें।

कंटाई के कुछ आंकड़े

कंटाई सब डिवीजन में २२८ स्त्रियों के साथ बलात्कार किया गया या बलात्कार करने की चेष्टा की गई। १० हिन्दू स्त्रियों को गुण्डों के हवाले कर दिया गया। ९६५ घर जलाए गए, जिससे ५,४१,४३१, रुपये की हानि हुई। २०१९ घर लूटे गये, फलस्वरूप २,५५, २४६ रुपए की हानि हुई। १२ ६८१ व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, ६७२ को सजायें दी गईं। ६, ६८५ लाठियों के प्रहार से घायल हुए। ३०,००० रुपए सामूहिक जुर्माना किया गया। ४३८ स्पेशल कांस्टेबल नियुक्त किये गए।

स्त्रियों के साथ बलात्कार

जिले में शांति व व्यवस्था कायम करने लिए जो तरीके अख्तियार किए, पुराने ज़माने के जंगली को भी मात करते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य-के दलालों ने बाज़ारों, चौराहों और रास्तों में मनादी करादी कि यदि देश की आजादी के लिए लड़ने वालों को उन्हें सौंप दिया गया और लड़ाई बन्द न कीगईतो लोगोंकी औरतोंके साथ बाज़ारोंमें बड़े पैगानेपर बलात्कार किया जायगा। यह सिर्फ कोरी धमकी नहो थी, बल्कि वस्तुत; बहुत बड़ी संख्या में औरतों पर पाशविक हमले किये गए।

१-९-४२ को महीपादल थाने के तीन गांव मसूरिया, बिहीतसूरिया और चंडीपुर को ६ हजार फौजी सिपाहियों द्वारा घेर लिया गया। गांव के मर्द, औरत और बच्चे बड़ी बेरहमी से पीटे गए और उनके घरों को लूटा तथा जलाया गया। इन राक्षकों को इतने पर ही संतोष नहीं हुआ, बल्कि ४६ औरतों के साथ बलात्कार भी किये। यह नहीं, हर औरत के साथ दो, तीन और चार सिपाहियों तक ने बलात्कार किया और कई औरतें तो बेहोश तक हो गईं।

ऊपर की मिशाल इस प्रकार की कितनी ही घटनाओं में से एक है। यह सब घटनाएं सरकारी छानबीन द्वारा पुष्ट हो चुकी हैं, परन्तु फिर भी उन्हें दबा दिया गया है। मेरे पास ७२ औरतों के पते और उनके बयान मौजूद हैं। उनमें कुछ बयान नीचे दिये जाते हैं:—

(१) "मैं श्रीमती सिन्धुबाला मैती, अधरचंद मैती की स्त्री हूँ और चडीपुर ग्राम, महिषादल थाने ज़िला मिदनापुर की रहने वाली हूं। मेरी अवस्था १९ वर्ष की है। मैं एक बच्चे की मां हूं। ९-१-४३ की ९॥ बजे सुबह नलिनी राहा कुछ फौजी सिपाहियों को लेकर मेरे मकान पर आया। कुछ सिपाही मेरे पति को ज़बरदस्ती पकड़ ले गये और इस प्रकार घर में मैं बिल्कुल अकेला रह गई। नलिना राहा मेरे पास आया और ज़बर्दस्ती मेरे साथ बलात्कार किया। मैं बेहोश हो गई... . ...।

"यह मेरे साथ दूसरा बलात्कार था"

इससे पहले इस स्त्री के साथ २७-१०-४२ को बलात्कार किया गया था। दूसरे बलात्कार के बाद जो जखम आये, उससे आहत होकर यह स्त्री ९ दिन ही बाद मर गई।

(२) "मैं श्रीमती चूदी पंडित को स्त्री हूँ और चनडीपुर गांव, थाना महिषादल, जिला मिदनापुर का रहने वाला हूँ। मेरी आयु २४ वर्ष है और मेरे तीन बच्चे हैं। ९–१–४३ की सुबह नलिनी राहा कुछ सिपाहियों के साथ मेरे मकान पर आया और कुछ सिपाही ज़बरदस्ती मेरे पति को पकड़ कर लेगये। नलिनी राहा के हुक्म से दो सिपाहियों ने मुझे पकड़कर मेरे मुह में कपड़ा ठूंस दिया। मेरे शोर मचाने की कोशिश करने पर मुझे सिपाहियों और नलिनी राहा ने गोली मार देने की धमकी दी। दो आदमियों ने मेरे साथ बलात्कार किया। मैं बेहोश हो गई जब मैं होश में आई तो मेरे पति मेरे पास थे। उनके जख्मों से खून टपक रहा था।"

यह स्त्री बलात्कार के समय गर्भवती थी।

(३) मैं श्रीमती सुहानी दास; मनमथनाथ दास की स्त्री तथा चडीपुर गांव थाना महिषादल जिला मिदनापुरकी रहने वाली हूँ। मेरी आयु ३० वर्ष की है मेरे एक बच्चा है। ९-१-४३ की दोपहर को नलिनी राहा कुछ फौजियों के साथ हमारे मकान पर आया। कुछ लोग मेरे पति को जबरदस्ती पकड़ कर ले गए। मैं भी पिछले दरवाजे से भागकर बांसों की झाड़ियों की तरफ जा रही थी। मुझे पीछे से दो सिपाही जबरदस्ती पकड़ कर मेरे मकान पर ले आए। उन्होने मुझे बन्दूकों के कुन्दो से मारा और जमीन पर गिरा दिया मेरे मुह को कपड़े से बन्द कर दिया। फिर कई आदमियों ने लगातार मेरे साथ बलात्कार किया। परिणामस्वरूप में बेहोश हो गई।

इस प्रकार की घटनाओ में औरतों के गाल काटने, उनके कपड़े उतार कर नंगा करने उनकी छातियां काट लेने तथा निर्दयता के साथ उनको पीटने तथा घायल अवस्था में उन्हें घसीटने की घटनाएँ शामिल हैं।

लोगों पर अन्धाधुन्ध सामूहिक जुर्माने किये गये। अपराधी और निर-पराध के बीच कोई भेद नहीं किया गया। प्रायः हिन्दुओं को ही सामूहिक जुर्मानों का शिकार बनाया गया।

इसके अलावा लोगों पर कई प्रकार के अत्याचार किये गए। छोटे-छोटे बच्चों को उठाकर फेंक देने और गायों को मकानों के अन्दर ही जला देने के काफी उदाहरण मिलते हैं। एक बच्चे के ऊपर जूते पहनकर चलने से उसका पैर टूट गया कुछ लोगो को नंगा कर उनके चूतड़ो में डंडे ठूसे गये। एक लड़के को नंगा करके कास्टिक सोडे और चूने के पानी का घोल तैयार करके उसकी मूत्रेन्द्रिय पर लगाया गया। कहने का अर्थ यह है कि मिदनापुर जिले में अत्याचार करने में पाशविकता और बर्बरता को भी लज्जित कर दिया गया।

बैलूर घाट सब डिवीजन

इस सब डिवीजन में स्थानीय कांग्रेस कमेटी के मंत्री श्री सरोजरंजन चटर्जी ने आंदोलन की शुरूआत के लिये १३ सितम्बर का दिन नियत किया १३ सितम्बर की रात को स्थानीय कांग्रेस–नेताओं के नेतृत्व में गांव वालों के १०० से अधिक जत्थे बैलूर घाट में इकट्ठे कर लिये गए। इनमें से कुछ ३० मील से भी अधिक की दूरी से आकर बैलूर घाट कस्बे से ३ मील की दूरी पर अतिराइ नदी के पश्चिमी घाट के किनारे डंगीघाट पर इकट्ठे हो गए। प्रातः काल ५००० व्यक्ति जमा थे उन्होंने नदी को पार किया और नदी के पूर्वी घाट पर तिरंगे झन्डे का अभिवादन किया। लगभग ७ बजे सब लोग कस्बे की तरफ 'बन्दे मातरम' 'करेंगे या मरेंगे' के नारे लगाते हुये चल दिये। रास्ते में नदी के पूर्वी घाट के अन्य गांवों के लोग भी शामिल होते गये और उनकी संख्या ७ हजार के लगभग हो गई। जुलूस बैलूर घाट कस्बे के बाजारों में होता हुआ खजाने पर पहुंचा। जुलूस के नेता ने खजाने के पहरे दारों तथा कर्मचारियों को इस्तीफा देकर जनता के आंदोलन में शामिल हो जाने को कहा। इसके पश्चात् ये लोग कस्बे के स्थानीय सरकारी तथा अर्धसरकारी दफ्तरों पर आक्रमण करने के लिए चले। इनमें सब रजिस्ट्री दफ्तर, सिविल कोर्ट बिल्डिंग, कोआपरेटिव बैंक, बंगाल आसाम रेलवे का आऊट एजेंसी दफ्तर, जूटइन्सपेक्टर आफिस, अंग्रेजी शराब की दूकानें, कृषि विभाग के दफ्तर, तथा बीज गोदाम, सहायक जूट इंसपेक्टर आफिस, और यूनियन बोर्ड आफिस आदि स्थान थे। सब रजिस्ट्री दफ्तर को आगलगाकर राख कर दिया गया। सिविल कोर्ट को भी आग से काफी नुकसान पहुंचा। कोआपरेटिव बैंक बिल्डिंगको भी आग से हानि हुई। टेलीग्राफ के तार काट दिये गये तथा तारघर की मशीनों को तोड़ डाला गया। दूसरे दफ्तरों के कागजात तथा फरनीचर आदि को भी नुकसान पहुंचाया गया। इसके पश्चात् सारा

जलूस शान्ति के साथ कस्बे से लौट गया । इसमें न किसी को चोट पहुचाई गई और न किसी व्यक्तिगत जायदाद को नुकसान ही पहुंचाया गया।

नदी के दूसरी ओर गवर्नमेंट के बहुत से धान के गोदाम थे, उन्हें जुलूस वालों ने लूट लिया। जिला मजिस्ट्रेट वहां पर हथियारों से सुसज्जित सिपाहियों को लेकर पहुचे, लेकिन जनता के खिलाफ कोई कार्रवाई किये बिना ही वापस लौट गए। जन-समूह के कुछ आदमी सिमलताल नामक स्थान पर पहुंचे और वहां से भी धान लूटकर ले गए।

जिला मजिस्ट्रेट को सूचना मिली कि अगले दिन थापन थाने पर जनता का आक्रमण होगा। अत: १५ तारीख की सुबह हथियारों से सुसज्जित सिपाहियों को लेकर वह थापन पहुचे। उधर प्राय: तीन सौ राजपूत, मुसलमान और सथाल धान की निकासी को रोकने के लिये तीलाघाट की ओर चले। इन दिनों प्राय: गांव के सब आदमी धान को बाहर भेजने के खिलाफ थे, क्योंकि वहां पर धान की कमी थी। जिला मजिस्ट्रेट भी थापन से हथियारबन्द सिपाहियों और इजारेदार को लेकर वहां पहुंचे। पुलिस ने जनता पर गोली चलाई। किन्तु उससे कोई क्षति नहीं पहुंची और जनता शान्तिपूर्वक वापस चली गई। जिला मजिस्ट्रेट ने ६ दर्शकों को गिरफ्तार किया जो वहां पर घूम रहे थे। जनता का समूह मदनहार की तरफ चला और वहां इजारेदार की दूकान को लूटा, क्योंकि उसने ज़िला मजिस्ट्रेट को मदद दी थी।

१२-९-४१ की आधी रात के समय पुलिस के एक जत्थे ने जिसके पास बन्दूकें भी थीं, चौकीदार और दफेदारों को साथ लेकर मुरदंगा में फूलचन्द मंडल के मकान पर छापा मारा। उनके विषय में यह कहा जाता था कि वह और उनके साथी बैलूरघाट की घटना में थे। पुलिस वालों ने मकान का दरवाजा तोड़ डाला और अन्दर घुस गए और जिस कमरे में फूलचन्द अपनी स्त्री और बच्चों के साथ सो रहे थे वहां

भारत की त्रियां

मत हमें निरी त्रियां समझो, हम हैं भारत के वीर।

क्या कहा अकल के कच्चे हैं,

हम सभी शेर के बच्चे हैं,

विश्वासी सीधे सच्चे हैं,

अवसर पर चला दिखा देंगे लक्ष्मी ऐसे तीर।

मत हमें निरी त्रियां समझो, हम हैं भारत के वीर॥

शुचि प्रण है सेवा करने का,

निज मातृ भूमि दुख हरने का,

निर्भय हो नित्य विचरने का,

दो आशीश सफल होवें मेरे नन्हें नन्हें वीर।

मत हमें निरी त्रियां समझो, हम हैं भारत के वीर॥

जाकर श्री फूलचन्द की बेइज्जती की और उनका सामान लूट लिया। श्री फूलचन्द के शोर मचाने पर गाँव की जनता उनके मकान की ओर दौड़ पड़ी। इस पर पुलिस ने जनता पर गोली चलाई। पर जनता के उमड़ते हुए जन-समूह को देखकर पुलिस वाले भाग गए। जो बाकी बचे, जनता ने उन्हें पकड़ लिया और रस्सियों से बांध दिया। दूसरे दिन जब पुलिस के गिरफ्तार शुदा सिपाहियों ने छोड़ देने की प्रार्थना की, तब जनता ने गांव में एक सभा की और उसमें यह तय पाया कि यदि वे लोग कांग्रेस के प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर करदें और इस बात का विश्वास दिला दें कि सरकारी नौकरियां छोड़ देंगे तो उन्हें छोड़ दिया जायगा। बिचारे पुलिस वालों ने फौरन ही कॉंग्रेस के प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। जनता ने फौरन ही उनको छोड़ दिया, पश्चात् उनको भोजन कराया और इस प्रकार वे 'वन्देमातरम्' का गाना गाते हुए तथा गांधीजी की जय के नारों के साथ विदा किए गए।

२४-९-४२ को पुलिस इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर हथियारबन्द पुलिस जत्थे के साथ मुरदंगा एक पुलिस के जत्थे को बचाने के लिए गए। रास्ते में उन्होंने मुरदंगा से दो मील की दूरी पर दो गांव वालों को गिरफ्तार कर लिया जो श्रीफूलचन्द मडल के औषधालय से दवा लेकर आ रहे थे। उनके रिश्तेदार उनको छुड़ाने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर के पास गए, परन्तु उसने उन्हें डाट फटकार दिया। धीरे-धीरे वहां लगभग सौ आदमी इकट्ठे हो गए। बातचीत चल ही रही थी कि पुलिस ने जनता पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं बन्दूकों की आवाज सुनकर लगभग ५-६ सौ आदमी जमा होगए। जनता पकड़े हुए आदमियों को छोड़ने के लिए चिल्लाने लगी। संथालों ने पुलिस पर धनुष-बाण से आक्रमण कर दिया। इस पर पुलिस वालों ने गिरफ्तार शुदा आदमियों को तो छोड़ दिया और भीड़ पर अन्धा-धुन्ध गोली चलाते हुए थापन की तरफ भागे।

पुलिस के कथनानुसार ६६ बाल गोलियों और १० बम गोलियों का प्रयोग किया। बहुत से आदमी घायल हुए और तीन आदमी घटनास्थल पर मारे गए।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि सब स्थानों पर कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं ने अहिंसात्मक नीति का पूर्णतः पालन किया। यहां तक कि पोलियाला हाट पर जहां कि पुलिस के अत्याचार सीमा को पहुंच चुके थे, गांव के कार्यकर्त्ताओं ने घुटनों के बल बैठ कर पुलिस की गोलियों का स्वागत किया। भेलाकुरी के रहने वाले एक ७० वर्ष के बूढ़े श्री आधार मण्डल ने सर्व प्रथम अपने सीने पर गोली का स्वागत किया।

१४ सितम्बर को दोपहर के बाद जब जनता का जुलूस लौट चुका था, जिला मजिस्ट्रेट तथा डी० एस० पी० अपने हथियारबन्द स्टाफ तथा दिनाजपुर सदर से गोरखा फ़ौज लेकर बेलूरघाट पहुचे। उनके आते ही गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। ३० आदमी गिरफ्तार किये गए जिनमें तीन मुसलमान भी थे। १७ सितम्बर को सुबह को बड़े तड़के फ़ौज की सहायता से तलाशियां शुरू की गईं। जिला मजिस्ट्रेट और एस० पी० स्वयं इस कार्य में हाथ बटा रहे थे। तलाशी लेते समय बरतन, प्याले, प्लेट; फरनीचर, सन्दूक, अलमारी आदि लोगों का सामान तोड़-फोड़ दिया गया इसके बाद उत्तरी बंगाल और ढाका से पुलिस के जत्थे-के-जत्थे आने शुरू हो गए। इस प्रकार तैयार होकर जिला मजिस्ट्रेट और एस० पी० इलाके के अन्दर गए। मुरदगा नामक गांव उनका विशेष निशाना बना। ढाका की ईस्टर्न फ्रंटियर रायफल्स, नामक टुकड़ी एक अंग्रेज अफ़सर की अध्यक्षता में मुरदगा भेज दी गई। उनकी सहायता के लिए पुलिस भी थी। वहां के कुल मकान या तो जलाये या कर दिये गए या तोड़-फोड़ डाले गए। मकान के रहने वाले आस-पास के जंगलों में भाग गये। इस तोड़-फोड़ के बाद जिला मजिस्ट्रेट और एस० पी० ने आस-

पास के मुसलमानों की एक सभा की और उन लोगों को भड़काया कि वे मुरदंगा गांव के आदमियों का सामान लूट लें और स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करें। अंग्रेज आफीसर की मेहरबानी से स्त्रियों का सतीत्व तो भ्रष्ट होने से बच गया, परन्तु अफसर के चले जाने के बाद जिला मजिस्ट्रेट और एस० पी० ने १५७ मुसलमानों को इकट्ठा किया। उनकी मदद से गांव लूट लिया गया। ३ दिन तक लूट का सामान जैसे धान, चावल, फरनीचर, बर्तन, छतों के खपरैल, जेवर, रुपया-पैसा कपड़ा आदि बराबर गाड़ियों से ढुलता रहा। एक ओर यह अन्धा-धुन्ध लूट चल रही थी, दूसरी ओर गिरफ्तारियां भी जारी थीं।

२ अक्टूबर सन् ४२ को मुसलमानों का गिरोह दिखाई दिया जिसका नेतृत्व एस० डी० ओ० खुद हाथ में रिवाल्वर लिए हुए कर रहे थे। और जो जिला मजिस्ट्रेट की आज्ञा के विरुद्ध लाठी और भालोंसे सुसज्जित था। इस जुलूस ने हिन्दुओं के बहुत से धान के गोदामों को लूट लिया। इनमें सबसे बड़ा गोदाम श्रयुत निकोरोशाह का था जिसमें १५०७ मन धान था।

बैलूरघाट के २९ हिन्दुओं पर ७५ हज़ार रुपया सामूहिक जुर्माना किया गया। एक-एक आदमी पर दस-दस हज़ार तक जुर्माना किया गया। केवल एक मुसलमान को छोड़ दिया गया, हालांकि उसका लड़का बैलूर-घाट की घटना के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया था। यह ध्यान देने की बात है कि बैलूरघाट से अधिक से अधिक १५ हजार रुपया का नुकसान हुआ था इस नुकसान को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। इसके अलावा अलग-अलग व्यक्तियों से बिना किसी कानून,कायदे के, रुपया वसूल किया गया।

कलकत्ता

कलकत्ता बंगाल प्रान्त की राजधानी है। यह भारत का सबसे बड़ा

नगर है। इसमें एक ओर जहां अनेक दर्शनीय इमारतें और भव्य अट्टालिकायें हैं, वहां कच्ची झोंपड़ियां उनमें रहने वालों की दरिद्रता का प्रदर्शन करती है। शिक्षा और उद्योग-धन्धों तथा व्यापार-व्यवसाय का केन्द्र होने के कारण कलकत्ते में राजनैतिक चेतना विशेष रूप से पाई जाती है इसलिये जब सन् १९४२ का विद्रोह शुरू हुआ तो कलकत्ता में हड़तालें हुई और बड़े बड़े जुलूस निकले। बड़ी संख्या में जनता शामिल हुई। अनेक मर्तबा जनता पर लाठी चार्ज किया गया। अश्रुगैस का प्रयोग भी किया गया। १३ १४ और १६ अगस्त को गोलियां चलीं। सरकार के कथनानुसार इन गोली-काण्डों में ३९ मरे और १५ घायल हुए। हताहतों की यह संख्या सर्वथा गलत है एक अमरीकन संवाददाता के कथनानुसार १०० आदमी तो केवल १४ अगस्त को ही गोली के शिकार बन गए थे। विद्यार्थियों ने आन्दोलन में अच्छा हिस्सा लिया। स्कूल कालेज लम्बे अर्से तक बन्द रहे। इन्हीं दिनों टेलीफोन के तार काटे गए तथा ट्रामों का आवागमन रोक दिया गया। फौजी लारियां लूटी भी गई और जला दी गईं। डाकखाने बरबाद किये गए तथा लेटर बाक्स तोड़े गए। काशीपुर की तीन जूट मिलों में हड़ताल हो गई। मोटर ड्राइवरों ने भी काम बन्द कर दिया। आनन्दपुर मेटल वर्क्स, इन्डन एल्युमोनियम वर्क्स ने भी कुछ दिनों के लिए काम बन्द कर दिया।

बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी गैर कानूनी करार दी गई। बंगाल सिविल प्रोटेक्शन कमेटी के कागजात जब्त कर लिये गए तथा कांग्रेस सिविल डिफेंस बोर्ड आफिस की खिड़कियों को तोड़ डाला गया। शक्ति प्रेस की तीन मशीनों को क्षति पहुंचाई गई, टाइप इधर-उधर फेंक दिये गये, पानी के पाइप तोड़ दिये गये और प्रेस पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सी दुकान भी पुलिस वालों ने लूटीं। गोलियां इस तरह अन्धा-धुंध चलाईं कि एक सात वर्ष का बच्चा जो अपने मकान के बरामदे में टहल

रहा था, तथा एक दूकानदार उनका निशाना बना। बहुत से आदमी घायल हुए जिनमें एक प्रेस का सवाददाता भी था ६५ वर्ष के एक बुड्ढे को संगीन की नोक द्वारा गन्दगी साफ करने के लिये विवश किया गया। अक्तूबर से दिसम्बर तक १५८ गिरफ्तारियां की गईं जिनमें २० स्त्रियां भी थीं। ९ दिसम्बर सन् १९४२ को स्वतन्त्रता दिवस के उपलक्ष में जलूस निकाला गया जिसको पुलिस ने तितर-बितर कर दिया। अखिल भारतीय चर्खा संघ की दूकान तथा अखिल भारतीय ग्राम उद्योग संघ के गोदाम पर पुलिस ने कब्जा कर लिया।

१६ अक्तूबर को क्रांतिकारियों ने विलिंगडन हवाई स्टेशन और धर्मतल्ला स्टेशन पर मोटरों में आग लगा दी तथा ८-१२-४२ को नंमतल्ला में दूकानदारों पर विस्फोट बमों का प्रयोग किया गया। ९-१२-४२ को बालीगंज आदि स्थानों पर दूकानदारों को रोक लिया। चार आदमियों ने सियालदा में ड्राइवर से चाबी छीनकर बस को स्टार्ट कर दिया और स्वयं नीचे उतर गये। यह बस कालेज स्ट्रीट के पास किसी दूसरी कार से जाकर टकरा गई। गरियाहट्टा में एक कार जला दी गई। ५-१०-४२ को ट्रेन का एक फर्स्टक्लास का डिब्बा, जो सियालदा से गुलुई जा रहा था, नष्ट कर दिया गया ५-१२-४२ को १९ आदमियों ने बी० एन० आर० के बुसकुरियां स्टेशन पर बमों का प्रयोग किया तथा स्टेशन के सब कागजात जला दिये। ३०-१०-४२ को बहू बाजार में एक एक्साइज की दूकान पर बम फेंका गया। २१-१२-४२ को भवानीपुर में विदेशी शराब की दूकान पर बम फेंके गये। २१-१२-४२ को कुछ बम स्टाक-एक्सचेंज पर फूटे।

मुरशिदाबाद

बलदगा और नाज़ीनगर के बीच टेलीग्राफ के तार काट दिये गए। अजीमगंज सिटी रेलवे स्टेशन पर आक्रमण किया गया तथा उसे क्षति

पहुंचाई गई। इसी प्रकार की घटना को बेलडेंगा स्टेशन पर हुई। रामबाग, पाटिकाबेरी और रुकनापुर के डाकखाने जला दिये गए। पटकाबेरी में टेलीग्राफ के दफ्तर को नष्ट कर दिया गया। एक गाजे की दूकान को भी बरबाद कर दिया गया। नासीपुर के बुकिंग दफ्तर को नष्ट कर दिया गया। कालिया बाजार से दहरनपुर जाने वाली गाड़ी का एक सेकेंड क्लास का डिब्बा जला दिया गया। दहरनपुर सिलटेकनो को जला दिया गया। जगीपुर म्युनिसिपल हाउस को नष्ट कर दिया गया। रा गंज और सैदाबाद के बीच लेटरबक्स जला दिये गए।

गंकर के एक कांग्रेस-कार्यकर्त्ता की सब चल सम्पति जब्त कर ली गई १ सितम्बर को जुलूस में सम्मिलित लगभग ६० व्यक्तियों को हरीशनपुर में गिरफ्तार किया गया और जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया। ब्रह्मापुर के मकान के निवासियों को जिसमें स्त्रियां भी थीं, घायल किया गया। बलगा में ५,००० रु० सामूहिक जुर्माना किया गया।

नदिया

गिरफ्तारियां ९८

रामघाट टेलीग्राफ और टेलीफोन के तार काट दिये गए। और पलासी कुश्तियां में भी टेलीग्राफ के तार काट दिय गए कृष्णनगर रेलवे स्टेशन के लैम्प तोड़ दिये गए। कृष्णनगर की लोकल ट्रेन के चार फस्ट क्लास तथा सैकेंड क्लास के डिब्बे जला दिये गए इसी गाड़ी का एक फर्स्ट क्लास का डिब्बा बाद में और जला दिया गया। मुरागचा रेलवे स्टेशन पर आक्रमण किया गया। और उसके सब काग़जात जला दिये गए। रामनाघाट इवेकुएशन रिलीफ सेन्टर की छतें जलाकर राख कर दी गई कृष्ण नगर के एक जुलूस पर तथा एक सभा पर लाठी-चार्ज किया गया जिसमें बहुत से आदमियों को चोटें आई। नवद्वीप के सात कमिश्नरों ने स्तीफे दे दिए।

ढाका

कई दिनों तक ढाका में तथा जिले के अन्य स्थानों में हड़तालें रही बहुत-सी सभायें हुई तथा जुलूस निकाले गये। विद्यार्थियों ने स्कूल कालज छोड़ दिए। ढाकेश्वरी चिरंजन तथा लक्ष्मीनारायण काटन मिल में हड़तालें की गई नारियागंज की सिविल तथा क्रिमिनल कचहरियों पर पिकेटिंग की गई ढाका सेन्टर व अखिल भारतीय चर्खा संघ और रायपुर के अखिल भारतीय चर्खा संघ पर कब्जा कर लिया गया।

ढाका की सड़कें रोक दी गई। दयागंज में रेल रोक लीगई और रेलवे के सामने को क्षति पहूंचाई गई। ढाका-नरियागंज की लाइन की पटरियां उखाड़ दी गई तथा दोनों शहरों के बीच कुछ दिन के लिए आमदोरफ्त के साधन नष्ट कर दिये गए। कन्दरिया रेलवे स्टेशन पर आक्रमण किया गया और वहां के कागजात जला दिये गए और स्टेशन जाने वाली सड़क को रोक दिया गया। ढाका के टेलीग्राफ तार काट दिये गए और टेलीफोन स्विच बोर्ड में आग लगा दी गई। अरमीना टोला के टेलीफोन के स्विचबोर्ड को जला दिया गया। साइकलों के रजिस्ट्रेशन नम्बर हटा दिये गए और मुशिया गंज में टेलीग्राफ के तारों को काट दिया गया। ओटपारा तथा केनिंगसन तारकाट दिये गए।

ढाका के एक भूसा गोदाम को, जिसमें फौज के लिए भूसा इकट्ठा किया गया था, नष्ट कर दिया गया। दोलिया की नहर में एक मोटर फेंक दी गई और फ़ौज तथा जल सेना के गोदाम को क्षति पहुंचाई गई। ढाका में एक ए० आर० पी० की इमारत को नष्ट कर दिया गया। मुंसिफ की कचहरी पर आक्रमण किया गया और कागजात जला दिये गए फौज के लिए जमा किए हुए भूसे में आग लगा दी गई तथा गवर्नमेन्ट के कताई के कारखाने में चर्खों और सूत आदि को क्षति पहुंचाई गई

ढाका के काले जिएट स्कूल के कागजात जला दिये गए और साइंस के यंत्रों को क्षति पहुंचाई गई। सी० आई० डी० इन्सपेक्टर के मकान पर एस० आई० के मकान पर बैरक्स पर कालीताला पर। ढाका के कोतवाली थानों पर सुतरापुर के एस० आई० के क्वार्टर पर गन्धरिया हवलदार के क्वार्टर पर ढाका के नरेगंदी थाने पर जोनसन रोड के एक रेस्टरां पर बम विस्फोट हुए।

१३ अगस्त को सवारी बाजार में कई जगह गोलियां चलीं जिससे एक मरा कई घायल मुंसिफ की अदालत के सामने दो सिपाही घायल ६ बार गोलियां चली बहुत से घायल हुए एक मरा। १५ अगस्त को सादरघाट पर एक मरा। अग्रेडहेड में एक मरा ७ घायल जिनमें तीन मरे। १५ सितम्बर तालटोला में तीन मरे और एक घायल। २२ सितम्बर को नवाबगंज में ५ बार गोली चली जिसमे दो मरे और ९ घायल हुए। एक सिपाही फौरन ही मर गया और एक ...द में मरा।

तिपरा

गिरफ्तारियां १७० जिनमें १९ स्त्रियां भी सम्मिलित थी।

तिपरा म्युनिसिपैलिटी को गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया। चान्दपुर में दो ए० आर० पी० पोस्ट नष्ट कर दिये गए। कोमाइल इनकम टैक्स दफ्तर पर आक्रमण किया गया तथा इब्राहीम डेट सेटिलमेन्ट बोर्ड और नरसिंह पोस्ट आफिस आदि के भी कागजात जला दिये गए। इब्राहीम यूनियन बोर्ड और बुरचंगा पोस्ट आफिस के कागजात जला दिये गए। राजपुर पोस्ट आफिस में भी यही नाटक खेला गया। पगमर, लक्ष्मी और लमाई के बीच टेलाग्राफ के तार काट दिये गए। कालीताला और दुर्गापुरा पोस्ट आफिस भी नष्ट कर दिया गया। खेरा पोस्ट आफिस का एक लेटर बाक्स गायब कर दिया गया। दुर्गापुर यूनियन बोर्ड

आफिस को नष्ट कर दिया गया। १४ नवम्बर को पुलिस स्टेशन चन्दाग्राम के निलाखी फौजी हवाई अड्डे को भी नष्ट कर दिया गया। इस जगह की जनता पर छः सौ रुपया सामूहिक जुर्माना किया गया।

सिलहट

२५ अगस्त से १५ सितम्बर तक ६९७ मुख्तार और वकीलोंने अपना काम बन्द कर दिया। इसके पश्चात् दो हजार मुहर्रिरों ने भी मुख्तारों और वकीलों का साथ दिया। ३१ अगस्त को सिलहट के पोस्ट तथा इनकम टैक्स आफिस और इक्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग आफिस पर आक्रमण किया और उसके काग़ज़ात जलादिये गये। मुभानगंज की कचहरी में भी ऐसा किया गया। कुलोरा थाने और विश्वनाथ थाने में मय सब इन्सपेक्टर. के मकानके तथा बेनी बाज़ार के पोस्ट आफिस में आग लगा दी गई। कितनी ही जगह के लेटरबक्स भी जला दिये गए। टेलीग्राफ के तार काट दिये तार के खम्बे गिरा दिये गए। सिलहट रेलवे प्लेटफार्म पर एक पेट्रोल का तथा दूसरा फौज के लिए खाद्य-पदार्थों से भरा रेल का डिब्बा जला दिया गया। एक गोरे सिपाही को भी जो वहां पर तैनात था जला दिया गया। रेलवे पटरियों के हट जाने से ९ डिब्बे गिर पड़े। फौज के लिये जमा भूसे में और एक बांस के पुल में आग लगा दी गई। तमाम जिले में 'भारत छोड़ो' आदि के २० हज़ार इश्तहार बांटे गए लगभग १०० मौलवी जनता में हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रचार करने के लिए नियुक्त किये गए। इस कार्य में सिलहट की जमैयतुल-उलमा काफी हाथ बटा रही थी। ६० स्वराज्य पंचायतें स्थापित की गई। इन पंचायतों में सब आपसी झगड़े और मुकद्दमे तय होते थे।

फरीदपुर

पलांस से बुदरानगर तक सब टेलीग्राफ के तार काट दिए गए।

बसन्तपुर रेलवे स्टेशन नष्ट कर दिया गया। गभागंज और बीजापुर के स्टेशन पर आक्रमण किया गया और वहां के काग़ज़ात जला दिए। मंगा में कुछ आफिसरों ने मुसलमानों को काग्रेस कार्यकर्त्ताओ के खिलाफ भड़का कर हिन्दुओं के मकान लुटवा दिए। बोलीताला के पास दादाई रेलवे स्टेशन के कुछ भाग में आग लगा दी गई। ज़िलास्कूल फरीदपुर के हेड मास्टर के आफिस में आग लगा दी गई तथा सेटिमेन्ट आफिस के काग़जात भी जला दिये गए।

मेमनसिंह

गिरफ्तारियां: १४१

मेमनसिंह के टेलीग्राफ के तार काट दिये गए रेल की पटरी उखाड़ दी गई तथा नीलगंज में रेल के स्लीपर जला दिये गए। नेत्रकोण के रेलवे टेलीग्राफ के तार काट दिये गए। किशोरीगञ्ज में भी ऐसा ही किया गया। नीलगञ्ज डाकखाने के थैले छीन लिए गए। एक एक्साइज़ की दूकान पर कब्जा कर लिया गया और मैमनसिंह में भूसेके गोदाममें आग लगा दी गई। सेल्स टैक्स तथा इनकम टैक्स के दफ्तरों पर भी आक्रमण किया गया। तागिल सिविल कोर्ट तथा सब इन्सपैक्टर के मकान में आग लगा दी गई। रायर बाजार तथा अथरबरी के बाजार लूट लिए गए। म्यूनिसिपल बोर्ड आठ कमिश्नरों ने इस्तीफा दे दिये और कई वकीलों ने अपनी वकालत बन्द करदी।

रायर बाजार के सरकारी बाजार की लूट के परिणाम स्वरूप जब पुलिस ने गोलियां चलाईं तो तीन आदमी मारे गए तथा अथरबरी बाजार की लूट के सिलसिले में पुलिस की अंधाधुन्ध गोलियों से सौ आदमी घायल हुए।

राजशाही

नौगांव पोस्ट आफिस जला दिया गया और बोलिया थाने पर आक्रमण किया गया। एक चावल के गोदाम में आग लगा दी गई। अवाद-

पुर सरकारी बाज़ार तथा गजलीबाज़ार लूट लिये गए। कासिबचरी प
आक्रमण किया गया।

राजेश म्युनिसिपैलिटी के ७ कमिश्नरों ने इस्तीफा दे दिया।

दीनापुर

बैलूरघाट में टेलिग्राफ के तार काटे गये। यूनियन बोर्ड, सिविल कोर्ट
बहुत सी एक्ससाइज की दूकानें, सब रजिस्ट्री आफिस, सेंट्रल कोआपरे
टिव बैंक आदि स्थान जला दिये गए तथा नष्ट कर दिये गए।

नोट:—इसका विस्तृत वर्णन एक दूसरे स्थान पर दिया गया है
वहां की रहने वाली जनता ने सब रजिस्ट्रार पर एक हजार रुपया तथ
आँनरेरी मजिस्ट्रेट पर दो सौ रुपया जुर्माना किया।

रंगपुर

पारवतीपुर–कठियार रेलवे की पटरियां उखाड़ दी गईं जिससे कि एक
रेलगाड़ी उलट गई। पारवतीपुर में मीलों तक रेल की पटरियां उखाड़ द
गईं। स्टेशन पर आक्रमण किया गया और सिग्नल पर जला दिये गए
रंगियापुर इस्टेशन की इमारत तथा क्वार्टर मय सामान के जला दि
गए और दो जोड़ी रेल की पटरियां उखाड़ दी गईं माईहाटे पर चौथाई
मील रेल की पटरी उखाड़ दी गई सहसपुर से चन्दाइ कोना तक तथ
धूपचांसी तथा सरपुर के टेलीग्राफ के तार काट दिये गए। मोलपुर प
की रेलवे स्टेशन पर फर्स्ट तथ सेकेंड क्लास के डिब्बे जला दिये गए

जलपाईगुरी

कुमार ग्रामद्वार पोस्ट आफिस और तहसील आफिस पर हुए आक्र
मण के सिलसिले में मारवाड़ियों की बन्दूकों का लाइसेन्स जब्त कर लिय
गया।

दारजिलिंग

गिरफ्तारियां : ४६

८ सितम्बर को सिलीगुरी में गोलीकांड हुए ।

बर्दमाम

गिरफ्तारियां : १७४ सामूहिक जुर्माना ४५,५००

कालन्स रेलवे स्टेशन और जमालुरगन्ज रेलवे स्टेशन, जमालपुर की देशी शराब और गांजे की दूकानें, बमनी को देशी शराब तथा एक्साइज की दूकानें, कलना सिविलकोर्ट, बेगराई इवेकुएशन के दोमकान तथा बर्दवान का डाक बंगला, जमालपुर थाने के कागज़ात और सामान: सागरी के एवेकुएशन कैम्प की सात छतें, कुसुमग्राम का डाक बंगला, बंकापुर का डी० एस० आफिस और उकरिद डी० एस० बी० आफिस आदिको लूट लिया गया, नष्टकर दिया गया अथवा जलाकर खाककर दिया गया। जमालपुर में एक बन्दूक पकड़ी गई बंकपुरी और उरीद यूनियन बोर्डों के दफ्तरों तथा मल्दानागर और सेठपुर की एक्साइज़ की दूकानों और कनीपुर में देशी शराब की दूकानों को जला दिया गया।

९।१०।४२ को गुसखुरा रेलवे स्टेशन के पास एक अंग्रेज टामी ने एक किसान को गोली से मार दिया जो कि सीर लेने जा रहा था

हावड़ा

बन्तरा के टेलीफोन और बिजली के तार काटे गए और हावड़ा बस-घाट के ट्राम रोक दिये गए। बेमगची और बेबघचिया रेलवे स्टेशनों पर टेलीग्राफ के तारों को कई जगहसे काट दिया गया। कोलवरी में ट्रमट्रोली नष्ट कर दी गई और पंचनताली सड़क रोक दी गई। शानपुर पोस्ट आफिस थस्ट रोड पोस्ट आफिस तथा जिंगार पोस्ट आफिस के कागज़ात स्टैम्प सहित जला दिये गए।

भौसागर रेलवे लाइन की पटरियां उखाड़ दी गईं और यह कोशिश की गई कि वृन्दावनपुर की बी० डी० रेलवे की पटरियां उखाड़ दी जायं। कन्जाकुर और मनोवर यूनियन बोर्डों के कागजात, रशनाबाद यूनियन बोर्ड आफिस, बिलसनोर का डाक बंगला, चन्द्र और अलुनी के मिलिट्री आबज़रवेशन कैम्प और कच की वायुदर्शक यंत्र, विशनपुर हवाई अड्डे की दो छत, सोनामुखी।चन्द्रा और गंगाजल हाटी में एक्साइज की दूकान तथा सेलबोनी, केदामगाटी और कनोहापुर आदि जगहों में एक्साइज़ की दूकानें दोर्गापुर, तोनालचिटी, ज्योडा बिनू, करासाल, सिलमपुर, बिवरद का चनूनियां आदि जगहों में एक्साइज की दूकानें, बेनुनियां का डाक बंगला और अकुई का डाक का थैला आदि जला दिये गए, नष्ट कर दिये गए अथवा लूट लिये गए।

२१ अगस्त को उलूबरिया में एक सभा पर गोली चलाई गई।

हावड़ा की जूट मिल और अनेक कम्पनियों में हड़तालें हुईं।

बिठूर और बादलनरियापुर की यूनियन बोर्डों को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया।

हुगली

गिरफ्तारियां: ५६५

कई जगह टेलीग्राफ के तार काट दिए गए। मार्टिन एन्ड को० तथा एन्ड को रेलवे के चम्पादंगा और सोमड़ा और हेवान के बीच रेल की पटरियां उखाड़ दी गईं जिससे दो दिन तक रेलों का चलना बन्द हो गया। ई० आई० आर० की कुछ लाइनों पर के लकड़ी के तख्ते आदि हटा दिये गए। दो डिब्बे बिलकुल जला दिये गए और कई रेल के डिब्बों को बड़ी क्षति पहुंचाई गई। स्टेशनों पर लैम्प तोड़ दिये गए और पटरियां उखाड़ दी गईं' वोनोहीकटवा के तीन पुल तोड़ दिये गए। आराम बाग खास महल और बालीखास महल के दफ्तर जिले के सब खास मपलों के कागजात रखे थे, नष्ट कर दिये गए।

३०-१०-४२ को जनता ने चम्पाडांगा बाजार पर आक्रमण किया। कुछ सामान लूट लिया और कुछ नष्ट कर दिया। सूचना मिलने पर फौरन ही वहां पुलिस आई और उसने जन-समूह पर गोली चलाना शुरू कर दिया जिससे तीन व्यक्ति मारे गए तथा बहुत से जख्मी हुए।

मद्रास में विद्रोह

मद्रास प्रान्त में दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप का करीब-करीब सारा ही दक्षिणी हिस्सा शामिल है और देशी रियासतों को छोड़कर इसका क्षेत्रफल १,२४,३६३ वर्गमील है। काफी अर्से से इस प्रान्त की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। इसमें करीब ८८ प्रतिशत हिन्दू, ७ प्रतिशत मुसलमान तथा ३८ प्रतिशत ईसाई हैं। अन्य जातियों की तादाद बहुत थोड़ी है। आबादी का ज्यादातर हिस्सा द्राविड़ नस्ल का है। और यहां द्राविड़ भाषाएँ ही बोली जाती हैं। करीब १,९०,००,००० आदमी तामिल बोलते हैं और १,८०,००,००० आदमी तैलगू। कुल आबादी में से करीब ४० प्रतिशत मलयालम। इस प्रकार हम देखते हैं कि मद्रास प्रान्त में न केवल बहुत सी भाषाएँ प्रचलित हैं, बल्कि वहां अनेक जातियां भी बसी हुई हैं। इसी कारण प्रान्त में बहुत-सी सामाजिक और आर्थिक समस्याएँ पैदा हो गई हैं। यहां दो भिन्न संस्कृतियों का सम्मिश्रण हुआ और उसके फलस्वरूप एक नई संस्कृति पैदा हुई। द्राविड़ों की प्राचीन संस्कृति ने आर्य-संस्कृति की बहुत-सी बातों को अपना लिया है, लेकिन उसमें अपनी विशेषताएं काफी मात्रा में मौजूद हैं। हम बिना किसी संकोच के यह कह सकते हैं कि संस्कृति के मामले में मद्रास सारे हिन्दुस्तान का अगुआ है।

इस प्रान्त के लोग आम तौर पर हमेशा हुकूमत के वफादार रहे हैं। गोरखों के समान ही मद्रासियों ने अंग्रेजी सरकार को मदद दी है; किन्तु मद्रासियों को हम दुनिया के नागरिक भी कह सकते हैं। उनमें प्रान्तीयता

की संकुचित भावनाएँ नहीं पाई जातीं। यही कारण है कि मद्रासी लोग दुनिया के हर हिस्से में फैले हुए हैं। वे कहीं भी अपने-आपको अजनबी-सा महसूस नहीं करते तथा अपने को सभी प्रकार की परिस्थितियों के अनुकूल बना लेते है। वे पक्के व्यक्तिवादी होते हैं। भावना प्रधान होने के बजाय वे बुद्धिवादी अधिक हैं। यह उनका बड़ा गुण है, क्योंकि इसकी वजह से उनमें अपने विचारों और विश्वासो के लिए लड़ने की ताकत, हिम्मत और दृढ़ता आती है। जब कभी राष्ट्र ने आजादी की लड़ाई शुरू की है, मद्रास ने उसमें काफी शानदार हिस्सा लिया है समय-समय पर उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को काफी जोर का धक्का पहुचाया है।

कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी की खबर पहुंचते ही सारे मद्रास प्रांत में तहलका मच गया। लोगों के दिल रोष से भर गये। लेकिन मद्रासी उतावले नहीं होते अहिंसा के सिद्धान्त पर बड़ी दृढ़ता के साथ वे टिके रहे। जगह-जगह हड़तालें की गईं और जुलूस निकाले गए और जनता ने बड़ी हिम्मत के साथ शान्तिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शित किया। अवश्य ही कुछ जोशीले नौजवानों ने लूट और विध्वंस के काम भी कई जगह कर डाले।

अन्य सूबों की तरह मद्रास में भी नौकरशाही ने कठोर दमन-चक्र चलाया। रामनद और देवकोट में निपराध जनता पर नृशंस अत्याचार किए गए। मलाबार की पुलिस ने इस दिशा में खूब नाम कमाया। शायद इसीलिए सूबे में अनेक स्थानों पर आन्दोलन का दमन करने के लिये उसे भेजा गया।

आज़ाद खयालात के बहुत से न्यायाधीशों ने पुलिस की ज्यादतियों की कठोर शब्दों में निन्दा की। चित्तूर के डिस्ट्रिक्ट तथा सेशनजज ने भारत रक्षा नियम ५६ के मातहत जारी किया। मजिस्ट्रेट का हुक्म नाजायज़ करार दिया। इसी प्रकार हाईकोर्ट के जजों ने उन बहुत-से

आदमियों को रिहा कर दिया जिनको स्थानीय अधिकारियों ने झूठ-मूठ गिरफ्तार कर लिया था। मदुरा के डिस्ट्रिक्ट जज ने १३ मार्च १९४३ को सिटी मजिस्ट्रेट के ८ महीने की सख्त सजा के हुक्म को रद्दकरके श्री के० एस० संकरन को रिहा कर दिया। ऐसे और भी अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। इनसे पता चलता है कि नौकरशाही ने उन दिनों अपने अधिकारों का मनमाना दुरुपयोग किया। लेकिन आज़ादी की दीवानी जनता भला ऐसे जुल्मों से कभी दब सकती थी ? बावजूद सब अत्याचारों के उसने हिम्मत न हारी और लगातार कई महीनों तक भी आज़ादी की बहादुराना लड़ाई को जारी रखा।

मद्रास प्रान्त को कांग्रेस विधान में तीन भागों से विभाजित किया गया है उसके अनुसार आन्ध्र केरल और तामिलनाड अलग प्रान्त माने जाते हैं। सन् १९४२ के विद्रोह में इन प्रान्तों ने क्या हिस्सा लिया, इसका अलग-अलग विवरण आगे दिया जाता है।

आंध्र

आंध्र के लोग स्वभाव से ही बड़े स्वतंत्रता-प्रिय और देश-भक्त हैं यहां के किसानों के दिलों में अपनी मातृभूमि के प्रति विशेष अनुराग है। दूसरे आंध्र के कांग्रेसी कार्यकर्ता संगठन-कार्य में बहुत कुशल हैं, उन्होंने सारी जनता को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी की पुकार पर सब कुछ बलिदान कर देने को तैयार किया है। उन दिनों शत्रु के आक्रमण का खतरा भी आंध्र वालों के लिए कम न था। १९४२ की अप्रैल के शुरू में ही कोकनाडा और विजगापट्टम जापानी बमबारी के शिकार बने। खतरे की उस घड़ी में सरकारी अफसरों तथा राव बहादुरों और खाँ साहिबों का सारा मजमा जनता को अरक्षित और असहाय अवस्था में छोड़कर भाग खड़ा हुआ था। जनता ने उस समय यह साफ़ तौर पर महसूस किया कि केवल राष्ट्रीय सरकार ही शत्रु के आक्रमणों से अपनी

रक्षा का इन्तज़ाम कर सकती है। इस कारण भी अगस्त-आन्दोलन सारे आंध्र प्रान्त मे बड़े जोरो के साथ चला।

यू० पी० की हैलेट सरकार की तरह मद्रास की रूथरफोर्ड हुकूमत भी दमन की जबरदस्त हामी थी। वह आज़ादी की मांग करने वाले हिन्दुस्थानियों को कुचल डालना चाहती थी। सारे मद्रास में भयंकर दमन का बोल-बाला रहा, हालांकि सर टामस रूथरफोर्ड के बिहार चले जाने की वजह से वहाँ युक्तप्रान्त जैसे नृशंस और पाशविक जुल्म शायद न हो सके। किन्तु दमन अपना मकसद पूरा न कर सका। जनता का उत्साह और जोश दिन-पर-दिन बढ़ता गया। किसानों, मज़दूरों, विद्यार्थियों, महिलाओं आदि सभी ने देश की पुकार पर अपनी बहादुराना लड़ाई ज़ारी रखी। आंध्र के वीर सपूतों और देवियों की साहस-भरा कहानी अगस्त सन् ४२ की अनेक अमर घटनाओं में अपना खास स्थान रखती है। यद्यपि आंध्र में डा० पट्टाभिसीतारामैया को छोड़कर कोई चोटी का नेता नहीं है। किन्तु, जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, आंध्र के कांग्रेस-कार्यकर्त्ता संगठन—शक्ति और आपसी सहयोग के लिए भी सारे देश में प्रसिद्ध हैं। गन्तूर जिले के निदवरोलू स्थान में प्रो० रंगा का 'समर स्कूल' है, जो हर साल कम-से-कम २०० उत्साही नौजवानों को देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए मैदानेजंग में भेजता है। आंध्र में किसानो का जबरदस्त संगठन है। यही कारण है कि बम्बई में देश के पूज्य नेताओं के गिरफ्तार होते ही आंध्र में वह विशाल तूफान उठा जिसने नौकरशाही को जड़ से हिला दिया। अनेक दिन तक, बल्कि यों कहिए कई महीनों तक, जनता के उस जोशीले आन्दोलन की बदौलत सूबे के कई हिस्सों में अंग्रेजी सत्ता चूर-चूर होकर बिलकुल खत्म हो गई।

आंध्र में विशाल जलूस निकाले गए, जगह—जगह आम सभाएं हुई और तरह—तरह के जोशीले प्रदर्शन हुए। किंतु जब समझाने—बुझाने के लिए कोई नेता बाहर नहीं रहा तो कुछ हिस्सों में दमन का जवाब जनता

ने हिंसात्मक तरीकों से दिया। मि० चर्चिल यूरोप में शत्रु के युद्ध-प्रयत्नों को तहस-नहस कर डालने को भड़का रहे थे। जनता ने अपने देश के अन्दर ठीक वही काम शुरू कर दिया। फौजी भर्ती का विरोध किया गया, करबन्दी आंदोलन चलाया गया और हुकूमत द्वारा लगाई पाबन्दियों को खुले रूप में तोड़ा गया। इसके अलावा टेलीग्राफ और टेलीफोन के तार काट डाले गए, रेलवे स्टेशनों को फूंक दिया गया; पटरियां उखाड़ डाली गईं, तथा डाकखानों, आरामगृहों आदि में भी आग लगा दी गई। तीन महीनों की सरगर्मियों के बाद तोड़-फोड़ की कार्रवाइयां धीमी पड़ गईं। सन् १९४३ में पिकेटिंग का बोल-बाला रहा। खुशी की बात यह है कि कोई सरकारी अफसर या जनता का आदमी हिंसा का शिकार नहीं हुआ।

कोकनाडा, राजामुन्डी, भीमावरम् आदि शहरों में कई दिनों तक पुलिस राज्य रहा। गिरफ्तारियों तथा तमाम नागरिक अधिकारों के दमन का बोल-बाला रहा। बैजवाड़ा तथा अन्य कई स्थानों पर शांति कायम रखने तथा रेलवे लाइनों की रक्षा करने के लिए फौज बुला ली गई। सरकार ने नए-नए आर्डिनेंस जारी किए तथा खास अदालतें कायम कीं। भीमावरम सचमुच आंध्र का 'चीमूर' बन गया। ७० आदमियों पर सामूहिक हिंसा का अभियोग लगाया गया जिनमें १६ को फाँसी की सज़ा दी गई लेकिन जुल्मों का प्रहार जनता की ताकत और भावनाओं को नहीं कुचल सका। अनेक होनहार सपूत देश के लिए प्राणों पर खेल गए। गेलुर के श्री डी० नारायण विराजू जेल के सख्त जीवन के फलस्वरूप अपना सारा स्वास्थ्य ही खो बैठे। रिहाई के समय वे बिलकुल मृत्यु-शय्या पर ही थे और हफ्ते भर के अन्दर ही संसार से चल बसे। २१ आदमी पुलिस की अन्धा-धुन्ध गोलियों के शिकार हुए तथा १३७ व्यक्तियों के कोड़े लगाए गए, जिनमें से कइयों को तो ४६ कोड़ों तक का प्रहार बर्दाश्त करना पड़ा। लोगों पर ९ लाख से ऊपर सामूहिक जुर्माना थोपा गया।

आंध्र में तोड़-फोड़ के काम व्यापक रूप में हुए। १७ से अधिक

रेलवे स्टेशन फूंक दिए गए। कई स्थानों पर रेल की पटरियां उखाड़ दी गईं। किन्तु इससे किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। मद्रास और बेजवाड़ा के बीच करीब हफ्ते भर तक तथा नरसापुर और नीड़दवोल के बीच करीब दस-बारह रोज तक गाड़ी बन्द रही। अकीडू और भीमावरम के बीच खुले तौर से करीब १ मील तक पटरी भी उखाड़ डाली गई थी। फौजी गाड़ियां भी गिराई गईं। तार काटने का काम सभी ज़िलों में करीब १५०० जगह हुआ। ऐलोर में आम सभा में पहिले नोटिस देकर स्वयं सेवकों ने तार काटे। कई जगह डाकघर आरामगृह तथा पुलिस के रेकार्ड आदि फूंक दिए गए। भीमावरम् में सब रजिस्ट्रार का दफ्तर, पुलिस लाइन, तथा डी० एस० पी० का दफ्तर जला दिया गया तथा तनकू में डिस्ट्रिक्ट मुन्सिफ कोर्ट के रेकार्ड जलाए गए। गंतूर जिले के अंगोल तालुके में कनुपर्ती के नमक क्षेत्र पर हमला बोला गया। अनंत में सरकारी कालेज की लेबोरेटरी में आग लगा दी गई जिससे करीब ५०००) रु० का नुकसान हुआ।

आज़ादी के इस जंग में आंध्र के विद्यार्थियों ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया। करीब-करीब सभी कालेजों में मुकम्मिल हड़ताल रखी गई। कई जगह तो लगातार महीनों तक संस्थाएं बन्द कर देनी पड़ीं। १०० से ऊपर विद्यार्थियों ने कालेजों का हमेशा के लिए बहिष्कार कर दिया।

पश्चिमी गोदावरी और गंतूर के जिलों में आंदोलन का जोर सबसे अधिक रहा। गंतूर में प्रतिबन्धों के बावजूद हड़ताल जुलूस और सभाओं का अधिक आयोजन किया गया तथा कचहरी, थाने आदि सरकारी इमारतों पर हमले किए गए। मुन्सफी पुलिस-स्टेशन और तमाम सरकारी दफ्तरों पर जनता का कब्जा हो गया। १२ अगस्त को देहाती इलाके में सरकारी हुकूमत का बिलकुल खातमा हो गया और वहां राष्ट्रीय सरकार कायम करने की कोशिशें की गईं।

जनता के विशाल समूह ने चयात तालुक के सदर मुकाम और सबो-र्डिनेट जज के दफ्तर पर कब्जा कर लिया, लेकिन जल्दी ही रिजर्व पुलिस बुला ली गई और उसने इन मुकामों को वापस छीन लिया।

आंध्र यूनिवर्सिटी के पदवी दान-समारोह के मौके पर गवर्नर खुद गन्तूर आने वाले थे। इस सिलसिले में सावधानी के तौर पर पुलिस ने १० दिसम्बर की रात को ही जनता के खास-खास नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन जनता की भावना इस प्रकार दबने वाली नहीं थी। उसने तिननेली—गन्तूर रेलवे लाइन को कई जगह से उखाड़ डाला, जिससे गवर्नर को मजबूर होकर बैजवाड़ा—गन्तूर लाइन से आना पड़ा। जगह-जगह काले झन्डे लगाए गए। स्टेशन पर यूनिवर्सिटी में भी काले झंडों का प्रदर्शन किया गया। त्रावणकोर की महारानी को इस अवसर पर भाषण देने के लिए खास अनुरोध करके बुलाया गया था, लेकिन गवर्नर का जैसा स्वागत हुआ, उसको देखते हुए ऐन मौके पर महारानी का प्रोग्राम बदल दिया गया। इस चान्सलर ने ही महारानी का भाषण पढ़कर सुनाया। इससे नौजवानों में भारी रोष फैल गया। गन्तूर की कुछ फौजी इमारतें तथा राष्ट्रीय युद्ध मोर्चे का कुछ हिस्सा लोगों ने जलाकर खाक कर डाला। आंध्रके लोगों पर ५॥ लाख रुपए से भी ज्यादा सामूहिक जुर्माना थोपा गया। इसका तीन चौथाई हिस्सा अकेले गन्तूर जिले पर पड़ा।

पश्चिम गोदावरी के जिलों में ४५५ लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनमें से १०० को तो रिहा कर दिया गया ४५ नजरबन्द रहे तथा ३१० को सजाऐं मिलीं। कम्युनिस्टों की संख्या दण्डितों में २० तथा नजरबन्दों में ६ थी। दो व्यक्तियों ने जेल में और ४ ने जेल से बाहर अपने प्राणों की आहुति दी। २ फरार हो गए। करीब ४० मनुष्यों के बैतें लगीं जिन में से कइयों को तो ४६ प्रहार तक सहने पड़े। एक हरिजन विद्यार्थी कोड़ों की मार से बेहोश होकर गिर पड़ा। ८६५०) रु० व्यक्तिगत और २९४५००) रु० सामूहिक जुर्माना किया गया। ९ रेलवे स्टेशन, ५ सर-

कारी दफ्तर, १ शराब की भट्टी तथा १ ज़मीदार का थाना फूँक दिए गए।

एलोर में कई स्थानों पर खुले आम आंध्र सरकुलर पढ़ा गया। टेलीग्राफ और टेलीफोन के तार काट डाले गए, दफा १४४ और ५६ को बेधड़क तोड़ा गया तथा फ़ौज की हजार कोशिशों के बावजूद राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। भीमवरम् में रेवेन्यू डिवीजन आफिस पर तिरंगा लहराया गया और अफसर को झंडे की सलामी देने तथा जनता के साथ आम जुलूस में शामिल होने को मजबूर किया गया।

नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए देहातियों के एक मजमे ने रेवेन्यू डिवीजन आॅफिस को घेर लिया और पुलिस की धमकियों के बावजूद वहां से हटने से इन्कार कर दिया। पुलिस ने गोलियां चलाईं और ४ होनहार सपूतों ने हँसते-हँसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। बहुत से लोग घायल हो गए। जिस डाक्टर ने उनका इलाज करके अपना नैतिक फर्ज अदा करने की हिम्मत की, उस पर अदालत में मुकद्दमा चलाया गया।

अनेकों कस्बों में मुकम्मिल हड़ताल रखी गई और विद्यार्थियों ने स्कूल कालेजों से मुँह मोड़ लिया। ऐलोर में हड़तालियों को गिरफ्तारी करके ५०) रु० हरेक पर जुर्माना किया गया। विद्यार्थियों ने जंजीरें खींच खींच कर गाड़ियों का चलना मुश्किल कर दिया, जिसके फल स्वरूप उन्हें बेतों और जुर्माने की सजा भुगतनी पड़ी।

पलाकल म्युनिसपैलिटी तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने 'भारत छोड़ो' के समर्थन में प्रस्ताव पास किए। उनके खिलाफ नौकरशाही ने काफी सख्त कदम उठाए।

कवूर सब-जेल में ४ सत्याग्रहियों को बड़ी बेरहमी के साथ पीटा गया तथा एक अन्य सत्याग्रही पर जेल से बाहर लाठी के निर्दय प्रहार किए गए। करीब २ महीने तक पुलिस ने भीमावरम् तालुक के अनेक गांवों पर हमले बोले और देहातियों के साथ पाशविक मार-पीट की।

आन्ध्र में १३० व्यक्ति नजरबन्द किए और १७०० को सजाएं दी गईं। तीन जगह गोली-काण्ड हुए, जिनमें २१ आदमी मरे। १३७ व्यक्तियों को कोड़ों की सजा दी गई। ८ लाख से अधिक रुपया सामूहिक जुर्माना किया गया। १५०० जगह तार काटे गये, १८ रेलवे स्टेशन जलाये गये और ७ जगह रेल की पटरियां उखाड़ी गईं। १० जगह पुलिस के रिकार्ड और डाकखाने आदि जलाये गये।

बलिया

प्रभात था। ब्राह्मण जन पूजन पाठ में व्यस्त थे। क्षत्रिय अंग्रेजों की आखेट का बिगुल बजाने वाले थे। शूद्रवर्ण कोई गोशाली करने में लगा था कोई बेन्डों से सजधज रहे थे। वैश्य लोग इन सब के भोजन व खान पान करने को वयस्त थे।

माताएं अपने बेटों को, भगिनियां अपने भाइयों को, पत्नियां अपने पतियों को तिलक करने के लिए थाला सजाए थीं।

ब्राह्मण पूजा पाठ से निवृत्त हुए कि सम्पूर्ण जनता अपने घरों से निकल पड़ी देवालयों मस्जिदों व गिरजाघरों के सामने हजारों के दलों ने अपने स्वतंत्रता के लक्ष्य पूर्ति के लिए शपथ ली।

देहातों से हज़ारों के दल शपथ में शामिल हुए।

मातायें नन्हें नन्हें बच्चों को गोद में लेकर, भगनियां भाइयों के कन्धे से कन्धा मिलाकर, वधुएं जीवन साथियों के पीछे पीछे चलकर, अपने अपने हाथ में राष्ट्रीय पताका लिए एक ध्वान में—

" झन्डा ऊँचा रहे हमारा "

का गायन करती हुई यह लाखों नागरिकों की भीड़ स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी। आगे आगे बेण्ड बिगुल बज रहा था। सैकड़ों झन्डे फहरा रहे थे, पूरे शहर की तो कहे कोन सारे जिले में घर घर पर मन्दिर मस्जिदों पर राष्ट्रीय पताका फहरा रहे थे कितना सुन्दर दृश्य था।

नगर के प्रमुख प्रमुख मार्गों पर होता हुआ यह अपार जन समूह कई टुकड़ों में विभक्त हो गया प्रत्येक टुकड़ी में दुध मुंहे बच्चे, स्त्री-पुरुष,

वृद्ध मग्न थे। टुकड़ियों ने थानों पोस्ट आफिसों कचहरियों स्टेशनों पर धावा बोल दिया सैकड़ों स्थानों पर अधिकार कर लिया गया। सैकड़ों स्थानों पर पुलिस ने गोली चलाई जहां शासकों ने सामना किया वहां नन्हें नन्हें बच्चे तक उनकी बन्दूकों को छीनने बढ़ जाते। भगिनियां अपने कोमल कोमल हाथोंसे झंन्डा स्थिर किए हुए गोलियां सहती और भीड़ ऐसे स्थानों पर आग लगा देती थी।

ब्रिटिश शासक जैसे जैसे सामना करते थे भीड़ का जोश बढ़ता जाता था।

नौकरशाही भीड़ पर सशस्त्र हमला करती थी और भीड़ निशस्त्र उनका सामना करते हुए बलिदान होती विजयी हुई।

१० अगस्त का प्रभात आया १५,००० गन समूह मार्च करता हुआ नगर में घूमा और जिला कोर्ट पर यह जनसमूह झपट पड़ा तमाम काम समाप्त हो गया।

मि० वास जो बलिया के डिप्टी कलैक्टर थे वह कालैज की ओर फौजी जनों को लेकर गए, रास्ते में भीड़ की एक टुकड़ी से रेल की पटरी के पास सामना हो गया। यह स्थान ½ मील है। मि० वास ने लाठीचार्ज की आज्ञा दी, लग भग सौ विद्यार्थी घायल हुए। पचास के लगभग गिरफ्तार कर लिए गए। इसी दिन लड़कियों की एक अपार भीड़ जिला मजिस्ट्रेट मि० जे० निगम, I. C. S. और मि० वास के पास पहुंची और बृटिश काम बन्द कर देने के लिए प्रार्थी हुई। इस बीच में ही एक विद्यार्थी समूह रेलवे स्टेशन पर अधिकार करके लौट रहा था। D. M. ने कुछ लड़कियां व विद्यार्थी गिरफ्तार कर लिए। इसी दिन कुछ लोग बम्बई से लौटे थे उनसे लगभग समाचारों का ज्ञान हुआ।

वंशडीह तहसील पर आज अधिकार कर लिया गया। रिकार्ड जला दिया। नये आदमी अधिकारी बना दिये गये।

११ अगस्त का प्रभात हुआ पुलिस के स्थान पर ग्राम रक्षा दल और फौज के स्थान पर कांग्रेस कौमी सेवा दल की भर्ती हुई। हजारों नर नारियां भर्ती हुए। वर्षों की ट्रेनिंग घंटोंमें दी गई। सारा दिन सारे ज़िलेमें ट्रेनिंग में ही बीता। एक ही दिनमें तमाम काम चलाऊ ट्रेनिंग देदी गई।

१२ अगस्त का प्रभात आया पूरे दिन कांग्रेस कौमी सेवा दल व ग्राम रक्षा दलों ने बृटिश फौज व पुलिस का दिन भर खुले आम सामना किया इस तमाम आन्दोलन में जो क्षति हुई है आगे जिलेवार संक्षिप्त सूची व विवरण के साथ पूरी तालिका आपको अन्यत्र देखने को मिलेगी।

१३ अगस्त का आन्दोलन ने एक दम जोर पकड़ा और इसी दिन रेल्वे स्टेशन मय फर्नीचर व कागजात के जला दी गई। इस समय १५,००० के लगभग भीड़ थी १३ अगस्त को ही सेतबार पुलिसथाना उसका भवन और कागजात नष्ट भृष्ट कर दिए गए और हथियारों पर अधिकार कर लिया गया।

पुलिस थाना नरवर, सिकन्दरपुर, उन्नाव, गढ़वार, और हलधरपुर के तमाम कर्मचारियों को कांग्रेस कोमी सेवा दल व ग्राम रक्षा दल ने गिरफ्तार कर लिया और रिकार्ड जला दिया तथा इन कर्मचारियों के स्थान पर १४-८-४७ को नए जन सेवी नियुक्त किए गए। उनको कार्यभार सौंप दिया गया।

१५ अगस्त को फिर जिले के हर ग्राम में जनसमूह ने मार्च किया। गांव गांव में पटवारियों चोकीदारों नरचिरों, आर्गनाइजरों. सुपरवाइजरों से राष्ट्रीय सरकार की नोकरी की सपथ ली गई।

१६ अगस्त का प्रभात आया जनता उत्तेजित थी ही रसरा तहसील पर खजाने पर थाने पर धावा बोल दिया गया। सब पर राष्ट्रीय पताका फहरा दी गई। इन सबके कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

शाम के समय सीड स्टोर के कम्पाउन्ड पर धावा बोला गया वहां नायब तहसीलदार ने गोली चलायी वहां का दृश्य जलियान वाला बाग की

याद दिलाता है इस फायरिंग में ३ आदमी मर गए और सैकड़ों घायल हो गए।

१७ अगस्त का प्रभात आया जन समूह बलिया कोतवाली पर राष्ट्रीय पताका फहराने गया। वहां के अधिकारियों ने गांधी कैप लगाकर समूह का स्वागत किया। झंडा फहराने के बाद हथियार मांगे गये और अधिकारियों ने भीड़ को दूसरे दिन हथियार दे देने का वचन दिया।

१८ अगस्त को २५, ३० हजार का जन समूह थाने गया। थानेदार ने कुछ सिपाहियों को पहले से सिखा कर रक्खा था कुछ सिपाही बाउन्डरी अहाते के अन्दर के पेड़ों पर बन्दूक लिए बैठे थे कुछ छत पर लेटे थे। जैसे ही वह सब जन-समूह अन्दर हुआ कम्पाउन्ड के किवाड़े बन्द करके ताला डाल दिया गया और जन समूह पर गोली वर्षा की गई जन समूह वीरता पूर्वक गोली सहता गया। किवाड़ों के पास एक चेक दार घन था उसका बोलनाही एक इशारा था।

एक राष्ट्रीय पताका इसी बीच एक जवान लड़के कोशल्या कुमार ने झुकते हुए गिरने वाली देखी वह इस बदमाशी को बरदास्त न कर सका वह झपटती हुई गोलावारी संगीनों की सरसराहट में १४ वर्षीय किशोर कोशल्या कुमार थाने में प्रवेश कर गया और अपने छाती के बल पर उसने झण्डा थाम लिया।

छाती के बीचों बीच में पताका का बांस था वहीं खुले हुए पसीने से तर वैक्ष पर गोली लगी प्राण पखेरू 'झण्डा ऊंचा रहे हमारा' कहते २ उड़ गए।

पाठकों को आश्चर्य होगा कि प्राण न रहते हुए भी उस किशोर का वह मृतक शरीर आध घन्टे तक झण्डा पकड़े रहा तब तक निर्भय हत्यारों ने उसका शरीर छन्नी छन्नी कर डाला। पर धन्य है उस मृतक को कि जब तक गोलियों से वह ढेर नहीं होगया उसके हाथों में झण्डा थमा ही रहा।

मृतक जैसे गिरा उसकी लाश का ढेर हो रहा था कि झण्डा उसकी लाश के बीच में दब गया और पताका बराबर फहराती रही। पताका ने भी थोड़ा सा झुककर शोक प्रकट किया और पुनः उसी उत्साह से फहराने लगी। धन्य है। री राष्ट्र पताका।

जनता की उत्तेजना

८ थानों पर अधिकार जमाया जा चुका था ८ थानों को जलाया जा चुका था कोतवाली बलिया व रसरा थाने के पेड़ तक जलाकर भस्म किए जा चुके थे।

जनता इस बीच में १७ थानों पर आधिपत्य प्राप्त कर चुकी थी।

१९ तारीख तक प्रांत के शून्य स्थानों से फौज व पुलिस बलिया भेज दी गई उसने जाकर कन्ट्रोल करना प्रारम्भ किया। तमाम लीडरों को गिरफ्तार किया गया। जनता हजारों की तादाद में थाने पर जाकर नारे लगाने लगी। जिलाधीश स्वयं भी बहुत भयभीत थे क्यों कि उनके काबू से परिस्थित को संभाला जाना बाहर की बात थी।

बलिया के सभापति श्री चित्तूपांडे व और दूसरे नेताओं ने जनता से शांति धारण करने की अपील की लगभग १५० कांग्रेसी जनों ने बाज़ार का चक्कर लगाया और खुलवाने का प्रयत्न किया।

जनता बहुत उत्तेजित थी इतना सब होते हुए भी एक अपार जन-समूह द्वारा वहां के एक आनरेरी मजिस्ट्रेट और उसके बाद मुनसिफ ट्रेजरी आफीसर, और रंगरूट भर्ती किए जाने वाले मजिस्ट्रेट का मकान लिया गया सामान नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया।

जनसमूह ने एक पुलिस की लारी व आउट पोस्ट भी जला डाली।

राष्ट्रीय सरकार

ताः १९ अगस्त को बलिया में राष्ट्रीय सरकार बन गई और कांग्रेस के प्रधान श्री चित्तू पांडेय ही उस राष्ट्रीय सरकार के प्रधान थे।

हनुमतगंज कोठी पर दूसरे कर्मचारी व नए कर्मचारियों से शपथ ली गई।

बलिया राष्ट्रीय सरकारकी सहायता के लिए हजारों रुपयों की थैलिय सरकार के प्रधान श्री चित्तू पाण्डेय को दी गई। चित्तू पाण्डेय सरकार ने तमाम कैदी जिला जेल से छोड़ दिए। तकावी पर दिये गये बैल खोदे गये कुएं कड़ाही पैंच व अन्य गृह उद्योगों में लगे पैसे को माफ कर दिया गया।

२० अगस्त का प्रभात था कांग्रेस के नेताओं शहर के प्रतिष्ठित जनों ने बाजार खुलवा दिया था कि पूरे दिन लगातार शांति रही।

देहाती उत्तेजना अभी भी थी ब्रिटिश हुकूमत के शिकारी सबसे ज्याद देहाती रहे हैं वे ही एक विराट योजता स्वतंत्र भारत को बनाए रखने के लिए प्रस्तुत हो रहे थे।

२१ अगस्त का प्रभात था सूचना मिली कि ३०० व्यक्तियों की एक टोली शहर में मार्चिंग करती चली आ रही थी।

कांग्रेसी लीडर शीघ्र ही वहां पहुंचे और भीड़ को शान्त करने की भरसक कोशिश की भीड़ बहुत उत्तेजित थी किसी प्रकार भीड़ शान्त होकर अपने गांव को लौट ही रही थी कि तीन बजे के लगभग पुलिस पहुंची और उसने गोली चलादी बस फिर क्या था भारत मां का मुंह लाल हो गया रक्त की नलिकाएं बह गईं एक पेशकार भी इस गोलाबारी में मारे गए।

मदुलारी नाम की एक बेवा के साथ बांस से बलात्कार किया गया उसके गाली देने पर उसका मुंह पाखाने की डलिया में धोंस दिया गया।

अल्लाफ हुसेन नामक एक दारोगा द्वारा सैकड़ों स्त्रीयों की पेशाब मिश्रित करके टट्टी को हलुआ की भांति जलूस निकालने वाली देवियों को खिलाया गया।

बलिया में यू० पी० की तमाम पुलिस पहुंच गई।

बलिया में पहुंची हुई पुलिस को लूट बलात्कार फायरिंग की छुट्टी थी जिससे जितनी की जा सकी की गई।

यदि गांव के चौकीदार को झुक कर सलाम न होगा तो गांव लूट कर जला दिया जायगा ऐसी ढुंढेरी सारे जिले में पिटवा दी गई।

किसी प्रकार नाना प्रकार की सख्तियां करके बलिया को कन्ट्रोल में लाया गया।

बलिया पर १२ लाख का जुर्माना किया गया पर २९ लाख वसूल हुआ। अन्त में हमें उन सहस्त्रों देवियों के साथ बहुत ही समवेदना है कि जिनको बेइज्जत करने के लिए वे सब उपाय बर्ते गए जो मनुष्यता व सभ्यता के बाहर की बात थी। और उन देश पर बलिदान होने वाली माताओं ने सब को सहते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए।

बलिया के आंकड़े

गिरफ्तार	१०००	गांव जो जलाए गए	३०
गोली कांड	१७ जगह	घर जो खंडहर किए गए	२१५
मृत्यु	१२१	सामूहिक अर्थ दंड	१२०००००
घायल	३०००		

ब्यौरा

गोली काण्ड बलिया

स्थान	तारीख	मृत्यु	घायल
बलिया शहर	१७ अगस्त	७	१५
,,	१९ ,,	१५	९
रसरा	१८ ,,	२०	७५
चारोन	२५ ,,	४	
सीर	२४ ,,	७	१५

शिकन्दरापुर	२६ अगस्त	१	
सुहकपुरा	२५ ,,	२	८
बँशदीह	२४ ,,	७	
छाता	२५ ,,	२	
वरिया	१९ ,,	३५	
छता	२० ,,	,,	१
नरही	२५ ,,	२	१
वलिया जेल	३ ,, १९४३	१२	
दूसरे जेल	३ ,,	७	
चितवारा	२५ ,,	२	
फैफना	१८ ,,	२	
मनमनगञ्ज	२५ ,,	२	

विशेष क्षति ग्रस्त महापुरुष

श्रीयुत शिवप्रसाद जी	१ लाख	श्रीयुत बाल गोविन्दराम	८० हजार
,, देवीराम नारायनराम	५०ह०	,, गोपीनाथ सिंह	२० ,,
,, राधाकिशुन	५ ,,	,, नन्दकिशोर सिंह	४ ,,
,, प्रोबोध	७ ,,	,, मङ्गल दलाल	५ ,,
,,परमानन्द सिंह	६६ सौ	,, राधामोहन	८ ,,
रामनन्द पांडेय	५ ह०	,, राधागोविन्द सिंह	३ ,,

जो घर जलाए गए

थाना	गांव	घर जो जलाए गए उनकी संख्या
वरही	शिवपुर	१
वरैया	फैफना	पूरा गांव
,,	चितवरा गांव	१०

बरैया	चांदपुर	२
,,	पुरारी पाटी	४
,,	रंगराही	४
,,	मिर्जापुर	३
,,	गुदरेसिंग का टोला	पूरा गांव
,,	बहूता	१५
,,	सुरवपुरा	५
बन्सदीह	देवरही	५
,,	रेवती	अनगिनते
शातबार	शातबार	३
,,	रजगांव	२
मनीआ	मनीआ	२
,,	श्रीनगर	३
बन्सदीह	छाता	४
,,	बन्सदीह	४
सिकन्दरापुर	सिकन्दरापुर	४-६
रसरा	सरदासपुर	४
,,	अठिलापुरा	३

गोरखपुर

भारतवर्षीय शक्तियों का केन्द्र नैपाल भूटान है उसी प्रकार गङ्गा ...मुना और विन्ध्याचल की पवित्र भारत के इस वक्ष स्थल युक्त प्रान्त ...ा गोरखपुर शक्तियों का प्रधान केन्द्र है। हमें महान दुख है कि गोरख-...र में वे सम्पूर्ण खेदजनक घटनायें घटी हैं। जिन्हें सुनकर नेत्र स्वाभाविक जल हो जाते हैं। इस ज़िले में नये गांव गगही, वेहली, उरुआ, गारद...रिया, गोलापुर और बादपुर, इमली डही परसा आदि पर किये जाने

वाले अत्याचारों की असंख्य वेदना युक्त कहानियां हमारी देह में व्यक्त करने में असमर्थ हैं यहां की जनता पर भयानक आक्रमण किये गये प्रसूता पतूहों को घर से निकाल दिया गया। पुरा पचौस में सामूहिक आगें लगाई गईं। श्री राह अबूजफर पुलिस सुपुरिन्टेन्डेन्ट रामसहाय लाल नायब तहसीलदार सन्तप्रसादसिंह थानेदार तथा मसुद्दीन साहब इन सबने पूरे ज़िले में अपने नेत्रत्व में बुरी तरह लूट करा दी औरतों को घर से निकाल कर श्री लालसा पान्डे की पतूहों श्रीमती कैलाश वती आदि आदि तमाम औरतों को नंगा कर दिया गया तमाम सम्पति शाली व्यक्तियों की छतें गिर दी गईं।

पं० रामलखनपांडे, पं० रामलखन शुक्ल, पं० रामबली मिश्र, केदार नाथ पांडे रामजन्म पांडे, राम अलख और बलराम रामआधारसिंह स्वतन्त्रता संग्राम के इन सम्पूर्ण सेनानियों को जिस प्रकार भी अमानुसिक यातनायें आर्थिक दन्ड दिये गये। वे सब असंख्य और महान् कष्टदायक हैं कुछ घटनायें इस प्रकार हैं:—

परसा गांव को जला दिया गया और लूट मार की गई।

सिकरी गंज; मरची, बथुआ, खोपापा गोपालपुर, पचौली, मदरिया; उरुआ सिसई देवघाट बहुत ही बुरी तरह लूटे गये पं रामलखन शुक्ल की ११११४ की सम्पत्ति उरुआ से ४२०२ रु० खोपापा से २३४९७८ रु० सिसई ११५० रु० देवघाट से ३५००० और भाटपार मालावरी से ३५—— रु० लूटे गये।

सामूहिक जुर्माना, बन्दी किए हुए आंकड़े यू० पी० लिस्ट में पढ़ने की कृपा करें।

सिसई

यह गांव खुखनू स्टेशन से एक मील की दूरी पर है। इस गांव में दो जमीदार हैं और सब किसान हैं। गांव के किसान कांग्रेस के

अनन्य भक्त हैं, और कांग्रेस को इसी भक्ति के कारण १९४२ में सरकारी दमन का शिकार इस गांव को होना पड़ा। २८ अगस्त १९४२ को नायब-तहसीलदार, सहजनवा कानूनगो कुर्क अमीन और देवअरिया के जमादार ४ या ५ चपरासियों के साथ सामूहिक जुर्माना वसूल करने के लिए सिसई गांव में आये। ३००) जुर्माना तत्काल गांव वालों से वसूल करने का हुक्म हुआ। लोगों ने जुर्माना देने से इनकार कर दिया। फिर क्या था लोगों से डण्डों और घूसों के बल जुर्माना वसूल किया जाने लगा।

महिलाओं को कैप्टन मूर ने बुरी तरह तिरस्कृत किया स्वतन्त्रता संग्राम के वीर सेनानियों के वीरता की गाथा यह लेखनी अङ्कित नहीं कर पा रही है जब इसी सिसई ग्राम पर ब्रिटिश फौजों ने जिसमें सिर्फ बिलोची जाति के आदमी थे। इन सबों ने पूरे गांव को घेर लिया, गांव के प्रमुख सरदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। गांव के सभी लोग पुरुष, स्त्री, बच्चे गांव से भाग निकले, रामायण जी नामक एक नवयुवक को गोली के सामने खड़ा कर दिया गया फौजी अपने कप्तान की ओर से शूटिंग आर्डर की प्रतीक्षा कर रहा था कि विशाल हृदय के इस महा नवयुवक ने अपने वृक्षस्थली का प्रदर्शन करते हुये सीना तान दिया, वन्दनेमां को प्रणाम करते हुये बोला, हों जहां अगणित शीश एक शीश मेरा मिलादो, वंदनोमां को न भूलो, आचना में मत भूलो।

यह वीर वाणी कप्तान के हृदय में अपार काम कर गई और उसने गोली चलाने की आज्ञा न देकर उसे जेल भेज दिया।

आजमगढ़

दुधमुयें बालक मां की गोदी में ही गोली से मार दिया गया। यह वही जिला है जहां सन ४२ की क्रांति में मधुबन के थाने। ६ अगस्त सन ४२ को सैकड़ों मुहब्बाने वतन देश प्रेम के मतवाले गोली के घाट उतारे गये। असाढ़ के महीने में पके हुये आम के टपकने के भांत ही

इस आजमगढ़ नौनिहाल शिशु होनहार युवक थाने पर झण्डा फहराने के लिए आगे बढ़े और गोली खा लेने के बाद भी अपने मातृभूमि के चरणों पर नत मस्तक हो प्राण बलिदान किये उनकी मिट्टी की लाशें पृथ्वी पर लेकिन उनकी अमर कीर्ति ऊँचे आसमान पर ! "जहां काझा तरुआ अतरेलियां, इन्दारा, कठवाला, सिहगला, सराहरानी, मऊ, महाराजगञ्ज अभिला, सूरजपुर, बीबीपुर, पतिपुर, लोकहरा, रामपुर, गाजीयापुर,. दरगाह, नैवाया हरिजन, गुरुकुलगांधी ग्राम, जूड़ारामपुर, नरोत्तमपुर, ससनाबरजी, अचरा, बहरमपुर सिहुरा, सकुनपुरा, यह सब ४२ की अमर क्रांति में थे जो आने वाले सपूतों के लिए एक आदर्श होगा। १५ दिन तक ज़िले का हर थाना हट कर सदर में आ गया था। यह भूमि गाजीपुर और बलिया के पास स्थित है जहां मातृ भूमि स्वतन्त्रा के लिये सहस्त्रों योगी युवतियों ने अपने प्राण निछावर कर दिये।

रामपुर

१४ अगस्त की अर्धरात्रि को गांवों तहमोल में फतहपुर कांग्रेस मंडल के किसानों की एक सभा हुई जिसमें रामपुर चौकीपर अधिकार प्राप्त करने की ठानी गई १५ ता० को प्रातः काल ८ बजे एक हजार की भीड़ ने वहां की चौकी पर सत्ता प्राप्त की उसके पश्चात उत्तेजक भीड़ की निगाह पोस्ट आफिस पर पड़ी, भीड़ ने पोस्ट आफिस के कागजात जला दिये। परन्तु उस दिन के आये हुए मनीआर्डरों को और उनके रुपयों को बटवाने के लिए पोस्ट मास्टर के हवाले कर दिये।

वतर

श्री तेजबहादुरसिंह के नेतृत्व में आठ हज़ार जनता ने थाने पर पहुंच कर कर्मचारियों के सामने आत्म समर्पण की मांग की उत्तेजित जनता ने तनिक भी विलम्ब सहन न किया और थाने के तमाम हथियारों पर अधिकार कर लिया तब कर्मचारियों ने विवश हो आत्मसमर्पण किया।

श्री यदुभर नायक के समक्ष बन्दी पेश किए गये दरोगा शाहजहां बख्श और उनके साथियों को अभय दान दिया गया।

पटवध ग्राम का गोली काण्ड

२३ अगस्त को पटवध ग्राम के निकट आस-पास की जनता एकत्र हुई थी जिसमें उन्होंने अपनी रक्षा का तै किया तथा उसी समय उन्होंने एक फौज की लारी आते हुये देखा और समझा कि यह हम पर आक्रमण करने आये हैं। सैनिकों ने इस भीड़ पर गोली चलाना प्रारम्भ किया तीन आदमी व खेत में चरती हुई भैंस मारी गई।

अतरौलिया

रामचरनसिंह के नेतृत्व में ५ हजार जनता की एक विराट सभा हो रही थी सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट सभा को भंग करने के लिये फौज लेकर पहुंचे और भंग होने में भ्रम होने के कारण गोली चलवा दी। श्री देवराय शर्मा व देवनाथ शर्मा गोली के शिकार हुये।

महाराज गंज थाने पर दो हजार के विराट जुलूस ने तिरंगा रोहण किया बन्दियों को छोड़ दिया।

मधुवन

बस्ती नामक ग्राम पर १० हजार की भीड़ एकत्र थी और यहीं पर अन्य टोलियां आकर एकत्रित हो रही थीं। इस प्रकार बीबीपुर दुबारी तथा घोषी इन तीनों मंडलों की जनता वहा एकत्र हुई और ६०,६५ हजार जनता एकत्रित हुई इनमें से रामवृक्ष चौबे, मङ्गल देव शास्त्री सुन्दर ने भीड़ को थाने से थोड़ी दूर रोक कर थानेदार के पास यह लोग गये।

थानेदार ने ज़िला मजिस्ट्रेट श्री न्यूटन के आदेशानुसार उन्हीं की देख रेख में १४ सशस्त्र सिपाही दो थानेदार और अनेकों चौकीदार थाने के भीतर तैनात कर दिये गये थे।

इन सबने बढ़ती हुई भीड़ पर बुरी तरह से आक्रमण किया जनता ने

गोली की परवाह तनक कभी न की, ७६ आदमी तुरन्त ही वीरगति को प्राप्त हुये। सैकड़ों घायल हुये, भादों मास की कठिन जल वृष्टि के समान ही गोलियों की बरसा होती रही, फिर भी भीड़ ने सिपाहियों की बन्दूकें जाकर छीन लीं। इतने में ही भीड़ को यह मालूम हुआ कि पीछे से मशीन गन भी चलने लगी है। तब जनता वहां से भागी फिर भी जनता ने गोलियों के वार अपनी वक्ष पर लिये। श्री न्यूटन ने भीड़ की इस बहादुरी की तारीफ़ अपने मिलने वालों से भूर-भूर की।

मऊ

१४ अगस्त की शाम को नोटीफाइड एरिया को फूंक दिया। दूसरे दिन विशाल जन-समूह के विराट निहत्थे जुलूस पर सशस्त्र पुलिस ने बुरी तरह से गोलियां चलाई।

फलस्वरूप दुखाराम और कालकाप्रसाद अगली पंक्ति के दोनों पुरुष रामपुर सिधार गये

इन शहीदों के पीछे के एक सौ बत्तीस व्यक्ति घायल हुये।

बेलथरा

बेलथरा स्टेशन पर खड़ी हुई माल गाड़ी पर दो हज़ार श्रमिकों ने ध्वजारोहण किया। और इतने ही में आनेवाली मालगाड़ी में से छः सौ बोरा शक्कर उतार ली गई।

इन्दारा

इन्दारा स्टेशन के पास लगभग पांच हज़ार जनता एक विशाल सभा में बैठी थी इतने में ही गोरे सैनिकों की एक स्पेशल ट्रेन वहां पहुँची निहत्थी जनता और सशस्त्र सैनिकों का युद्ध हुआ। एक ओर बहादुर स्वतंत्रता सग्राम के सैनानी अगन भेरीनारे लगाकर ब्रिटिश सैनिकों के कान फाड़ रही थी दूसरी ओर गोरी सेना निहत्थी जनता के वक्ष भेद रही थी।

आध घन्टे तक जनता भूंजी जाती रही। तत्पश्चात तीन मील तक जनता का पीछा किया गया। एक स्त्री अपने खेत पर खड़ी थी एक गोरे सैनिक ने उसे अपनी बन्दूक का लक्ष्य उसे बनाया परिणाम स्वरूप माँ की गोद का हँसता हुआ बच्चा शिकार होगया और वह शिशु तत्काल मर गया।

कालमा काण्ड

१८५७ ई० के स्वतन्त्र अन्दोलन के बाद अगस्त सन् ४२ ई० का सुन्दर सुहावना समय था जब लगभग ७-८ हज़ार जनता अपने स्वतन्त्र संग्राम के लिए एकत्रित होकर "इस्टरमर" के बंगले पर धावा क्या कुछ गौरिक सैनिक एक घर में घुस गये माँ अपनी २ लड़कियों के साथ खाना पका रही थी तीनों पर इन सैनिकों ने बलात्कार किया।

"सर हार्डी जान्सटन"

नैदर सोल, के नैतृत्व में तमाम लूट मार मचगई सतीत्व खिलौना बन गया जान फूल की तरह तोड़ी मरोड़ी जानें लगी ज़िले में कई ग्रामों में आग लगाकर इन सैनिकों ने नष्ट कर दिया "सूरजपुर" के "शिव बहादुरसिंह" का ३२ हज़ार का सामान लूट लिया २० हज़ार का नुक़सान किया मकान बन्द करके आग लगा दी गई और किसी स्त्री, पुरुष तथा बच्चे को निकलने न दिया ८ और १९ वर्ष के दो भाई अपनी छत से कूद कर जान बचा पाई।

सेठ राधारमन अग्रवाल के एक लाख रुपये की आहुती देदी गई।

कुतवपुर

पूरा गांव जला देने के बाद भी जब यहां झांसी के ज़िला धीश मि० जान्सटन और हार्डी इन दोनों ने जब यहां के थाने पर पुनः कब्जा करना चाहा तो दो हज़ार जन्ता ने उनका पुन: मुक़ाबला किया और अंतिम दम तक युद्ध होता रहा।

रामनगर

इस गांव में अत्याचार चरमसीमा तक पहुंचा गया बीस गोरे सैनिकों ने "श्री चेतू माते" की स्त्री पर क्रमशः बीसों ने बलात्कार किया।

खुरहट

अत्याचारों द्वारा जनता दबा दी गई वह दब सी गई पर उसके मन में आग लगी की लगी रह गई और नवम्बर में खुरहट स्टेशन पर धावा बोल दिया गया।

श्री मती ज्येष्ठ भ्राता (अलगूराम शास्त्री)

श्री अलगूराम शास्त्री मंत्री युक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के बूढ़े पिता को बन्दूक के कुन्दे से चोट पहुंचा कर घर में गोरे सैनिक घुस गए। तमाम घर का सामान आंगन में रखकर आग लगाने ही वाले थे कि शास्त्री जी की भावी उस सामान पर आ विराजीं और बोलीं हां जलने दो होली गोरे सैनिक कुछ सामान लेकर चल दिए वह भी इस वीराङ्गना ने छीन लिया।

हानि चित्र में हानि देखिए।

जौनपुर

आंदोलन के इस भीषण भयावने समय में दमन चक्र के चक्रधारी मारिस हैलेट मोटर द्वारा लखनऊ से बलिया जाते हुए जौनपुर उतरे। जिला मैजिस्ट्रेट तथा डिप्टी कलैक्टर की एक बैठक बुलाई। और जनता अब कभी इतना उथल पुथल न मचा सके अतः आप सब जितना जुल्म ढा सकें ढायें और जौनपुर की मीटिंग में ही एक नया आर्डिनेन्स जारी कर दिया कि रास्ता चलता यदि कोई व्यक्ति पुलिस या सैनिक के बुलाने से बोले न व रोकने से रुके न उसे गोली मार दी जाय इस आज्ञा में गूंगे व बहरे तमाम गंगापार उतार दिए गए।

छात्रों के जुलूस पर अपार गोली बरसाई गई कहीं-कहीं छात्रों की टुकड़ी जो गिरफ्तार कर ली गई थी उसे गोली से उड़ाते-उड़ाते बचा लिया गया।

धनियां मऊ

श्री शाह नामक नवयुवक बृतानियां सैनिकों के सामने वक्ष खोलकर खड़ा हो गया और सागर पार गया।

वख्शा

वख्शा थाने पर दो आदमी सुबह पेड़ से बांध दिए गए और शाम को उन्हें गोली से उड़ा दिया गया।

प्रताप गंज

हाईस्कूल जला दिया गया जनता पर नृशंसता की अन्तिम श्रेणी बुझा दी गई और जनता ने पानी में डुबकी मार कर अपने प्राण बचाए जिन्होंने सांस लेने के लिए पानी से सर निकाला कि सर निशाना बना दिया गया।

अनेकों स्त्रियों पर नाना प्रकार से बलात्कार किया गया उनको नंगा करके पैर फैलाकर घन्टों प्रदर्शन किया गया।

मडियाहू

युवकों को गोली का शिकार बनाया गया।

पाली

पाली का बीज गोदाम लूट लिया गया था वहां के श्री केदार फरार थे सैनिकों ने श्री केदार का पीछा किया, गोली चलाई वह सेनानी लेटकर बैठ कर गोलियों से बचता हुआ फरार हो गया।

औरेला

नव विवाहिता पत्नियों के नवयुवकों को उनके सामने ही शूट किया

हम से प्यारा वतन

वह हिन्दुस्तान है हमारा वतन,
मोहब्बत की आंखों का तारा वतन;
हमारा वतन दिल से प्यारा वतन !

वह इसके दरख्तों का तैयारियां,
वह फल फूल पौधे वह फुलवारियां;
हमारा वतन दिल से प्यारा वतन !

हवा में दरख्तों का वह झूलना,
वह पत्तों का फूलों का मुंह चूमना;
हमारा वतन दिल से प्यारा वतन !

वह सावन में काली घटा की बहार,
वह बरसात की हल्की हल्की फुहार;
हमारा वतन दिल से प्यारा वतन !

वह बागों में कोयल वह जंगल में मोर,
वह गंगा की लहरें वह जमुना का जोर;
हमारा वतन दिल से प्यारा वतन !

इसी से है इस जिन्दगी की बहार,
वतन की मोहब्बत हो या मा का प्यार;
हमारा वतन दिल से प्यारा वतन !

चल पड़ा जहान

चल पड़ा जहान।
जग पड़ा जहान।
बंधनों को तोड़ तोड़,
शासनों को मोड़ मोड़,
भूख बन गई है आज साधना महान!
बाल-वृद्ध युवा -सिद्ध,
रुद्ध-क्रुद्ध, व्यथा-विद्ध,
चाहते सभी अभी स्वतन्त्रता समान!
जन-क्रांति की हवा बही,
है डगमगा रही मही,
बादलों को चीड़फाड़ झांकता विहान
बढ़ चलो जवान,
चल पड़ा जहान।

गया और नव विवाहिता अपना सुहाग सदैव के लिए अपने आंखों के सामने वलिदान कर गईं।

उपरोक्त सहस्रों घटनाओं से गोरे सैनिक अपनी बुद्धि खो बैठे थे। शहर का एक धोबी गधे पर कपड़ा लिए आ रहा था पीछे उसकी स्त्री थी पुलिस को देखते ही धोबी युवक भाग खड़ा हुआ और पिस्तौल के दो वार किए पर वह बच गया तब कपड़ा पुलिस ने लारी पर रख लिए बाद में वह गिरफ्तार कर लिया गया और अपने चचा की प्रार्थना पर जो एस० पी० के यहां का धोबी था छोड़ दिया गया।

शिकरा

गांव के बन्द मकानों की तलाशी ली गई और मकान के खूंटा तथा मिट्टी के घड़े तक उठा लिए गए।

दमन की पराकाष्टा

स्त्रियों को नंगा करके पैर फैला कर सैकड़ों की तादाद में खड़ा किया गया और उनके पतियों को सीधा पैर फैलाकर बिठा दिया जाता था दो सिपाही पुरुष के हाथों को दोनों ओर सीधा फैलाते हैं। एक आदमी उसका सिर पकड़कर घुटनों के सहारे सीधा बैठाए रहता है। इसके बाद दो आदमी उसके दोनों पैर पकड़ कर बलपूर्वक पीछे को घुमाते थे ऐसा करने से नाभि और मूत्रेन्द्रिय से रक्त आ जाता है। यह लगभग ढ़ाई सौ पुरुषों के साथ किया गया।

हानि चित्र में हानि देखिए

गाजीपुर

नेताओं की गिरफ्तारी के बाद ही हड़ताल रही जिले भर के यातायात बन्द कर दिए गए तमाम थानों पर कब्जा कर लिया गया। जनता ने बन्दूकें व हथियार भी जनता को सौंप दिए। सरकारी इमारतें जला दी गईं व नष्ट भ्रष्ट कर दी गईं।

मुहम्मदाबाद

अपार जनता के जुलूस पर गोलियां बरसाई गईं और ६ वीर काम आए तथा अनेकों घायल हुए। यह जलूस श्री डा० शिवपूजन के नेतृत्व में था अतः श्री शिवपूजनराम - वन्शनारायणजी, वशिष्ठ नारायण जी, राजाराम राय, ऋषिश्वर राय, नारायणराय, रामनन्दन उपाध्याय मर गए।

सादात

सादात थाने पर जब जनता झण्डा फहराने जारही थी तो थानेदार व सिपाहियों ने गोली चलानी शुरू करदी जनता ने बराबर सीने खोल कर गोलियों का स्वागत किया गोलियां समाप्त हो जाने पर समस्त थाने ने आत्म समर्पण कर दिया। जनता गोलियां बरसाने के कारण अपार अप्रसन्न थी अतः थानेदार व अनेक विशेष सिपाही को थाने में बन्द कर के जला दिया।

रामपुर

गोमती नदी को पार करते ही यह ब्रिटिश सेनानी बुरी प्रकार जनता पर टूटे, लूटा और अनेकों अत्याचार किए। जनता उभड़ गई और मुकाबिले में लाठीले संगठित हो गई सेना ने गोली चलाई और शोभाराम, रमाशंकरलाल, आदि मारे गए। अपार लूट हुई स्त्रियों के गहने ज़बर दस्ती उतारे गए और न उतरने पर पैर व गला काट दिया गया।

कासमाबाद

नांक व कान के जेवर उतारने के सिलसिले में नाक व कान तलवार से काटकर ज्यों के त्यों झोले में रख लिए गए।

गहमर

गहमर गोली काण्ड में श्री दूधनाथसिंह व दरोगासिंह काम हुए।

नन्दगंज

श्री नैरर मौल ने तमाम जनता को एक स्थान पर बुलाकर घेर कर नंगा किया मेढक की तरह चिठलाया गया। उनकी स्त्रियों को उन्हीं के सामने मार मार कर पेशाब कराई गई और फिर मार मार कर वह पेशाब के कुल्हड़ पत्नियों के ही हाथ से पतियों को जबरन पिलाए गए इस घटना में तीन आर्य पुत्रियों ने अपनी पेशाब का कुल्हड़ पति के मुँह तक ले जाने के पूर्व ही प्राण छोड़ दिए।

हानि चित्र में हानि देखिए।

संसार के सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थान बनारस जो चंडी का नृत हुआ वह अवर्णनीय है।

बनारस के पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट और श्री निगम रायबहादुर रमाकांत, अतिरिक्त कलैक्टर पं ओंकारनाथ, लाइन इन्सपेक्टर मि० टीजडेल तथा जिला मजिस्ट्रेट मि० फिनले थे।

पूरे बनारस ज़िले में बड़ा उधम हुआ तमाम उपरोक्त आफीसर डर गए भीड़ ने सभी सरकारी इमारतें नष्ट कर दीं जला दीं।

१५ अगस्त तक अतिरिक्त फौज पहुंच गयी। लूट मार इज्जत अपहरण बलात्कार के काण्ड प्रारम्भ हो गए। लूट में जेवर व पैसा कहां रक्खा यह न बताने पर मां बाप के सामने उनके १॥ व दो साल के बच्चों को जीवित आग में डाल दिया गया और बच्चा घटपटाता छटपटाता चिल्लाता चिल्लाता मर गया।

हिन्दू विश्व विद्यालय

वोमेन्स छात्रावास में लड़कियों के साथ जो व्यवहार किया वह हम शर्म के मारे लिख नहीं सकते हैं। उन्हें नंगा करके सड़को पर छोड़ दिया गया किसी के स्तन काट लिये गए किसी के गाल काट कर उन्हें भगा दिया गया और भी न जाने क्या क्या नहीं किया गया।

संयुक्तप्रांत के गवर्नर सर मारिस हैलेट के सलाहकार को उनकी एक स्लिप मिली। यह पाते ही यह तथा नेदर सोल बनारस पहूंचे और सब तरह का उत्पात प्रारम्भ किया।

बनारस जिला कांग्रेस कमेटी के अगस्त जांच रिपोर्ट का सार इस प्रकार है।

जांच कमेटी ने २०० पूरे पृष्ठ की रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें अंकित था कि २३ जगहों पर १००२ बार गोली चली, १८ व्यक्ति मरे हुए पहचाने गए ८५ व्यक्ति घायल हुए। ७०० व्यक्तियों को कोड़े लगाए गए आन्दोलन के समय सिविलियन्स लाल, हार्डी और लेन द्वारा जिन आदमियों को बेत की सजा दी गई। उन्हें अनिमियत रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में बेत की सज़ा दी गई। ११७ आदमियों व विद्यार्थियों कोजिले से निर्वासित कर दिया गया। चार आदमी अपने ही निवास स्थान पर नजरबन्द रहे। ५६३ आदमियो को मोत आदि की सजा दी गई।

रिपोर्ट में स्त्रियों पर किए गए अत्याचार का रोमांचक वर्णन है। वलात्कार अंग भंग के आदि कुकर्मों की नामावली देने से लाभ को अपेक्षा हानि अधिक है। अतः यह विषय समाप्त।

केश पकड़कर घसीटे जाने और गर्भवती देवियों से बैठकें लगाने के कारण ७०० गर्भवतियों के वालकों ने जन्म ले लिया कईओं के गर्भ गिर गए। वलात्कार से भी गर्भ गिरे थे। पूरे जिले में २५६८७७ रुपया जुर्माना हुआ पर २५६८७७०० रुपया वसूल किया।

हानि हानि चित्र में देखें।

युक्त प्रान्तीय क्षत चित्र

कांग्रेस जन जो गिरफ़्तार किए गए	१५१४२
,, ,, जो रोके गए	५३१७
अर्थ दंड	३४८९३८०८२
सामूहिक अर्थ दंड के स्थानों की संख्या	५७९

रास्ताए जो कटी	९५
पुलिस व फौज द्वारा	
संख्या जहां गोली चली	६८
रिवालवर	२६६
बन्दूकें	१५८७
१२ बोर	१४९
रायफल	३०१
जन जो मरे	१३३
सख्त घायल	२२७
साधारण घायल	११६
थानों की हानि	
थाने जो पूरे जले	६
,, ,, जले	१५
हानि हुई जो रिवालवर	१३
बन्दूकें	७५
असंख्य गोली कारतूस आदि	
सिपाही जो मारे गए	१८
पुलिस मेन जो घायल हुए	१२
डाकघर	
बरबाद किए गए	९
आक्रमण हुआ	८७
लेटर बक्स बरबाद हुए	७०
चिट्ठियां बांटने वालों पर	
आक्रमण	५०
तार काटे गए	३१७
रेलें	
स्टेशनों पर आक्रमण हुए	७१

स्टेशनें जलीं	१५
रेलें गिरी	१४
रेल्वे कर्मचारी मरे	१
,, ,, घायल	१४

बम्ब आदि

बम्ब चले	६०
हानि हुई	१५७

अन्य हानि

बिजली की संख्या	७
सड़कें	८४
नहरें	४०
दूसरी इमारतें	३२७

जनता की हानियां

फेतल	२०७
अफेतल	४५८

पुलिस की हानियां

फेतल	१९
अफेतल	३१३

सरकारी हानि

सरकारी हानि	३६१३६६
अन्य सहयोगी	१८२७३

गाजीपुर हानि

गिरफ्तार	३०००
रोके गए	९००
हानि	३२०००००
गांव बरबाद	७४

गोली चली	२० स्थान
मृत्यु	१६७
घायल	२३९
अर्थ दंड	३२९१७९-४-३

आजमगढ़ हानि

रोके गए	३८०
नजरबन्द	२३१
अर्थ दंड	१०३६४५-२-६
हानि	३५२०००
घर चले	२०५

बनारस हानि

रोके गए	३१०
बन्द	५६३
जेल	११७
हाल्टिऊ	४०,५०
गोली चली	२३ जगह १००२ बार
मृत्यु	१८
घायल	८५
अर्थ दंड	२२४२२६५

गोरखपुर

गोली चली	३ जगह
अर्थ दंड	२१९१७०

जौनपुर

गोलियां चलीं	१५,४
अर्थदंड	१५५११८८-३-१०

गोली चली	२ जगह

आगरा

हानि चित्र

गिरफ्तार	१०००
रोके गये	१५५
अर्थ दंड	६८१९५
गोली चली	४ जगह

प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के प्रधान श्री कृष्णदत्तजी पालीवाल को गिरफ्तार किए जाने के बाद तत्काल ही एक ७०–८० हजार जन समूह निकल पडा १००० कांग्रेसजन गिरफ्तार कर लिये गए स्टेशनें नष्ट भ्रष्ट कर दी गई पुलिस ने गोली चलाई ५ मर गये २५ घायल हुए। आगरा के जब गिरफ्तार कांग्रेस जन दूसरे जेलों में भेजे गए तब आगरा जिले में पुनः उधम शुरू हुआ और दिसम्बर में यह उधम फिर भयानक रूप धारण कर गया जिसे फिर गोली चला कर बन्द किया गया।

कानपुर

बन्द	३९४
रोके गए	२०३
अर्थ दंड	१९९२५०

कानपुर यू०पी०का सबसे बडा उद्यमी क्षेत्र है यहा का आंदोलन इतना प्रखर था कि हैलेट यहां हार कर ही गए थे स्कूल कालेजों के अध्यापकों मिलों के मजदूरों व अन्य छोटे छोटे राजनैतिक कार्य कर्ताओं ने वह बहादुरी से काम लिया कि ब्रिटिश की तमाम शक्ति लग जाने पर भी परिस्थिति पर काबू न कर सके।

भूमि के नीचे बहुत से लीडर रहते थे। जो कार्य संचालन का काम करते थे इन सब ने मील, कालैज, स्कूलादि घंटों में हटा दिए गए।

लखनऊ

अर्थ दंड ५५८०२

९ अगस्त के प्रभात में स्थानीय नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे।

११ अगस्त को लखनऊ विश्वविद्यालय के विद्यार्थी गोमती पार करके कानपुर आए। जनता के सामूहिक सहयोग से पोस्ट आफिस रेल व मोटर सब नष्ट कर दिए गए।

कस कर लाठी चार्ज हुआ।

मुरादाबाद

गिरफ्तार	१५८
अर्थ दंड	१७३९७

३५-४० हज़ार जनता ने जिसमें हिन्दू और मुस्लिम दोनों भाई थे यह जन समूह थाना और कचहरी दोनों स्थानों की ओर आगे बढ़ा पुलिस ने स्थिति अपने काबू से बाहर रक्खी और सैनिकों से प्रार्थना की गई। सैनिकों ने गोली दागना शुरू कर दिया १५ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और ५० घायल हुए।

१२ तारीख को रेलवे स्टेशन पर एक विराट झुंड टूट पड़ा और इस झुंड से जो ले जाते बना ले गया।

मुरादाबाद के कलेक्टर जी० ए० हग, आई० सी० एस० ने एक कैलाशचन्द्र नामक एक सम्वाद दाता को अपने यहां की नौकरी से अलाहदा कर दिया।

इस हग से जो जुल्म ढाते बन सके ढाये।

बिजनोर

ज़िला कांग्रेस कमेटी बिजनोर पर ९ अगस्त को एक विराट पुलिस समूह ने आक्रमण कर दिया और उसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया ।

१२ अगस्त को विद्यार्थियों ने थाना व कचहरी पर हमला किया और झण्डा फहराया गया ।

१३ अगस्त को स्कूलों पर झण्डे लगाए गए ।

१४ अगस्त को स्टेशन पर ध्वजा रोहण किया गया ।

१५ अगस्त को बिजनोर खास का तमाम सरकारी इमारतों पर झण्डा फहरा दिया गया ।

१६ अगस्त को देहाती क्षेत्र के कार्यकर्त्ताओं के सहयोग से ध्वजा रोहण व सभाएं हुई जिसमें स्वतंत्र भारत की भूमिका का दिग्दर्शन बताया गया ।

फीना

स्कूल व जंगलात की चोकी पर झण्डा चढ़ा ।

जफरा

सरकारी इमारतों पर झण्डा लगाया गया ।

अतरम पुरी

शाम को विराट सभा हुई जिसमें स्वतंत्र भारत के विधान पर विचार किया गया ।

गोदवार

प्रभात फेरी में १ सहस्र जन समूह ने हिस्सा लिया ।

तेजपुर

स्कूल पर झण्डा लगाया गया ।

मोलहाबाद

२ सहस्र व्यक्तियों की सभा की गई।

गोपालपुर

ग्रामसभा हुई कांग्रेस के शासन में रहने की शपथ खाई गई।

धेली

कांग्रेस सत्ता की शपथ खाई गई।

अन्थाई

यहां की जनता स्वतंत्रता की खुशी में दशहरे की भांति अपने पड़ोसी ग्राम नोरपुर पहुंची।

नोरपुर

दोनों गांव की जनता ने थाना व पी० डबल्यू० डी० के बंगले बरबाद कर दिये।

फैजपुर

जनता ने डाकखाना तोड़ दिया।

गोहपुर

डाकखाना बरबाद कर दिया गया।

अखेरा

१७–८–४२ को यहां का यातायात साधन समाप्त कर दिया गया।

१८–८–४२ को हैलेट का व्यक्तिगत रक्षा दल वहां पहुंचा और उसने निम्न प्रकार ऊधम मचाना शुरू कर दिया गया।

हल्दापुर

२०–८–४२, को गोलियां निहत्थी जनता पर तान दी गईं। ६०० व्यक्ति घायल हुए।

श्यामपुर

२४ तारीख को श्यामपुर थाने का एक सिपाही मारा गया।

जहानपुर

२५ तारीख को यहां एक पुलिस की मोटर जला दी गई।

लम्बाखेरा

८ तारीख को तमाम तार काट दिए गए।

कासमपुर

१२-९-४२ को कासमपुर का किला बरबाद कर दिया गया।

नगीना

१७-९-४२ को नगीना हाईस्कूल का रिकार्ड जला दिया गया।

दारा नगर

११-११-४२ को एक जुलूस निकला जिसने कई जगह पर तार काटे और अन्य ऊधम मचाया।

इन तमाम बातों का फल

फिनाग्राम:—८० गोरखों की फौज ने आदमियों को घरों में घुसकर मारा।

गऊदवार:—पुलिस ने आदमियों को बुरी तरह पीटा और स्त्रियों को बेइज्जत किया उनके बहुमूल्य गहने जबरदस्ती उतार लिए गए।

गोपालपुर:—पूरा गांव लूटा गया और जला दिया गया।

घेली ग्राम:—खड़ी फसलें जला दी गईं अच्छे-अच्छे बैल मार दिए गए।

अन्थाई:—एक रईस का घर लूट लिया गया।

अखेरा:—पुलिस द्वारा जनों को चनों के समान भूंज कर छोड़ दिया गया।

मनकाफ़---७०० रुपयों के पशुओं को जीवित मार दिया गया। ग्रामीणों को बुरी तरह लूट लिया गया।

मथुरा

अर्थ दंड 46700 रुपये

१८ अगस्त को आम हड़ताल मचा दी गई। तार तथा फोनों को हानियां पहुंचाई गई।

स्टेशन पर इंजिन गिरा दिया गया विशाल जन समूह की शक्ति के सामने इंजिन एक इंच आगे न बढ़ सका।

पुलिस ने लड़के व लड़कियों को पीटकर मार कर जलियाना वाला बाग का दृश्य उपस्थित कर दिया।

विन्द्रावन

जनता के विराट जलूस पर पुलिस ने लाठी प्रहार किया ५० घायल हुए ६ भयानक घायल हुए।

अलीगढ़

धर्मसिंह कालेज के सपूतों ने समस्त नगर में हड़ताल करा दी पुलिस ने इन नौनिहाल बच्चों पर कठिन प्रहार किए १० बच्चे घटनास्थल पर ही बलि दे गए। ४५० विद्यार्थी गिरफ्तार कर लिए गए। विद्यार्थियों की उत्तेजन बढ़ गई और वे पुलिस पर पिल गए पुलिस वाले पहले तो भाग गए फिर और अधिक संग्रहीत होकर आए तब तक जन समूह ने बीस जगह तार काट दिए।

E. I. R. & B. B. & C. I. R. के स्टेशनों पैर आक्रमण किया तथा पटरी उखाड़ दी गई। हाथरस स्टेशन और हवाव गंज डाकखाना बरबाद कर दिए गए।

अल्मोरा

गिरफ्तार	८५०
स्थगित	६५०

रोके गए	८०
अर्थ दंड	५३८५०

पं० गोविन्द वल्लभ पंत के श्री हरगोविन्द पंत को जो जिला कांग्रेस कमेटी के सभापति थे गिरफ्तार कर लिए गए।

प० मदनमोहन उपाध्याय का वारंट जारी कर दिया गया और उनकी तलाशी शुरू हो गई २००० रुपये उनके गिरफ्तार करने वाले को पुरस्कार घोषित कर दिया गया।

तहसीलदार व डिप्टी कलैक्टर नंगे पैरों देहातों में फिरते रहे।

जोनशेप १०० फौजियों को लेकर उपाध्यायजी की ओर चल दिए। रानीसिंह का बहुत बड़ा हाथ रहा। फौज ने गोलियां चला दीं और ४ जन मारे गए और अनेकों घायल हुए। घरों में खिड़कियों से फायरिंग किया गया।

२ सितम्बर को डिप्टी कमिश्नर मि० मिश्रा ने कुछ बृटिश सैनिकों के साथ गांधी आश्रम पर धावा बोल दिया ९८ गिरफ्तार किए ३६ घर लूटे गए आश्रम पर ताला डाल दिया गया।

अलोका

मि० आई० खाँ बृटिश सैनिकों के साथ अलोका पहुंचे और तमाम घर जलवा दिए गए और खड़ी फसलें जलवा दी गईं।

एक बृटिश स्त्री का आदर्श

एक सभ्य ब्रटिश स्त्री मिस सरला बहिन केथरायन हैलीमन यह हताहतों घायल स्त्री पुरुषों की रक्षा में व्यस्त थीं जो मातृभूमि पर प्राण दे रहे थे यह भी गिरफ्तार कर ली गई और तीन माह की सख्त कैद की सजा दी गई।

गढ़वाल

फायरिंग	अनेको स्थानो पर
मृत्यु	४
घायल	७
अर्थ दण्ड	५९५९—२—०

विशाल जन समूह कोर्ट थानों पर टूट पड़ा राष्ट्रीय पताका फहराने लगा।

राष्ट्रीय सरकार बनगई शपथ ली जाने लगी पद संभाले जाने लगे।

स्वतन्त्रता संग्राम के सैनानियों और ब्रिटिश सैनिकों का सामना होता रहा। तमाम गढ़वाल फौजियों से भर दिया गया हर जगह ऊधम होने लगा। सैकड़ों स्थानों पर फायरिंग करना पड़ा।

ज़िलों के आंकड़े

स्थान	गिरफ्तार		रोके गए	अर्थदंड
देहरादून				१,०००
शहारनपुर				५४,६७३
मुज़फ़र नगर	४६	४४	६	६०००
मेरठ	२४८	२४५	३५९	१६७४३२
बुलन्दशहर	१३७	१७०	६७	३२२५८—२—३
मैनपुरी	२३२	३७	१९	११२००
एटा				२५६०—५—४
बरेली			१८८	७७१२
बदाऊ	८	४	११	४५००
शाहजहांपुर				१२२९
पीलीभीत	१२७	८३	७	
फर्रुखाबाद				११५७५

जय हे वीर सिपाही

बीती निशा उषा की लाली क्षितिज-छोर पर छाई
धीर धरा में, नीले नभ में, लोहित किरन समाई
किरनों में नव स्फूर्ति, स्फूर्ति में नव जीवन की आशा
नव जीवन में नई उमंगें, मुखर मौन की भाषा
मुखर मौन की भाषा में गूंजी जन-गण की वाणी
जय जय जय हे वीर सिपाही देश-प्रेम- अभिमानी !

काल कूट-पथ के दूतों से हंस-हंस जिसने खेला
तिल-तिल मिटा गया अपने को दुश्मन का बल झेला
रोम-रोम में जौहर जिसके पद-पद अमर निशानी
सूर्य-चन्द्र अपनी किरनों से लिखते शुभ्र कहानी
जन-गण के पौरुष की ताकत अब दुनिया ने मानी

इटावा	४४	१४	१९	८१३३९-४-०
फतहपुर	४३	२६	१२	१८७५०
बांदा				२०००
हमीरपुर	१३	१३	२७	१८५०
झांसी	४१	३६	१०	१८५०
जालौन				२९०५
मिर्जापुर				१०११०
बस्ती	१४६	८६	१९३	४४५०
नैनीताल	१९	८	२८	२२७११-२-१
उन्नाव	२८	२२	१७९	५७५०
बरेली				३३००
हापुर	१०७	७९	४७	
हरदोई	१०७	६४	११२	६६७९
खेरी	६७	४१	१७	१८३२१
फैजाबाद	४३	१४	४०	२६९५०
बहराईच	४२	८७	६	
सुल्तानपुर				७००
प्रतापगढ़				१२४५०
बाराबंकी	८३	५३	२५	७५००

खून से गुलामी का पाप धोया गया

बन्दूकों की नोक छाती से सटा कर गोली चलाई गई

इस राजनीतिक तूफानी लहर से गुजरात अछूता नहीं बच सका

लाठियों और गोलियों की बौछार

जैसा कि सारे भारत में हुआ, गुजरात में भी सरकार ने छोटे बड़े सभी कांग्रेस कार्य-कर्त्ताओं को गिरफ्तार कर अपना हमला शुरू किया इन गिरफ्तारियों के साथ ही सभी प्रकार की सभाओं और जलूसों पर रोक लगा दी गई। गुजरात के छोटे बड़े सभी शहरों में इन आज्ञाओं को तोड़ना, उसके बदले सरकार की ओर से लाठियों और गोलियों की बौछार नित्य प्रति की घटनाएं हो गईं। खेड़ा और सूरत जिले के तथा अहमदाबाद शहर के पुलिस अफसर अपनी शरारतों के लिए प्रसिद्ध हो गए। किन्तु जिन लोगों ने विध्वंस कार्यों में भाग लेना आरम्भ किया सरकार उनका बाल भी बाँका नहीं कर सकी।

गांवों की जनता को डराने के लिए, जिससे वह इस प्रकार के कार्य में सहायता न पहुंचावें, अधिक से अधिक सामूहिक जुर्माने किए गए। सरकार को यह भय था कि सम्भव है कि जनता इन सामूहिक जुर्माने का विरोध ही नहीं, लगान बन्दी भी आरम्भ न कर दे; इसलिए जनता को आतंकित करने के लिए केवल सामूहिक जुर्माने ही नहीं लगान तक संगीनों की नोक के बल पर वसूल किए गए। एक दिन भोर में सशस्त्र पुलिस ने एक गांव को घेर लिया और किसी को न तो गांव से बाहर जाने दिया और न किसी को गांव के भीतर आने दिया। इसके बाद सशस्त्र पुलिस के दल ने घर-घर घूम कर लगान वसूल किया। यह सब इसलिए किया जाता था कि सरकार को भय था कि कहीं राष्ट्रीय कावाबाज सैनिक पूरी माल-

गुजारों की आमदनी लूट न लें। अब हमें यह देखना है कि जनता ने इस फौजी और आर्डिनेन्सी राज्य को जिसे दूसरे शब्दों में अराजकता कहा जा सकता है, उसके काले कारनामों के लिए कैसे जवाब दिया।

आम हड़ताल और कामबन्दी

गुजरात का आंदोलन आम हड़ताल और कामबन्दी के साथ आरम्भ हुआ जो कुछ जगहों पर तीन दिन और कुछ जगहों पर तीन महीने तक जारी रहा। नदियाद में एक मास तक और अहमदाबाद में साढ़े तीन महीने तक आम हड़ताल और कामबन्दी रही। अहमदाबाद की हड़ताल अपने ढंग की निराली थी और इस स्वातंत्र्य संग्राम में उसका महत्त्वपूर्ण स्थान है। पूरे साढ़े तीन महीने तक सभी बाजार, कारखाने और मिलें बन्द रहीं तथा हड़ताल तोड़ने की सरकारी और सरकार के एजेन्टों की कोई भी कोशिश कारगर न हो सकी। इस हड़ताल का सम्पूर्ण श्रेय मजदूरों को प्राप्त है, जिन्होंने इतने दिनों तक की अपनी मजदूरी खो दी और इसे सफल बनाने के लिए अनेकानेक कष्ट सहन किए। यदि कुछ स्वार्थी मिल-एजेन्टों ने हड़ताल खत्म करने की कोशिश न की होती तो वह दो महीने तक और जारी रहती।

आम हड़ताल के दिनों में जनता ने अभूतपूर्व अनुशासन का परिचय दिया। लोगों ने कांग्रेस कार्य-कर्त्ताओं की आज्ञा का अक्षरशः पालन किया। इसका परिचय तो उस दिन मिला जब सवारी बन्दी दिवस मनाया गया। उस दिन कांग्रेस के सवारी नियंत्रकों के अतिरिक्त कोई भी नागरिक सड़कों पर दिखाई नहीं देता था।

छात्र सब से आगे

राष्ट्रीय संग्राम में छात्रों का कर्त्तव्य पालन अभूतपूर्व था। उन्होंने इस आंदोलन में इतने शौर्य और साहस का परिचय दिया, जिसका परिचय

और कभी नहीं मिला था। आम हड़ताल के बाद का महत्त्वपूर्ण कार्य स्कूलों और कालेजों का बहिष्कार था यह बहिष्कार कई महीनो तक जारी रहा। अहमदाबाद, बड़ौदा और सूरत में स्कूल कालेजों का बहिष्कार ६ महीने तक जारी रहा। स्कूल–कालेजो का बहिष्कार करने वाले छात्र अपने घर बेकार नहीं बैठे रहे। सभाओं और जलूसो की मनाही की फासिस्ट, अत्याचार पूर्ण और अन्याय पूर्ण आज्ञाओं का उल्लंघन कर वे इस संग्राम में अपने कर्त्तव्य का पालन करते थे।

यह गुजरात के सभी जिलों तथा नगरों में हुआ करता था। छात्र लोग अपना कर्त्तव्य पालन इस खूबी से करते थे कि सरकारी हुकूमत लादने की पूरी कोशिशें बेकार और बेवकूफी से भरी हुई मालूम होती थी। कई छात्र देश की स्वतंत्रता की बलिवेदी पर शहीद हो गए।

श्री विनोद किनारी वाला राष्ट्रीय झण्डे के सम्मान की रक्षा करते हुए पुलिस की गोलियों के शिकार हो गए। श्री रसिक जानी, श्री पुष्पवदन, श्री गोवर्धनशाह और श्री हिम्मतलाल केडिया विदेशी सरकार के अत्याचारों का सामना करते हुए राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की ज्योति अमर बनाए रखने के लिए शहीद हो गए। इनके अतिरिक्त अगणित बालक और बालिकाएं हैं, जिन्होंने इतनी ही वीरता के साथ अपने देश के सम्मान की रक्षा के लिए इस संग्राम में महत्त्वपूर्ण भाग लिया।

दो महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

यहाँ भड़ौच जिले के एक गाव और खेड़ा जिले के अ... ...
दो घटनाओं का वर्णन कर देना आवश्यक है, जिसमें विदेशी सरकार ने जी भर कर अमानुसिक अत्याचार किए और छात्रों ने शांति, साहस और निर्भयतापूर्वक इन अत्याचारों का सामना किया वे दोनों घटनाएं महत्त्वपूर्ण हैं।

लगभग १०० छात्रों का एक दल बड़ौदा से बम्बई जाने वाली रेल पर सवार हुआ। उनका काम प्रचार करना था। उनका इरादा था कि रेल के जितने डिब्बों पर सम्भव हो सके, उतने डिब्बों पर नारे लिखे हुए पोस्टर चिपकाए जाएं। उन्हें पर्चे और गिरफ्तारी के पूर्व का महात्माजी का अन्तिम सन्देश जनता में बांटना था। उन्हें यह कार्य पूरा करने और तार आदि में बाधा न पहुंचाने का आदेश दिया गया था। उन्होंने इन आदेशों का कठोरतापूर्वक पालन किया। किंतु, उन्हें भड़ौच स्टेशन पर उतार दिया गया उन लोगों को ट्रेन से उतारने के लिए १०० पुलिस कांस्टेबलों का दल तैयार था। उन्हें वहां २४ घण्टे तक रोक रखा गया और बाद में उसी स्थान को लौट जाने को कहा गया, जहां से वे आए थे। यह भी तब हुआ जब उन लोगों ने यह आश्वासन दिया कि जो काम हम करना चाहते हैं, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं करेंगे। यह १५ अगस्त की घटना है।

आडास की घटना—१८ अगस्त

भड़ौच की घटना के दो दिन बाद ३४ छात्रों का एक दल बड़ौदा से उसी कार्य को करने के लिए आनन्द की ओर रवाना हुआ और वह अपना काम पूरा कर बड़ौदा के लिए शाम की गाड़ी पकड़ने के लिए आडासा स्टेशन की ओर तेजी के साथ जा रहा था। जिस समय यह दल शीघ्र स्टेशन पहुंचने के लिए एक सकरी गली से गुजर रहा था, उसकी खोज करनेके लिए निकले हुये राइफलों से लैस ६ कान्स्टेबलों ने उसे रोक लिया और बैठ जाने को कहा। उन लोगों ने पुलिस की आज्ञा मान ली और बैठ गये। उन लोगों का ख्याल था कि पुलिस वाले या तो उन्हें लाठियों से मारेंगे, या गिरफ्तार कर लेंगे। इसके बाद पुलिसवालों ने बन्दूकों की नोक उनकी छाती से सटा कर गोली चलाई। दो या तीन छात्रों के सीने में गोलियां घुस गईं। ५ छात्र तो वहीं शहीद हो गए और

१२ बुरी तरह घायल हुए। घायलों में से भी एक बाद में अस्पताल में मर गया। इतना ही नहीं कि पुलिसवालों ने इन ५ आदमियों को मार डाला, बल्कि उन लोगों ने घायलों को पानी तक पिलाने से इन्कार कर दिया। यह है ब्रिटिश सरकार के कर्मचारियों की मानवता! घायल इसी प्रकार ७ बजे शाम से आधी रात तक पड़े रहे जब तक कि फौजदार नहीं आगया! उसने मृतकों की लाश जनता को सौंप दी और घायलों को आडास स्टेशन पहुंचाया।

म्युनिसिपैल्टियां और जिला बोर्ड

म्युनिसिपैल्टियां और जिला बोर्ड भी संग्राम में अपने कर्त्तव्य का पालन करने में पीछे नहीं रहे। इन संस्थाओं ने कांग्रेस के अगस्त प्रस्ताव का समर्थन करते हुए प्रस्ताव पास किए। अहमदाबाद और सूरत की म्युनिसिपैल्टियां तथा कई जिला और स्कूल बोर्ड आज तक इसी अपराध में मुअत्तल हैं।

इसके अतिरिक्त अहमदाबाद के कई म्युनिसिपल अफसर बाहर निकल आए और काम करने से इनकार कर दिया। इनमें से कई इसी कारण से नौकरी से अलग कर दिये गए। दूसरे कई म्युनिसिपल कर्मचारियों ने, विशेष कर अध्यापकों ने, नौकरी से इस्तीफा दे दिया।

विध्वंस कार्य

यातायात के साधनों को गुजरात में उतनी हानि नहीं पहुंचाई गई, जितनी संयुक्त प्रांत में। किन्तु जितना किया गया वह सब अच्छी तरह आयोजित रूप और सफलता पूर्वक किया गया। सूरत और बरौदा के बीच कई मील तक तार काट डाले गये और काठियावाड़ में कुल तीन जगह रेल गाड़ियां गिरा दीं गईं। इन जगहों में से एक तो कालोल आर० एम० रेलवे पर पालधार के पास, दूसरी टी० बी० लाइन पर टिम्बारवा के पास और तीसरे बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवे पर

ग्राम लसाड के पास गिराई गई। दो बार, एक बार १९ मई १९४४ को और दूसरी बार ९ मई १९४५ को रेलगाड़ियां रोक कर डाक के डिब्बे लूट लिये गये और डाक जला दी गई।

खेड़ा जिले में ३० से अधिक डाक के हरकारों को लूट लिया गया और डाक जला दी गई। एक बार तो खेड़ा और अहमदाबाद के बीच डाक ले जाने वाली गाड़ी लूट ली गई और जला दी गई। इन कार्यों का उद्देश्य डाक विभाग को हानि पहुंचाना था।

नदियाद में इनकमटैक्स का दफ्तर, अहमदाबाद में डास्कोई के मामलतदार का दफ्तर, और भड़ौच जिले के वागड़ा तालुक के सरमान गांव का सरकारी गल्ले का स्टोर फूंक डाला गया। गुजरात के प्रायः सभी जिलों में विशेष कर सूरत जिले के जलालाबाद तालुक में बहुत सी चावड़ियां जला दी गई। इन जगहों पर शराब की बिक्री हुआ करती थी।

ताक़त की आज़माइश

प्रतिबन्धों के विरुद्ध जुलूस निकालने वाली जनता और पुलिस के बीच जलालपुर तालुक के सतवाड़ करोड़ी गांव में मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने अनावश्यक रूप से जनता को उत्तेजित किया। इस मुठभेड़ में पुलिस ने ८ या ९ ग्रामीणों को मार डाला। इसके बदले में ग्रामीणों ने पुलिस दल को अपने काबू में कर उसकी ४ राईफलें छीन लीं। यह अगस्त १९४२ के दूसरे तीसरे हफ्ते की घटना है।

पुलिस थानों पर हमला

इस प्रकार के हमलों में सब से गम्भीर हमले १९ सितम्बर १९४२ को जम्बूसार तालुक के वेडूच थाने पर, दिसम्बर १९४२ में भड़ौच जिला वागड़ा तालुक के सरनाम थाने पर और मई १९४३ में पंचमहाल के अम्बाली थाने पर हुये थे। इन सभी हमलों में, थानों में जितनी बन्दूकें

और राइफलें थीं सब लूट ली गईं। यह स्मरण रखने की बात है कि इन सब हमलों में किसी की भी व्यक्तिगत सम्पत्ति पर हाथ तक नहीं लगाया गया। कहा जाता है कि इन हमलों के फलस्वरूप भड़ौच ज़िले के सभी थाने कई महीने तक के लिये हटा लिए गए थे।

कर्नाटक में शासन-कार्य असम्भव कर दिया गया

लोगों को नंगा कर चूतड़ पर बेंत लगाया गया !

"इसी क्षण से तुम अपने को स्वतंत्र समझो और उसी के अनुसार कार्य करना आरम्भ कर दो", यह था ८ अगस्त १९४२ की निर्णयकारी सन्ध्या को दिया गया महात्मा गांधी का सन्देश। कर्नाटक ने इस आज्ञा का पालन किया, नेताओं और कार्यकर्त्ताओं ने प्रत्येक सरकारी आज्ञा का उल्लंघन किया और सरकार के कार्य-सन्चालन में प्रत्येक सम्भव उपायों से बाधा पहुंचाई।

१८५७ के बाद जनता के असन्तोष ने इतना प्रबल और व्यापक स्वरूप और कभी नहीं ग्रहण किया था। उन दिनों दिन-रात पुलिस और फौज गांव गांव में घूमकर विध्वसकारियों का पता लगाया करती थी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि तड़के पुलिस और फौज सारे गांव को घेर लेती थी, प्रत्येक घर के दरवाजे पर पुलिस वालों का पहरा बैठ जाता था, सारे गांव की तलाशी ली जाती थी, पर उनका दुर्भाग्य होता था कि उन्हें निराश ही लौटाना पड़ता था। उन्हें कोई भी फरार या विध्वंसकारी नहीं मिलता था। फरारों की गिरफ्तारी के लिए ५००० रुपयों तक के इनाम की घोषणा होने पर भी देश भक्त फरारों का पता बताने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। जब कि सभी "कानूनी" उपाय समाप्त हो

ये क़दम बढ़े चलें

ये क़दम बढ़े चलें,
—ये क़दम।
ये क़दम बढ़े चलें
एक दम बढ़े चलें
लक्ष्य है समक्ष आज
दम-ब-दम बढ़े चलें,
ये क़दम बढ़े चलें,
—ये क़दम।
वे न एक के क़दम
ये हरेक के क़दम
सत्य पर टिकी हुसी
महान टेक के क़दम
ये क़दम बढ़े चलें,
—ये क़दम।
देश की जवानियां
खून की रवानियां

गए, तब फरारों के नजदीकी रिश्तेदारों और घरवालों की बारी आई। गांव के गांव गिरफ्तार किए गए और उन्हें खूब सताया गया। इन परिस्थितियों में अधिकांश फरारों ने अपने घरवालों और रिश्तेदारों को अपमान और अत्याचार से बचने के लिए आत्मसमर्पण कर दिया। १९४३ के अन्त तक करीब ४००० कर्नाटकी ग्रामवासी, हिण्डालँगी, यखड़ा, विसपुर और दूसरे जेलों में ब्रिटिश सरकार की मेहमानदारी करने लग गए थे।

प्रदर्शन

दूसरी जगहों की तरह कर्नाटक में भी बहुत बड़ी संख्या में सभाएं हुईं और जुलूस निकले। कुछ प्रदर्शनों पर सरकार की ओर से बल प्रयोग हुआ और कुछ तितर-बितर कर दिये गये। हुबली में पुलिस की गोलियाँ खाकर एक लड़का मर गया और बेलहां गांव में पुलिस की गोलियों से सात आदमी घायल हुए।

कहीं कहीं प्रदर्शनकारियों का रुख आक्रमणात्मक हो जाता था और डाकखाने और दूसरी कुछ सरकारी इमारतें जला दी गईं। इस प्रकार का कार्य करने वाले प्रदर्शनकारी मारे गये। सौण्डहट्टी में एक बहुत बड़ी भीड़ ने सब जेल को घेर लिया और एक कैदी को छुड़ा लिया। कई छात्रों को भी प्रदर्शनों में भाग लेने के अभियोग में सजाएं दी गईं।

विध्वंस कार्य

१५ सितम्बर को जब यह खबर मिली कि हुबली के आस पास ४ रेलवे स्टेशन जला डाले गये या क्षति ग्रस्त किये गये तो बड़ा तहलका मच गया। इसी प्रकार की हानि दूसरी सरकारी सम्पत्ति को पहुंचाई गई। डाक बंगले बहुत बड़ी संख्या में जलाए गए। १५ रेल स्टेशन जला डाले गए, हथियारों से लैस लोगों के हथियार छीन लिए गए, चावड़ियां

पटवारियों के दफ्तर, पटेलों के दफ्तर जला डाले गए। कहीं कहीं सरकार द्वारा एकत्र अन्न छीन लिया गया और सरकारी मालगुजारी लूट ली गई। यह सब बेलगांव; धारवाड़, बीजापुर, और कनारा जिलों के गांवों में हुआ। इन सब घटनाओं के पीछे समूचे प्रांत का घोर असन्तोष था।

चारों ओर अव्यवस्था के होते हुए भी जो कुछ हुआ, वह व्यवस्थित रूप से हुआ। एक ही दिन आपको कई डाक बंगले जलते हुए नजर आते। दूसरे दिन आप देखते कि दो-दो सौ मील तक तार और टेलिफोन के तार काटे जा रहे हैं। तीसरे दिन ५००० मील तक के गांवों में किसानों का संगठित दल दिखाई पड़ता और ऐसा मालूम होता कि सर्व शक्तिमान सरकार अपने पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही है।

अत्याचार की पराकाष्ठा

६ महीने तक पांच हज़ार पुलिस और तीन सौ अफसरों की सहायता से आन्दोलन के उत्तरदायियों में से अनेक गिरफ्तार कर जेलखानों में मेहमानदारी करने के लिए भेज दिये गए। इस प्रकार कुछ समय के लिए "विध्वंसकारियों" का खतरा सरकार के लिए दूर होगया। इन बन्दियों पर आन्दोलनकारियों का पता लगाने के लिए जो अत्याचार और अमानुषिक व्यवहार किया गया, उसकी बड़ी बड़ी कहानियां हैं। पूरा विवरण विस्तृत जॉच के बाद मालूम होगा। पुलिसवाले रात में गश्त पर जाया करते थे, गांववालों को जगाया करते थे और यदि उनमें से कोई भागने का प्रयत्न करता था तो उसे पकड़ कर खूब पीटा जाता था। जांच के समय गिरफ्तार लोगों को नगाकर चूतड़ पर तब तक बेंत लगाए जाते थे जब तक वे पूर्ण विवरण न बता दें या जब तक वे बेहोश न हो जायें।

मिदनापुर में क्या हुआ

लूट हत्या और व्यभिचार की रोमांचक कहानी

परिचय

मिदनापुर जिले में तामलुक सब-डिवीजन है। इस सब-डिवीजन में छः थाने है—सुताहाट, नदीग्राम महिषादल, तामलुक, आयना तथा पंसकुरा। सपूर्ण सब-डिवीजन मे केवल तामलुक में ही म्युनिसिपैलिटी है। यहा की आबादी बारह हजार है। सब-डिवीजन में ७६ यूनियन हैं, जिनमें १३४६ बस्तियाँ है। कुल आबादी ७१३१५२ और परिवारों की संख्या १४३२०० है।

आन्दोलन के पूर्व की स्थिति

सपूर्ण सब-डिवीजन विस्फोट का एक महान् अड्डा बन गया था। 'भारत छोड़ो' के प्रस्ताव तथा नेताओं की गिरफ्तारी ने इसमें आग डाल दी। अधिकारियों की दमन-नीति के कारण यह पहले से ही कार्य-क्षेत्र तैयार हो गया था। जनसाधारण के विरोध के बावजूद भी यहां अन्याय-पूर्वक सेस—लगान बढ़ा दिया गया था। लोगो की सपंति को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था। वस्तुओं की कीमत बेतरह बढ़ी जा रही थी। अनुचित दबाव डालकर 'वार बौंड' बेंचा जा रहा था। धनी-गरीब, शिक्षक-वकील, दुकानदार—मल्लाह सबके लिए यह बौंड खरीदना अनिवार्य कर दिया गया तथा उनसे 'वार फँड' का चदा भी वसूला गया। इस सब-डिवीजन मे आवागमन के मामूली साधन भी नहीं रहने दिये गये, जैसे—नाव, साइकिल, बस वगैरह सब-के सब हटा दिये गये। फलस्वरूप अवश्यभावी अकाल की छाया पहले से ही दिखाई पड़ने लगी। इन सारी बातों से ब्रिटिश सरकार के विरुध वातावरण तैयार हो गया और लोग दिनों दिन विदेशी हुकूमत को दूर करने और अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए दृढ़तर होते गए।

अनेक सभाएँ हुई। युद्ध-परिस्थित, बम्बई के प्रस्ताव तथा अहिंसात्मक विद्रोह के विषय पर बहसें होती थीं। इन सभाओं तथा जुलूसों में ५ से १० हजार तक लोग एकत्र होते थे। हिंदू तथा मुसलमान दोनों इसमें सम्मिलित होते थे तथा लाकोर्ट, सरकारी आफिस और थानाओं के सामने बड़े झुंड में प्रदर्शन करते थे। उन स्थानों पर बड़ी-बड़ी सभाएँ भी हुई जिनमें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा हुई और प्रत्येक थाना स्वतंत्र घोषित किया गया। इन सभाओं तथा जुलूसों का नेतृत्व कांग्रेस के स्वयसेवक करते थे। ये सारे काम शांतिपूर्वक चल रहे थे। महिषादल थाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवकों के एक दल ने थाने के सामने ही सभा करके स्वतंत्र होने की घोषणा की। तामुलुक के एस० डी० ओ० श्री शेख, आई सी० एम० कुछ कांस्टेबलों के साथ वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने चार वक्ताओं की गिरफ्तारी का हुक्म दिया, किन्तु उपस्थित भीड़ ने उन्हें गिरफ्तारी होने देना अस्वीकार कर दिया। इस पर श्री शेख ने लाठी-चार्ज का हुक्म दिया। किन्तु कांस्टेबल अपने स्थान से नहीं टले। श्री शेख हक्काबक्का होकर कांस्टेबलों के साथ लौट गये। २९ अगस्त के पहले सभा में पुलिस के हस्तक्षेप की यह पहली घटना थी। ऐसी सैकड़ों सभाएँ हुई होंगी; किन्तु दो-चार को छोड़कर सरकार ने किसी में भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया।

अगस्त का विद्रोह

संपूर्ण सब-डिवीजन में कई बार हड़तालें मनाई गई; विशेष कर महात्माजी तथा अन्य नेताओं और स्थानीय नेताओं के गिरफ्तारी के मौके पर। दानीपुर में गोली चलने तथा २९ अगस्त के दिन स्वतंत्रता की घोषणा होने और राष्ट्रीय सप्ताह मनाने पर अन्य स्थानों पर जो गोलीकांड हुए, उनके लिए भी हड़तालें मनाई गई। राष्ट्रीय झंडोत्तोलन-उत्सव भी बड़े ही समारोहपूर्वक मनाए जाते थे।

सब-डिवीजन भर के विद्यार्थी हड़ताल करने लगे और सुसंगठित सभाएँ और जुलूस निकालने लगे। इस विषय में तामुलुक हेमिल्टन हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने नेतृत्व ग्रहण किया। अनेक स्कूल अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिये गये। सब-डिवीजन के ५०० विद्यार्थियों तथा शिक्षकों ने विद्रोह में भाग लिया। अनेक स्कूल-भवनों में बहुत काल तक सैनिकों का अड्डा बना रहा।

सेंसर की बुराइयों तथा सरकारी पोस्टल व्यवहार बंद होने की संभावना पहले से ही की जा रही थी; इसलिए पत्र-व्यवहार का प्रबंध पहले से ही कर रखा गया था और सब-डिवीजन की प्रत्येक शाखा कांग्रेस कमिटी से यहां तक कि प्रान्तीय सभा से भी सम्बन्ध स्थापित कर लिया गया था। इस सब-डिवीजन में लेथो मशीन से 'विप्लवी' नामक एक नियमित समाचारपत्र निकलने लगा। सुताहाट, महिषादल तथा नंदीग्राम से भी सामयिक बुलेटिन प्रकाशित होते थे।

युद्ध के आरभ होने से बहुत पहले ही अनेक शिविर स्थापित हो चुके थे युद्धरंभ से शिविर और स्वयंसेवकों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती गई। सरकारी फौजों ने इन शिवरों को नष्ट कर दिया, उनमें आग लगा दी और उनके निकट जिन लोगों के मकान थे उनको बहुत तंग किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवकों की हिम्मत जरा भी नहीं घटी— उन्होंने नये शिविर उन्हीं वस्तियों में या आस-पास की वस्तियों में बना लिए। कई शिविर अनेक बार जला डाले गए और स्वयंसेवकों ने बार-बार उन्हें तैयार भी कर लिया। जब यहां तूफान आया था, गृहहीन लोगों ने पहले इन्ही शिविरों को तैयार करने की व्यवस्था की। जब इस सब-डिवीजन में निषेधाज्ञाएँ जारी हुई तो केवल तामलुक शहर के कर्फ्यू आर्डर को छोड़कर लोगों ने सबका उलंघन किया।

इसके पश्चात् जनसाधारण से सरकार का एकदम बायकाट करने को कहा गया। फलस्वरूप लॉ कोर्ट तो प्रायः खाली ही रहता था। रजिष्ट्री आफिस का भी बहिष्कार किया गया।

विशेषकर मिदनापुर डिस्ट्रिक्टबोर्ड सरकार का कोपभाजन बना, कारण यह था कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उसका बहुत उपयोग किया। १९३० में भद्र-अवज्ञा-आंदोलन के आरम्भ होने पर सरकार ने इसे अपने हाथों में कर लिया था। प्राय: १९४० तक इस पर सरकारी तथा अन्य लोगों का, जो किसी को प्रति निधित्व नहीं करते थे, अधिकार रहा। १९४० में पुन: यह कांग्रेस कार्य-कर्ताओं के हाथ में चला आया। ८ नवम्बर को सरकार ने लोकल बोर्ड को भी अपने हाथो में कर लिया। बहुत से यूनियन बोर्ड भी कांग्रेस के अधीन थे। जब राष्ट्रीय युद्ध आरम्भ हुआ, सदस्यों ने यूनियन-कर वसूलना छोड़ दिया और केन्द्रीय अफसरों से अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया। चौकीदार तथा दफादारों की पोशाक एकत्र करके जला दी गई। कांग्रेस-कार्य में सहयोग नहीं देने वाले यूनियन-बोर्ड पर कांग्रेस-जनों ने अधिकार जमा लिया और उसके सारे कागजात नष्ट कर दिए गए। कांग्रेस-कार्य में सहयोग देने के कारण तीन यूनियन बोर्डों पर सरकार ने अपना अधिकार जमा लिया। कांग्रेस की ओर से लोगों से किसी प्रकार का टैक्स और लगान देना बंद कर देने को कहा गया।

जनसाधारण में असंतोष बढ़ रहा था और वे सरकारी पदों को अपने हाथ में करना चाहते थे। २९ सितम्बर की सभा में यह विचार तय हुआ कि थाने, इजलास और दूसरे सरकारी केन्द्रों पर एक ही साथ आक्रमण किया जाए। निश्चित दिन से पांच दिन पूर्व ही इस विषय का पूरा विवरण कार्य-कर्ताओं को दे दिया गया। इस कार्य में प्राय: एक लाख हिंदू-मुस्लिम सम्मिलित हुए। किसी विशेष कारण से पंसकुरा तथा मायना थाने पर आक्रमण नहीं किया गया।

२८ तारीख की रात में तामुलुक तथा पन्सकुरा की मुख्य-मुख्य सड़कों को अवरुद्ध करने के लिए बड़े-बड़े पेड़ काटकर गिरा दिये गये। कुराहाटी से बालूघाट जानेवाली सड़क की भी यही हालत हुई। ३० छोटे-

छोटे पुल तोड़ डाले गये और अनेक स्थानों पर सड़कें काट डाली गयीं। ५७ मील तक तार तथा टेलीफोन का लगाव भी तोड़ डाला गया और १९४ खम्भे उखाड़ डाले गये। कोशी तथा हुगली नदियों पर की नावें तोड़ कर नदी में डुबा दी गईं। उसी रात इन बातों की खबर सरकार को भी लग गई। सरकारी कर्मचारियों ने किर्च के बल पर लोगों से इन चीज़ों का सुधार करवाना आरम्भ कर दिया। २९ तारीख को दो बजे दिन तक तामलुक से पंसकुरा जानेवाली सड़क करीब-करीब साफ कर ली गयी और मोटर जाने लायक बन गयी। दूसरी सड़कों की मरम्मत में १०-१२ दिन लगे। नाव द्वारा आवागमन ठीक करने में भी १५ दिन से कम समय नहीं लगा होगा। तामलुक सब-डिवीजन के तीन थाने पर एक ही दिन आक्रमण हुआ। नन्दीग्राम थाने पर कल होकर चढ़ाई हुई। जितने भी वीर इन आक्रमणों में काम आए सबकी छाती पर ही गोलियां लगी थीं या सामने के दिल भाग में। आक्रमण के मुख्य लक्ष्य थे सरकारी केन्द्र तथा थाने। एक सप्ताह के भीतर निम्नलिखित स्थान जला दिए गये तथा नष्ट कर दिये गये—एक थाना, दो पुलिस नाका, दो सब रजिस्ट्रीऑफिस, तेरह पोस्ट ऑफिस, नौ यूनियन बोर्ड ऑफिस, दस पञ्चायत ऑफिस, बारह शराब की दुकानें, चार डाक बंगले तथा महिषादल राज्य के तेरह ऑफिस। ३५० चौकीदारों की पोशाक जला डाली गयीं। तेरह सरकारी अफसरों को गिरफ्तार किया गया, उनमें पुलिस अफसर भी थे। अपने सरकारी पदों से इस्तीफा देने की प्रतिज्ञा करने पर इन्हें छोड़ दिया गया और उनके घर पहुंचाने का किराया दे दिया गया। उनमें से किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया। छः राइफलें तथा कुछ तलवारें विद्रोहियों के हाथ लगीं। आक्रमण का पूरा विवरण नीचे दिया जाता है।

तामलुक की घटनाएँ

पूर्वनिश्चित प्रोग्राम के अनुसार पाँच विभिन्न जुलूस शहर में तीन

बजे दिन में एकत्र हुए। प्रत्येक जुलूस में हिन्दू मुस्लिम दोनों थे और स्त्रियां भी बड़ी संख्या में रहती थीं। सम्पूर्ण शहर में काली तथा गोरी फौजें भर गई थीं। शहर को आनेवाली सारी सड़कों पर लाठीबन्द सिपाही उनकी रक्षा के लिए रखे गये थे। उनके पास राइफलें भी थीं। जुलूसवाले बराबर शांतिपूर्ण तथा अहिंसात्मक बने रहे।

पश्चिम की ओर से प्रायः आठ हज़ार विद्रोहियों का एक बड़ा जुलूस थाने के निकट पहुंचा कि श्री मनीन्द्रनाथ बनर्जी ने सिपाहियों को लाठी-चार्ज करने का आदेश दिया। लाठी-चार्ज हुआ, किंतु इससे जुलूस वाले थोड़ा भी विचलित नहीं हुए बल्कि और आगे बढ़े। पुलिस ऑफिसर ने गोली चलाने का हुक्म दिया। तुरंत ही अन्धाधुन्ध गोली चलना आरम्भ हो गया। पांच विद्रोहियों को गोलियां लगीं। भीड़ गोलियों की वर्षा से तितर-बितर हो गयी। घायलों की संख्या का ठीक-ठीक पता नहीं लग सका। कुछ विद्रोहियों पर गोली-कांड का कुछ भी असर नहीं हुआ, वे थाने पर पहुंचे। राइफल लिए हुए सिपाही भी थाने पर पहुंचे और वहीं से गोली चलाना आरंभ कर दिया। एक वीर विद्रोही को गोली लगी और वह वहीं ढेर हो गया। शेष लोग सीधे हटे। घायलों की सेवा सुश्रूषा उनके सहकर्मी-जन करने लगे और अनेक को रामकृष्ण-सेवा आश्रम में ले गये। कई घायलों को सिपाहियों ने ज़बर्दस्ती छीन लिया जैसे श्रीयुत रामचन्द्र बेरा को। उनका पैर पकड़कर वे उनको घसीटकर सड़क की दूसरी ओर ले गये। उनके घावों से खून बेतरह निकल रहा था। उनको थाने के अहाते के सामने छोड़ दिया गया। इनको जब होश आया, वे गोली लगे हुए ही थाने की ओर घसीटते चले और बोले—हाँ, मैं यहां हूँ—थाने पर अधिकार कर लिया।' इन शब्दों के साथ उनका दम टूट गया।

उत्तर की ओर से दूसरा जुलूस आया, जिसका नेतृत्व ७३ वर्षीय

आन पर बढ़े चलो

तुम अजर, बढ़े चलो, तुम अमर, बढ़े चलो,
तुम निडर, बढ़े चलो, आन पर बढ़े चलो।
झड़ रहे तुषार हों, झड़ रहे अंगार हों,
पर न तुम रुको कभी, पर न तुम झुको कभी।
क्यों न चलें गोलियाँ, पर न रुकें टोलियाँ,
लक्ष्य तो महान् है, पथ इम्तहान है।
लक्ष्य जान कर चलो, कफ़न तान कर चलो,
तुम अजर बढ़े चलो, तुम अमर बढ़े चलो,
तुम निडर, बढ़े चलो, आन पर बढ़े चला।

श्रीमती मतंगिनी हाजरा कर रही थीं। इस भीड़ ने अनिलकुमार भट्टाचार्जी के आधीन काम करनेवाले सिपाहियों का सामना किया। सिपाहियों ने इस भीड़ पर आक्रमण किया और लोगों को बानपुर की ओर, जो घेरा सा रास्ता था, चला जाना पड़ा। लक्ष्मीनारायण नामक एक लड़का सिपाहियों की भीड़ में घुस पड़ा और एक बन्दूक छीन ली। सिपाहियों ने उसे निर्दयतापूर्वक पीटा। इस पर श्रीमती हाजरा के नेतृत्व में विद्रोहीगण पुनः सिपाहियों की ओर बढ़े। सिपाहियों ने गोली बरसाना शुरू किया। श्रीमती मतंगिनी राष्ट्रीय झण्डे को मजबूती से पकड़े आगे बढ़ीं एक सिपाही ने उनके हाथों पर जोर से डन्डा मारा। उनके हाथ नीचे गिर गये, किन्तु झंडा नीचे नहीं गिरा क्योंकि वह अब भी उनके हाथ में जकड़ा हुआ था। इतना होने पर भी मतंगिनी निर्भीकतापूर्वक आगे बढ़ती गईं। इसका उत्तर उनको एक गोली से मिला जो उनके सिर में लगी और वह गिर पड़ीं। यद्यपि वह गिर पड़ीं, तथापि उनके खून से अभिमंत्रित झंडा अभी भी उनके शरीर पर फहरा रहा था। एक सरकारी सिपाही आया और झन्डे को ठोकर देकर गिरा दिया। उनके पीछे कई मृत व्यक्तियों के शरीर पड़े थे। वे थे लक्ष्मीनारायण (तेरह वर्ष का युवक) नगेन्द्रनाथ सामंत तथा जीवनचन्द्र बेरा। अनेक व्यक्ति घायल थे। कुछ घायल व्यक्तियों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। यहां भी सिपाहियों ने घायलों की सेवा करने में हस्तक्षेप किया। एक स्त्री एक घायल विद्रोही की सेवा कर रही थी, उसने पानी मांगा। उस स्त्री ने नजदीक के तालाब में साड़ी भिगो ली और उसको पिलाने के लिए पानी लाई। एक सिपाही ने उस स्त्री की ओर बंदूक का इशारा करते हुए कहा—'पानी पिलाना बंद करो' उस स्त्री ने जवाब दिया—मुझे मार डालो, मैं तुम्हारी धमकी से डर नहीं सकती।' सिपाही को उस पर गोली चलाने की हिम्मत नहीं हुई।

दक्षिण की ओर से एक दूसरा झुंड आया। ज्यों ही भीड़ सरकारी

पुल पर पहुंची थी कि सिपाहियों ने गोली चलाना शुरू कर दिया। फलस्वरूप निरंजन जाना (१७ वर्ष) की जान गयी तथा पूर्णचन्द्र एक २२ वर्षीय युवक घायल हुआ जो दो दिन के बाद मर गया। बहुत से विद्रोही घायल हुए। स्वयंसेविकाओं ने उन्हें जल पिलाया। कुछ सिपाहियों ने इन स्वयंसेविकाओं को खदेड़ा भी। ये वीर स्वयंसेविकाएँ तरकारी बनाने की हँसिया के साथ लौटीं और कहने लगीं अगर तुम हमें इन घायलों की सेवा नहीं करने दोगे तो हम लोग इन्हीं से तुम्हें कतर देंगी।' इस पर सिपाहियों ने उन्हें अपने काम में हस्तक्षेप नहीं किया। कुछ घायल व्यक्ति अस्पताल ले जाए गये और कुछ घर।

दक्षिण-पश्चिम की ओर से प्राय: तीन हज़ार व्यक्तियों का एक झुन्ड आया। श्री अपूर्व घोष इस समय सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा — 'जो गोली खाकर मरना चाहते हैं, आगे आवें।' विद्रोहीदल, जिनमें एक स्त्री भी थी और जुलूस का नेतृत्व कर रही थी, निर्भीकतापूर्वक आगे आए। ये लोग चालाकी से गिरफ्तार कर लिये गये और शेष व्यक्तियों पर लाठी-चार्ज किया गया। गिरफ्तार किये गये विद्रोहियों को बड़ी मार लगी। उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। केवल सात व्यक्तियों को, जिनमें वह स्त्री भी थी, नहीं छोड़े गये। उन लोगों को पीछे दो वर्ष की कड़ी कैद की सजा मिली।

पश्चिम की ओर से एक दूसरा जुलूस पहुंचा। इसमें प्राय: एक हजार आदमी रहे होंगे। इन पर गहरा लाठी-चार्ज हुआ जिससे भीड़ तितर बितर हो गयी।

इस प्रकार प्राय. बीस हजार व्यक्तियों ने, जो शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक तरीके से युद्ध कर रहे थे, सरकारी सिपाहियों का सामना किया। यद्यपि गोलियों की लगातार वर्षा में बहुत लोग हट गए तथापि, करीब दस हजार लोग रात में देर तक शांतिपूर्वक इस ताक में बैठ रहे

कि आक्रमण करने का उपयुक्त मौका मिले । किंतु सरकारी सिपाही लगातार शहर में घुसते गए, इसलिए लोगों को अंत में हट जाना पड़ा । मृत व्यक्तियों के संबन्धी सरकारी अफसरों के पास मृतक शरीर मांगने गए किंतु उनके साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया गया । गोली चलने के दिन तथा उसके पश्चात् कई दिनों तक शहर में ही नहीं संपूर्ण सब-डिवीजन में हड़ताल रही । कहीं भी सिपाहियों को दूध, तरकारी, मछली आदि नहीं मिली । फौज के सिपाही चारों ओर मोटर से जाकर किसी का बकरा किसी की मुर्गी और किसी का तरकारी छीन लाये ।

महिषादल

२९ अगस्त के दिन भिन्न-भिन्न स्थानों के लोग एकत्र हुए । उनकी संख्या प्रायः पांच हजार की रही होगी । यह भीड़ पूर्व की ओर से आई और थाने की ओर अग्रसर हुई । थाने के कमांडिंग ऑफिसर ने जी० साहब को, जो एक स्थानीय जमींदार के अंगरक्षक हैं, संकेत किया । जी० साहब ने एका एक गोली चलाना शुरू कर दिया । इससे दो व्यक्ति मारे गये और १८ घायल हुए । भीड़ थोड़ी दूर पीछे हट गयी ।

सुंदरा कांग्रेस आफिस से 'विद्युत् वाहिनी नामक दूसरा दल थाने की ओर चला । पश्चिम से आता हुआ एक दूसरा जुलूस भी इसमें सम्मिलित हो गया । दोनों जुलूस के लोग मिलकर प्रायः पचीस हजार हो गए वे सब एक साथ थाने की ओर अग्रसर हुए । मशहूर जी० साहब हथियारबद सिपाही तथा अन्य पुलिस अफसरों ने अंधाधुंद गोली चलाना शुरू कर दिया भीड़ थोड़ी पीछे हट गई और पुनः आगे बढ़ी । फिर गोली-वर्षा हुई । थाने पर चार बार लगातार आक्रमण हुए । दरोगा के डेरे में आग फूंक दी गई । गोली-कांड में दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई और अनेक घायल हुई ।

महिलाओं की वीरता

हिजली नहर के पूर्व की ओर ही उपर्युक्त घटना हुई थी क्योंकि थाना उसी ओर पड़ता है। नहर के पश्चिम में मछुली-हाट की प्रायः १५० गज पर एक मृत व्यक्ति पाया गया। इससे थोड़ी दूर दक्खिन जाकर प्रायः १८ आदमी मरे पाये गये। चारों ओर के लोगों पर गोली चलायी गयी थी इसी कारण सब तरफ लोग थोड़ा-बहुत मारे गए। अनेक व्यक्ति घायल भी हुए। जी० साहब ने जब देखा कि गोली घट रही है तो वे दौड़कर एक जमींदार के यहां से कारतूस भी ले आए।

महिलाओं ने अपूर्व वीरता दिखलाई। गोलियों की वर्षा हो रही थी और वे घायलों को उठाकर ले आती थीं। वे खाटों पर 'क्रास' का चिन्ह लगाये हुई थीं और उन्हीं पर घायल व्यक्तियों को उठाकर कांग्रेस आफिस को ले जाती थीं। किंतु सरकारी फौजों ने इन खाटों को उठाकर चलनेवाली महिलाओं के ऊपर भी गोलियां चलायीं। कई स्वयंसेविकाएँ भी घायल हुईं। ४३ घायल व्यक्तियों को गहरी चोट लगी थी। श्री सुभाषचन्द्र सामंत तथा श्री खुदीराम बेरा घायल अवस्था में पकड़ लिए गये। खुदीराम पीछे चलकर वीरगति को प्राप्त हुए; किन्तु सुभाषचन्द्र पर अन्य पचास व्यक्तियों के साथ मुकदमा चलाया गाय। बहुत दिनों की हैरानी-परेशानी के बाद सेशन जज ने आखिर उन्हें छोड़ दिया।

सुताहाट की विजय

पूर्वनिश्चित कार्यक्रम के अनुसार प्रायः २९ अगस्त को प्रायः ४० हजार व्यक्तियों ने सुताहाट थाने पर पूर्व और पश्चिम से एक ही बार चढ़ाई कर कर दी। जुलूस के सिरे 'पर विद्युत वाहिनी-दल' के सदस्य तथा 'भगिनी-सेवा-शिविर' की सदस्याएँ थीं। थाने के कमांडर अफसर ने भीड़ को हट जाने का आदेश दिया। किंतु लोगों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कुछ

लोग थानेघर में घुस गए और पुलिस गोली चलाना चाह! ही रही थी कि उनके हथियार छीन लिये और उनको गिरफ्तार भी कर लिया। छः बंदूकें, कारतूस तथा दो तलवारें हाथ लगीं। थाने के पक्के घर में आग लगा दी गई और उसमें की सारी चीजें आग में झोंक दी गईं। इस समय दो हवाई जहाज थोड़ी ही ऊँचाई पर उड़ रहे थे। उन्होंने एक बम भी फेंका; किंतु सौभाग्यवश वह एक तालाब में गिर गया और किसीको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। इस बम-कांड के संबंध में पुलिस ने भी सेशन जज के सामने बतलाया कि हवाई जहाज से तरल आग जैसी कोई वस्तु गिराई गयी थी।

विजयी विद्रोही तब थाने के दूसरे हिस्सों में फैल गए और खास-महाल दफ्तर, रजिस्ट्री आफिस तथा यूनियन बोर्ड आफिसों को जला दिया। सब सरकारी अफसरों के साथ, जो गिरफ्तार किए गए थे, उत्तम व्यवहार किया गया। उन्हें अपने घर पहुंचने तक का किराया मिला और वे छोड़ दिये गये।

नंदीग्राम

३० अगस्त को प्राय: दस हजार विद्रोहियों ने नंदीग्राम थाने पर आक्रमण किया। हतियारबंद सैनिकों ने उनपर गोली चलाई। चार व्यक्ति तो वहीं मारे गये तथा एक की मृत्यु पीछे चलकर तामलुक अस्पताल में हुई। १६ व्यक्ति घायल हुए। विद्रोही लोग इस पर पीछे हट गए उन लोगों ने अफीम और पट्टुए की दूकान में आग लगा दी तथा डेट सेटिलमेंट आफिस (Debt Settlement Office) को बरबाद कर दिया। महिषादल राज के रियाला स्थित कचहरी घर तथा वहां के पोस्ट आफिस भी जला दिये गए।

सरकारी नृशंसता

काले और गोरे कई सौ सिपाही बाहर से बुला लिए गए और अनेक फौजी छावनियां स्थापित की गई। इन चौकियों से फौज बाहर छापा मारने निकला करती थी। वे बस्तियों पर आक्रमण करने लगीं, लोगों का घर जलाने लगीं तथा औरत, मर्द, बच्चों पर नाना प्रकार के जुल्म ढाने लगीं। इनके अत्याचार के सामने नाजियों की नृशंसता भी पीछे पड़ जाती है इतना होने पर भी फौजों की ये टोलियां लोगों से इतनी आतंकित रहती थी कि वे सदा झुंड में आतीं और उत्पात मचाकर रात होने के पहले ही भाग जातीं।

कांग्रेस कार्यकर्त्ता शांति और अमन-चैन लाने का प्रयत्न कर रहे थे और बस्तियों में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना चाहते थे इसी बीच इस जिले में भयंकर तूफान आया जिससे उन लोगों के काम में बड़ी बाधा पड़ी।

'४२ के १६ अक्तूबर को भयंकर तूफान आया जिससे सम्पूर्ण सब-डिवीजन को अत्यन्त गहरी क्षति उठानी पड़ी। प्रायः १०००० आदमियों तथा ७५ प्रतिशत मवेशियों की जानें गईं थीं। तामलुक के एस० डी० ओ० के मुताबिक ३८३७ व्यक्ति मारे गए, १०७२ जख्मी हुए, ६८१९३ मवेशी नष्ट हुए, ११०३४६ घर बरबाद हुए और ७३९५८ मकान क्षतिग्रस्त हुए। दो स्टीमर तथा कई नावें भंवर में पड़ गईं। प्रायः सारी सड़कें नष्ट हो गईं—कई ऐसी नष्ट हो गईं कि वे मरम्मत नहीं की जा सकतीं। नदी की बांध ११० मील तक टूट गई; २१५११४९ एकड़ जमीन की ५० प्रतिशत फसल नष्ट हो गई।

सरकारी दुख

तामलुक के एस० डी० ओ० के पास तूफान की पूर्व-सूचना तार द्वारा कलकत्ते से तीन बार मिली। किंतु उसने इस सूचनाको बाहर भेजने तथा

जनसाधारण को इससे आगाह हो जाने के लिए कुछ भी नहीं किया। यहां तक कि जिस रात तूफान आया, लोगों ने उससे मिलकर कर्फ्यू आर्डर हटा लेने का प्रार्थना की, उसने एक न सुनी। लहर आने के समय नाव को स्वतंत्रतापूर्वक खेने की भी उसने इजाजत नहीं दी इसलिए लोग पेड़ पर या घर की छत पर चढ़ गए। इतना ही नहीं कि सरकार की ओर से यहां कोई मदद नहीं की गई, बल्कि किसी गैर-सरकारी सहायता कार्य भी एक महीने तक नहीं होने दिया गया। इस बीच सैकड़ों दिहाती उचित सहायता के अभाव में काल-कवलित हो गए। मारवाड़ी-रिलीफ-सोसाइटी के एक कार्यकर्ता यहां पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और सहायता के लिए लाया गया चावल वहां के अफसर अपने काम में लाये। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट दी कि मिदनापुर जिले के राजनीतिक द्रोहियों ने बहुत से उत्पात के काम किए है; इसलिए उन्हें इस संकट को भुगतने देना चाहिए। से श्री युत श्यामाप्रसाद मुकर्जी का इस सबन्ध में इस प्रकार का कथन है—'डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने पीड़ितो के सहायतार्थ कुछ नहीं किया, क्योंकि उसकी समझ में विद्रोहियों को अपनी करनी का प्राकृतिक दंड मिल रहा था और एक उत्तरदायी अफसर का ऐसे अवसर पर जो कर्त्तव्य है, उससे वह सर्वथा पृथक रहा। उसकी मनोवृत्ति की झलक हम लोगों को उस समय मिली जब उसने विद्रोहियो के उत्पात की रिपोर्ट भेजी थी जिसमें उसने लिखा था कि इन विद्रोहियों की सहायता से सरकार को पृथक ही नहीं रहना चाहिए, बल्कि किसी भी गैर-सरकारी दल को इनकी सहायता के लिए यहां आने की भी इजाजत नहीं मिलनी चाहिए।'

—(देखिए, १८ फरवरी, '४३ के दिन का डाक्टर एस० पी० मुखर्जी का बंगाल व्यवस्थापिका सभा का भाषण) समाचार पत्रों पर किसी प्रकार का मिदनापुर-संबन्धी समाचार प्रकाशित करने की रुकावट हो गयी। १७ दिन पश्चात् एक अति संक्षिप्त विवरण, जो इस महान् संकट का एक

थी और वह उनके अनुकूल कार्य करते थे। सर्वाधिकारी को यह अधिकार था कि वह सब डिवीजन की कांग्रेस कमेटी की सम्मति लेकर भिन्न-भिन्न विभागो के लिए मन्त्रियों को नियुक्त करें। वह स्वयं युद्ध मंत्री थे। दूसरे विभाग थे—कानून और शांति, स्वाथ्य, शिक्षा, शासन न्याय, कृषि तथा प्रोपेगडा और प्रत्येक विभाग एक-एक मत्री के अधीन में था।

'ताम्रलिप्त जातीय सरकार' की स्थापना १७ दिसम्बर, '४२ को हुई और २६ जनवरी' ,४३ को यह सुताहाट, नंदीग्राम, महिषादल और तामलुक में उसकी शाखाएं खुलीं।

विद्युत्-वाहिनी

'विद्युत्-वाहिनी का निर्माण सर्वप्रथम महिषादल में हुआ। पीछे तामलुक तथा नंदी ग्राम में भी संगठित की गई। प्रत्येक विद्युत्-वहिनी में एक जेनरल कमांडिंग आफिसर तथा एक कमानडैन्ट रहते थे। यह निम्नलिखित भागों में विभक्त थी—(१)युद्ध शाखा (२) समाचार शाखा (३) सहायता विभाग।

पूर्णशिक्षित डाक्टर, कम्पाउन्डर, सवारी ढोनेवाले जत्थे तथा सेवा-सुश्रूषा करने वाले सहायता विभाग में थे। सरकार की ओर से प्रकाशित पुस्तिका' Some facts about the Disiurbance in india —'42—43" में इसके सम्बन्ध में निम्न लिखित बातें कही गई हैं—

'बंगाल सूबे के मिदनापुर जिले में विद्रोहियों के कार्य-कलाप से प्रकट होता था कि उनके कार्य पूर्व-निश्चित योजना के अनुसार चल रहे थे। उनके पीछे गम्भीर चिन्तन तथा दीर्घदृष्टि नजर आती थी। चेतावनी भेजने के उनके तरीके सर्वथा मौलिक थे। किसी बात को फैलाने तथा किसी गुप्त योजना को कार्यान्वित करने के उनके ढंग स्पष्टतः पूर्व-निश्चित संकेतों के अनुसार थे।

जातीय सरकार 'विद्युत्–वाहिनी' को राष्ट्रीय सेना समझती थी। उसकी निम्नलिखित शाखाएं पीछे खुलीं—(१) गुरिल्ला विभाग (२) सिस्टरों की सेना तथा (३) शांति और कानून विभाग। इस अन्तिम विभाग ने मशहूर डाकुओं तथा चोरों को गिरफ्तार किया, जो उत्पात मचाने के लिए स्वतन्त्र छोड़ दिए गए थे। इन डकैतों और चोरों के मामले जातीय सरकार के समक्ष उपस्थित किए गए और कानून के अनुसार उनको दन्ड मिला।

सब डिवीजन के प्रसिद्ध नेता श्री सतीशचंद्र सामंत ताम्रलिप्त जातीय सरकार के प्रथम सर्वाधिनायक थे। इनके नेतृत्व में जातीय सभा काफी लोकप्रिय हो गई। दूसरे अन्य सर्वाधिनायक थे - श्री अजेयकुमार मुखर्जी, श्री सतीसचन्द्र साहू, श्री वरदाकांत कुइटी।

जातीय सभा भंग

२९ जुलाई तथा ६ अगस्त, ४४ के दिन महात्माजी ने जो वक्तव्य प्रकाशित कराया उससे सब-डिवीजन भर के कार्यकर्त्ताओं को एक नया प्रकाश मिला। चौथे अधिनायक श्री वरदाकांत कुइटी ने ८ अगस्त, '४४ को जातीय सभा को भंग करने का आदेश दिया। दूसरे ही दिन वह गिरफ्तार हो गए। तत्कालीन कांग्रेस कमेटी के प्रधान मन्त्री श्री सुशीलकुमार धार ने १ सितंबर से जातीय सभा के कार्यक्रम को समाप्त कर देने का आदेश निकाला। 'विद्युत्–वाहिनी' भंग कर दी गई। २९ सितंबर, '४४ अंदर ही १५० कार्यकर्ताओं ने महात्माजी के आदेशानुसार आत्मसमर्पण कर दिया।

सरकारी अत्याचारों का विवरण

पुलिस ने केवल महिषादल में ६ स्थानों में ९ बार गोलियां चलाईं, तामलुक में ४ स्थानों पर ४ बार तथा सुताहाट में दो स्थानों पर दो बार।

उन स्थानों में क्रमशः १६, १२, १४ और २ व्यक्ति मरे; ५२, १५, २४, और ६ घायल हुए। घायलों की ठीक संख्या का पता लगाना असंभव था। मृतकों में एक ७३ वर्षीया वृद्धा थी और ६ लड़के थे जिनकी अवस्था १२ से १६ वर्ष के अंदर रही होगी। लाठी-चार्ज कितनी बार हुए, कोई ठिकाना नहीं। किन्तु सिर्फ लाठी-चार्ज से ही कहीं भी भीड़ तितर-बितर नहीं हो सकी और न लोगों का उत्साह ही खतम हुआ। लाठी-चार्ज अथवा गोली से कहीं भी जो कोई घायल हुआ और पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो उसे किसी प्रकार कि सहायता नहीं मिली। उचित देखभाल के अभाव मे कई घायल व्यक्ति पुलिस अस्पताल में मर गए।

स्त्रियों पर अत्याचार

७४ स्त्रियों पर बलात्कार किया गया। उनमें कितनी ही गर्भवती थीं तथा एक की उसी समय मृत्यु हो गयी।

बलात्कार करने के अनगिनत प्रयत्न किये गए। कई स्थानों पर तो स्त्रियों ने भाग कर अपनी जान बचाई। अधिकांश स्थानों पर स्त्रियां झुंड में रहती थीं और सम्मिलित उद्योग से अपने को बचा लेती थीं। कई स्त्रियां अपनी रक्षा के लिए अपने साथ कटारी रखती थीं। कटारी को देखती ही कई स्थानों पर ये पशु भाग खड़े होते थे।

९ जनवरी, १९४३ को ६०० सिपाहियों ने महिषादल थाने की तीन बस्तियों, मसेरिया, दिलीमसुरिया और चांदीपुर, को घेर लिया। उन्होंने घरों पर आक्रमण किया। लुटी हुई चीजों से संतुष्ट नहीं होने पर उन्होंने एक ही दिन में ४२ स्त्रियों पर बलात्कार किया। श्री बी० आर० सेन, आई० सी० एस० इस कांड की जांच को आये थे, किन्तु इसका कुछ परिणाम नहीं निकला। कुछ भुक्तभोगियों के बयान नीचे दिए गए हैं।

स्त्रियों के साथ थोड़ी-बहुत छेड़खानी के तो अनेक उदाहरण हैं। गहना छीनना, कान की बाली नोच कर कान को जख्मी कर देना, बूढ़ी

तथा जवान लड़कियों को चाबुक से मारना आदि इस प्रकार की अनगिनत बातें मिलती हैं।

३० अक्टूबर '४२ के दिन पुलिसों ने सुताहाट थाने के प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता श्री जनार्दन हजारा के घर में आग लगा दी। लोगों ने उनके घर में बँधे पशुओं को बाहर निकालना चाहा, किंतु पुलिसों ने ऐसा नहीं करने दिया। फलस्वरूप ५ गाएँ, ५ बकरे, १ बिल्ली, १ मुर्गा जल गए।

पुरुषों पर अत्याचार

पुरुषों पर नाना प्रकार के अत्याचार किये गये। सैकड़ों दिहातियों को बहुत-बहुत दूर ले जाकर बिना भोजन-पानी के छोड़ दिया जाता था। जाड़े की सर्द रातों में उनके कपड़े निकालकर देह पर सर्द पानी डाला जाता था—अनेक को निर्दयतापूर्वक पीटा गया। कई तो ऐसे पीटे गए कि वे मूर्च्छित होकर गिरे जाते थे। सुताहाट की रामनगर बस्ती के रहने वाले श्रीमन्मथ लश्कर को इतना पीटा गया कि उनके पेशाब की राह से खून निकल आया।

एक यूरोपियन पुलिस आफिसर ने अत्याचार का एक नया तरीका निकाला। पीटते-पीटते जब आदमी गिर गया तो उसके पाखाने के रास्ते में लकड़ी डालकर उसे इधर-उधर घुमाया गया। ऐसे भुक्तभागी व्यक्तियों का बयान भी नीचे दिया जायगा। २७ मार्च, ४४ को सुताहाट थाने के हटीबेरिया के रहनेवाले श्रीचुन्नीलाल बेरा को पीट-पीटकर गिरा दिया गया और उसके बाद उनकी उपस्थेंद्रिय पर सोडा और चूना डाल दिया गया। बेचारा इस अत्याचार को सहन नहीं कर सका और बौंड पर हस्ताक्षर करके छुटकारा पा गया।

इस सब-डिवीजन में प्रायः दो हजार व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। बहुत से व्यक्ति हाजत में लंबी अवधि तक रहने के बाद रिहा हुए। अनेक को एक वर्ष से अधिक इसी हालत में रहना पड़ा। तामजुक लोकल

बोर्ड के चेयरमैन सुताहाट यूनियन बोर्ड नं०४ के सभापति सुताहाट कांग्रेस कमिटी के मंत्री तथा जिला कांग्रेस कमिटी के सभापति बिना सजा सुनाए हा जेल में वर्षों सड़ते रहे। कई व्यक्तियों को नोटिस दी गई कि वे कभी एक बार कभी अनेक बार प्रति सप्ताह थाने में हाजिरी दें। कई ने इस नोटिस को नहीं माना और वे गिरफ्तार भी हुए।

सब-डिवीजन में १२४ घर जलाए गये जिससे १३९००० रुपये का नुकसान हुआ। राष्ट्रीय-सेना-शिविर, खादी-केंद्र, स्कूल के मकान भी जलाए गये। कहीं कहीं मिट्टी तेल तथा पेट्रोल डालकर आग लगाई जाती थी। ४९ मकानों की छतें तोड़ दी गईं, जिसमें ४०७५ रुपये का नुकसान हुआ। १०४४ मकान लुटे गए और नुकसान २१२७९५ रुपये का हुआ। सरकारी फौज घर में जाँच करने घुसती थी और सोने-चांदी के गहने, कीमती बिछावन, बरतन, सूटकेश इत्यादि लूट लेती थी। २३ मकानों पर उन्होंने जबर्दस्ती कब्जा कर रखा था, इनमें हाइस्कूल, बिड़ला स्कूल तथा ट्रेनिंग स्कूल भी शामिल हैं।

सब-डिवीजन से १९०००००० रुपये सामूहिक कर के रूप में वसूला गया। सुताहाट थाने के ११ यूनियनों से ५०००० रुपये, नंदीग्राम थाने से ५०००० रुपये १५,८,१४ यूनियनों को छोड़कर महिषादल से ५०००० रुपये (१,२,३ नं० यूनियनो को छोड़कर) तामलुक थाने से २५००० रुपये (१,२,३,४,११ तथा १२ यूनियनों को छोड़कर) तथा पमकुरा थाने से १५००० रुपये।

५७३० मकानों की तलाशी ली गई। इस कार्य में १५ से ८० हथियारबंद सिपाही रहते थे। बहुत-सी चीजें वे ले जाते थे, सूची में लिखते नहीं थे। घर के मालिक को वारंट भी नहीं दिखाया जाता था। सब-डिवीजन भर में प्रायः दस लाख रुपये की क्षति पहुंची। बस, नावें, साइकिल आदि मकानो की नालामी, घर को जलाना तथा लूटना आदि

भी उपर्युक्त संभाव्य कीमत में शामिल हैं । कई व्यक्ति तो राह के भिखारी बन गए ।

विशेषकर हिंदू ही इस अत्याचार के शिकार बने । अनेक स्थानों पर उनकी धार्मिक पुस्तकें, देवी-देवताओं की मूर्तियां तोड़-फोड़ डाली गईं तथा पैरों तले रौंदी गईं ।

गैर-कानूनी घोषित संस्थाएँ

(१) तामलुक सब-डिवीजन कांग्रेस कमेटी
(२) तामलुक थाना कांग्रेस कमेटी
(३) बासुदेवपुर कांग्रेस आफिस
(४) फ्रेंड्स क्लब
(५) विद्युत वाहिनी
(६) सुताहाट कांग्रेस वलंटियर्स कोर
(७) महिसादल कांग्रेस वलंटियर्स कोर
(८) खोदाबाड़ी थाना कांग्रेस शिविर
(९) तरपेखिया बाजार कांग्रेस शिविर
(१०) खेकुटिया बाजार कांग्रेस शिविर
(११) चौंगीपुर कांग्रेस कैंप
(१२) केशापथ कांग्रेस आफिस
(१३) कोलाघाट कांग्रेस आफिस
(१४) मोयाना थाना कांग्रेस कमिटी
(१५) सिरामपुर वालंटियर कोर
(१६) गरम दल
(१७) ताम्रलिप्त जातीय सरकार

५ नवंबर' ४२ के दिन सरकार ने मिदनापुर जिला कांग्रेस कमेटी तथा उसकी शाखा-कमीटियों को गैर-कानूनी घोषित किया।

२९ सितम्बर' ४२ को विद्रोही आक्रमण के बाद सब-डिवीजन भर की बन्दूकें छीन ली गईं और केवल राजभक्तों को ही बन्दूकें लौटाई गईं।

कुछ स्त्रियों के बयान

१. मैं, सिंघवाला श्री अमरचंद्र पैती की पत्नी हूँ। मेरा मकान महिषादल थाने में चाँदीपुर बस्ती में है। उम्र मेरी १९ वर्ष की है। ९ जनवरी ४३ को प्रायः साढ़े नौ बजे दिन में एक पुलिस अफसर मेरे घर पर आया, उसके साथ हथियार-बंद सिपाहियों का एक जत्था था। उन्होंने मेरे पति को पकड़ लिया और उन्हें दूर ले गए और मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। मैं बेहोश हो गई। मेरे साथ यह दूसरी बार बलात्कार किया गया है।

(इस स्त्री के साथ २७-१०'-४२ को भी बलात्कार किया गया था। इस बार के बलात्कार से उसको भयंकर स्त्रीरोग हो गया और वह मर गई।)

२, मैं, महिषादल थाने की चांदीपुर बस्ती में रहनेवाले स्त्री हरिपद पंडित की पत्नी, खुदीबाला पंडित हूं। मैं तीन बच्चों की मां हूँ। ९ नवंबर, ४३ को प्रायः ९ बजे दिन में एक पुलिस अफसर मेरे घर में सिपाहियों के झुंड के साथ घुसा। अफसर के संकेत पर दो सैनिकों ने एक कपड़े से कसकर मेरा मुँह बाँध दिया और मुझे डराया कि अगर मैं हल्ला करूंगी तो वे मुझे गोली मार देंगे। दोनों सैनिकों ने एक-एक कर मेरे साथ बलात्कार किया। मैं बेहोश हो गई। होश में आने पर मैंने देखा मेरे पति खून से लथपथ थे। (यह स्त्री उस समय गर्भवती थी।)

३. मैं, मन्मथनाथ दास, जो महिषादल थाने के चांदीपुर नामक गांव के रहनेवाले है, की पत्नी हूं। मेरा नाम सुवासिनी दास है।

मेरे कोई सन्तान नहीं है। मेरी उम्र बीस साल की है। ९ जनवरी, ४२ को एक पुलिस अफसर मेरे घर पर सैनिकों के एक दल के साथ पहुंचा। उन सबों ने मेरे पति को पकड़कर दूर कर दिया। नलिनी साहा (पुलिस अफसर) के इशारे पर दो सैनिकों ने मेरे मुँह पर कपड़ा बांध दिया और चेतावनी दी कि अगर मैं चिल्लायी तो वे गोली मार देंगे। उन्होंने मेरे साथ जबर्दस्ती बलात्कार किया। मैं बेहोश हो गई।

४. मेरा नाम बसंतबाला है। मैं महिषादल थाने के दिर्ल ममुरिया नामक बस्ती में रहनेवाले श्री गिरीशचद्र मपास की पत्नी हूँ। मेरी अवस्था पचीस साल की है। ९ जनवरी,' ४३ को महिषादल का बड़ा दरोगा सैनिकों के एक झुंड के साथ मेरे यहां पहुंचा। वह मेरे पति को पकड़कर अलग ले गया। उन सबों ने मुझे पकड़ लिया; एक कपड़े से मेरा मुँह बाँध दिया और मुझ पर बलात्कार किया। मैं जब होश में आई तो मारे शर्म के फिर बेहोश हो गई।

इसी प्रकार के अनेक उदाहरण हैं।

कुछ पुरुषों के बयान

१. मैं बलुआघाट बाज़ार में सत्याग्रह करने गया। पुलिस मुझे गिरफ्तार कर सुताहाट थाने पर ले गई। शाम होने के बाद सिपाहियों ने मुझे ज़मीन पर गिरा दिया और मुझे एकदम नंगा कर दिया। उन्होंने मेरे पेशाब की इंद्रिय पर सोडा और लाइम मिलाकर छींट दिया। मैं इसे सहन नहीं कर सका और एक बोंड पर दस्तखत करके रिहाई पा ली।

—(हस्ताक्षर) छविलाल बेरा मु० हटीबेरिया
यूनियन न० ११, सुताहाट थाना, १ अप्रैल,' ४४

हार नहीं सकता मेरा मन

छोटे मोटे आघातों से
हार नहीं सकता मेरा मन।
नित्य नया जीवन पाने की
इच्छा का ही नाम मरण है।
पतझर का आना वसंत के
आवाहन का प्रथम चरण है।

भौंर रसालों के रस का
संदेश सुनाते घूम रहे हैं।
फूल-कणों की अभिलाषा में
मलयज का मुख चूम रहे हैं।

अब तक काली कोयलिया
डाली डाली पर डोलरही हैं,
अब तक विहग बालिकायें
ऊषा से होली खेल रही हैं,

नवयुग के सुन्दर विहान को
रोक नहीं सकते उलूकगण
छोटे मोटे आघातों से
हार नहीं सकता मेरा मन

जय राष्ट्र जननि

जय राष्ट्र-प्राण, जय राष्ट्र गीत
जय राष्ट्र जननि तव वंदन !
कोटि कोटि कंठों की भाषा,
कोटि कोटि प्राणों की आशा,
कोटि कोटि मन की अभिलाषा
कोटि कोटि अभिनंदन !
हिम शिखरों से वरुण-लहर तक गूंजे तेरी वाणी
ग्राम-ग्राम में नगर-नगर में तेरी जय कल्याणी
श्वास श्वास से प्रकटित
होता तेरा ही स्पन्दन !
तेरी विमल पताका उड़ कर अम्बर तक लहरावे
आज देश का जन-जन तव चरणों में शीश झुकावे
हिन्दी तू भारत-माता की
एक मात्र अवलम्बन !
जय राष्ट्र प्राण जय राष्ट्र गीत, जय राष्ट्र जननि तव वंदन !

२. १३-४-'४४ को मैं यूनियन नं० ४ की रामतरखा नामक बस्ती में सत्याग्रह करने गया। प्रायः सात बजे दिन में पुलिस अफसर ने मुझे गिरफ्तार किया और मुझे एक झोपड़ी के अन्दर ले गया। वहां उन्होंने मुझे अनेक प्रकार की यंत्रणाएं दीं। मुझे एकदम नंगा कर दिया गया और बेरहमी से पीटा गया। उसके बाद मुझे दोनों पैरों को अलग-अलग करके खड़ा किया गया और मेरे पाखाने के रास्ते में अंगुली डालकर वे इधर-उधर घुमाने लगे। मुझे बेहद पीड़ा हुई। वे इस प्रकार प्रायः १०-१५ मिनटों तक करते रहे।

—(हस्ताक्षर) खुदिराम कुतिया
५० बिरिंची बसन, महिषादल थाना,
१८ मई, '४४

कुछ स्वयं बोलते चित्र

गोलियों के शिकार:—

दानीपुर (महिषादल थाना)

(तीन मृत ४-९-'४२ के दिन)

१—शशिभूषण मना	१८ वर्ष	बार अमृतबेरिया
२—सुरेंद्रनाथ कार	२८ वर्ष	"
३—धीरेंद्रनाथ दिगर	३२ वर्ष	तिलकपुर

ईश्वरपुर (नंदीग्राम थाना)

(दो मृत, तीन घायल २७-९-'४२)

४—नरेंद्रनाथ मंडल	३२ वर्ष	गौरचक्र
५—बानू राना	५४ "	बामूनारा
६—मुदानाथ शामू	३५ "	"
७—गोविंदचद्र दास	४० "	कुलुप

बृंदावनपुर (नंदीग्राम थाना

(दो मृत तीन घायल)

८—गौरहारी कमिला	१६ वर्ष	बजावरिया
९—गुनाधर साहू	३५ ,,	धन्यासरी

महिषादल थाना

(१३ मरे ५३ घायल ता० २९-९-४२)

१०—भोलानाथ मैती	३६ वर्ष	चकसोचक
११—श्री हरिचरण दास	३२ ,,	,,
१२—आशुतोष कुतिया	१८ ,,	माधवपुर
१३—सुधीरचंद्र हाजरा	२७ ,,	कारक
१४—प्रसन्नकुमार भूनिया	४४ ,,	राजरामपुर
१५—पंचानन दास	३९ ,,	हरिखाली
१६—द्वारकानाथ साहू	५७ ,,	ताजपुर
१७—गुणाधर हडेल	४० ,,	खडका
१८—सुरेंद्रनाथ मैती	२७ ,,	नईगोपालपुर
१९—सुधींद्रनाथ मैती	१६ ,,	सुंदरा
२०—जोगेंद्रनाथ दास	३५ ,,	सुंदरा
२१—राग्वालचद्र सामंत	२८ ,,	कुगरा
२२—खुदीराम बेरा	३० ,,	चिरहीमारी

तामलुक नगर—संकरारा पुल

(१० मृत, २२ घायल ता० २९-९-४२)

२३—उपेंद्रनाथ जान	२८ वर्ष	कखांचो
२४—पूर्णचद्र मैती	२४ ,,	धरोआई
२५—रामेश्वर बेरा	४१ ,,	कियाखालो

२६—विष्णुपद चक्रवर्ती	२५ ,,	निकासी
२७—श्रीमती मतंगिनी हाजरा	७३ ,,	अलिनान
२८—नगेंद्रनाथ सामंत	३३ ,,	,,
२९—लक्ष्मीनारायण दास	१२ ,,	माथुरी
३०—जीवनकृष्ण बेरा	१८ ,,	,,
३१—पूरीमाधव प्रामाणिक	१३ ,,	दरिबेरा
३२—भूषणचंद्र जान	३० ,,	बहादुरपुर

नंदीग्राम थाना

(५ मरे १६ घायल ३०-९-'४२)

३३—बिहारीलाल करणु	२२ वर्ष	आम्रताल
३४—शेख अलाउद्दीन	४० ,,	मुहम्मदपुर
३५—पुलिनबिहारी प्रधान	२५ ,,	साउधखाली
३६—बिहारीलाल हाजरा	२४ ,,	हरिपुर
३७—परेशचद्र गिरि	३० ,,	बहादुरपुर

बासुदेवपुर (सुतोहाट थाना)

(१ मरा और ६ घायल ६–१०–'४२)

३८—ब्रजगोपाल दास	१७ वर्ष	पाना

पूर्वलक्ष्म (तामलुक थाना)

(२ मरे और २ घायल ६-१०-४२)

३९—विपिनबिहारी मंडल	३२ वर्ष	किस्मत-पुतपुतिया
४०—चंद्रमोहन दिंदा	१९ ,,	किस्मत-पुतपुतिया

गोलपुकुर नंदीग्राम थाना

(१ मरे ३ घायल ८-१०-४२)

४१—मुचीराम दास	४० वर्ष	बिरोलिया

श्री कृष्णापुर में

(१ घायल ता -१९-२-४३)

स्त्रियों के नाम, जिनके साथ बलात्कार किया गया

नाम	उम्र	वासस्थान	तिथि	गुंडों की संख्या
(सुताहाट थाना)				
१—कमलावाला दोलाई	१६	दिउलपोत	६ १-४३-२	
२—६ (जिनके नाम व्यक्त नहीं किए जा सकते)				
(तामलुक थाना)				
७ ट्रेन में (जनाना डब्बे मे)	१८	मेछदा स्टेशन	६-१० '४२	१
८—,, ,,	३०	,,	,,	१
९—,, ,,	३६	बरगछिया	९-१०-४२	१
(नंदीग्राम थाना)				
१०—श्यामाचंद दास की पत्नी	२५	पुरुषोत्तमपुर	१-१०-'४२	२
११—विनोदिनी दास	२८	दिही कासिमपुर	११-१०-४२	
१२—मनींद्रजान की पत्नी	२२	भगवस्वामी	,,	
१३—एक स्त्री	२९	रानीचक	१३-१२-'४२	
१४—सैलबाला दासी	२०	कॉढ़ परसा	१८-१-४३	
१५—१८(नाम नहीं बतलाया जा सकता)				
(महिषादल थाना)				
१९—चारुबाला कर्ण	५०	लक्षम	२६-१० '४२	१
२०—कनला भौमिक	२२	चाँदपुर	२७-१०-,४२	१
२१—चारुबाला हाजरा	२५	चांदपुर	२७-१०-४२	१

२२—कुसुमकुमारी हाजरा ,, ,, १
२३ – सिंधवाला मैती २१ ,, ,, २

(एक बार पुनः बलात्कार और उससे मृत्यु)

२४ - एक स्त्री २० चूनाखासी १–१–४२ १
२५—एक विधवा २५ तेयिलबेरा ३–१–४३ १
२६—गुणाधार मर्झी की पत्नी पूरब श्रीरामपुर २१–४–४३. १
२७—काननवाला मैती मसुरिया ९–१–४३ १
२८ किशोरीवाला कुइल १९ ,, ,, २
२९ – हिरनवाला कुइल १७ ,, ,, ३
३० – देवानी बेरा २४ ,, ,, २
३१—चारुवाला दास १४ ,, ,, २
३२ अंबिकावाला मैती १६ ,, ,, १
३३ —राजवाला बेरा १५ ,, ,, १
३४—कुसुमकुमारी बेरा ३२ ,, ,, १
३५—भागीवाला देई १९ ,, ,, २
(विधवा)
३६ – तुकुवाला बेरा १६ ,, ,, ३
३७—रासमणिपाल १५ ,, ,, १
३८—किरणवाला कुइल २६ ,, ,, १
३९—शैलुवाला २२ ,, ,, १
४०—चिकनवाला मण्डल १६ ,, ,, २
४१ – किरनबाला गयान १९ ,, ,, २
४२ - स्नेहलता डिंडा १६ ,, ,, १
४३—पंतवाला बार. २९ ,, ,, १
४४—रायमणि परिया ३० ,, ,, १

४५—किरणबाला सीथ	३२	,,	,,	२
४६ सुशीलाबाला पाल	२२	,,	,,	२
४७—द्रौपदी मांजी	२४	,,	,,	१
४८—नीरदबाला देई	३५	,,	,,	२
				(विधवा)
४९—शैलबाला मैती	२२	,,	,,	३
५०—प्रमदाबाला भौमिक	२५	चाँदपुर	,,	३
५१—चारुबाला हाजरा	२४	,,	,,	२
५२—सबापति भौमिक	२४	,,	,,	३
५३—प्रभावती भौमिक	२१	,,	,,	२
५४—करुणाबाला भौमिक	२१	,,	,,	१
५५—प्रमिलाबाला भौमिक	२०	,,	,,	२
५६—राजबाला भौमिक	२५	,,	,,	२
५७ स्नेहलता मुखर्जी	२५	,,	,,	२
				(विधवा)
५८—सुभाषिणी दास	२०	,,	,,	,,
५९—क्षुदिबाला पंडित	२४	,,	,,	,,
				गर्भिणी
६०—जशोमती मैती	२८	,,	,,	२
६१—सत्यबाला सामंत	४१	दिही मसुरिया	,,	२
६२—विमला सामंत	२४	,,	,,	२
६३—इगदा बाद	२८	,,	,,	२
६४—गुणीबाला बर	३१	,,	,,	२
६५—कमलाबाला मैती	१७	,,	,,	२
६६—रायकिशोरी बर	२२	,,	,,	२

६७—नीरोदबाला वर	२२	,,	,,	१
६८—पुंतीबाला वर	२७	,,	,,	२
६९—गंगांबाला देई	१६	,,	,,	२
७०—अहिंसा बाला	१६	,,	,,	
७१—बसंतबाला		,,	,,	
७२—सिंधुबाला मैती	१९ चांदीपुर		,,	१

एक बार पूर्व भी इसके साथ बलात्कार हुआ।
(यह स्त्रीरोग से चल बसी।)

७३—सत्यबाला देई	१८	५-२-'४४	२

आसाम में अगस्त-क्रांति की लहर

जङ्गली सुअर की भांति मनुष्य को किर्चें भोंक कर मारा गया !

दो दिन के मासूम बच्चे की हत्या !!

—:❀:—

सामूहिक आंदोलन

सिपाही विद्रोह में ब्रिटिश हुकूमत को जड़ से उखाड़ कर फेंक देने की चेष्टा में सहयोग देने वाले और अन्त में उस अपराध (?) के लिए हँसते-हँसते फाँसी की रस्सी को स्वयं अपने गले में डाल लेने वाले 'मनीराम दीवान' का आसाम भी सन् १९४२ की क्रांति में चुपचाप न बैठा रहा।

बम्बई में नेताओं की गिरफ्तारी के करीब-करीब साथ ही आसाम के नेता, प्रेसीडेन्ट मौलाना तयबुल्लाह, मि० एफ० ए०.अहमद, श्री युत बी० आर० मेधी, श्रीयुत डॉ० शर्मा आदि, ९ अगस्त को गिरफ्तार कर लिए गए। श्रीयुत बारदोलाई और श्रीयुत एन० शर्मा ने, जो अखिल भारतीय

काँग्रेस कमेटी की बैठक में शामिल होने बम्बई गए हुए थे, ज्यों ही डुबरी में आसाम की जमीन पर पैर रक्खा कि वे भी कैद कर लिए गए। और इसके बाद तो लीडरों और कांग्रेस से सम्बन्ध रखने वाले खास-खास लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर हिरासत में ले लिया गया।

समानान्तर सरकार

इन गिरफ्तारियों की खबर आसाम के गांवों में बिजली की तरह फैल गई और नागरिकों की भांति ग्रामीणों ने भी, बहुत उत्साह और विश्वास के साथ आजादी पाने के लिए, बहुत बड़े पैमाने पर अपना संगठन किया। यह बात सच है कि जब शहर वाले ग्रामीणों को अधिकारियों के विरुद्ध संगठित करने के लिए, देहातों में पहुचे तो उन्हें यह देखकर चकित रह जाना पड़ा कि गांव के लोग तो पहले से ही कमर कसे तैयार बैठे हैं और सिर्फ हुक्म का इन्जार कर रहे हैं।

थाना या पुलिस स्टेशनों और भारत में ब्रिटिश हुकूमत की प्रतीक अन्य ऐसी जगहों पर ही आंदोलन कारियों का पहले ध्यान गया। जनता की 'समानान्तर सरकार' (Parellel Government) की स्थापना के विचार ने आग में घी का काम किया। थानों पर किए गए आक्रमण प्रायः अहिंसात्मक और शांतिपूर्ण रहे, यद्यपि कानून और अमन के तथा-कथित ठेकेदारों ने इसका जवाब किचों और गोलियों से दिया, जिसके फलस्वरूप कितनी अमूल्य जानें नष्ट हुईं।

एक दम निहत्थी और शांतिपूर्ण जनता द्वारा दरांग जिले के ढेकिया-जुली, बेहाली, गोहपुर के थानों पर किए गए आक्रमण इतिहास में अमर रहेंगे! प्रायः होता ऐसा था कि मर्द, औरत, लड़के और लड़कियां कई-कई मीलों से जुलूस बनाकर आते, उनके हाथों में राष्ट्रीय झण्डा रहता और नारे लगाते हुए वे घुसने की चेष्टा करते थानों में।

एक हमारा ऊंचा झंडा

एक हमारा ऊँचा झंडा एक हमारा देश!
इस झंडे के नीचे निश्चित एक अमिट उद्देश्य!
हमारा एक अमिट उद्देश!
कोटि कोटि कंठों में कूजित एक विजय उल्लास,
मुक्त पवन में उड़ उठने का एक अमर अभिलास;
सब का सुदित, सुमंगल सब का नहीं बैर विद्वेस,
एक हमारा ऊँचा झण्डा एक हमारा देश;
हमारा एक अमिट उद्देश!
कितने वीरों ने कर कर के प्राणों का बलिदान,
मरते मरते भी गाया है इस झण्डे का गान;
एक हमारी सुख सुविधा है एक हमारा क्लेश,
एक हमारा ऊंचा झण्डा एक हमारा देश!
हमारा एक अमिट उद्देश!
फहर उठे ऊंचे से ऊंचा यह अविरोध उदार,
लहर उठे जन जन के मन में सत्य अहिंसा प्यार;
अगनित धाराओं का संगम मिलन तीर्थ संदेश,
एक हमारा ऊंचा झण्डा एक हमारा देश!
सुने सब एक हमारा देश!

विजय-ध्वजा फहराये

मेरी विजय ध्वजा फहराए !

नीले आसमान में अपनी रंग विरंगी छटा दिखाए !
तूफानों में मैं मुस्काऊँ लपटों में बढ़ता जाऊँ,
मेरे नव साहस के स्वर में गरज गरज कर गंगा गाए !
गरजें मेरा गरजन सुनकर मेरे सप्त सिंधु प्रलयंकर,
दानव की दुनियां में जाकर मेरा महाकाल इठलाए !
मेरे स्वर में कहे हिमालय जननी जन्म भूमि की जय २,
मेरी विजय देखकर मेरा हिमगिर फूला नहीं समाए।
नन्हा सा यह हाथ हमारा जो मेरी जननी को प्यारा,
आगे बढ़कर जयजय ध्वनिमें विनयमुकुट मां को पहनाऊं !

आसाम प्रान्त
तिब्बत
लेखक:—

पदेन सदस्य

१. श्री पुष्पलता दास एम० ए०, तेजपुर, आसाम ।

२. श्री विष्णुराम मेधी, माल मंत्री, शिलांग ।

३. श्री शङ्करचन्द्र बरुआ, गोलाघाट ।

४. श्री महेन्द्रनाथ हजारिका, रोहा, नवगांव ।

५. श्री हरेश्वर गोस्वामी, बारिस्टर, गौहाटी ।

६. श्री खगेन्द्रनाथ नाथ, ग्वालपाड़ा ।

७. श्री फखरुद्दीन अली अहमद बारिस्टर, गौहाटी ।

८. मौलाना मुहम्मद तैयबुल्ला, गौहाटी ।

९. रेवरेण्ड जे० जे० एम० निकोल्स राय, मंत्री शिलांग

पुलिस राज

आसाम की पुलिस को खुलकर खेलने का मौका दिया गया। इस बीच उन्होंने एक पुलिस-राज-सा कायम कर लिया और निरीह जनता पर तरह-तरह के अनुमासिक जुल्म ढाए। लियोपोल्ड अमेरी ने उनकी पीठ जो ठोकी तो 'बागियों' का विनाश करने के लिए उनके हृदय में और भी अधिक उत्साह भर गया। सभी कांग्रेसी एम० एल० ए० जेलों में ठूँस दिए गए थे। अतः सर मुहम्मद सादुल्ला की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग पार्टी को आसानी से अधिकार प्राप्त करने का अच्छा मौका मिल गया। २५ अगस्त सन् १९४२ को वे सचमुच अधिकारारूढ़ हो गए और उन्होंने ऐसे-ऐसे कर्म किए जो भारतीय- इतिहास में अमर रहेंगे! एक मिनिस्टर महोदय ने मि० अमेरी के शब्दों को दुहराया और आंदोलन को दबाने में दिखाई गई पुलिस की राजभक्ति की उन्होंने भूरिभूरि प्रशंसा की। पुलिस को इससे नया उत्साह मिला और फलस्वरूप उसने और भी तीव्रता से दमन—चक्र चलाया।

कनकलता और तुलेश्वरी जैसी नौजवान लड़कियों की हत्या के अतिरिक्त २४ फरवरी सन् १९४३ ई० को जोरहाट जेल में, जहां राजबंदी अपने अपने पिंजरों में बन्द थे, लाठी चार्ज किया गया; जिसके फलस्वरूप १८० जेल बन्दी बुरी तरह से घायल हुए। मनुष्य की बर्बरता का यह एक ज्वलन्त उदाहरण है।

निहत्थी जनता पर पुलिस और मिलिटरी का आक्रमण, क्रूर सामूहिक जुर्माने और उन्हें वसूलने के लिए अख्तियार किए गए अमानुषिक ढंग तथा नौकर शाही द्वारा फैलाए गए आतंक ने आग की लपटों को और भी प्रज्वलित कर दिया। इसका स्वाभाविक नतीजा यह हुआ कि जनता के दिमाग में यह बैठ सा गया कि भारत को गुलाम बनाए रखने का अंग्रेजों को कोई नैतिक—अधिकार नहीं है। प्रायः सम्पूर्ण आसाम ब्रिटिश—हुकूमत

से ऊब-सा उठा था। इसका पता इस बात से साफ-साफ लग जाता है कि सभी प्रदर्शन, हड़ताल, सभाएँ आदि हमेशा पूर्णतया सफल रहीं और उनमें सभी वर्ग की जनता ने स्वेच्छासे सहयोग दिया। जुलूस, हड़ताल और प्रदर्शनों का क्षेत्र बहुत विस्तृत रहा और उनमें नागरिकों के साथ-साथ ग्रामीणों ने भी कन्धे से कन्धा भिड़ाया। विद्यार्थियों ने शिक्षा-संस्थाओं का बायकाट किया और अपने साथ क्रांति की चिनगारी लेकर सुदूर गांवों तक पहुंच गए।

वीरकन्या कनकलता

२० सितंबर को जिला दरांग के गोहपुर नामक स्थान में जब लोगों में थाने पर झंडा फहराना चाहा, तो पुलिस ने भीड़ पर गोली चलाई। तेरह वर्ष की एक लड़की घटनास्थल पर मारी गई और दूसरे अनेक लोग घायल हुए। भारत की आजादी की लड़ाई में हँसते-हँसते अपनी जान न्योछावर कर देनेवाली इस वीर कन्या का नाम कनकलता था और वह बरंगाबारी नामक गांव की रहनेवाली थी। दिन १२ बजे से ३ बजे तक हजारों औरत, मर्द और बच्चे गोहपुर थाने की ओर जुलूस बनाकर चले। थाने के आगे एक बहुत बड़ा तालाब है। थाने के इमारत में घुसने के पहले जुलूस दो हिस्सों में बँट गया और तालाब के बाँयें तथा दाहिने, दोनों तरफ से एक साथ थाने की ओर बढ़ा। जुलूस के आगे बहुत-सी लड़कियां थीं। सबसे अगली पंक्ति में कनकलता थी और सचमुच वही पूरे जुलूस का नेतृत्व कर रही थी। एक पुलिस अफसर ने कनकलता को थाने की सीमा में घुसने से मना किया; लेकिन उसने हुक्म मानने से इनकार कर दिया। अफसर अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने उसे मौत का डर दिखाया। इसपर इस वीर कन्या ने जवाब दिया, "मैं अपना कर्त्तव्य अवश्य पूरा करूंगी, आप अपना करें।" थाने के सामनेवाले मैदान तक जुलूस पहुंचने ही वाला था कि बन्दूक के धांय-धांय

छूटने की आवाज हुई और एक गोली कनकलता की छाती को छेदती हुई पार हो गयी। खून से लथ-पथ कनकलता को लड़खड़ा कर नीचे गिरते देख एक दूसरा नौजवान, मकुंद काकोती, आगे बढ़ा। कनकलता के हाथों से झंडा लेकर उसने आगे बढ़ना चाहा; लेकिन, पलक मारते ही दूसरी गोली आई और उस मासूम की छाती को छलनी करती हुई दूसरी ओर निकल गई। गांव में अभी भी अनेक आदमी हैं, जिनके चेहरे, बांह या शरीर के दूसरे अंगों पर बने अनेक निशान उस गौरवपूर्ण दिन की आज भी याद दिला देते हैं। एक ओर जब यह दर्दनाक नरमेध हो रहा था। दूसरी ओर का स्वयसेवक दल आगे बढ़ता ही गया और अन्त में थाने की इमारत पर उसने झण्डा फहरा ही दिया।

हिन्दुस्तान की अत्यन्त पूर्वी सीमा, आसाम, 'युद्ध क्षेत्र' था, जहां गोरे (Planters) भी मौजूद थे और जिन्होने इस अत्याचार में पूरा-पूरा हिस्सा लिया। गोहपुर में पुलिस के गोली चलाने के तुरत ही बाद ये यूरोपियन प्लैंटर्स अपनी बन्दूक और पिस्तौलों के साथ घटनास्थल पर आ धमके। उनके साथ लाठी-डण्डों से सुसज्जित उनके बागों के पहरेदार भी थे। खून की गंगा में स्नान करने के बाद जुलूस वाले लोग छिटपुट, होकर अपने अपने घरों की ओर वापिस हो रहे थे; इन यूरोपियन प्लैंटरों ने अपने नौकरों के साथ इन निहत्थों पर हाथ छोड़ दिया और जिसको-तिसको बड़ी बेरहमी से पीटा।

ढेकियाजुली

• तेजपुर से १६ मील पश्चिम की ओर एक जगह है, ढेकियाजुली। इस स्थान में अधिकतर देशी लोग और चाय के खेतों में कभी काम करनेवाले मजदूर बसे हुए हैं। इस स्थान में पुलिस की गोलियों ने वह दर्दनाक दृश्य उपस्थित कर दिया था, जिसका स्मरण कर ही रोमांच हो

आता है। २० सितंबर १९४२ को दस हज़ार से भी ज्यादा लोगों की भीड़ पुलिस थाने की ओर बढ़ी, उसकी इमारत पर राष्ट्रीय झण्डा फहराने के लिए। पुलिस ने अंधाधुंध गोलियाँ चलाइं। फलस्वरूप २० से भी अधिक आदमी मौत के घाट उतरे, इनमें एक तेरह वर्ष की बालिका भी थी, जिसका नाम तुलेश्वरी था। गोलियों की वर्षा के बीच हथेली पर जान लेकर एक स्वयंसेवक थाने की इमारत पर चढ़ ही गया और शान से राष्ट्रीय झण्डा वहां फहरा दिया। लेकिन, दूसरे ही क्षण पुलिस की गोली उसके सीने में आकर लगी और वह वीर वहीं लड़खड़ा कर सदा के लिये सो गया।

इन अत्याचारों ने सिर्फ मिलिटरी से ही सहायता नहीं ली गई; वरन् बाहर से आए सैकड़ों भाड़े के टट्टू मुस्लिम-गुण्डों को भी इस काम के लिए नियुक्त किया गया। इन राक्षसों ने जनता पर अनेक अमानुषिक अत्याचार किए। लाठियों से सुसज्जित होकर ये गुण्डे थाने की इमारत के पीछे छिपे हुए थे। गोली चलने के बाद वे तुरत ही घटनास्थल पर पहुंचे और निःशस्त्र जनता को बड़ी बेरहमी से पीटने लगे। फौजियों के साथ इन राक्षसों ने मज़दूरों की स्त्रियों को बड़ी दूर-दूर कर खदेड़ कर पीटा।

२१ सितम्बर को जब इस हत्याकाण्ड की खबर तेजपुर पहुंची तो वहां के नागरिकों ने एक सभा का आयोजन किया, ढेकियाजुली और गोहपुर में पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियों के खिलाफ निन्दा का प्रस्ताव पास करने के लिए फौजियों ने शहर के सभी नाकों को घेर रक्खा था, फिर भी हजारों आदमी टाउन-मैदान में इकट्ठे हुए। भीड़ पर पुलिस ने धावा बोल दिया; लाठी, बन्दूक और किरच, सभी से काम लिया गया। फलस्वरूप सैकड़ों लोग घायल और खून से लथपथ हो गए।

कामरूप

पटाचरकुची थाने के अन्तर्गत जोला एक छोटासा गाँव है। २५ सितंबर

को लोग एक सभा में इकट्ठे हुए। एक पुलिस अफसर भी वहाँ मौजूद था। उसने लोगों को वहां से हट जाने को कहा। बलपूर्वक डरा-धमका कर उसने लोगों को तितर-बितर कर भी दिया। लौटते समय थाने के रास्ते में एक अफसर को कुछ आदमी मिले, जो मिटिंग से वापिस हुए थे। अपनी हेकड़ी दिखाने के लिए उस अफसर ने उन्हें देखते ही हुक्म दिया 'भागो यहाँ से'। वहां कोई मिटिंग तो थी ही नहीं; इसलिए, उन लोगों ने उसका हुक्म मानने से इनकार कर दिया। वह अफसर आग बबूला हो उठा और तुरत ही उसने गोली दागनी शुरू दी। दो मरे; मदनचन्द्र बर्मन, बाजाली हाई इंग्लिश स्कूल के छटे क्लास का एक विद्यार्थी और सदरी गांव का रावतराम। आगे बढ़ने पर रास्ते में उस अफसर को फिर कुछ आदमी मिले। वहां भी उसने गोली चलाई और कुछ मनुष्यों को घायल किया। नौगांव, दरांग और कामरूप में भी खून की नदी बही। मासूम बच्चों और निर्दोष जनता के खून से निरंकुश अधिकारियों ने फाग खेला—नौकरशाही की दृष्टि में जिन बेचारों का सिर्फ यही कसूर था कि वे अपनी गुलाम मातृभूमि को स्वतंत्र करना चाहते थे।

सोरभग की दुर्घटना

मित्रों के हवाई-अड्डों पर भी हमले किए गए। २६ अगस्त १९४२ को कामरूप जिले के सोरभग हवाई-अड्डे में हुई दुर्घटना इसी का एक उदहरण है। लुक-छिप कर या गुप्त रूप से ये हमले नहीं किए गए, वरन् गांव के लोगों ने जो कुछ किया वह दिन दहाड़े और सबके सामने। सोरभग का हवाई अड्डा उस समय तैयार हो रहा था। मिलिटरी ठेकेदारों के इकट्ठे किए गए सभी सामान जला दिए गए। तीन एम० ई० एस० गाड़ियों की भी यही दुर्दशा हुई। इंस्पेक्सन बंगले और कुछ क्वार्टरों में भी आग लगा दी गई।

यह आग बड़ी भयानक थी। इतने जोरों की कि वहां से १६ मील दूर अरपेटा में रहनेवाले एस० डी० ओ० को अपने बंगले से उसका पता लग गया। अपनी गाड़ी में बैठ कर वह फेरी-घाट की ओर दौड़ा। घाट पर पहुंचने पर उसने देखा-कि वहां न तो कोई नाव ही है और न उसे खेनेवाला कोई मल्लाह ही। घटनास्थल पर पहुंचने के दूसरे सभी मार्ग या तो बन्द कर दिए गये थे या उन्हें बर्बाद कर दिया गया था कि जिससे बाहर से विशेष पुलिस या फौजी सहायता न आ सके। इस दुर्घटना के फलस्वरूप करीब दो लाख रुपयों का नुक़सान हुआ।

कामरूप ज़िले के पाठशाला नामक स्थान में जनता ने थाने पर कब्जा कर लिया और सारे दिन उस पर नियंत्रण रखा।

नौगांव

बगावत का प्रधान केन्द्र था नौगांव। नौगांव की जनता ने बड़ी कुशलतापूर्वक अपना संगठन किया, यहां तक कि सुदूर के गाँवों में भी क्रान्ति की लहर फैल गयी थी। इस ज़िले में पुलिस ने घोर अमानुषिक अत्याचार किए। और जनता का दमन करने के लिए उसे फौज की भी सहायता लेनी पड़ी। आत्मरक्षा अथवा कार्य करने के लिए यहाँ के लोगों ने, प्रधान द्वारा तुरही बजाकर लोगों को इकट्ठा करने का, प्राचीन तरीका अख्तियार कर रखा था। गांवों और रेल के रास्ते पर पहरा देने के लिए फौज नियुक्त की गई, जो जरा-सा सन्देह होने पर ही, गोली चलाकर लोगों को मौत के घाट उतार देती थी। ऐसे अनेक उदाहरण मिले हैं, जब कि रेलवे-लाइन अथवा पुल के पास से गुजरनेवाले निर्दोष राही भी रोके जाकर गोली से उड़ा दिए गए हैं।

२० अगस्त सन् १९४२ को फौज के एक दल ने, जो बेबेजिया पुल के पास छिपा हुआ था, शाम के समय पुल के पास आनेवाले दो जवान

ग्रामीणों को गोली मार दी। दूसरे दिन मिलिटरी-पुलिस के एक दल ने गौहाटी से छः मील दूर रोहापुत्र के पास एक दूसरे नौजवान को गोली से भून दिया। बेबेजिया गाँव में आधीरात के समय असहाय स्त्री, पुरुष, और बच्चों पर घोर अत्याचार किए गए। दूसरे दिन दोपहर की कड़कती धूप में गांव के ४०० औरत, मर्द और बच्चों को सशस्त्र पुलिस की निगरानी में गांव से नौ मील दूर नौगांव पुलिस थाने में जबर्दस्ती ले जाया गया। इस तरह जबर्दस्ती पकड़ कर ले जाई गई औरतों में एक औरत ऐसी भी थी जिसकी गोद में एक नवजात शिशु था—जिसे पैदा हुए तीन दिन भी नहीं हुए थे। वह मासूम नन्हा बच्चा रास्ते ही में मर गया और इस दुर्घटना के बाद उस सद्यः प्रसूता स्त्री का स्वास्थ्य एकदम खराब होगया।

तिलक डेका

पुलिस और फौज के द्वारा रात के समय बेबेजिया तथा आसपास के गाँवों के लोगों पर किए जानेवाले ये अत्याचार कई हफ्तों तक चलते रहे। नौगांव जिले के बारापुजिया गांव का रहनेवाला, शान्ति-सेना का नायक, तिलक डेका उस रात पहरा देते समय अन्याय पूर्वक गोली से उड़ा दिया गया। गांववालों ने अपनी रक्षा के लिए शान्ति-सेना बना रक्खी था। गांव के कुछ लोग बारी-बारी से गांव के प्रत्येक नाका पर पहरा देते थे। इन लोगों का काम रहता था गांव की हिफाजत करना और किसी खतरे का सन्देह होते ही तुरही बजा कर गांववालों को सावधान कर देना। तो उस रात मिलिटरी को देखते ही तिलक डेका ने तुरही बजाई। वह फिर तुरही बजाना चाहता था कि एक अफसर ने उसकी छाती पर रिवाल्वर लगा दी और चारों ओर से घेर लेनेवाले फौजी पहरादारों ने उसे धमकी दी कि यदि वह फिर तुरही बजावेगा तो उसे मौत के घाट पर उतार दिया जायगा। सामने मौत खड़ी थी; लेकिन, उसके गांववालों ने

की तनिक भी परवाह न करते हुए तिलक डेका ने अपने कर्त्तव्य को पूरा करने की ठानी उसने तुरही बजाई और दूसरे ही क्षण एकहाथ की दूरी से एक गोली सनसनती हुई आई और उसकी खोपड़ी को चूर-चूर करता हुई दूसरी ओर निकल गई।

तुरही की आवाज और फिर रिवाल्वर चलने के शब्द ने गांववालों को सावधान कर दिया। स्त्री, पुरुषबच्चों की एक बहुत बड़ी संख्या ने तुरत ही फौजियों को घेर लिया। गोली खाने या गिरफ्तार होने के लिए सबसे आगे औरतें ही बढ़ीं। कानून के ठेकेदारों ने फिर गोलियां चलाईं और पांच या छः आदमियों को और घायल किया। पिस्तौलों और किचों की की तनिक भी परवाह न करते हुए गांववालों ने तिलक डेका के शरीर को वहां से हटा ही तो लिया—कि जिससे उसकी सम्मानपूर्ण अन्त्येष्टि-क्रिया की जा सके। दूसरे दिन सुबह गांव के करीब तीन सौ लोगों को गिरफ्तार किया गया; उन्हें ठोकरें लगाईं गईं; पीटा गया और बेइज्जित किया गया।

फौज ने शान्ति-सेना के एक कैंप पर धावा किया। बहुत बड़ी संख्या में लोग गिरफ्तार किए गए। मकान में आग लगा दी गई और उन्हें निर्दयता पूर्वक पीटा गया।

रोहा स्कूल

रोहा हाई स्कूल की घटना भी अपना एक विशेष महत्व रखती है। चार या पांच वर्षों से स्कूल की इमारत पर राष्ट्रीय तिरंगा झण्डा फहरा रहा था। स्कूल खाली था क्योंकि लड़के नहीं आए थे। सिर्फ शिक्षक वहां अकेले थे। उस ओर से जाता हुआ एक यूरोपियन अफसर तुरत ही स्कूल के हाते में घुसा और झंडा नीचे ले आने के लिए उसने शिक्षकों को हुक्म दिया। शिक्षकों के इनकार करने पर वह गोरा उन पर टूट पड़ा और बड़ी निर्दयतापूर्वक उन्हें पीटा।

हम लोगों का हाल न पूछो !

घर वाले ही घर के दुश्मन,
दो अंगुल धरती को लेकर, भाई-भाई में है अनबन !
फैसा फैल रहा है घर में इस झगड़े का हाल न पूछो !
हम लोगों०—

डाकू अपना घर भरते हैं,
हम लोगों की मस्ती देखो, दोनों कट-कट कर मरते हैं,
इस मस्ती की भेंट चढ़ेगा घर का कितना माल न पूछो !
हम लोगों०—

खाक हुए कितने अंगारे,
जो दुश्मन से लोहा लेते, आज वही अपने से हारे,
इस हालत में आजादी की उम्मीदों का हाल न पूछो !
हम लोगों०—

जय राष्ट्रीय निशान

जय राष्ट्रीय निशान !
जय राष्ट्रीय निशान !!
जय राष्ट्रीय निशान !!!

लहर लहर तू मलय पवन में,
फहर फहर तू नील गगन में,
छहर छहर जग के आँगन में,

सब से उच्च महान !
सब से उच्च महान !!
जय राष्ट्रीय निशान !!!

जब तक एक रक्त-कण तन में,
डिगें न तिल भर अपने प्रण में,
हा-हा कार मचावें रण में,

जननी की सन्तान !
जननी की सन्तान !!
जय राष्ट्रीय निशान !!!

बरहमपुर

१६ सितंबर को नौगांव शहर से ५ मील दूर लखीराम हजारि का; दो भाई, थानूराम सूत और बालूराम सूत और भोगेश्वरी फूकोनोनी को एक भीड़ में गोली मार दी गई। कांग्रेस-हाउस, जो उस समय पुलिस के अधिकार में था, के सामने लोग एक दावत में इकट्ठे हुए थे। स्त्री, पुरुष बच्चे, सभी उम्र के लोग थे। कुछ राष्ट्रीय गाने गा रहे थे, कुछ के हाथ में तिरंगा झंडा था और कुछ दावत की तैयारी में जुटे हुए थे। इसी बीच में मिलिटरी और पुलिस का एक बहुत बड़ा दल वहां आ धमका। फौजियोंनेकुछलड़कियों के हाथ से जबर्दस्ती तिरंगा झण्डा छीन लिया।

गोली खाकर शहीद होनेवाले एक वीर की स्त्री ने कहा—"मुझे गौरव है कि मेरा पति देश की आजादी की लड़ाई में मारा गया।"

ऊपरी आसाम

आदोलन तीव्र होने के पहले ही ऊपरी आसाम के सभी नेता पकड़ कर जेलों में ठूंस दिए गए थे। जोरहाट और शिवसागर सब-डिविजनों में कोर्ट की इमारतों और सरकारी आफिसों के सामने बहुत बड़े प्रदर्शन हुए। सरकारी अफिसों के सामने पिकेटिंग और प्रदर्शन करने में विद्यार्थियों ने बहुत बड़ा हिस्सा लिया। उस समय वहां का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हिन्दुस्तानी था और उसका स्वभाव भी कुछ नरम था। अतः बहुत-सी दुर्घटनाएँ होते-होते बच गईं।

जिन जिलों में आन्दोलन ने पहले दो रूप पकड़ा। रचनात्मक कार्यों की ओर लोगों का ध्यान गया। गांवों में पंचायतें कायम की गईं।

प्रतिनिधित्व के आधार पर सभी लोगों नेइनमें सहयोग दिया। चरीगांव टीगढ़, टेओक आदि स्थानों में स्वाधीन-राष्ट्र कायम किये गये। इनका

निर्माण पूर्णतया सभ्य सरकारों की तरह किया गया था। इसके अतिरिक्त असहयोग और रुकावटों की ओर लोग झुके। फौज तथा मिलिटरी-ठेकेदारों को गांवों से मिलनेवाली चीजों पर रोक लगा दी गई। फलस्वरूप बकरे, मवेशी, मुर्गे और धान आदि का गांवों से बाहर जाना बन्द होगया। इस असहयोग के कारण जनता और पुलिस की भिडंत अवश्यंभावी थी। किर्च और लाठी-चार्ज तथा गिरफ्तारियां तो रोज की एक साधारण-सी बात हो गईं। इसके फलस्वरूप जोरहाट के करीब ५० कार्यकर्त्ताओं को उनके शरीरों पर स्थायी चोट पहुंची। इसी बीच हिन्दुस्तानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बदली हो गई और उसकी जगह जिले का शासन एक यूरोपियन के हाथों सौंप दिया गया।

जोरहाट सब-डिवीजन में टेओक कांग्रेस का सबसे सुदृढ़ गढ़ है। असहयोग के कार्यक्रम ने यहाँ खूब जोर पकड़ा। थाने के निकटस्थित कांग्रेस-ऑफिस में जब ३००० ग्रामीण जनता इकट्ठी हुई, तो पुलिस और मिलिटरी ने उस भीड़ पर हमला किया और लाठी तथा किर्चों से स्त्री, पुरुष ही नहीं बल्कि बच्चों तक को बुरी तरह से घायल कर डाला। स्त्रियों के हाथों से उन्होंने राष्ट्रीय झण्डे छीन लेना चाहा। चमकती हुई किर्चों तथा लाठी की कुछ भी परवाह न करती हुई वे वीर-महिलाएँ अपने स्थानों पर अटल रहीं। पुलिस और मिलिटरी के इस हमले में दो को सांघातिक चोटें लगीं और करीब .० स्त्री-पुरुष घायल हुए।

शहर में आने के सभी रास्ते बन्द कर दिए गए थे। फिर भी २० सितम्बर को लगभग :५००० स्त्री-पुरुषों का एक विशाल समूह शहर में इकट्ठा हो गया। नारे लगाते हुए सड़कों पर इस जुलूस ने प्रदर्शन किया। पोलिटेकनिकल स्कूल और जयसागर के पास मिलिटरी और पुलिस ने भीड़ पर किर्चों से हमला किया। २० आदमी बुरी तरह से घायल हुए।

सरकार के इन अत्याचारों का फल यह हुआ कि आन्दोलन अब लुक-छिप कर चलाया जाने लगा। सितम्बर १९४२ और फरवरी १९४३ के बीच आन्दोलनकारियों ने बहुत-सा साहित्य प्रकाशित किया। इस साहित्य में आन्दोलन को चालू रखने के लिए अनेक प्रकार के सुझाव दिए गए थे। कुछ खास हिदायतें थीं—(१) सरकारी खबर आने-जाने के साधनों का विध्वंस, (२) रेलवे को उखाड़ना (३) इमारतों, पुलिस आफिसों आदि को तोड़ना-फोड़ना और (४) समानान्तर सरकार की स्थापना। आन्दोलन के शुरुआत में ही विद्यार्थियों ने उसमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया था और बाद में तो इसकी बागडोर ही उनके हाथों आगयी थी। आंदोलन की उपर्युक्त कार्य-प्रणाली उन्होंने स्थिर की थी और वे ही उसका संचालन कर रहे थे।

विद्यार्थियों ने सिर्फ क्लासों का ही बायकाट नहीं किया, वरन् नौजवानों के साथ वे 'मृत्यु-दल' (Death Brigade) में संगठित हो गए थे। डाक बंगलों, पोस्ट-आफिसों, एस० डी० सी०, पी० डब्ल्यू० डी० आफिसों, मिलिटरी छावनियों, हवाई-अड्डों आदि को जलाना-फूँकना तो आन्दोलनकारियों के लिए नित्य-प्रति का एक साधारण कार्यक्रम हो गया था। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार आसाम में छः बार तो काफी जान की हानि हुई। २६ नवंबर को गौहाटी रेलवे स्टेशन से १४ मील दूर एक फौजी गाड़ी भी गिराई गई। सारूपथार में फौजी सामान ले जाने-वाली मालगाड़ी को आंदोलनकारियों ने उलट दिया। इसके अतिरिक्त देशी बम भी बनाए गए, जो कालेज के कमरों, टेलिग्राफ-आफिसों और रेलवे के प्लाटफर्मों पर फूटते थे। आंदोलन का यह कार्यक्रम तब तक चलता रहा, जब तक कि महात्मा गांधी और वाइसराय का पत्र-व्यवहार प्रकाशित नहीं हो गया। आसाम में आंदोलन ज्वालामुखी के समान भभक रहा था। करीब ४ महीनों तक तो सरकार का नागरिक-शासन

पंगु बना दिया गया था।

कौशल-कुवर के उल्लेख बिना आसाम के आंदोलन की यह कथा अधूरी ही रह जायगी। आसाम के अहोम (एक जाति) वहाँ की कांग्रेस के एक दृढ़ स्तंभ है। इन अहोमों ने ब्रिटिश राज्य की स्थापना के पहले छः सौ वर्षों तक आसाम पर राज्य किया था। कौशल-कुवर इसी वीर-जाति का था। कांग्रेस के सिद्धान्तों का वह पूर्ण अनुयायी रहा और जनता में उन्हीं का प्रचार किया करता था। मुखबिरों ने सारूपथार ट्रेन-दुर्घटना में उसे भी फंसाया। सरकार की नजरों पर तो चढ़ा हुआ था ही; उसे फांसी की सजा हुई।

एक प्रत्यक्षदर्शी ने लिखा है—"लड़कपन में मैं इतिहास में पढ़ा करता था कि देश-प्रेम के लिए लोग हँसते हँसते फांसी पर चढ़ गए। तब मुझे यह बात कुछ बनाई हुई सी मालूम पड़ती थी। लेकिन, जब फांसी की कोठरी में १४ जून १९४३ ई० को फाँसी होने के एक दिन पहले, मैंने कोशल कुंवर को देखा तो मेरा मस्तक श्रद्धा से उसके चरणों में झुक गया। प्रसन्न मुख, होठों पर नाचती मुस्कान और आँखों में एक दिव्य ज्योति। इतिहास मेरी आँखों के सामने सजीव हो उठा। उसके अन्तिम शब्द अब भी रह-रह कर मेरे कानों में गूंज उठते हैं:—

'जिसने जन्म लिया है वह एक दिन अवश्य मरेगा ही। मुझे खुशी है कि इतने लोगों में ईश्वर ने मुझे ही चुना। ईश्वर मुझे प्यार करता है।'

स्वतंत्रता की बलिवेदी पर न्योछावर होने के लिए उसने हँसते हँसते फांसी का फन्दा अपने गले में डाल लिया। फन्दा खींचा गया। मुँह से अस्फुट स्वर निकला—"पार करो दीनानाथ संसार सागर" और वह महान आत्मा गुलामी के बंधन से मुक्त होगई।"

मीरी जाति के कमला मीरी का नाम भी भारतीय-स्वतंत्रता -संग्राम

के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अङ्कित रहेगा। भारत की आजादी और अपने सिद्धान्त के निमित्त उसने अपने प्राण तिल-तिल कर घुला दिए। हँसते-हँसते मौत का आलिंगन कर लिया ; लेकिन, मुँह से 'उफ' तक न निकाली।

कमला मीरी गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमीटी का एक मेम्बर था और उसीके दफ्तर में वह गिरफ्तार किया गया। मैजिस्ट्रेट ने उसे छोड़ देना चाहा, बशर्ते कि वह आश्वासन दे दे कि अब कांग्रेस के काम में सहयोग नहीं देगा। लेकिन कमला मीरी ने इस अपमान-पूर्ण समझौते को अस्वीकार कर दिया। फलस्वरूप सितंबर १९४२ में उसे आठ महीने कड़ी कैद की सजा मिली। जोरहाट जेल में वह बीमार पड़ा। बीमारी बढ़ती ही गई। रोज-रोज उसका जीवन-दीप मन्द पड़ता जा रहा था। उसे इस बात का पता था। अधिकारी उसे छोड़ देना चाहते थे, सिर्फ यह आश्वासन दे देने पर कि पेरोल पर छूटी अवधि में वह आन्दोलन में भाग नहीं लेगा। लेकिन, भारत के वीर पुत्र को यह बात अपमानपूर्ण प्रतीत हुई। उसने साफ इनकार कर दिया। कायरों की भांति छूटने की अपेक्षा उसने वीरतापूर्वक मौत का सामना करना अधिक श्रेयस्कर समझा। मृत्यु के एक या दो दिन पहले, जब जेलर ने फिर आश्वासन की बात चलाई तो, उसने कड़क कर जवाब दिया:—

मैं यह यंत्रणा अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे और अपने—सब के लिए - सह रहा हूँ। फिर तुम मुझे आश्वासन देने के लिए क्यों जोर दे रहे हो?

इस तरह कमला मीरी घुल-घुल कर मर गया। लेकिन, अंगरेजों और देश के विभीषणों के माथे वह ऐसा कलंक का टीका लगा गया है, जो कभी न छूट सकेगा।

सामूहिक जुर्माने

जनता पर बड़ी निर्दयतापूर्व जुर्माने लगाये गये। सरकार द्वारा लगाये गए सामूहिक जुर्माने की तालिका इस प्रकार है:—

ज़िला	जुर्माना
सिलहट	२,०००
लखीमपुर	१०,०००
शिवसागर	१,४३,२००
नौगाँव	८७,५००
दरांग	८२,२००
कामरूप	७०,५२७
ग्वालपाड़ा	१५ ०००

लेकिन, सरकार ने ये आँकड़े बहुत कम करके दिखाए है। इनका जोड़ १ लाख २५ हजार रुपये और अधिक होना चाहिए। सरकारी खजाने को भरने के लिये ये जुमाने बड़ा क्रूरता-पूर्वक वसूले गए। यह टैक्स वसूलने के लिए सैनिक गाँव-गाँव भेजे गए। मिलटरी-पुलिस जबर्दस्ती गरीब ग्रामीणों के घर में गई, औरतों को बेइज्जत किया और कुछ नहीं मिलने पर उनके बर्तन तक नोच-खसोट कर ले आई।

श्रीयुत आर० के० चौधरी ने प्रान्तीय असेम्बली में इस अत्याचार का एक नमूना पेश किया था और जिसे प्रामियर ने भी सच करार दिया था।

श्रीयुत चौधरी के शब्दों में:—

"यह दुर्घटना कोकीरी नामक गाँव की है। इस गाँव के निधन राज-बशी से सामूहिक जुर्माने के आठ रुपये वसूलने के लिए एक कांस्टेबुल को नियुक्त किया गया। निधन के पास नकद रुपये नहीं थे। इस पर कांस्टेबिल ने उस के हल की जोड़ी बैल को खोल लिया। बैलों को लेकर

जब वह चलने लगा तो निधन ने बड़ी आरजू मिन्नत की; क्योंकि उसके पास बस वही दो बैल थे। कान्स्टेबल उसे गाली देने लगा; बदले में निधन ने भी खरी खोटी सुनाई। तब कांस्टेबल ने उसे लाठी से पीटा। यह कहना सरकार गलत है कि निधन ने उसपर भाला चलाया। कांस्टेबल के शरीर पर उसके आघात के कोई चिन्ह नहीं पाये गए थे। यह घटना दिन की है।

रात में करीब ११ बजे एस० डी० ओ० दुधनाई से लौटा। उसे इस बात की खबर मिली। दो लौरी सशस्त्र पुलिस और दो यूरोपियन अफसरों के साथ वह घटनास्थल पर पहुंचा। निधन अपने घर में था। दरवाजे बन्द थे और अन्दर रोशनी हो रही थी। उसे बाहर निकलने को कहा गया; लेकिन उसने बाहर आने से इनकार किया। इस पर उसका घर घेर लिया गया और एस० डी० ओ० ने गोली चलाने का हुक्म दिया। एक यूरोपियन अफसर ने गोली चलाई। छः बार गोलियां छोड़ी गयीं। कुछ बुलेट अन्दर जाकर निधन के ठेहुने के पास लगी। वह गिर गया और खून की धार फूट पड़ी। एक बुलेट दीवारों को छेदती हुई दूसरी ओर पहुंचा और वहां खड़े एक सिपाही को जा लगा। वह सिपाही फौरन मर गया। इस पर मकान का दरवाजा तोड़ कर सैनिक अन्दर घुस गए और वहां उन्होंने निधन को किर्चें भोंक-भोंक कर मार डाला—ठीक उसी तरह जैसे कि जङ्गली सूअर को शिकार में मारा जाता है।

उड़ीसा में

स्त्रियों और पुरुषों को नग्न किया गया

लोगों को पेड़ से उलटे लटका कर पीटा गया

बालासोर का बलिदान

अगस्त आंदोलन के सिलसिले में उड़ीसा में बालासोर जिला सबसे

आगे रहा। ९ अगस्त १९४२ के बाद बालासोर जिले में पुलिस द्वारा गोली कांड में ४२ व्यक्ति मरे और २७० से अधिक घायल हुये। उक्त समय ३०० से अधिक गिरफ्तार किए गये। सामूहिक जुर्माना भी लगाया गया। यहां तक कि पतियों तथा पुत्रों की रिहाई के लिए महिलाओं को उनके गहने तक दे देने के लिये पुलिस ने बाध्य किया। अनेक स्थानों पर कोड़े और बेतों की मार तथा अन्य यंत्रणा की रीतियों का अवलंबन किया गया। इस प्रकार की यंत्रणाएं अपराधी के बेहोश हो जाने तक दी जाती थीं। पुलिस द्वारा साम्प्रदायिक फूट डालने की कोशिश की गयी, पर उसे सफलता नहीं मिली।

नृशंसतापूर्ण गोली काण्ड

उत्कल कांग्रेस कमेटी की रिपोर्ट में गोलीकाण्ड का विवरण देते हुए कहा गया है कि इराय गाँव में गोली चलाना इतना अनुचित और अविवेकपूर्ण था कि अन्त में सरकार को लाचार हो कर एक जांच कमेटी नियुक्त करनी पड़ी। लेकिन, इस कमेटी की रिपोर्ट दबा दी गयी।

बात यह हुई कि इराय के जमींदार को अनाज के खलिहान लूट जाने का डर हुआ तो उसनेपुलिस की सहायता मांगी। डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस वहां सशस्त्र पुलिस दल के साथ आये और उन्होंने नेताओं को गिरफ्तार किया। कुछ लोगों ने चौकीदारों के हाथसे पुलिस अफसरों के वे बिस्तर ले लिए, जिन्हें जमींनदार के घर पहुंचाया जा रहा था। बस इसी पर फौरन गोली चलाने का हुक्म दिया गया। लोगों से तितर-बितर हो जाने तक के लिए नहीं कहा गया। फलतः २८ व्यक्ति वहीं मर गये तथा २०० व्यक्ति बुरी तरह घायल हुए। इस सम्बन्ध में १२५ व्यक्ति गिरफ्तार भी किये गये। दामनगर में भी एक सभा में पुलिस ने गोली चलाई, जिस से ८ व्यक्ति घटनास्थल पर ही मर गए। कल्ली महालिक नामक एक व्यक्ति के सीने में तीन गोलियां लगीं। उस वीर ने मरते समय कहा—

आओ हथकड़ियां तड़का दें

आओ हथकड़ियां तड़का दें, जागो रे नतशिर बन्दी !

इन निर्जीव शून्य श्वासों में

आज फूंक दूं लो नव जीवन

भर दूं उनमें तूफ़ानों का

अगणित भूचालों का कंपन

प्रलय-वाहिनी हों, स्वतन्त्र हों तेरी ये सांसें बन्दी !

दो हों चाहे एक सांस हो,

जीवित हो उल्लास भरी हो

जीवन-चिन्ह बने ये बन्धन

सांस-सांस में स्वाभिमान हो

क्या है सांसों की गिनती, सोचो तो भोले बन्दी !

"बन्धुओ ! चिन्ता न करो, मैं शीघ्र ही स्वतन्त्र भारत में जन्म लूंगा।"

इस गोली-काण्ड में ४० व्यक्ति घायल हुए तथा ४० हिरासत में लिये गए।

अफसर धोती पहनकर भागा

कांग्रेस की रिपोर्ट में एक मजेदार घटना का उल्लेख किया गया है। सरकार को बालासोर में जापानी सेनाओं के उतरने का भय लगा हुआ था। वहां पर पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट महोदय अंग्रेज थे। वे जानते थे कि समुद्री तट होने से जापानी किसी समय भी मौका पाकर वहां आक्रमण कर सकते हैं। इसी मौके पर एक बारात निकली, जिसमें पटाखे छोड़े गए। पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट ने समझा कि बम छोड़े जा रहे हैं। अतः वे अपनी जाति छिपाने के लिये एक धोती पहन कर भाग खड़े हुये।

इस डर से कि जनता कहीं उन्हें मार न डाले, पोस्ट-आफिसर और पुलिस आफिसर एक स्टीम-लांच पर बैठ कर बैतरणी नदी के दूसरी ओर भाग गये। कुछ कांग्रेस-जनों के आश्वासन देने पर वे वापिस आये। दूसरे दिन लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में गांव में होने वाली सभा में वे ही उस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे है, जिसमें नेताओं की गिरफ्तारी पर रोष प्रकट किया जा रहा था।

कोरापुर में दमन

अगस्त आन्दोलन की लहर से कोरापुर भी अछूता न बचा। वहां आंदोलन के सिलसिले में जनता पर घोर अमानुषिक अत्याचार ढाए गए।

बहुत-से कांग्रेसी-लोगों के खेत, ढोर तथा उनकी अन्य सम्पत्ति छीन ली गई। अनेक कांग्रेस जनों को नंगा किया गया तथा उनके कपड़ों में

आग लगा दी गई। स्त्रियों पर भी इसी प्रकार का अत्याचार किया गया।

कांग्रेस की बहुत-सी सम्पत्ति जप्त कर ली गई, जिसमें एक मोटर तथा २००० रुपये नक़द भी थे।

लगभग ३००० व्यक्तियों का एक समूह लक्ष्मण नायक के नेतृत्व में मैथिली गांव गया, जहां पर साप्ताहिक बाज़ार लगता है। यह गांव थाने से आध मील की दूरी पर है। यहां एक सार्वजनिक सभा हुई, जिसमें लक्ष्मण नायक ने जनता को वर्त्तमान सरकार से सहयोग न करने तथा जनता का राज्य स्थापित करने का उपदेश दिया। पुलिस ने घोषणा की कि राजद्रोहात्मक भाषण देने के लिये लक्ष्मण नायक गिरफ्तार कर लिया गया। जनता अपने नेता के पीछे-पीछे थाने तक गई। थाने पर जनता से हट जाने के लिये कहा गया। इसके साथ ही अचानक जनता पर लाठियाँ तथा गोलियां चलाई गईं। ६ आदमी तत्काल मर गये और सैकड़ों घायल हुए। लक्ष्मण नायक पर भाले तथा संगीनों से हमला किया गया। अन्य व्यक्तियों पर भी इसी प्रकार हमले किये गये। कहते हैं, लाठी-चार्ज में चार वर्ष का एक बालक भी मारा गया।

गाँव जला दिया गया

जयपुर स्टेट के अधिकारियों का एक दल भी वहां उपस्थित था और उसने पुलिस की सहायता की। जङ्गलों का एक पहरेदार, शराब के नशे में चूर था, धक्कम-धक्के में पड़कर थाने के निकट नहर में गिर गया। नहर पत्थर की बनी थी। अतः गिरने से उसका सिर फट गया और वह वहीं मर गया। एक दूसरी अफ़वाह है कि पुलिस ने जनता पर जो लाठी चार्ज किया, उसमें मृत्यु हो गयी। लगभग ८-१० दिन बाद कलेक्टर तथा सुपरिन्टेन्डेन्ट-पुलिस गांव पहुंचे और सारा गांव जलवा डाला।

सेसन में लक्ष्मण नायक और ५३ अन्य व्यक्तियों पर जङ्गल के पहरेदार की हत्या के अभियोग में मामला चलाया गया। लक्ष्मण नायक

को फांसी दे दी गयी तथा अन्य व्यक्तियों को आजन्म कारावास की सजा दी गई। १४ व्यक्ति रिहा कर दिये गये। बाद में हाइकोर्ट ने १० व्यक्तियों को छोड़ दिया। लक्ष्मण नायक को बरहामपुर सेन्ट्रल जेल में फांसी दे दी गई।

'बेलसेन' कैम्प

उत्कल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की रिपोर्ट में कोरापुर की जेल को उड़ीसा का बेलसेल कैम्प कहा गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि उपेक्षा तथा निर्दय व्यवहार के फलस्वरूप जेल में ५० राजनीतिक बंदियों की शोचनीय मृत्यु हुई। इसकी तुलना हमारे अभागे देश के जेलों के इतिहास में मिलना मुश्किल है।

कोरापुर जेल अधिक से अधिक २५० कैदियों के लिए बना है' पर अगस्त आंदोलन के समय वहां ७००-८०० कैदी ठूंस दिये गये थे।

३२४ बार लाठो चार्ज

आंदोलन के समय १९७० व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। ११ व्यक्ति नजरबन्द किये गये तथा ५६० को सजाएँ दी गयीं। कुल ३६३ प्रदर्शन हुए। कोई हड़ताल नहीं हुई। ३२४ बार लाठी-चार्ज हुए। दो बार में ४१ राउन्ड गोलियां चलाई गयीं, जिनके फलस्वरूप २८ व्यक्ति मरे। ३ सरकारी इमारतों पर हमले किये गये।

आंदोलन के समय तार काटे गए, सरकारी जङ्गलों के पेड़ काटे गए, रेलें उखाड़ी गईं तथा रेल के गोदाम नष्ट किए गए, बाजारों पर लोगो को कर न देने के लिए उकसाया गया तथा स्कूलो, आबकारी की दुकानों और कचहरियों में धरना दिया गया। ११, २०० रुपया सामूहिक दण्ड लगाया, गया जिसमें ९७३ रुपया वसूल हुआ।

३ व्यक्ति पेड़ से उलटे लटका दिए गए तथा बेंत और लाठी से पीटे गए। स्त्रियों पर अनाचार के १२ मामले दर्ज हुए।

बिहार में
सम्राट् अशोक की राजधानी मासूम बच्चों के लहू से लाल !

नाजियों की बर्बरता भी मात—

मुँह में भंगी से पेशाब कराया गया।

आजादी के लिये किये जानेवाले प्रयत्नों में बिहार ने सदैव आगे रहने की चेष्टा की है और गत अगस्त आन्दोलन में उसने जो कुछ किया उसकी तुलना में अन्यत्र होनेवाले विद्रोह नगण्य से प्रतीत होते हैं।

प्रान्त के कोने-कोने में क्रान्ति की आग

प्रान्त का शायद ही कोई ऐसा जिला हो, जहाँ इस क्रान्ति की चिनगारी न पहुंच सकी हो। कॉंग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही जनता क्षुब्ध हो उठी और कई जगह उसने अपना रोष उग्र रूप में प्रगट किया।

भारत सरकार के तत्कालीन होम मेम्बर सर रेजिनेल्ड मैक्सवेल ने सेंट्रल-असेंबली डिबेट के सिलसिले में कहा था—ये उपद्रव बम्बई, मद्रास, मध्य-प्रदेश और बंगाल में एक साथ हुए; किन्तु सबसे अधिक जिन हिस्सों पर इसका प्रभाव पड़ा, वह था संयुक्त प्रान्त का पूर्वी भाग और इससे भी ज्यादा, बिहार !

"इन विध्वंसकारी कार्यों के विस्तार और संपूर्ण बिहार (सिर्फ उसके अत्यन्त दक्खिनी हिस्से को छोड़ कर) तथा संयुक्त प्रान्त के पूर्वी हिस्सों में इसकी अत्यन्त तीव्रता का पता साधारणतया लोगों को नहीं मालूम है। इन क्षेत्रों में तुरन्त ही बड़े शहरों से यह आग सुदूर गांवों में पहुंच

गयी। हजारों उपद्रवी खबर आने-जाने के साधनों और दूसरी सरकारी सम्पत्तियों के विनाश में जुट पड़े।

"रक्षा करनेवाले सरकारी अधिकारियों और पुलिस के छोटे-छोटे दलों के साथ जिले के जिले कई दिनों तक प्रान्त से अलग हो गये थे। (वहां की कोई खबर बाहरी दुनियां को नहीं मिल सकी थी।)

"........इस क्षेत्र में रेलवे का बहुत सा हिस्सा बेकार कर दिया गया था और यह कहना अत्युक्ति न होगा कि काफी समय तक बंगाल का उत्तरी हिन्दुस्तान से सम्बन्ध विच्छेद सा हो गया था।...करीब २५० रेलवे स्टेशन बर्बाद किये गये या उन्हें नुकसान पहुंचाया गया—इनमें १८० सिर्फ बिहार और संयुक्त प्रान्त के पूर्वी हिस्से में स्थित थे।

"........इन सबके बावजूद हिन्दुस्तान के प्राय: सभी बड़े शहरों से, टेलीफोन से या टेलीग्राफ से, उपद्रव के समय किसी न किसी तरह का सम्बन्ध जारी रक्खा गया— लेकिन पटना को छोड़कर।,,

और सचमुच बिहार की राजधानी पटना कुछ दिनों तक दुनियां के दूसरे हिस्सों से अलग हो गया था; क्योंकि जनता ने यातायात के सभी साधनों को ध्वस्त कर डाला था। रेल, तार, डाक प्राय: सब पर जनता का अधिकार था। बिहार के प्राय: सभी जिलों में सरकारी शासन पंगु बना दिया गया था। पुलिस चौकियों पर जनता ने कब्जा कर लिया था। और सरकारी कचहरियों में भी काम बन्द हो गये थे। बड़े बड़े सरकारी अफसर या तो बड़े-बड़े शहरों में भाग गये थे या जनता के सामने उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। जिन्होंने मुकाबला किया, उनमें कई मौत के घाट उतारे गये और इस तरह के काण्डों में लोगों को भी काफी संख्या में प्राणाहुति देनी पड़ी। पुलिस और सरकारी अफसर तथा उनकी कचहरियो पर हजारों की तादाद में जनता धावा बोल देती थी। लाठी और गोलियों की उसे परवाह नहीं थी।

अमानुषिक अत्याचार

लेकिन, उसके साथ ही इस प्रान्त को दमनचक्र में भी वैसी ही बुरी तरह पिसना पड़ा। अकेला यही एक प्रान्त है, जहां निहत्थी किन्तु उत्तेजित जनता पर सरकार ने वायुयान से गोलियां बरसाई थीं।

बिहार प्रान्त में नौकरशाही ने जिस क्रूरता से मनुष्य के स्वतंत्र होने के जन्म-सिद्ध अधिकार की भावना को दबाना चाहा, वह संभवत संसार के अन्य किन्हीं स्थानों में शायद ही किया गया हो।

बिहार के हरे-भरे सम्पन्न गांवों को किस प्रकार मसान में परिवर्त्तित कर दिया गया इसका रोमांचक वर्णन करते हुए माननीय श्रीनारायण महता ने काउन्सिल आफ स्टेट की बैठक में कहा था—

"फौज और पुलिस को गांवों में खुल कर खेलने के लिए छोड़ दिया गया नेशनल वार फ्रन्ट के लीडर की हैसियत से अपने जिले के गांवों में घूमते समय मुझे पुलिस और फौज के अत्याचारों जनता की सम्पत्ति की लूट-खसोट गावो को जलाने, गिरफ्तारी का भय दिखाकर रुपए ऐंठने और कभी-कभी इसके लिए सचमुच घोर यत्रणाएँ देने की अनेक रिपोर्टें मिली। बाजार की सभी भरी-पूरी लूटी हुई दुकानो और गांव के गांव जले—जनता द्वारा नहीं वरन फौज और पुलिस द्वारा—मैंने खुद अपनी आँखों से देखे और मैं मंजूर करूँगा कि वे दृश्य मरते समय भी मेरी आंखों के सामने नाचते रहेगें।

"आगे माननीय महथा ने कहा—"जब मैं इस सभा में सम्मिलित होने के लिये आ रहा था मेरी ट्रेन बमरौली में रुकी जहां हवाई अड्डे पर एक टामी एक कुत्ते का निशाना खाली गया; क्योंकि कुत्ता जरा दूर था। मगर बिहार में उसके भाई-बिरादर अधिक भाग्यवान हैं। क्योंकि उनके निशाने बहुत नजदीक मिलते हैं आजकल बिहार में आदमी और गली के कुत्ते के बीच बहुत ज्यादा फर्क नहीं रह गया है।..... "

लज्जाजनक कहानी

अगस्त आंदोलन के सिलसिले में बिहार प्रांत में नौकरशाही द्वारा किए गए अत्याचारों की रिपोर्ट प्रांतीय कांग्रेस-कमेटी की ओर से तैयार कराई जा रही है। जिन स्त्रियों के साथ पुलिस और सैनिकों ने बलात्कार के घृणित कार्य किए थे, उनके बयान लिए गए हैं। यह रिपोर्ट पढ़ कर आंखों में खून उतरता है।

किस प्रकार लोगों के पेट में भाले की नोक घुसेड़ दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अंतड़ियां बाहर निकल आईं, फरारों का पता बताने तथा सरकारी पक्ष में शामिल करने के लिए, किस प्रकार घोर अमानुषिक अत्याचार किए गए, यह सब सुनकर रोमांच हो आवेगा। बिहार प्रांत में ही गांव के एक मेहतर द्वारा एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के मुंह में जबरदस्ती पेशाब कराया गया।

पुलिस के जघन्य-कार्य

पटना के सदाकत आश्रम के प्रो० बल्देवनारायणजी के पास उक्त मेहतर का दिया हुआ वक्तव्य तथा उसके अंगूठे का निशान मौजूद है, जिसमें उसने उन परिस्थितियों का स्पष्ट उल्लेख किया है, जिनमें उसे सरकारी अधिकारियों तथा पुलिस द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ता के मुंह में पेशाब करने का जघन्य कार्य करने को मजबूर होना पड़ा। सरकारी अफसरों ने उसे पहले किस तरह फुसलाया, फिर दबाव डाला उसका उल्लेख भी उक्त वक्तव्य में किया गया है।

पटने में मासूम बच्चों की हत्या

सोमवार १० अगस्त को पटने का दृश्य अपूर्व था। सभी स्कूल और कालेज खाली। कुछ अध्यापक कूद-फांद कर कालेज में गए; लेकिन मक्खी ही मारनी पड़ी उन्हें। छात्रों में उत्साह और जोश भरा था।

हजारों का दल राष्ट्रीय झण्डा लेकर मस्ती में झूमता जब पटना की सड़कों पर मार्च करता था, तब मुर्दा दिल में भी एक बार जोश की लहर उठे बिना नहीं रहती थी। लेकिन, कांग्रेस के अहिंसा के सिद्धांत का पूर्ण पालन करते हुए उन्होंने शहर में हलचल मचा दी थी। सरकारी अधिकारियों ने अनेक बार लाठी चलाकर उन्हें तितर-बितर कर देना चाहा। लेकिन, पुलिस के सिपाहियों ने लाठी चार्ज करने से साफ इनकार कर दिया।

११ अगस्त को पटने में सवेरे से ही प्रभात फेरी हो रही थी। छात्रों के हृदय में नवीन भावनाएं, नई जागृति और नया उत्साह भरा हुआ था। स्कूलों तथा कालेजों में पिकेटिंग हुई। पिकेटिंग करने वालों पर लाठियां बरसीं और अनेक छात्र गिरफ्तार भी किए गए। इसके बाद पांचसौ मनुष्यों का समूह गोलघर की ओर चला। इनमें पटना कालेज, इंजीनियरिंग कालेज और ला कालेज के भी विद्यार्थी थे। उस दिन के नए नारे थे—

"बम्बई से आई आवाज,
इनकलाब ज़िन्दाबाद !
गाँधीजी की यही अवाज,
इनकलाब ज़िन्दाबाद !
जेल की कड़ियाँ करें पुकार,
इनकलाब ज़िन्दाबाद !"

टोली आगे की ओर बढ़ने लगी। डिस्ट्रिक्टबोर्ड आफिस के निकटवर्ती पुलिस-लाइन के समीप पटना के कलक्टर आर्चर तथा मौलवी बशीर पाँच घुड़सवारों और पचास लाठीबन्द सिपाहियों के साथ मौजूद थे। जुलूस रोक दिया गया। जनता के आगे बढ़ने पर मौलवी बशीर ने लाठी चार्ज करने का हुक्म दिया। लेकिन, मि० आर्चर के मना करने पर

लाठी–चार्ज रोक दिया गया। भीड़ किसी तरह गोलघर के पास गर्ल्स-हाई-स्कूल तक पहुंची। स्कूल का फाटक बन्द था और वहां पिकेटिंग हो रही थी। यहां जनता पर बेंत बरसाए गए, घोड़े भी दौड़ाए जाने लगे। छात्रों ने नेपाली-पुलिस से 'सुगौली की सन्धि' याद करने का अनुरोध किया; जिसके फलस्वरूप उन्होंने हाथ खींच लिए। किंतु, बलूची घुड़-सवारों ने बहुत अत्याचार किया। अत्यन्त क्षुब्ध होकर भीड़ में से किसी ने उन पर एक ढेला चला दिया। ढेला एक घोड़े के पेट में जाकर लगा, खून बहने लगा। दूसरा ढेला बलूची सवार के गाल पर लगा, जिससे उसे चोट आई। वह नीचे उतर पड़ा, उसकी पगड़ी जमीन पर गिर पड़ी। तब तक मौलवी बशीर यहां भी पहुंच चुके थे। बस क्या था। लाठी बर-साने की आज्ञा हुई। भीड़ को तितर-बितर होना पड़ा। लोग बुरी तरह पीटे गए! गोलघर की दीवारों से सटे हुए प्रायः दो सौ देश भक्तों पर लाठी की बेतरह मार पड़ी। यह देखकर जनता की भावनाएं संयत न रह सकीं। बिखरी हुई भीड़ एकत्र होकर अत्याचारियों पर ईंटें बरसाने लगी। इसी बीच कुछ लोगों ने इस हिंसात्मक प्रणाली को दूषित बताकर जनता को सेक्रेटिरिएट पर झण्डा गाड़ने की याद दिलायी। गोलघर से जनता हटने लगी। मोर्चा बदल गया।

मि० आर्चर गुरखा फौज की टुकड़ियों के साथ वहां पहले ही पहुंच चुके थे। जुलूस की प्रतीक्षा वे बहुत आधीरता से कर रहे थे। एक तरफ सशस्त्र पुलिस और फौज की टुकड़ियां राइफल और बन्दूकों के साथ निशाना लगाए खड़ी थी और दूसरी ओर आजादी का मतवाला उमड़ता जुलूस सेक्रेटेरिएट के गुम्बज को निहार रहा था। रह-रह कर भारत-छोड़ो!' की गम्भीर ध्वनि गूंज रही थी। जुलूस गोलियों को चूमने और गुम्बज पर झण्डा फहराने के लिए आगे बढ़ा। अब दोनों एक दूसरे के आमने-सामने थे। आर्चर बोल पड़ा—"तुम लोग क्या चाहते हो?"

"झण्डा फहराना चाहते हैं।" एक छात्र ने आगे बढ़कर कहा।

"नहीं, तुम लोग लौट जाओ।" आर्चर ने कहा।

"हम लोग झंडा फहराकर लौटेंगे," दूसरे छात्र ने जबाब दिया।

"कौन झंडा फहराना चाहता है? वह आगे चला आवे।" आर्चर ने कड़ककर कहा।

इतना सुनते ही ११ छात्र जुलूस की लाइन से आगे निकल आए।

आर्चर ने एक किशोर-वयस्क छात्र की ओर इशारा करते हुए कहा—"झंडा फहराने के पहले सीना खोल लो।" और तत्क्षण वह छात्र सीना खोलकर आर्चर के सम्मुख एक कदम और आगे बढ़ आया।

आर्चर ने गोली चलाने की आज्ञा दी और तुरंत ही वे ग्यारह अप्रतिभ वीर धराशायी हो गए। और इसके बाद तो गोलियों और छर्रों की बौछार-सी होने लगी। लोग घायल हुए डटे रहे। इतने में गुम्बज पर एक दुबला-पतला-सा नौजवान छात्र 'बन्देमातरम' और 'भारत-छोड़ो' नारे का उद्घोष करता हुआ दीख पड़ा। विशाल जुलूस एकदम उमड़ पड़ा। आर्चर, पुलिस और गोरखों की टुकड़ियां अब तक हट चुकी थीं और छात्र-समुदाय अपने ११ शहीदों को जयध्वनि से सलामी दे रहा था। सेक्रेटेरिएट के गुम्बज पर तिरंगा झंडा लहरा कर उनकी कीर्ति का विस्तार कर रहा था।

घटनास्थल पर ही छः व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था, जिसकी पीठ पर गोली लगी हो। अस्पताल आकर तीन छात्रों की और मृत्यु हो गई। इनमें एक छात्र की अवस्था १४ वर्ष की थी। वह १४ वर्ष का बालक तो गिर गया; परन्तु ११ अगस्त की वह घटना अमर हो गई। जीवन और मृत्यु के बीच आपरेशन टेबुल पर पड़े "उस मासूम बच्चे की एकमात्र यह जानने की इच्छा कि गोली उसे छाती में या पीठ पर— कहां लगी है?" जब उसे यह बताया गया कि छाती

के बीच में चोट है तो उसने हँसकर जवाब दिया— "लोग यह तो नहीं कहेंगे कि भागते में गोली लगी।" वह बालक तो मिट गया; परन्तु सदा के लिए एक सन्देश छोड़ गया।

घायलों के शरीर से जो गोलियां निकाली गई थीं, वे दमदम-बुलेट थीं। अन्तर्राष्ट्रीय-विधान के अनुसार युद्धों में भी इन गोलियों का व्यवहार वर्जित है। सरकारी कर्मचारियों की अमानुषिकता और बर्बरता का यह पहला अध्याय था।

इस गोलीकाण्ड से शहर में हलचल मच गई। जनता की उत्तेजना सीमा पार कर रही थी। गोली चलवाने के बाद सरकारी अफसर अपने दरबों में घुस गये। यदि कांग्रेस वालों का इरादा हिंसात्मक होता तो उस दिन क्षण भर में पटना शहर, सरकारी खजाना, दफ्तर और माल लूटा जा सकता था।

गया में

प्राप्त आँकड़ों के अनुसार आन्दोलन के सिलसिले में ४६ व्यक्ति नजरबन्द किए गए, ७८९ व्यक्तियों को विभिन्न मियादों की कड़ी सजाएं दी गईं। इस जिले के भिन्न-भिन्न स्थानों में कुल मिला कर १०३५ व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। पुलिस और जनता में जो मुठभेड़ हुई, उसमें तीन आदमी गोली से मारे गये। सरकारी दमन में ग्यारह आदमी हताहत हुए। जिले के विभिन्न स्थानों से ३ लाख ५३ हजार ३ सौ रुपया सामूहिक जुर्माने के रूप में जनता से जबर्दस्ती वसूला गया।

हजारीबाग में

हजारीबाग जिले में सरकार द्वारा किया गया दमन अपने ढंग का अकेला था। इस जिले के विभिन्न स्थानों में ३२८ व्यक्ति नजरबन्द किए गए। कुल मिला कर ७०११ व्यक्तियों को कारावास की सजा सुनाई गई जिले में सब मिला कर १३३१०० व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई।

पुलिस और जनता की भिड़न्त के फल स्वरूप ८८ आदमी गोली के शिकार हुए और ६६९ घायल हुए। संघर्ष और पुलिस के दमन के कारण लगभग ४४५ व्यक्ति मृत्यु के गाल में समा गया। हजारीबाग जिले में जिन विभिन्न स्थानों में पुलिस ने गोली चलाई, उनमें डोमचांच तथा कोडरमा थाना विशेष उल्लेखनीय है। जिले से कुल मिलाकर १७,७२,०० रुपये सामूहिक जुर्माने के रूप में वसूले गए।

पलामू में

आन्दोलन के सिलसिले में सरकार द्वारा आठ व्यक्ति नजरबन्द किए गए। लगभग तीन सौ को विभिन्न मियादों की सजाएँ दी गईं और कुल मिला कर १२८६ व्यक्तियों को सख्त चोट पहुंची। इस जिले में सामूहिक-जुर्माने की जो रकम वसूल की गई वह ३४०० रुपये थी।

राँची में

यहां कुल मिला कर १२ व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया लग भग ९१६ व्यक्तियों को सजा हुई और ३९४ गिरफ्तार किए गए। जेल में बन्द लोगों पर लाठी-चार्ज हुआ और इस प्रकार कानून, शान्ति और राजनियम की नौकरशाही ने रक्षा की! इस जिले में कुल मिला कर ६ हज़ार रुपया सामूहिक जुर्माने के रूप में वसूला गया।

मानभूमि में

इस क्रान्ति की चिनगारी से मानभूमि भी अछूता न बचा। मान-भूमि के वीरों ने पुलिस की गोलियां अपने वक्षस्थल पर सहन कीं। लाठी और संगीनों का डट कर मुकाबला किया। जरगांव, मानवामार और कचरासगढ़ के गोलीकांड विशेष उल्लेखनीय हैं। जरगांव में सात, मानवामार में बीस और कचरसगढ़ में तीन व्यक्ति गोली के शिकार हुए।

इस जिले में १६ से अधिक व्यक्ति घायल और दो व्यक्ति शहीद हुए। जिले से २४६४० रुपया सामूहिक जुर्माना वसूल किया गया।

सिंहभूमि में

इस जिले में भी 'भारत-छोड़ो' वाला अगस्त प्रस्ताव दुहराया गया। लगभग २५ व्यक्ति नजरबन्द किए गए और २७२ व्यक्तियों को कठिन कारावास का दण्ड दिया गया। कुल मिला कर १७५ व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। जनता से २१६४ रुपया सामूहिक-जुर्माने के रूप में वसूला गया।

पूर्णिया में

इस जिले में भी आंदोलन का रूप भीषण था। दर्जनों डाकखाने और रेलवे-स्टेशन लूटे तथा फूँके गये। कटिहार बनभटी, रसीगंज, रुपौली, धमदाहा, खजांची हाटो, कदनी, देवीपुर और कन्हरिया में गोली चली। फलस्वरूप ४५ व्यक्ति मरे और ३० से अधिक घायल हुए।

१३ अगस्त को कटिहार थाने पर जनता ने धावा बोला। सदर एस० डी ओ० के आदेश से पुलिस ने गोली चलाई। इस गोलीकाण्ड में एक तेरह वर्ष का बालक ध्रुव (शान्तिनिकेतन का छात्र) भी मारा गया। ध्रुव के दाहिने जांघ में गोली लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा स्नेही पिता और ममता मयी मां तथा पूर्णिया अस्पताल के डाक्टर देखते ही रहे और बालक ध्रुव इस संसार से सदा के लिए चल बसा।

बालक ध्रुव के पिता का नाम डा० किशोरीलाल कुण्डू है। आप विद्यार्थी -जीवन से ही लोकसेवक हैं और पूर्णिया जिले के प्रमुख-राष्ट्रकर्मियों मे गिने जाते हैं। ध्रुव की मृत्यु के पश्चात शव के साथ एक विराट् जुलूस निकाला था। दाह-संस्कार करने के बाद डा० कुण्डु

कटिहार लौट रहे थे कि रौतारा स्टेशन पर गाड़ी रोक दी गई और आप गिरफ्तार कर लिए गए। मृतक पुत्र के श्राद्ध करने का भी अवसर आप को नहीं दिया गया। कितना कारुणिक था उस समय का दृश्य जब पुत्र शोक को हृदय में दबाए कुछ शान्त-भाव से जेल की ओर बढ़ रहे थे।

इस जिले में २१ आदमी नजरबन्द और १४७५ गिरफ्तार किए गये, इनमें लगभग ७०० को सजा हुई। सरकारी दमन के फलस्वरूप अनेक खादी-भण्डारों को लूटा गया, ७० गांवों में लगभग ५०० परिवारों के घर जलाए गए। जिले पर १,२८,००० रुपया सामूहिक जर्माना हुआ।

भागलपुर का सियाराम दल

भागलपुर में आन्दोलन ने कितना भीषण रूप धारण कर लिया था इसका पता इसी बात से चल सकता है कि वहां गोलियां खाकर २१८ आदमी मरे और २८० बुरी तरह घायल हुए थे। पीरपैंती में जो गोली चली, उसमें ३७ आदमी मरे और ३२ घायल हुए। सुलतानगंज में मृतकों की ६७ और घायलों की संख्या १५० तक पहुंच गई थी। जिले के प्रायः सभी थानों पर जनता ने अपना अधिकार जमाने की चेष्टा की थी।

जेल के कैदियों ने भी अपना विरोध प्रकट किया और बगावत का झण्डा उठाया। वहां भी गोलियों की वर्षा हुई और फलस्वरूप १२५ कैदी पिंजरों में भून दिए गए। एक अफसर भी मारा गया।

इस जिले में दमन के सिलसिले में बताया जाता है कि एक हजार घर फूँक दिए गए। फरारों का पता लगाने के लिए उनके परिवारवालों पर तरह २ के अमानुषिक अत्याचार ढाये गए। भागलपुर की पुलिस ने १८ महीने के एक शिशु को गिरफ्तार कर लिया था; क्योंकि उसके पिता फरार थे। पुलिस ने इस बच्चे को ४ दिनों तक उसकी माँ से अलग

गया: लेकिन, जब जेल-अधिकारियों ने उसकी जिम्मेवारी लेने में असमर्थता प्रकट की तब उसे माँ के पास लौटाया गया।

आंदोलन के सिलसिले में १०४ आदमी नजरबन्द और ४००० वे लगभग गिरफ्तार किए गए, जिनमें लगभग १००० व्यक्तियों-को सजाएँ हुईं। जिले पर २,५८,४८० रुपया सामूहिक जुर्माना लगाया गया। सरकारी दमन के फलस्वरूप जनता की सम्पत्ति की गहरी हानि उठानी पड़ी।

'सियाराम दल' के उल्लेख बिना इस जिले के आंदोलन का विवरण अधूरा ही रह जायगा। क्रान्तिकारियों के इस दल ने वहां की नौकरशाही को नाकों दम कर रखा था। बदनाम करने के लिए सरकार ने दल को साधारण डकैत का दल घोषित कर रखा था। साथ ही इस दल के अनेक कार्यकर्त्ताओं की गिरफ्तारी के लिए चार-चार पांच-पांच हज़ार रुपए इनाम भी घोषित कर रखे थे।

सरकार ने कुछ नामी-गरामी डकैतों को जेल से रिहा कर उन्हें यह आदेश दिया था कि बाहर जाकर व खूब लूट-पाट मचाएँ ताकि इन सारी अवस्थाओं का दायित्व आंदोलनकारियों पर डाल कर दुनियाँ में कांग्रेस को बदनाम किया जासके। लेकिन, 'सियाराम-दल' ने बुद्धि और बल दोनों का ही प्रयोग ऐसे डकैतों को काबू में किया और इस प्रकार इस इलाके की जनता सरकार प्रेरित गुंडों से बचाई जा सकी।

आष्टी और चिमूर की दर्द-कहानी।

सच्चे 'ब्लैक-होल' की कथा।

सन् १९४२ के स्वतंत्रता-आन्दोलन को कुचलने के लिए चिमूर और आष्टी-मध्य प्रान्त के दो गांवों में—नौकरशाही के टुकड़ेखोरों ने जो

अमानुषिक अत्याचार किए, उनका दूसरा उदाहरण दुनियां के इतिहास में शायद ही मिले।

इन गांवों में निरीह अबलाओं पर किए गए अत्याचारों की एक रिपोर्ट डॉ० मुंजे और दूसरी रिपोर्ट श्रीमती रामाबाई ताम्बे ने तैयार की थी और प्रान्त के गवर्नर के पास दाखिल कर इस संबन्ध में निष्पक्ष जांच करने की मांग की थी! यह रिपोर्ट निराधार और झूठी कह कर दबा दी गई। लेकिन बात जोर पकड़ती गई। नौकरशाही का दिल दहल उठा। अखबारों पर, इस सम्बन्ध की खबरें छापने पर, प्रतिबंध लगा दिया गया। विरोध-स्वरूप हिन्दुस्तान के समस्त अखबारों ने हड़ताल की। प्रो० भसाली के अनशन ने देश में हलचल मचा दी और अन्त में सरकार को झुकना पड़ा। वायसराय की कौंसिल के तत्कालीन सदस्य, माननीय अणे, खुद चिमूर गए और वहां की अबलाओं की दर्द-कहानी सुनकर उन्हें भी कहना पड़ा—"जो नहीं होना चाहिए था, वह भी यहां हुआ। ईश्वर में विश्वास रखो। वह अवश्य इसका न्याय करेगा।"

गोली और लाठी

१२ अगस्त को आष्टी में जब नेताओं की गिरफ्तारी का समाचार पहुंचा तो जनता ने जुलूस निकाला और गांव के थाने पर तिरंगा झण्डा लगाने के लिए वे चल पड़े। जुलूस के आगे महिलाएँ थीं। थाने के समीप जुलूस के पहुंचने पर पुलिसवालों ने उन्हें रोका और मां बहनों के सामने गन्दी गालियों की बरसा की। लेकिन जनता धैर्य-पूर्वक आगे बढ़ती ही गई। मदोन्मत्त पुलिसवालों को यह कब सहन था। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के लाठियों तथा गोलियों के प्रहार से उनके बढ़ते कदमों को रोका।

छटपटाते घायल भाइयों के आर्तनाद ने युवकों के हृदय में प्रतिहिंसा की ज्वाला जाग्रत कर दी। उनका धैर्य छूट गया और वे भूखे शेर की

बांध सकोगे क्या यह धारा

बांध सकोगे ? बांध सकोगे ?
बांध सकोगे क्या यह धारा ?
क्रुद्ध, क्षुब्ध जनता का सागर
उफन रहा है
गरज गरज कर,
आज चुनौती आसमान को
देता है जय घोष हमारा।
बांध सकोगे०—
बुझा सकोगे क्या फूंकों से
या दो कागज के टूकों से
छिपा सकोगे, मिटा सकोगे
नभ से सूरज का उजियारा
बांध सकोगे०—

तरह टूट पड़े अन्यायी टुकड़ेखोरों पर। फलस्वरूप छः ग्रामीण और तीन पुलिसवाले घटनास्थल पर मारे गये और सैकड़ों घायल हुए। पुलिस मैदान से भाग खड़ी हुई और तिरंगा झण्डा थाने पर शान से लहरा उठा।

उसी रात गोरे सिपाहियों का एक दल गाँव में आ धमका। लोगों को बुरी तरह मारा पीटा। दूसरे दिन उन्हें बिना भोजन पानी के धूप में खड़ा रखा और फिर रात को जानवरों के कोठों में ठूँस कर जानवरों की तरह भर दिया। इसके बाद लगभग एक महीने तक वहां जो नारकीय अत्याचार हुए, उन्हें सुनकर ही आंखों में खून उतर आता है।

अनेक बेकसूर लोग गिरफ्तार किये गये, जिसमें अधिकांश की उम्र २० वर्ष से भी कम थी। ५२ मनुष्यों को कालेपानी की सजा हुई और तीन को फांसी का हुक्म सुना दिया गया। अन्त में इनकी सजा आजन्म कारावास में बदल दी गई।

चिमूर

चंडा जिले में वरोरा से ३० मील दूर चिमूर गांव है। करीब ६००० लोगों की छोटी-सी बस्ती है। ११ अगस्त से ही वहां सभाएँ होने लगी; जुलूस निकलने लगे। १६ अगस्त को नाग पंचमी थी। प्रातःकाल गाँव के लोगों का दल प्रभात-फेरी के लिए निकला। जुलूस में करीब ४०० स्त्रियाँ और सौ बच्चे भी थे। सभी पूर्णतः अनुशासित एवं अहिंसक थे। गाँव के सभी प्रमुख रास्तों पर पुलिस मोर्चा जमाए हुए थी। जुलूस रोक दिया गया। फिर गोलियों की वर्षा हुई। लोग जहां थे, वहीं बैठ गए। फिर भी गोलियां चलती रही। कुछ स्त्रियाँ और बच्चे भी गोलियों के शिकार हुए। तब तो जनता का धैर्य छूट गया। उन्होंने सामना किया और हत्यारों को मैदान छोड़कर भागने को मजबूर होना पड़ा। जनता

तो क्रोध से पागल हो रही थी। दो पुलिसवाले उसकी चपेट में आगए और उन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा।

इसके बाद सड़क काट डाली गई, रास्ते में पेड़ गिरा कर रोक दिए गए।

बाद में फौज वहां पहुंची और उसने निशस्त्र जनता पर ऐसे-ऐसे अत्याचार किए कि जिन्हें सुन कर ही खून उबल आता है।

फौज के वहाँ पहुंचने तक अधिकांश गांव खाली हो गया था। गांव में सिर्फ बूढ़े, बच्चे और स्त्रियाँ रह गई थीं। तीसरे दिन इन सभी लोगों को कड़कती धूप में कई घण्टे खड़ा रखा गया। एकदम सीधा खड़ा होने का हुक्म हुआ। जरा सा भी झुकने, हटने या फिर पानी मांगने पर फौजी बूट की ठोकर का सामना करना पड़ता था। जो बेहोश होकर गिरता, उसे इतनी ठोकरें पड़तीं कि बेहोशी और घण्टों चढ़ जाती।

ब्लैक-होल

कलकत्ते का काल-कोठरी के संबंध में जब यह पूर्ण रूप से तय हो गया है कि वह अंग्रेजों की मनगढ़न्त है। लेकिन, दूसरों पर लांछन लगानेवाली इसी नौकरशाही ने चिमूर के दो सौ से अधिक लोगों को १५ फुट चौड़े और २५ फुट लंबे कानी-हौस में ठूँस कर भर दिया गया। दिन भर के भूखे प्यासे लोग 'पानी-पानी' भी नहीं चिल्ला सकते थे। अनेक बेहोश हो गये।

बलात्कार

नौकरशाही के पिट्ठुओं को इतने से ही संतोष नहीं हुआ। गोरा फौज के सिपाही और पुलिस के कर्मचारी दरवाजे तोड़-तोड़ कर घरों में घुस गये और वहां अकेली औरतें हैं। १२ वर्ष की बालिकाओं से लेकर ५५ वर्ष की बूढ़ी माताएँ, जितनी नर पिशाचों को मिलीं, किसी

को नहीं छोड़ा। एसी कई रोमांचकारी कहानियां हैं, जहां छोटे-छोटे बच्चों को अपनी मां-बहिनों की मूटें मार कर उन्हें जमीन पर बेहोश कर गिरा दिया गया है। वह दमनचक्र महीनों चिमूर में चलता रहा। कितने लोग गोलियों के शिकार हुए, कितनी औरतों ने लज्जावश आत्म-हत्या कर ली। फिर न्याय का झूटा दम भरनेवाली सरकार ने कितनों पर मामला चलाया और उनमें से ७० से भी अधिक पुरुषों को कालेपानी की सजा देकर जेलों में ठूँस दिया।

बर्बरता की रोमांचकारी कहानी

त्रिवेणी तट पर रक्त-स्नान

गांधी टोपियां पैरों से मसल दी गई और उन पर थूका गया !!

नेताओं की गिरफ्तारी के समाचार को सुनते ही इलाहाबाद शहर में ९ अगस्त को हड़ताल होगई। विद्यार्थियों ने भी हड़ताल की। अप-रान्ह में एक लम्बा जुलूस निकाला गया। पुलिस ने स्थानीय काँग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस-कमेटियों के दफ्तरों की तलाशी ली गई और उन्हें बन्द कर दिया गया।

नौ और दस अगस्त को विद्यार्थियों ने लम्बे जुलूस निकाले। पुरुषो-त्तमदास पार्क और मुहम्मदअली पार्क में विशाल सभाएं हुई। लेकिन, सरकारी कर्मचारी चुप्पी साधकर बैठे रहे।

११ अगस्त को एक बड़ा-सा जुलूस फिर विश्व-विद्यालय से निकला। झा होस्टल तक पहुंचते ही 'शांति के ठेकेदारों' की भीड़ दीख पड़ी जुलूस के साथ लड़कियाँ भी थीं। ठेकेदारों के प्रधान ने जरा अकड़ कर और घृणा सी दिखाते हुए कहा, "अफसोस है कि आपलोग औरतों को आगे कर चलते हैं जोर दिखाने।" तुरत ही उन्हें उत्तर मिला—"अच्छा

तो उन्हें निकल जाने दीजिए और फिर आप अपना जोर दिखालें।" बातें चल ही रही थीं कि लोग आगे निकलने लगे। कुछ घबराकर पुलिस–ऑफिस ने पूरे जोर से कहा "लाठी चलाओ"। किंतु, सिपाही जहां के तहां अचल रहे, लाठियां जमीन चूमतीं रहीं। झुंझला कर अफसर ने तीन–चार बार 'चार्ज' कहा, किन्तु व्यर्थ। कुछ विद्यार्थियों ने जरा हँस कर पूछा, "बस हो चुका?" और जुलूस आगे बढ़ गया।

अभी तक जनता के सामने कोई निश्चित कार्य–क्रम नहीं था। लोग अधिकृत आदेशों या कांग्रेस से नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन, तत्कालीन परिस्थिति में वह संभव नहीं था। शाम को विश्व–विद्यालय के यूनियन–हॉल में, जो आंदोलन का केन्द्र बन गया था, सभा हुई और यह निश्चय हुआ कि दूसरे दिन अर्थात् १२ अगस्त को दो रास्तों से दो जुलूस चलें और मुहम्मदअली पार्क में पहुंचें और वहां आखिरी फैसला कर लिया जाय। यह तय पाया गया कि एक जुलूस गवर्नमेण्ट हाउस से होकर जाय और एक कचहरी होकर।

इसके बाद १२ अगस्त को क्या हुआ, वह एक प्रत्यक्षदर्शी (श्री यदुवीर सिंह) से ही सुनिए।

"मैंने जौहर के विषय में केवल पुस्तकों में पढ़ा था—उसका एक काल्पनिक चित्र भी बना चुका था किंतु उसे कभी स्वयं भी देखना होगा यह सोच भी न सका था। रात किसीप्रकार प्रभात की प्रतीक्षा में बीती। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वीर क्षत्रिय अंतिम बाजी खेलने के लिए केशरिया वस्त्र धारण कर किले के फाटक खोल देते थे और क्षत्राणियां जौहर की प्रज्वलित अग्नि में हँसते–हँसते कूद पड़ती थी।

भयंकर लाठी प्रहार

जब गोली चलाने की खबर शहर में पहुंची तो हजारों आदमी सड़कों पर आगए। भीड़ गोलाबारी के लिये सामने पड़ी। भीड़ के नेता

राजन की छाती पर गोली लगी और वह तुरन्त मर गया। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन भागते हुओं पर भी सैनिकों ने गोलियां चलाईं रमेश मालवीय नामक स्कूल का एक बहादुर विद्यार्थी जो जनता से न भागने के लिए अपील कर रहा था, घटनास्थल पर ही गोली से मर गया। ननका मेहतर भी मारा गया।

नृशंसतापूर्ण हत्या

जानबूझ कर तथा नृशंसता के साथ की गई हत्याओं की कुछ कहानियां विशेष रूप से निंदनीय हैं। उदाहरणार्थ मुरारी मोहन भट्टाचार्य नामक कम्पाउण्डर, जो कि अपने एक मित्र से भेंट करने के बाद वापस लौट रहा था, झू झीहारिया पुल के पास जानस्टनगंज सड़क को पार करते समय एक सैनिक द्वारा रोका गया। सिपाही ने अपने बन्दूक से उसे पीछे धक्का दिया और वापस जाने को कहा। लेकिन वह कुछ ही कदम चला होगा कि सैनिक ने उसकी पीठ में गोली चला दी। वह गिर पड़ा। फिर उठ कर लड़खड़ाता हुआ म्युनिसिपल कमिश्नर श्री छोटेलाल जायसवाल के घर की ओर चला। इस पर सैनिक ने फिर गोली चलाई। गोली उसके शरीर के पार निकल कर श्री जायसवाल की लड़की को लगी। तब सैनिक लाश को घसीट कर सड़क की दूसरी ओर ले जा रहे थे। पास से गुज़रती हुई एक फौजी लारी उसे फौजी अस्पताल को उठा ले गई। वहां से विधवा को दूसरे दिन लाश मिली। सब्जी मण्डी में सैनिकों की एक टोली ने तीन मुसलमान लड़कों पर गोली चलाई। अब्दुल मजीद नामक सोलह वर्ष का एक लड़का मारा गया और मुहम्मद अमीन घायल हुआ।

कैनेट रोड पर ग्रैण्ड कम्पनी के पास एक सैनिक ने दो व्यक्तियों को आते देखा। वह ईंट के खम्भे के पीछे छिप कर बैठ गया। उसने

निशाना लगा दो बार गोली चलाई जिससे २० वर्ष का नवजवान भगवती प्रसाद मारा गया और दूसरा घायल होकर निकल भागा।

रात में करीब एक बजे सैनिकों ने संगीनों से अधेड़ उम्र के एक व्यक्ति को मार डाला।

वीर जङ्गल की बलि

११ अगस्त ४२ को संध्या को गांधीचौक में सभा हुई। पुलिस अधिकारी ने देखा कि जनता में जोश है और वह नहीं मान सकती तो उसने कहा कि तुम लोग भाग जाओ नहीं तो लाठियों की मार पड़ेगी- बंदूकें चलाई जाएंगी। पर कौन सुनता है और इस बात का उत्तर दिया गया—महात्मा गांधी की जय और भारत छोड़ो के नारे से। धांय ! धांय !! धांय !!! गोलियां चलाई गई। एक युवक को गोली लगी। उस युवक का नाम था जङ्गलू। उसके मस्तक में से गोली निकल कर आर पार हो गई थी। जङ्गलू अपने बापका इकलौता बेटा था। दिन भर मज़दूरी करता था और रात को अपनी कमाई से पेट भरता था जङ्गलू खून से लथपथ होगया और उसने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को भारत मां के चरणों में चढ़ा दिया।

जब अहमद नगर किले से महात्मा गांधी छूटकर प्रथमबार वर्धा १ अगस्त ४४ को आए थे तो उन्होंने वह स्थान देखा जहां जङ्गलू ने ११ अगस्त ४२ को अपना मस्तक चढ़ाया था। गांधी जी ने श्रद्धांजलि समर्पित की।

गिरफ्तारी

संत विनोवा, दादा धर्माधिकारी किशोरीलाल अग्रवाला, आचार्य-नायकम्, शिवराज चूड़ीवाले आदि सब गिरफ्तार हो गए। जनता

भयभीत थी। जिसे मन में आया पकड़ा—चाहें उसने कसूर किया हो या नही। गिरफ्तारियाँ जारी थीं।

महाकौशल

मि० हेवेटसन उसे जिन्दा ही गड़वाना चाहते थे!

क्रांति की लपटों से महाकौशल भी अछूता न बचा। आज़ादी के महान् यज्ञ में उसने भी आहुतियां चढ़ाई। नौकरशाही ने उसे कुचलने के लिए, जिस दमन नीति से काम लिया, उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं।

जबलपुर में श्री गुलाबसिंह के शहीद होने के बाद ही क्रांति की लपटों ने विशाल रूप धारण कर लिया। और फिर तो चारों ओर विद्रोह की आग भड़क उठी।

बैतूल के तीन स्थानों में गोलियां चलाई गईं। जिनके नाम ये हैं—घोड़ा डोंगरी, प्रभात और नाहिया पट्टन।

गोली लगने से वीरशाह गोण्ड घायल होकर गिर पड़ा। मरने के पहले बूट की जो ठोकर उसे मारी गई और जितनी दुष्टता का व्यवहार उसके साथ किया, उसे हम युगों तक न भुला सकेंगे। मि० हेवेटसन ने अत्यन्त निर्लज्जतापूर्वक उसे लात से मारा। उसके शरीर से रक्त की धारा बह रही थी। उसी हालत में टांग खींचकर उसे घसीटा गया। मि० हेवेटसन उसे जीवित अवस्था में ही गड़वा देना चाहते थे। लेकिन भगवान् ने उनकी अभिलाषा पूरी नहीं की और वीरशाह की आत्मा गुलामी की जंजीरों को तोड़कर अनन्त में विलीन हो गई।

गोलीकाण्ड के फलस्वरूप ७ और आदमी घायल हुए।

प्रभात पट्टन में गोली चलने के समय डिप्टी कमिश्नर मि० एफ. के. खान् घटना स्थल पर उपस्थित थे। एक बहुत बड़ी भीड़ जमा थी पुलिस ने गोलियां चलाई और भीड़ ने पत्थर फेंके।

बैतूल जिले में पुलिस ने बड़े अत्याचार किए। लाठियों से जनता को पीटा गया और रिश्वतें ली गईं।

मंडला में उदयचन्द नामक मैट्रिक किलास का एक विद्यार्थी अपना बस्ता लिए हुए मिशन कम्पाउन्ड की दीवाल पर सभा में खड़ा था सभा भंग की आज्ञा ऐलान की गई। उसका उल्लंघन होने पर रिजर्व-इन्सपेक्टर मि० फाक्स ने गोली चलाने की आज्ञा दी।

उदयचन्द भीड़ से काफी फासले पर सीना खोलकर खड़ा था। गोली चली और वह जमीन पर लोट गया।

श्रीमती काशीबाई भारा सवनी की एक बड़ी उत्साही कार्यकर्त्री है। २० अगस्त १९४२ को वे तीन अन्य कार्यकर्त्ताओं के साथ गिरफ्तार कर ली गयी। कई और कांग्रेसजनों के साथ वह पुलिस लारी में करगाटोला मौजा भेजी गयी। वहां पहुंचकर काशीबाई पर लाठियां बरसाई गई। उनकी साड़ी के चिथड़े-चिथड़े हो गये और सिर फूट गया तब श्री० दुबे पुलिस अफसर ने काशीबाई के पिता चेतारामजी को बुलवाया। ऊल-जलूल बातों के बाद चेतारामजी को भी लाठियों का इनाम दिया गया; क्योंकि उनकी पुत्री देश-प्रेम के अपराध में गिरफ्तार की गयी थी। काशीबाई को तो इतना मारा गया कि उसके परिणाम स्वरूप वह मूर्छित होकर गिर पड़ी और इसी हालत में उनके पास से ७०) रु० नगद और करीब २००) मूल्य के जेवरात निकाल लिए गये। ये जेवर और रकम उन्हें आज तक वापस नहीं मिले।

अधिकारियों ने गुस्से से पागल होकर देश-भक्तों की गांधी-टोपियों और काशीबाई की साड़ी के टुकड़े जलवा दिये। राष्ट्रीय झण्डे को पैर से कुचला गया।

इति